दसम माला, खण्ड 11; अंक 33

शुक्रवार, 10 अप्रैल, 1992
21 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(दसवीं लोक सभा)

63
16/8/93

(खंड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 11, तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 33, शुक्रवार, 10 अप्रैल, 1992/21 चैत्र, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—30
*तारांकित प्रश्न संख्या : 633 से 636, 638 और 639	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	30—201
तारांकित प्रश्न संख्या : 637 और 640 से 652	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6824 से 6886, 6888 से 6928, 6930 से 6936, 6938, 6939, और 6941 से 6997	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	215—218
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	218
प्राक्कलन समिति	218
सोलहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	218—219
पांचवां और छठा प्रतिवेदन	
तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 219—221

(एक) दक्षिणी राज्यों में मधुमक्खियों की महामारी पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस 219

(दो) आन्ध्र प्रदेश के राजमपेट में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदले जाने की आवश्यकता

श्री ए० प्रताप साय 219

(तीन) राजस्थान के गंगानगर जंक्शन पर और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल ... ... 219—220

(चार) राजस्थान में अजमेर जिले के ब्यावर नगर में स्थित कृष्णा मिल को राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिगृहीत किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत 220

(पांच) बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक पार्श्व सड़क का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय ... ... 220—221

(छः) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में झाड़ग्राम टेलीफोन केन्द्र पर "उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग" सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रूप चन्द मुरमु 221

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992-93 ... ... 221—240

ग्रामीण विकास मंत्रालय

खाद्य मंत्रालय

कृषि मंत्रालय

नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

श्री बीरबल ... ... 222—224

विषय	पृष्ठ
श्री ए० अशोकराज	224—225
श्री पी०पी० कालियापेरूमल	225—227
श्री सैयद मसूदल हुसैन	227
श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये	227—229
श्री सुब्रत मुखर्जी	229—230
श्री कमालुद्दीन अहमद	230—240
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	240—241
नौवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	
विधेयक पुर:स्थापित	241—243
(एक) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक	
श्रीमती प्रतिभा सिंह	241
(दो) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा 7 में संशोधन)	
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी	241—242
(तीन) न्यायाधीश (जांच) संशोधन विधेयक (धारा 3 में संशोधन)	
श्री सोमनाथ चटर्जी	224
(चार) मोटरयान (संशोधन) विधेयक (धारा 166 में संशोधन)	
श्री पी० सी० थामस	242—243
संविधान (संशोधन) विधेयक	243—267
(नए भाग 11क का अन्त:स्थापन)—वापस लिया गया	
श्री चित्त बसु	243
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री नीतीश कुमार	243—246

विषय				पृष्ठ
श्री मनोरंजन भक्त	...	...	...	246—248
श्री दाऊ दयाल जोशी	...	...	...	248—249
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	...	...	...	249—253
श्री गोपी नाथ गजपति	...	...	...	253—254
श्री संतोष कुमार गंगवार	...	...	...	254—255
डा० एस० पी० यादव	...	...	...	255—257
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	...	...	...	257—258
श्री इन्द्र जीत	...	...	...	258—259
श्री एच० आर० भारद्वाज	...	...	...	259—264
श्री चित्त बसु	...	...	...	264—267
संविधान (संशोधन) विधेयक;	...	...	...	268—279
(आठवीं) अनुसूची में संशोधन)				
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्रीमती विल कुमारी भंडारी	...	...	...	269—276
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	...	...	...	276—278

लोक सभा

शुक्रवार, 10 अप्रैल, 1992/21 चैत्र, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने भूतपूर्व साथी श्री एस० एस० रामास्वामी पदयाची के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री पदयाची सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और 1980-89 के दौरान उन्होंने तमिलनाडु के टिंडीवनम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले वह 19‹2-62 तथा 1966-67 के दौरान क्रमश: तमिलनाडु विधान सभा और तमिलनाडु विधान परिषद के भी सदस्य रहे। वह 1954-57 के दौरान तमिलनाडु में स्थानीय प्रशासन के मंत्री भी रहे।

वह एक योग्य सांसद थे और हमेशा समाज के गरीब वर्ग की समस्याओं की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करते रहे। वह एक समर्पित समाजसेवी और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए अथक रूप से कार्य किए।

श्री पदयाची का निधन 3 अप्रैल 1992 को कुड्डालोर, तमिलनाडु में 74 वर्ष की आयु में हुआ।

उनके निधन पर हमें अत्यधिक दु:ख है। सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवार को शोक संदेश व्यक्त करेगी।

सभा अब स्वर्गीय सदस्य के प्रति सम्मान के रूप में थोड़ी देर मौन खड़ी रहे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में सूचित पारपथों/उपरिपुलों का निर्माण

[अनुवाद]

*633. श्री मोरेश्वर सावे :†

श्री जीवन शर्मा :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उपरिपुलों/उपरि सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों/भूमिगत पारपथों से संबंधित कितनी परियोजनाएं दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नगर कला आयोग के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कितनी-कितनी अवधि से किन-किन कारणों से मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान दिल्ली में बनाये गये और जनता के लिए खोले गये उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष बचे उन उपरिपुलों की वर्तमान स्थिति क्या है जिनका निर्माण इसी अवधि के दौरान किया जाना था तथा उनके निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त परियोजनाओं को संशोधित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संवैधानिक रूप से यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। अन्य सभी सड़कों/पुलों के लिए संबंधित सरकार/संघ शासित क्षेत्र अनिवार्यतः उत्तरदायी हैं। दिल्ली में विभिन्न कार्यकारी अभिकरणों अर्थात दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के आधार पर उत्तर निम्न प्रकार है :

(क) और (ख) दिल्ली में फ्लाईओवरों/भूमिगत पारपथों के 18 प्रस्ताव इस समय विभिन्न समयावधियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण और/अथवा दिल्ली शहरी कला आयोग की स्वीकृति के लिए लम्बित हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे और वह अवधि जब से ये प्रस्ताव लम्बित हैं तथा विलम्ब के कारण अनुबंध—I में दिए गए हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने वाले 15 फ्लाईओवरों में से सातवीं योजना अवधि के दौरान 4 फ्लाईओवर पूरे हो गए हैं और उन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया है जिनके ब्यौरे अनुबंध—II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) शेष 11 फ्लाईओवरों में से 5 फ्लाईओवरों का निर्माण किया जा रहा है, एक स्कीम को स्वीकृति दी जा रही है, और 5 स्कीमों का अभी दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा अनुमोदन किया जाना है जिनके ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं। निर्माणाधीन कार्यों के पूरा होने में विलम्ब मुख्यतः निम्न कारणवश हुआ है :

(i) स्थल की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन।

(ii) सेवाओं का स्थानान्तरण करना/हटाना।

(iii) अतिक्रमणों और झुग्गियों को हटाना।

(iv) भूमि अधिग्रहण।

(v) दिल्ली विकास प्राधिकरण और/अथवा दिल्ली शहरी कला आयोग को स्वीकृति प्रदान करने में लगा समय।

(vi) संविदात्मक समस्याएं।

संबंधित कार्य निष्पादन एजेंसियों द्वारा कड़ी निगरानी रख कर तथा रुकावटों को शीघ्र दूर करके कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुबन्ध-एक

क्र० सं०	स्कीम का नाम	निष्पादन एजेंसी	प्रथमत: प्रस्तुत किए आने की तारीख	अभ्युक्ति तथा विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5
1.	राजा गार्डन क्रासिंग पर ग्रेड सेपरेटर	लो०नि०वि० दिल्ली प्रशासन	5/91 को डी० यू०ए०सी० को	डी०यू०ए०सी० ने 1/92 को और सुधार सुधारों के लिए कहा। संशोधित प्रस्ताव वि० वि०प्रा० को प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी टिप्पणियों के साथ 2/92 को डी०यू० ए०सी० को भेज दिया।
2.	सफदरजंग क्रासिंग पर ग्रेड सेपरेटर	यथोक्त	1/91 को डी० यू०ए०सी० को	डी०यू०ए० सी० इस स्थान पर फ्लाई ओवर के लिए सहमत नहीं हुआ और अंडर पास का प्रावधान करने अथवा फ्लाई ओवर की ऊंचाई को सड़क तल से 8 फीट की ऊंचाई तक सीमित करने की सलाह दी। 3.3.92 को हुई बैठक में लो०नि०वि० से इस स्थान पर दोनों वैकल्पिक प्रस्तावों की बाबत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

1	2	3	4	5
3.	धौलाकुआं क्रासिंग पर ग्रेड सैपरेटर	लो०नि०वि० दिल्ली प्रशासन	4/91 को डी० यू०ए०सी० को	मामले पर पत्र व्यवहार किया जा रहा है। लो०नि०वि० ने 12/91 में डी०यू०ए०-सी० को उत्तर भेज दिया है।
4.	आश्रम चौक क्रासिंग पर ग्रेड सैपरेटर	यथोक्त	4/91 को दि० वि०प्रा० को	मांगे गए स्पष्टीकरण 7/91 में प्रस्तुत किए गए और 1/92 को दि०वि०प्रा० को भेज दिए गए हैं।
5.	पार्कस्ट्रीट और बाबा खड़क सिंह मार्ग के चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर	नई दिल्ली नगर पालिका	दि०वि०प्रा० को 3/89 में	प्रस्ताव पर पत्र व्यवहार किया जा रहा है। डी०डी० ए० ने 2/92 में प्रस्ताव अनुमोदित किए बगैर यह कहकर लौटा दिया कि इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
6.	तिलक मार्ग और भगवान दास रोड के चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर	यथोक्त	दि०वि०प्रा० को 2/87 में	—यथोक्त—
7.	जे०बी० टीटो मार्ग और लाला लाजपत राय मार्ग के चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर	दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम	दि०वि०प्रा० को 8/91 में	—यथोक्त—
8.	रिंग रोड और अफ्रीका एवेन्यू के चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर	यथोक्त	दि०वि०प्रा० को 12/90 में	—यथोक्त—
9.	आउटर रिंग रोड और रोहतक रोड के चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर	यथोक्त	दि०वि०प्रा० को 1/91 में	डी०डी०ए० के साथ मामले पर पत्र व्यवहार चल रहा है। 3/92 में डी०डी०ए० को अन्तिम प्रस्ताव भेज दिया गया है।

1	2	3	4	5
10.	रिंगरोड और वजीरपुर डिपो के समीप रोड नं० 41 के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	यथोक्त	दि०वि०प्रा० को 1/91 में	डी०डी०ए० के साथ मामले पर पत्र व्यवहार चल रहा है। इस क्षेत्र की स्कीमों के विस्तृत अध्ययन के लिए डी०डी०ए० ने 3/92 में सुझाव दिया था।
11.	बी०टी० रोड और सत्यवती मार्ग के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	यथोक्त	8/91 को दि०वि०प्रा०	प्रस्ताव पर पत्र व्यवहार किया जा रहा था। दि० वि० प्रा० ने 2/92 में इस प्रस्ताव को अनुमोदित किए बगैर यह कहकर लौटा दिया कि इसे प्राथमिकता नहीं दो जा सकती।
12.	पटेल रोड, पूसा रोड और शंकर रोड के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	यथोक्त	10/91 दि० वि०प्रा० को	—यथोक्त—
13.	रिंग रोड और शांतिपथ के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	यथोक्त	1/91 दि० वि०प्रा० को	—यथोक्त—
14.	आउटर रिंग रोड और रोड सं० 41 (मधुबन चौक चौराहा) के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	यथोक्त	1/92 दि० वि०प्रा० को	मामले पर पत्र व्यवहार किया गया है। पुनः प्रस्तुत करने के लिए दि०वि०प्रा० के सुझावों को शामिल किया जा रहा है।
15.	आउटर रिंग रोड और नेहरू प्लेस के समीप लाला लाजपत राय मार्ग के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	दिल्ली नगर निगम	3/91 में दि०वि०प्रा० को	प्रस्ताव पर दि०वि०प्रा० के साथ पत्र व्यवहार किया गया। इस प्रस्ताव को अनुमोदित किए बगैर 2/92 में यह कह कर लौटा दिया कि इसे प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
16.	ग्रेटर कैलाश-II के 80 फुट के रोड तथा	यथोक्त	8/91	प्रस्ताव पर दि०वि०प्रा० के साथ पत्र व्यवहार किया जा

1	2	3	4	5
	आउटर रिंग रोड के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर			रहा था। 2/92 में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
17.	नजफगढ़ रोड तथा तिलक नगर में जेल रोड के चौराहे पर ग्रेड सेपरेटर	यथोक्त	12/91 दि०वि०प्रा० को	प्रस्ताव पर दि०वि०प्रा० के साथ पत्र व्यवहार किया जा रहा था। इस प्रस्ताव को अनुमोदित किए बगैर 2/92 में यह कह कर लौटा दिया गया कि इसे प्राथमिकता नहीं दी जा सकती।
18.	समयपुर बादली के समीप औचंदी में आर०ओ०बी०	यथोक्त	8/90 में दि०वि०प्रा० को	प्रस्ताव पर पत्र व्यवहार किया जा रहा था। 7/91 में दि०वि०प्रा० द्वारा उपलब्ध कराई गई टिप्पणियों की दिल्ली नगर निगम द्वारा जांच की जा रही है।

अनुबन्ध—दो

1. आजाद मार्केट से एस०पी० मुकर्जी मार्ग को जोड़ने वाला पुल (फेज-I); (फेज-II प्रगति पर है)।
2. जखीरा में आर०ओ०बी० (मुख्य आर०ओ०बी०)।
3. शक्ति नगर में आर०यू०बी०।
4. लोठियन आर०यू०बी० (यातायात के लिए तीन स्पेन खोले गए, शेष स्पेन प्रगति पर हैं)।

टिप्पणी : ये सभी कार्य दिल्ली नगर निगम के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

अनुबन्ध—तीन

क्रम सं०	स्कीम	एजेंसी
1	2	3
	(क) निर्माणाधीन :	
1.	जी०टी० रोड शाहदरा के साथ सहारनपुर-शाहदरा रेलवे क्रासिंग पर आर०ओ०बी०।	दिल्ली नगर निगम

1	2	3
2.	महरौली-बदरपुर रोड पर आर०यू०बी० ।	दिल्ली नगर निगम
3.	अशोक विहार को वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने वाला आर०यू०बी० ।	दिल्ली नगर निगम
4.	ओखला के निकट दिल्ली-मथुरा रेलवे लाईन के क्रासिंग पर बाहरी रिंग रोड पर आर०ओ०बी०-22	लोक निर्माण विभाग दिल्ली प्रशासन
5.	मंकी पुल पर आर०ओ०बी०	—वही—
(ख) स्वीकृति प्रदान की जा रही है :		
1.	पंजाबी बाग क्रासिंग पर रिंग रोड पर ग्रेड सैपरेटर।	लोक निर्माण विभाग दिल्ली प्रशासन
(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण डी०यू०ए०सी० द्वारा अनुमोदन के अधीन		
1.	राजा गार्डन क्रासिंग पर ग्रेड सैपरेटर।	लोक निर्माण विभाग दिल्ली प्रशासन
2.	सफदरजंग क्रासिंग पर ग्रेड सैपरेटर।	—वही—
3.	धौलाकुआं क्रासिंग पर ग्रेड सैपरेटर।	—वही—
4.	पार्कस्ट्रीट और बाबा खड़गसिंह मार्ग के चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर।	नई दिल्ली नगर पालिका
5.	तिलक मार्ग और भगवानदास रोड के चौराहे पर ग्रेड सैपरेटर।	नई दिल्ली नगर पालिका

श्री मोरेश्वर साबे : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए विवरण की प्रशंसा करता हूं। माननीय मन्त्री ने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने मंत्रालय के संवैधानिक दायित्व का प्रश्न उठाया है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा अनेक राजमार्ग उपरिपुलों से गुजरते हैं। इसलिए उन्हें संबंधित उपरिपुल अर्थात धौला कुआं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से संबंधित दायित्व से नहीं बच सकते।

क्या यह सच है कि अधिकांश प्रस्तावित उपरिपुल बनाने के लिए या तो एशियाई खेलों के समय जल्दबाजी में अन्तिम रूप दिया गया था अथवा यह ध्यान में रखा गया कि वे अति विशिष्ट व्यक्तियों के निर्वाचन क्षेत्र में हैं, वे आवश्यक अथवा जरूरी और व्यावहार्य ही नहीं थे ?

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, दिल्ली में कुछ उपरिपुलों की योजना एशियाई खेलों के कारण बनाई गई थी। लेकिन यह जल्दबाजी में नहीं किया गया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों ने सभी उपरिपुलों का स्वागत किया है और मैं समझता हूं कि वे दिल्ली के लोगों के काम आ रहे हैं।

श्री मोरेश्वर सावे : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रस्तावित 15 उपरि पुलों में से चार का निर्माण पूरा हो चुका है; पांच निर्माणाधीन हैं; एक मंजूरी के लिए भेजा हुआ है और पांच स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। उन्होंने अपने उत्तर में कुछ कठिनाइयों का भी उल्लेख किया है। ये तो सामान्य किस्म की कठिनाइयां हैं मैं उनमें कोई तर्क नहीं देखता। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री जानते हैं कि इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है। निर्माणाधीन प्रस्तावित उपरि-पुल कब तक पूरे होने की संभावना है ? जिन उपरि-पुलों की मंजूरी लम्बित है, वह कब तक मिलने की संभावना है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस देरी के लिए दायित्व निर्धारित किया गया है और क्या देरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है।

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि संवैधानिक रूप से यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यह प्रश्न मुझे अन्तरित किया गया है इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह देरी दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा शहरी कला आयोग के कारण हुई है। यह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस मुद्दे पर सम्बद्ध मंत्रालय से विचार-विमर्श कर रहे हैं ताकि और अधिक देरी न हो और इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र स्वीकृति दी जाए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि वह शीला कौल जी के मंत्रालय से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में 5 फ्लाई ओवर; शाहदरा, पंजाबी बाग, राजा गार्डन चौक, धौला कुआं और सफदरजंग चौक पर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान था, लेकिन नवम्बर 1989 में लोक सभा चुनाव से पूर्व सिर्फ शाहदरा फ्लाई-ओवर, जो कि मेरे मित्र और भूतपूर्व मन्त्री महोदय के क्षेत्र में है, बनना शुरू हुआ और बाकी चारों फ्लाई-ओवर शुरू नहीं हो सके तथा सारा धन लैप्स हो गया।

अध्यक्ष महोदय, इन फ्लाई ओवर्स के बनने में मुख्यत: अरबन आर्ट्स कमीशन बाधक बना हुआ है। क्या मन्त्री महोदय संबंधित अधिकारियों, जिनमें अरबन आर्ट्स कमीशन के अधिकारी भी हों; उनसे विचार-विमर्श करेंगे और इनके निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके एक टाईम-बाउंड प्रोग्राम के तहत इन फ्लाई-ओवर्स का निर्माण करवाएंगे। इसके अलावा जिसका सीधा संबंध आपकी मिनिस्ट्री से है, तिलक नगर फ्लाई-ओवर और तितारपुर अंडर-ग्राउंड सब-वे का निर्माण भी क्या तुरन्त शुरू करवाया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : यह अच्छा सुझाव है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह शामिल हो।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : इस काम को करवाइए।

श्री जगदीश टाईटलर : मैंने कहा है कि आपने बड़े अच्छे विचार प्रकट किए हैं, सुझाव भी दिए हैं। हम इनके बारे में सोचेंगे और करने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आश्वासन इस सभा में दिया गया है। मैं उन्हें सतर्क भी करता हूं कि उनके ये शब्द आश्वासन माने जाएंगे।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अनेक एजेंसियां इन कार्यों को कार्यान्वित कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह देरी दिल्ली विकास प्राधिकरण और शहरी कला आयोग के कारण हुई। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनका मंत्रालय नियमित रूप से समय-समय पर इस कार्य को निगरानी करेगा ताकि इन मामलों पर गौर किया जा सके। अन्यथा इसके कारण न सिर्फ निर्धारित समय में वृद्धि होगी बल्कि लागत में भी वृद्धि होगी। इसके साथ ही यह शिकायत है कि शहरी कला आयोग किसी परियोजना को मंजूरी देने से पूर्व ठेकेदारों को निर्धारित करता है और वह बाद में स्वीकृति जारी करता है। ठेकेदार के चयन होने के बाद ही स्वीकृति दी जाती है। इसी कारण मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस मामले की जांच कराएंगे और उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

श्री जगदीश टाईटलर : निःसन्देह इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि शहरी कला आयोग अनावश्यक रूप से स्वीकृति देने में विलम्ब कर रहा है। ठेकेदारों को पहले तय करने के आरोप के बारे में मैं इस मामले का अध्ययन करूंगा। निःसन्देह इस बारे में अनावश्यक विलम्ब हुआ है और मैं इस बारे में शहरी कला आयोग और आवास मन्त्रालय को भी अवगत कराऊंगा। यदि संभव हुआ तो हम इससे सम्बद्ध रहेंगे ताकि हम यथा शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करें और परियोजनाओं को कार्यान्वित करें।

केरल को सहायता

*634. श्री थाइल जॉन अंजलोस :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने वित्तीय संकट से निपटने हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) केरल सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान अपनी वित्तीय कठिनाइयों से पार करने के लिए मध्यम अवधि-ऋण के रूप में 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विशेष सहायता के लिए अनुरोध किया था।

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर इस मन्त्रालय में विचार किया गया था तथा केन्द्र के संसाधनों की विकट कठिनाई को देखते हुए उसे स्वीकार नहीं किया गया था। तथापि, राज्य सरकार को उनकी वित्तीय कठिनाइयों से उबरने में समर्थ बनाने के लिए राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में उनकी हकदारी तथा केन्द्रीय करों में उनके हिस्से को अग्रिम के रूप में रिलीज कर दिया गया था।

राज्य को अर्थोपाय का अग्रिम भी दिया गया था। इसके अतिरिक्त; 1991-92 के दौरान

ऋण की वापसी तथा उस पर ब्याज की अदायगी को भी छः अवसरों पर पुनः व्यवस्थित किया गया था।

श्री थाइल जॉन अंजलोस : महोदय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि से सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस बढ़े हुए मूल्य से निपटने के लिए केरल सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता प्राप्त होने की संभावना के तहत राज सहायता की घोषणा की थी।

मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है।

श्री सीताराम पोतदुखे : महोदय, राज्य सरकार ने अपने आप ही इस राज सहायता की घोषणा की है। केन्द्र इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता।

श्री थाइल जॉन अंजलोस : अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए केरल सरकार ने कोचीन तेल शोधक कारखाने में आने वाले कच्चे तेल पर 1.5 रुपये प्रति लीटर की दर से सेवी तथा प्रवेश कर लगाने का प्रावधान किया है। इस संबंध में पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक विधेयक भारत सरकार के पास भेजा गया था।

आज तक केन्द्र ने इसे मंजूरी नहीं दी है जबकि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक गुजरात और आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों को अनुमति दे दी गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है, यदि हां तो इस संबंध में राज्य सरकार को कब तक अनुमति दी जाएगी।

श्री सीताराम पोतदुखे : महोदय, राज्य सरकारें नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करती हैं। योजना आयोग भी उन्हें अनुदान देता है। लेकिन यह प्रस्ताव हमारे मंत्रालय के पास नहीं है। यदि यह हमारे पास आया तो हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इस समय यह प्रस्ताव हमारे पास नहीं है।

श्री ए० चार्ल्स : केरल देश में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला राज्य है। दुर्भाग्य से हमारी उल्लेखनीय और प्रशंसनीय उन्नति के होते हुए भी केरल सरकार केन्द्र द्वारा अनेक क्षेत्रों में सहायता मिलने से वंचित है जबकि अन्य राज्य इस सहायता के पात्र हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह भेदभाव है लेकिन हमारी उपलब्धियों के कारण केन्द्र से हमें कोई सहायता नहीं मिलती।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि हम सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और हमने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, क्या भारत सरकार केरल सरकार को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विशेष सहायता देगी ताकि हम अभी तक अर्जित उपलब्धियों को बरकरार रख सकें।

श्री सीताराम पोतदुखे : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, विदेशी मुद्रा केरल के पास आ रही है, भारत सरकार के पास नहीं। दूसरे, महोदय, जैसा कि मैंने कहा, राज्यों को अनुदान नौवें वित्त आयोग और योजना आयोग के प्रावधानों के मुताबिक दिए जाते हैं।

श्री ई० अहमद : महोदय, माननीय मंत्री ने सभा के सम्मुख कहा है कि केरल की राज्य सरकार ने केन्द्र से मध्यम अवधि ऋणों के लिए अनुरोध किया है और वह उस पर सहमत नहीं

है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केवल केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से ऐसे ऋण के लिए कहा है अथवा किसी अन्य राज्य ने भी मध्यम अवधि ऋण के लिए अनुरोध किया है और ऐसे अनुरोध के प्रति केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री सीताराम केसरी : महोदय, अन्य सरकारों ने भी केन्द्र सरकार से इसी प्रकार के अनुरोध किए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है। बिहार सरकार भी है। उत्तर प्रदेश सरकार भी है। उड़ीसा सरकार भी है। असम सरकार है। यह बहुत मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : सभी राज्यों की एक समान ही प्रतिक्रिया है।

बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल की लेखा-परीक्षा

*635. **श्री महेश कनोडिया :**

श्री नरेश कुमार बालियान† :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भूतपूर्व बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कॉमर्स इंटरनेशनल की मुम्बई शाखा के लेखों की विशेष लेखा परीक्षा कराने का आदेश दिया था;

(ख) क्या उक्त लेखा-परीक्षा का कार्य पूरा हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो यह लेखा परीक्षा कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विशेष लेखा परीक्षा में 1-4-1983 से 5-7-1991 की अवधि के लिए बैंक आफ क्रेडिट एण्ड कामर्स इन्टरनेशनल (बी० सी० सी० आई०) की बम्बई शाखा के खाते कवर होंगे। लेखा परीक्षकों ने 1-4-1983 से 31-12-1985 तक की अवधि के आवक प्रेषणों से संबंधित अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट में उल्लिखित, विशेष बड़े मूल्य के लेन-देनों की सम्बद्ध नियमों के साथ उनकी अनुपालना का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संवीक्षा की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखा परीक्षकों को अन्तिम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री नरेश कुमार बालियान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बी० सी० सी० आई० की बम्बई शाखा को भारतीय स्टेट बैंक या अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को चलाने के लिए सौंपने का विचार कर रही है। कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने सिफारिश की थी, यदि ऐसा नहीं तो क्या सरकार इस बैंक को बन्द करने का विचार कर रही है।

श्री दलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो पिछली बार ये दोनों प्रश्न सदन में आये थे। जहां तक सवाल है बी० सी० सी० आई० ब्रांच का जो अपने यहां पर चल रही है, इसके संबंध में कैवेन आइलैंड की जो जे० पी० एल० (ज्वाइन्ट आफिशियल लिक्विडेटर्स) है, उसके साथ आर० बी० आई० ने बात की है। यह ब्रांच चूंकि भारत में है और इसकी देनदारियां

और डिपाजिट्स भी हैं तो उसको सेपेरेट एंटिटी मानने का प्रस्ताव कैमेन आईलैंड, जे० ओ० एल० ने मान लिया है और इसके बाद भी जो खातेदार होंगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें हमको हाई कोर्ट बम्बई का भी अनुमोदन लेना होगा। अभी इसकी कार्यवाही चल रही है।

श्री नरेश कुमार बालियान : माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो खाते बी० सी० सी० आई० में थे तो इस बैंक के फेल हो जाने से उन बैंकों को कितनी धनराशि की हानि उठानी पड़ी है।

श्री बलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आर० बी० आई० ने स्पेशल आडिट के लिए आदेश दिया। माननीय सांसदों की यही मांग थी कि जब फाइनेंस मिनिस्टर ने 7-8 बैंकों के स्टेटमेंट दिए थे तो पहला स्टेटमेंट 1-4-85 से 6-7-91 तक का था। बाद में यह सोचा गया कि जबसे बैंक की स्थापना हुई है तो 1983 से एन्टायर पीरियड का चूंकि आडिट इसमें होना है तो इसलिए हम इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० नारायणन : अध्यक्ष महोदय, ऐसा माना जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने फिर से बी० सी० सी० आई० को खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों को अधिक प्राथमिकता प्राप्त थी। चूंकि आर० बी० आई० द्वारा उन्हें प्राथमिकता दी गई थी, अपने नये रूप में बी० सी० सी० आई० ने अप्रवासी भारतीयों की सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित किया है। इस बात को ध्यान मे रखते हुए क्या आर० बी० आई० ने सरकार से इस बात की सिफारिश की है कि बी०सी०सी० आइ० के बम्बई शाखा को भारतीय स्टेट बैंक अपने हाथों में ले ले और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, आर० बी० आई० हर चीज का ध्यान रख रही है। 27-2-92 की अन्तरिम रिपोर्ट है और जब कभी यह बात होगी तो ध्यान रखा जाएगा।

श्री राम नाईक : माननीय अध्यक्ष जी, यह अन्तरिम रिपोर्ट है और वह भी केवल इन्वर्ड रेमीटेन्सेज के लिए है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आउटवर्ड रेमीटेन्सेज के लिए इसका आडिट क्यों नहीं हो रहा है और जो भी अन्तरिम रिपोर्ट रिजर्व बैंक के पास आ गई है तो उसकी कापी सरकार के पास है आई है क्या। उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन तथा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस के सम्बन्ध में सरकार को ध्यान रखना चाहिए। उस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने कुछ किया है या नहीं, नहीं किया तो उस रिपोर्ट की कापी मंगाकर क्या यह काम केन्द्र सरकार करेगी ?

श्री बलबीर सिंह : हमने खुद इसमें मेंशन किया है कि यह अन्तरिम रिपोर्ट 27-2-1992 को मिली है। यह आठ, साढ़े आठ साल का पीरियड है और बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसलिए हम हर दृष्टिकोण से आर० बी० आई० देख रही है। यह रिपोर्ट रिजर्व बैंक के पास है, शासन के पास अभी नहीं आई।

श्री राम नाईक : इसमें केवल इनवर्ड रिमीटेंसिज की बात है, आऊटवर्ड रिमीटेंसिज के संबंध में क्यों जांच नहीं हो रही है और जांच नहीं हो रही है तो क्या करेंगे ?

श्री बलबीर सिंह : शासन के पास रिपोर्ट आएगी तभी हम कुछ कर सकते हैं।

श्री आर्ज फर्नान्डीज : बी० सी० सी० आई० के बारे में मैं तीन-चार बार बातें रखना चाहता हूं, मंत्री जी इसका सफाई से जवाब दें। जिन लोगों ने पैसा जमा करा रखा है वे उस पैसे को मांग रहे हैं, लेकिन आप देने की स्थिति में हैं या नहीं, यह बताएं? कुछ बड़े लोगों ने उस बैंक से लोन लिया था, वह कर्ज का पैसा बैंक में आ रहा है या नहीं, यदि नहीं तो उसको लेने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तीसरा सवाल यह है कि सिंडीकेट बैंक का उस बैंक के साथ सम्बन्ध था, हमने पहले भी यह सवाल सदन में उठाया था कि विदेश में इस बैंक ने बी० सी० सी० आई० के वास्ते पैसे जुटाने का काम किया था, क्या वह पैसा लोगों को देंगे और सिंडीकेट बैंक में वह पैसा भेजने के बारे में आपने क्या कदम उठाया? कर्मचारियों का प्रश्न है। जो इस बैंक में काम करते हैं वे हर जगह पर, मंत्री जी के दरवाजे से लेकर संसद सदस्यों के दरवाजों तक जाकर अपने रोजगार की बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? जो जांच अमेरिका के सीनेट ने की, ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स ने अपनी पार्लियामेंटरी कमेटी बनाकर की, आपने कौन सी जांच की है जिसके चलते जो उसकी बदतमीजियां थीं उनको लोगों के सामने लाने का काम हो सके?

श्री बलबीर सिंह : मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी जो अपने देश में जांच है वहां ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। हम जांच कर रहे हैं उसके साथ-साथ हम सी० बी० आई० से भी जांच करवा रहे हैं। जो भी उसको खरीदेगा उसकी पूरी देनदारी होगी जो भी इसमें पैसा जमा है उसके बारे में। बाकी जो लोगों की पालिसीज़ हैं जो कम्प्लीट हो गई हैं, बैंक का इंटरेस्ट है उस पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा। जहां तक कर्मचारियों का सवाल है, जो भी उसको खरीदेगा उसमें साफ है कि बम्बई हाईकोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी, उस पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जायेगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं 8 बरस की रिपोर्ट नहीं मांग रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि जिस दिन बैंक बन्द हुआ उस दिन की उसकी असेट्स और लाइबिलिटी की क्या स्थिति है।

[अनुवाद]

क्या जिस दिन से बैंक की कार्यप्रणाली बन्द हुई है उस दिन से परिसम्पत्ति देनदारियों से अधिक हो गई है।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : यह तो आडिट से मालूम होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : आडिट का इसमें क्या सवाल है, उससे तो यह मालूम होगा कि रिपोर्ट सही है या नहीं।

सीमावर्ती सड़कों का निर्माण

*636. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमावर्ती सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान बनाई जाने वाली सड़कों का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए अनन्तिम रूप से मंजूर की गई निर्माण कार्य योजना के अनुसार 715 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण और 1143 किलोमीटर लम्बी सड़कों में तारकोल बिछाने का काम शुरू किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, 90.61 करोड़ रुपये की लागत पर स्थायी निर्माण कार्य और 21.00 करोड़ रुपये की लागत पर पुल का निर्माण सम्बन्धी कार्य भी किये जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में परियोजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1992-93 के लिए अन्तिम रूप से तैयार की गई निर्माण कार्य योजना

क्र० सं०	परियोजना	स्थान	जनरल स्टाफ/ एजेंसी/निर्माण कोर्स	नई सड़क (कि० मी०)	तारकोल बिछाना (कि० मी०)	स्थायी निर्माण (करोड़ रु० में)	बड़े पुल (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिमांक	जम्मू एवं कश्मीर (लद्दाख)	जनरल स्टाफ	24.00	95.00	3.58	0.25
			एजेंसी	3.82	14.00	0.92	0.00
2.	बेकन	जम्मू एवं कश्मीर	जनरल स्टाफ	16.00	47.00	8.89	0.40
			एजेंसी	13.80	34.00	2.61	0.00
3.	सम्पर्क	जम्मू एवं कश्मीर; हिमाचल प्रदेश और पंजाब	जनरल स्टाफ	48.00	68.00	3.30	2.40
			एजेंसी	0.00	11.00	0.95	0.00
4.	दीपक	हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश	जनरल स्टाफ	32.60	40.73	5.09	1.96
			एजेंसी	~~10.00~~	~~67.27~~	~~2.90~~	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	चेतक	राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा	जनरल स्टाफ एजेंसी	66.00 4.00	130.00 2.00	2.40 0.45	0.00 0.00
6.	स्वास्तिक	सिक्किम और पश्चिम बंगाल	जनरल स्टाफ एजेंसी	22.00 3.00	35.00 5.00	5.40 0.50	1.55 0.00
7.	दंतक	भूटान और मेघालय	जनरल स्टाफ एजेंसी	13.00 43 00	15.00 98.00	2.60 18.00	0.97 0.25
8.	वर्तक	अरुणाचल प्रदेश और असम	जनरल स्टाफ एजेंसी	55.00 51.00	58.00 59.00	5.00 4.00	1.30 0.00
9.	सेवक	नागालैंड, मणिपुर और असम	जनरल स्टाफ एजेंसी	1.00 82.00	11.00 65.00	1.50 10.80	0.35 0.77
10.	पुष्पक	मिजोरम, त्रिपुरा और असम	जनरल स्टाफ एजेंसी	1.90 105.10	3.46 126.54	1.38 10.37	1.87 1.98
11.	हिरक	बिहार और उत्तर प्रदेश	जनरल स्टाफ एजेंसी	0.00 22.00	0.00 40.00	0.00 0.92	0.00 0.74
12.	याजिक	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	जनरल स्टाफ एजेंसी	0.00 83.58	0.00 20.00	0.00 2.75	0.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	उवयक	अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड	जनरल स्टाफ	25.60	36.81	4.60	1.80
			एजेंसी	39.50	39.19	2.00	0.11
14.	सेतुक	गुवाहाटी	जनरल स्टाफ	0.00	0.00	0.00	2.45
			एजेंसी	0.00	0.00	0.00	2.65
		कुल :	जनरल स्टाफ	305.00	540.00	38.54	14.50
			एजेंसी	410.00	573.00	52.07	6.50
		कुल जोड़ :	(जनरल स्टाफ + एजेंसी)	1715.00	1113.00	90.61	21.00

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से, इनफ्लट्रेशन की दृष्टि से और स्मगलिंग को रोकने की दृष्टि से बार्डर्स रोड्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मान्यवर, राष्ट्रव्यापी बार्डर रोड्स की लम्बाई कितनी है; उसमें कितनी निर्माणाधीन हैं और कितने पर निर्माण करने के लिए विचार किया जा रहा है ?

मान्यवर, इसके अतिरिक्त बार्डर रोड्स आर्गनाईजेशन द्वारा प्रति वर्ष 700 कि० मी० सड़क निर्माण के विषय में जानकारी दी गई है। मैं इस विषय में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बार्डर रोड्स आर्गनाईजेशन द्वारा जितनी सड़कें बनाये जाने का निर्णय लिया गया है, क्या उसका निर्माण हो रहा है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : सीमा सड़क संगठन में निर्माण हेतु सड़कों की कुल संख्या 382 है जिसमें से 132 का रख-रखाव करना है और 250 का निर्माण एवं विकास करना है। 1960 में अपनी स्थापना के समय से ही, सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा 31-3-1992 तक 23,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण अथवा इसका विकास किया गया है। इसमें से 18,500 किलोमीटर भूतल सड़क है और 15,800 किलोमीटर सड़क का रख-रखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है।

दूसरा भाग क्या था ? अनुवाद समय पर नहीं प्राप्त हो रहा है। माननीय सदस्य महोदय कृपया प्रश्न के दूसरे भाग को दुहरायें।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मान्यवर, मेरे प्रश्न का सैकेण्ड पार्ट है, जिसमें मैंने माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहा था कि इसमें जो निर्माणाधीन सड़कें हैं, उनकी लम्बाई कितनी है और वे कब तक पूर्ण हो जाएंगी ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, इस समय हमारा वार्षिक प्रावधान 406 करोड़ रुपये का है। अनुमानतः 200 के लगभग सड़कें विभिन्न स्तरों में हैं। मेरे पास सड़कों की एक सूची है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कब इनका निर्माण कार्य पूरा होगा क्योंकि ये निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं। इन सड़कों को 1[illegible] परियोजनाओं में विभाजित किया गया है। जिसमें देश के पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्र सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ से लेकर चाईना बार्डर तक सड़क का निर्माण आजादी के उपरांत भी नहीं कराया गया है। मेरी जानकारी में सन् 1932 में महाराजा मैसूर ने जब व्यक्तिगत रूप से मानसरोवर की यात्रा की थी, तो उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रयासों से इस सड़क का निर्माण किया था परन्तु उसके बाद उस सड़क को किसी भी प्रकार

से सुरक्षा की दृष्टि से डिफेंस मंत्रालय द्वारा नहीं देखा गया। मान्यवर, इस सड़क का जहां तक सुरक्षा की दृष्टि से महत्व है, वहां लोकल आबादी के लिए भी अपना महत्व है। तो इस दृष्टि से माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इतनी महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण अब तक क्यों नहीं किया गया ?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी चाहूंगा। कुछ विशेषज्ञों की यह राय होती है कि इस प्रकार की रोड्स को बार्डर तक नहीं पहुंचाना चाहिये। यदि इस प्रकार की रोड को बार्डर तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो दुश्मन भी हमारे घर पर हमला करके हमारे मार्ग से आ सकता है। यदि इस बात को इस दृष्टि से देखें तो बद्री केदारनाथ के ऊपर तक बार्डर रोड बन चुकी है। इसके अतिरिक्त जो बार्डर पर जितनी रोड्स हैं, उनका निर्माण सी०पी०डब्ल्यू०डी० के अधीन होता है। सन् 1962, 1965 के अन्दर जब वार हुआ था तो ब्यासा के ऊपर पुल बनाने के लिए निर्णय लिया गया था और सन् 1971 में उस पुल का निर्माण हो चुका था परन्तु जब ब्यासा के ऊपर हमारे टैंकों को जाना था तो उसके लिए वह अपर्याप्त पाया गया, उसके लिए सुरक्षित नहीं पाया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य के अन्दर हमारी डिफेंस फोर्सेस के जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों को सी०पी०डब्ल्यू०डी० के साथ तालमेल कराकर इन सड़कों, पुलों का निर्माण करना होगा। दूर-दराज के क्षेत्रों में डिफेंस की दृष्टि से इन सड़कों का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए मान्यवर, पिथौरागढ़ से लेकर चाईना बार्डर तक जो महत्वपूर्ण सड़क है, उसका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है और वह कब तक कराया जायेगा ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ अन्तिम वाक्य ही वास्तव में प्रश्न है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : यदि मैं इसके विपरीत बोलना शुरू करूं, सीमा सड़क संगठन का अपना कार्यान्वयन भाग है तथा पूर्णरूप से उनका कार्य है। सीमा सड़कों का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है। यह सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत विभागीय कार्य के रूप में किया जाता है। अतः इसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

जहां तक मानसरोवर सड़क का सम्बन्ध है। यह हमारे अधीन नहीं है। सिर्फ भीक नुक्ता मनु तक की सड़क हमारे मंत्रालय के पास है। यह सिर्फ उस सड़क का एक भाग है। मैं आपको विस्तृत रूप से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत है।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है वहां हम करीब 1000 किलोमीटर की भी सड़कों की देख-रेख कर रहे हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान 14 कि०मी० जी०एस० सड़क, 14 कि०मी० एजेंसी सड़क, 12 कि०मी० जी०एस० सड़क, 60 कि०मी० एजेंसी सड़क बनाने का काम शुरू किया गया। मेरे पास उत्तर प्रदेश का सड़क वार ब्यौरा है। इनमें से बारह जनरल स्टाफ कार्य और तीन एजेंसी कार्य के अन्तर्गत है।

जहां तक प्रश्न के बाद वाले भाग का सम्बन्ध है, मेरे पास सभी 320 सड़कों से सम्बन्धित जानकारी है। लेकिन यदि आप किसी विशेष सड़क के बारे में पूछते हैं तो मुझे इसकी पहचान करने के लिए समय की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर जोर डालेंगे। मैं उन्हें लिखित रूप में यह दे दूंगा।

श्री पीटर जी० मरबनियांग : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि मेघालय

में दंतक एजेंसी ने बालत से शेलाह तथा दावकी तक की 93 कि०मी० की सीमा सड़क को पक्का बनाने का कार्य पूरा कर लिया है। फिर भी पांच मुख्य पुलों का निर्माण अभी भी बाकी है। और भारी वर्षा के कारण ये सड़क खराब हो गये हैं तथा अभी वाहनों के चलने योग्य नहीं हो पाये हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि सीमा सड़क संगठन, दंतक द्वारा कब तक इन मुख्य पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, आमतौर पर सीमा सड़क संगठन को मुख्य पुलों के निर्माण में मुख्यरूप से अड़चनें आ रही हैं। लेकिन जहां तक इन पुलों का सम्बन्ध है इनका निर्माण कार्य ठेकेदारों को सौंपा गया है जिन्हें कठिन परिस्थितियों में कठिनाई भरे क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है। इन ठेकेदारों आदि से अनेक चूक तथा विवाद होते हैं। मेरे पास उन पुलों की एक सूची है जो निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं।

यदि आप एक विशेष पुल के सम्बन्ध में पूछेंगे तो मुझे उसका पता लगाना होगा। मैं माननीय सदस्य को बाद में जानकारी दे दूंगा।

करीब 45 पुल अभी निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और मेरे पास उनमें से प्रत्येक की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा है।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फारबिसगंज से दरभंगा तक सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क के संबंध में स्वर्गीय राजीव गांधी पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत यह सड़क ली गई। उसके बाद जब माननीय मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री की बैठक में भाग लिया तो उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सड़क के संबंध में चर्चा की। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फारबिसगंज से दरभंगा, जो भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है, क्या मंत्री जी इसको बनाने के लिए विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो कब तक?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, यह सड़क सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत नहीं आती। हम उत्तरी भारत तथा पूर्वोत्तर राज्यों में करते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : वहां पर सड़कों की बहुत कमी है मान्यवर। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप बैठ जाइए। क्वेश्चन में सब मेम्बर्स से बात नहीं पूछी जाती।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। यह क्या चल रहा है। न आप रूल समझते हैं और न कुछ और समझते हैं।

श्री सूर्य नारायण यादव : सर, हम लोगों को बहुत कठिनाई है, जीरो-आवर में भी हमें चांस नहीं मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये । आप अपने मन की चलाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री सूर्य नारायण यादव : सीमावर्ती सड़कों के बारे में, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे यहां बहुत कमी है, हमें भी प्रश्न पूछने का अधिकार है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सूर्यनारायण यादव जी, यह बहुत ही गलत बात है। आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह संसद है। आपको याद रखना चाहिए । अब कृपया बैठ जाइए। इस प्रकार से नहीं। यह आपके लिए बहुत ही अनुचित है। आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कि संसद में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यह ठीक नहीं है। अन्य कई लोग भी हैं जो प्रश्न करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं स्पष्ट कर सकता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें कार्यालय में बुला सकते हैं। यदि वे इसी प्रकार से बोलना चाहते हैं तो मैं इसे पसंद नहीं करूंगा।

छुट्टियों के बदले नकद राशि

*638. श्री जगत वीर सिंह द्रोण :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जुलाई, 1986 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले में नकद राशि देने के मामले में छुट्टियों की सीमा को 180 दिनों से बढ़ा कर 240 दिन कर दिया गया था;

(ख) क्या सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के मामले में भी वृद्धि को इसी तारीख से प्रभावी कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अन्तर्गत शासित होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनकी अर्जित छुट्टी जमा करने और छुट्टियों के नकदीकरण की सीमा चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों पर 1-7-1986 से 180 दिन से बढ़ाकर 240 दिन कर दी गई थी।

(ख) और (ग) सशस्त्र सेना कार्मिकों के मामले में उपर्युक्त नियम लागू नहीं होते। चतुर्थ वेतन आयोग ने सशस्त्र सेना कार्मिकों के बारे में इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की थी। इन कार्मिकों के लिए सेना मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर छुट्टी जमा करने और छुट्टियों के नकदीकरण के लिए 30-12-91 से एक नया फार्मूला लागू किया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जो उत्तर यहां दिया गया है। उससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं और दूसरे केन्द्रीय कर्मचारियों के बीच हल्का सा भेदभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। चूंकि मैं सशस्त्र सेनाओं से सम्बन्धित रहा हूं, इसलिए मेरा उनसे मिलना-उठना होता है और इस भेद-भाव के कारण आज उनके मन में एक असंतोष पनप रहा है, जो हमारी सशस्त्र सेनाओं के मनोबल को गिराने का कारण बन सकता है। हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिये कि सशस्त्र सेनाएं सीमाओं पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध करती हैं जबकि हम आराम से, जिसमें हम सब और हमारे माननीय मंत्रीगण भी शामिल हैं, अपने घरों में बैठे होते हैं, वे हमारी सीमाओं की रक्षा करती हैं, देश की रक्षा करती हैं इसलिए विशेष रूप से हमें उनकी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिये, अधिक से अधिक सुख-सुविधाएं देनी चाहिये। यदि केन्द्रीय कर्मचारियों को कोई सुविधा मिलती है तो उसके समकक्ष उन्हें भी माना जाना चाहिये। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि चतुर्थ पे कमीशन ने कोई ऐसी रिकमैन्डेशन नहीं दी है···

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर आईये।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मैं टू द प्वाइंट आ रहा हूं, सर। जैसे 180 से छुट्टियों की संख्या बढ़ाकर 240 कर दी गयी, सेन्ट्रल पुलिस आर्गेनाईजेशन्स, पैरा-मिलिटरी फोर्सेस के लिये भी वैसा प्रावधान हो गया, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस के संबंध में आपने इसे लागू नहीं किया, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो डिस्पैरिटी है, भेद भाव है, उसे समाप्त करने का क्या आपके मन में कोई संकल्प है। यदि करेंगे तो कब तक सशस्त्र सेनाओं पर भी इसे लागू करेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैं एक माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये इस विचार का खण्डन करना चाहूंगा कि सरकार सशस्त्र सेनाओं के साथ भेद भाव बरत रही है। दूसरी ओर वित्तीय कठिनाईयों के बावजूद सरकार सशस्त्र सेनाओं को अधिकतम संभव सुविधा उपलब्ध करना चाहती है क्योंकि हमें उन कठिन परिस्थितियों की जानकारी है जिसके अन्तर्गत वे देश की सेवा करते हैं तथा देश के प्रति उनका समर्पण तथा उनके बलिदानों से भिज्ञ हैं। लेकिन हम नागरिक क्षेत्र में दिये गये किसी एक रियायत की समरूप तुलना नहीं कर सकते हैं और तुरन्त ही इसे रक्षा क्षेत्र में लागू नहीं कर सकते हैं। नागरिक सेवाओं में परिलब्धियों तथा सेवा शर्तें केन्द्रीय सरकार के नियमों के अन्तर्गत आती हैं जबकि रक्षा सेवाओं की सेवा शर्तें थल सेना, जल सेना और वायु सेना अधिनियमों के विभिन्न नियमों के अन्तर्गत उत्तरोतर बनायी गयी हैं। इन दोनों क्षेत्रों में किसी भी एक बात के लिए बराबरी की मांग करना न केवल असंभव है बल्कि सशस्त्र सेनाओं के लिए भी अवांछनीय है क्योंकि परिलब्धियों और सेवा शर्तों मे सशस्त्र सेनाओं को अनेक लाभ प्राप्त है। आपकी अनुमति से मैं कुछ का वर्णन करता हूं यथा "रैंक पे," तकनीकी वेतन, योग्यता अनुदान, विशेष वेतन, मकान किराये, आवास निर्माण, बिजली तथा अन्य प्रकारों से सम्बन्धित विभिन्न भत्ते, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भत्ते, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भत्ते, वार्षिक छुट्टी जो दुगनी है, 'फरलो की' (छुट्टी) जो अधिक है, समूह बीमा, राशन, कैंटिन, भंडार आदि का सशस्त्र सेनाओं में विशेष प्रावधान है। नागरिक क्षेत्र में कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जहां कि नागरिक क्षेत्र को विशेष लाभ प्राप्त है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यद्यपि ऐसा तुरन्त नहीं किया गया था परन्तु रक्षा मंत्रालय ने

सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात अर्जित छुट्टी भुनाने की यह बढ़ी हुई सुविधा सशस्त्र बलों को भी प्रदान कर दी है। हमने 30.12.1991 से एक श्रेणी बद्ध योजना लागू की है जिसके द्वारा जिन लोगों ने 15 वर्ष तक की सेवा की है वे 180 दिन, जिन्होंने 17 वर्ष सेवा की है वे 210 दिन और जो 22, की सेवा कर चुके हैं वे 240 दिनों की छुट्टी भुना सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगत बीर सिंह द्रोण : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि वित्त की थोड़ी सी समस्या होती है, तो यह समस्या तो सभी क्षेत्रों में है और यह लागू केवल डिफेंस सर्विसेस में हो, तो यह अच्छा नहीं है। दूसरी बात आपने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि सर्विस कंडीशन्स में केन्द्रीय कर्मचारियों और सशस्त्र सेनाओं में बड़ा अन्तर है; उनको बड़े लाभ मिलते हैं। इन दोनों को देखते हुए और उनकी सर्विस कंडीशन्स को देखते हुए, जो उनको मिलता है, वह उपयुक्त ही है और इसमें और बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आपने जो भेदभाव किया है, यह आपकी बड़ी कृपा है कि आपने सर्विस कंडीशन्स में भी एनहान्स कर दिया है, लेकिन यह आपने लागू किया है 30-12-91 से,...व्यवधान

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आईये।

श्री जगत बीर सिंह द्रोण : महोदय मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पर नहीं आ रहे हैं। अनेक अन्य सदस्य भी प्रश्न करना चाहते हैं। आप यहां भाषण नहीं दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जगत बीर सिंह द्रोण : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। दिनांक 30-12-1991 से आपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी यह सुविधा प्रदान की है, ऐसा आपने स्वीकार किया है, चूंकि आर्मी हेडक्वार्टर ने ऐसा प्रस्ताव भेजा था। इसमें मेरा प्रश्न यह है कि फरवरी 1990 में जो निर्णय केन्द्रीय कर्मचारियों के विषय में लिया गया और वह लागू हुआ 1 जुलाई, 1986 से, तो ऐसा ही सशस्त्र सेनाओं के विषय में, जो आपने 30 दिसम्बर, 1991 से लागू किया है, उसे आपने 1 जुलाई, 1986 से लागू क्यों नहीं किया और यदि लागू करने वाले हैं, तो कब तक ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, वर्तमान छुट्टी परिवर्तन भत्ते संबंधी आदेश जिसे 1991 में जारी किया गया था, एक अलग योजना है और विभिन्न पहलूओं को ध्यान में रखकर इसे मंजूरी दी गयी है। इनमें से किसी भी सुविधा को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है, ये सभी प्रत्याशित हैं . 1986 से ही सशस्त्र बलों को भी यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। विभिन्न स्तरों पर इस पर विचार किया गया है। पहले तो सरकार द्वारा यह विचार किया गया कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि न तो हम और न ही सशस्त्र बल वास्तव में सभी छुट्टियों को जो उनके पास हैं, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बल, भुनाना नहीं चाहते है। हम सशस्त्र बलों के युवा और स्वस्थ छवि बनाये रखना चाहते हैं। कुछ स्वास्थ्य लाभ और आराम की

आवश्यक है जो कि सैनिक परिक्षण के दौरान अनिवार्य है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अधिकारी अपने सेवा काल के अन्तिम दिनों में सभी छुट्टियां भुना लें तथा अपने तैनाती स्थल में डटे रहें और छुट्टियां न लें। इस पर आपत्ति उठाने के पीछे सर्वप्रथम यही तर्क था। बाद में सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के बीच अनेको वाद-विवाद तथा चर्चा के पश्चात 1991 में एक संशोधित योजना, जो नागरिक क्षेत्र की योजना के समान तो नहीं है, को मंजूरी दी गयी थी।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाब, सदरे मोहतरम, मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि अभी मेरे से पहले जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे थे और कह रहे थे कि हमारे देश की फौज का मनोबल गिरता है, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऐसी चीजों से हमारे देश की अफवाज का मनोबल कभी नहीं गिरता और इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है, हमारे देश की अफवाज दुनिया की सबसे अच्छी सैनाओं से भी अच्छी है।

मेरा प्रश्न यह है कि सियाचिन जैसी जगहों पर काम करने वाली हमारी फौज, जो दिन-रात हमारे मुल्क और सरहद की हिफाजत करती है, इस बात को मद्दे नजर रखते हुए जब वे जवान छुट्टी पर आते हैं, तो उनको और ज्यादा सुख-सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या उनके भत्ते को बढ़ाने का कोई इरादा सरकार का है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सियाचिन में तैनात प्रशासन कर्मचारी बहुत से लाभ पाने के पात्र हैं जो कि उस क्षेत्र का कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और वहां पर रुग्णता और मृत्यु दर अधिक होने को देखते हुए दिए जाते हैं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, सदस्य सेनाओं के कर्मचारियों की कठिन स्थानों से शान्त स्थानों पर तैनाती बारी-बारी से तय की जाती है और जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में जानना चाहा है, तैनाती में इस बात को ध्यान में रखा जाता है।

श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : महोदय, अभी-अभी मंत्री जी ने छुट्टी नकदी की वर्गीकृत प्रणाली के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि 15-17 वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी 180 दिनों की छुट्टियां जमा कर सकते हैं; 17—22 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 210 दिनों की छुट्टियां जमा कर सकते हैं और 22 वर्ष से अधिक सेवा पूरी करने पर 240 दिनों की छुट्टियां जमा कर सकते हैं। इस प्रकार, इसका यह अर्थ हुआ कि जिस कर्मचारी की 22 वर्ष से अधिक सेवा होगी, केवल वह ही छुट्टी नकदी का पूरा लाभ उठा सकता है और इसके साथ-साथ जिस कर्मचारी की सेवा 15 वर्ष से कम होगी, वह पुराने नियमों के अन्तर्गत, 180 दिन से अधिक का छुट्टी नकदी लाभ नहीं उठा सकता। इस तरह की वर्गीकृत प्रणाली के पीछे क्या तर्क है, यह हमारी समझ में नहीं आया। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस बात को स्पष्ट करें कि सिविलियन कर्मचारियों की भांति सैन्य कर्मचारियों को उनकी सेवा के शुरू से ही छुट्टियां जमा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही।

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि इस तरह की रियायतें, विशेषकर छुट्टी जमा लाभ, कर्मचारी के सेवाकाल से जुड़े हैं। सिविलियन कर्मचारियों के सेवाकाल की अवधि भिन्न होती है। भर्ती की आयु अलग होती है, और कर्मचारी के अवकाश प्राप्त करने की आयु अलग होती है। सेना में अवकाश प्राप्त करने की आयु 35 से 60 वर्ष के बीच है जो कि अवश्-

अलग रैंक के लिए अलग-अलग है। ऐसा इन सभी बातों को नजर में रखकर तय किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 639 की बारी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल रक्षा के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप सप्लीमेंट्री में पूछिए, मैं आपको पास दूंगा।

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : मैं देश के हित की बात कर रहा हूं। दूरदर्शन का प्रसारण हो रहा है, यह सवाल सदन में नहीं आना चाहिए। या तो आप दूरदर्शन बन्द कीजिए। श्री शाहबुद्दीन ने पूछा है इसलिए मैं औब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह रक्षा के बारे में सवाल है।... (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : यह पार्ट आफ जनरल नौलेज है। आप क्या बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं, मैं बोल दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : यह सीक्रेट है।... (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई है जो रक्षा की सीक्रेसी के बारे में हो।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां की सारी प्रोसीडिंग इस हाउस में होती है। यह प्रोसीडिंग पब्लिकली होती है। वर्तमान में उसकी कापी कोई ले सकता है, कोई दे सकता है।...

(व्यवधान)

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : प्रश्नकाल का प्रसारण चल रहा है। यह इनफार्मेशन देश के बाहर जा सकती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे निपट लूंगा। आप कृपया बैठ जाइए। मैं प्रश्न को अनुमति दे रहा हूं। आप इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मुक्तिन पटेल : इनके रिमार्क्स को एक्सपोज करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इसको एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं है।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हमें यह समझना चाहिए कि इस सभा में जो भी कार्यवाही होती है, वह सार्वजनिक कार्यवाही होती है। सदस्य गैलरी में बैठे हुए हैं। प्रेस

वाले गैलरी में बैठे हुए हैं। एक-एक शब्द जो यहां बोला जाता है, वह छप जाता है। यदि इसे दूरदर्शन पर भी दर्शाया जाता है तो इससे रक्षा मंत्रालय की गोपनीयता पर कोई असर नहीं होगा। सदस्यों को यह बात समझनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री छेदी पासवान : * (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किए जाने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, यह सब लांछन लगाने वाली बातें हैं क्योंकि इन्होंने अध्यक्ष-पीठ को चुनौती दी है।

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : मैं अध्यक्षपीठ को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं तो पीठ का सम्मान करता हूं। मैं इस देश के लोगों का सम्मान करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। यह समझने का प्रश्न है, यह चुनौती का प्रश्न नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : कांग्रेस पार्टी ने कैसे कम्युनल आदमी को सीने से लगा लिया है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : महोदय, इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं सदस्यों को इस बारे में सचेत करना चाहता हूं कि यह दूरदर्शन हम सबकी मनीषा को भली भांति समझता है।

छावनियां तथा सैन्य केन्द्र

*639. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) देश में छावनियों और सैन्य केन्द्रों की वर्तमान संख्या क्या है तथा छावनियों और सैन्य केन्द्रों का कुल क्षेत्रफल कितना-कितना है;

(ख) सैनिक-असैनिक निवासियों के मध्य अनुपात, भूमि के उपयोग तथा नगरपालिकाओं की दृष्टि से छावनियों और सैन्य केन्द्रों में क्या अन्तर है;

(ग) क्या छावनियों को समाप्त कर उन्हें सैन्य केन्द्रों में बदलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस समय देश में 62 छावनियां और 299 मिलिटरी स्टेशन हैं जो क्रमशः 1,89,706 एकड़ और 2,53,4/8 एकड़ क्षेत्र में हैं।

2. शान्ति क्षेत्रों में जो छावनियां तथा मिलटरी स्टेशन हैं वे ऐसे शहरों के रूप में हैं जहां सैनिकों, उनके परिवारों के रहने की व्यवस्था की जाती है। छावनियां ऐसी निकाएं हैं जिन्हें स्थानीय स्वायत्त शासन के उद्देश्य से छावनी अधिनियम, 1924 के तहत अधिसूचित किया जाता है लेकिन मिलटरी स्टेशनों को इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जाता। छावनियों में रहने वाले लोगों के लिए सड़कों का रख-रखाव, कूड़े-कचरे की सफाई की व्यवस्था, जल-आपूर्ति, जल-मल निकासी आदि जैसी सेवाओं की व्यवस्था छावनी बोर्डों के सिविलियन कर्मचारियों द्वारा की जाती है जबकि मिलटरी स्टेशनों में ये कार्य संबंधित स्टेशन मुख्यालय द्वारा किए जाते हैं।

3. छावनियों या मिलटरी स्टेशनों में सैन्य और सिविल आबादी के लिए कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है। मिलटरी स्टेशनों में सहायता प्रदान करने के लिए सिविलियन नहीं रखे जाते हैं। इन सेवाओं के लिए जो आवश्यक न्यूनतम सिविलियन कार्मिक हैं वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं।

4. छावनियों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर छावनी तथा सैन्य केन्द्र में अवधारणागत तथा कार्यगत अन्तर को स्पष्ट करता है। वास्तव में, जहां तक मुझे ज्ञात है, साठवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों के पश्चात आज तक एक भी छावनी स्थापित नहीं की गई जबकि 1960 से लेकर अब तक रक्षा सेवाओं के भू-भाग में चार-गुणा वृद्धि हुई है जो कि इस समय 22 लाख एकड़ है। महोदय, कुछ छावनियों में सिविलियन आबादी में काफी वृद्धि हुई है। वास्तव में, कुछेक मामलों में तो इसकी असैनिकों की ही संख्या अधिक हो गई है और कुछेक पड़ोसी कस्बे अथवा गांव भी विकसित होकर समीपस्थ छावनियों से आ मिले हैं।

इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न यह है—(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन असैनिक बाहुल्य क्षेत्रों की हदबन्दी के लिए कोई प्रयास किये हैं जो कि सैन्य-उपयोग में नहीं है; और (ख) क्या वे इन क्षेत्रों के संबंध में स्वयं को प्रशासनिक तथा नगरीय दायित्वों से अलग कर लेंगे और इन क्षेत्रों को परस्पर तय

की गई शर्तों पर संबंधित राज्य सरकारों अथवा केन्द्र प्रशासित राज्यों के प्रशासनों को सौंप देंगे ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, उसमें काफी कुछ सही नहीं है। 1947 के बाद 6 छावनियां स्थापित हुई हैं। (व्यवधान)

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैंने 1960 के बाद की बात कही है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : 1960 के बाद 1962 में अजमेर छावनी स्थापित की गई थी।

महोदय, यह जो छावनियां हैं, यह हमारे छावनी बोर्डों द्वारा प्रशासित की जाती हैं। विगत वर्षों में इन छावनियों का मूल्यांकन किया गया है और यह सत्य है कि बहुत-सी छावनियों— वास्तव में सभी छावनियों में एक असैनिक (सिविलियन) भाग भी होता है जो छावनी को सैन्य केन्द्र की भिन्नता को सिद्ध करता है। महोदय, छावनियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में, जहां कि सिविलियन क्षेत्रों को वैज्ञानिक ढंग से छावनियों से अच्छेदित किया जा सकता है, वहां यह अपच्छेदन प्रक्रिया विगत वर्षों में अपनाई गई है। मैं माननीय सदस्य की इस बात को स्वीकार करता हूं कि सिविलियन आबादी के बारे में कुछेक चिन्ताजनक बातें हैं, विशेषकर उनकी इमारतों के संबंध में जो कि जीर्णशीर्ण अवस्था में है और उनके लिए स्वीकृति प्राप्त करना कठिन होता है, उन्हें पर्याप्त सुविधाएं व अन्य इसी तरह की सहूलियतें भी नहीं मिल रहीं हैं। दूसरी तरफ. छावनियों के मूल स्वरूप को कायम रखना बहुत ही आवश्यक है; मेरे विचार से वे शहरी स्वच्छता के द्वीप हैं; उनका रख-रखाव अच्छी तरह से किया जाता है, वे सुनियोजित हैं और सरकार का इस किस्म का कोई इरादा नहीं है कि देश में छावनियों के मूल स्वरूप में कोई कमी की जाये। सिविलियन क्षेत्रों के अपच्छेदन की प्रक्रिया एक निरन्तर प्रक्रिया है और अलग-अलग मामलों के गुण-दोष के आधार पर हम इस पर दृष्टिपात कर सकते हैं। परन्तु छावनियों के प्रबन्धन से जुड़े समूचे प्रश्न की मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जा रही है और छावनियों के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने के बारे में उचित निर्णय लिये जाएंगे तथा इसके साथ-साथ इन छुटपुट कठिनाइयों को भी दूर करने संबंधी निर्णय भी लिए जाएंगे जो सिविलियन आबादी के आड़े आ रही हैं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न उन रक्षा भू-क्षेत्रों के बारे में है जिन्हें फालतू भूमि घोषित किया जा चुका है। रक्षा नीति तथा इसके साथ-साथ सुरक्षा संबंधी अवधारणाओं में परिवर्तन आ जाने के कारण कुछ रक्षा-परिसम्पत्तियां ऐसी है, जिन्हें परित्याग कर दिया गया है अथवा फालतू घोषित कर दिया गया है। उदाहरणार्थ दूसरे विश्व-युद्ध से संबंधित कुछ हवाई पट्टियां ऐसी हैं जिनको उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों को विकसित करने का है, और यदि हां तो किन प्रयोजनों के लिए, और अगर रक्षा मंत्रालय इन्हें किन्हीं उपयोगी प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाने की स्थिति में नहीं हैं तो उस अवस्था में क्या वे इस बात के लिए तैयार हैं कि उन भू-क्षेत्रों से राज्य-सरकारों अथवा केन्द्र शासित राज्यों को वापस सौंप दें ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, रक्षा मंत्रालय के पास जो कुल 2 लाख एकड़ के लगभग रक्षा भू-क्षेत्र है, वह हमारी विभिन्न सैन्य-बल अर्थात थल-सेना और वायु-सेना इस रक्षा भू-भाग की निरन्तर मूल्यांकन और इसके बारे में समीक्षा करती रही हैं और इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रही हैं कि कोई अन्य रक्षा भू-क्षेत्र भी क्या फालतू हैं, जिससे कि इन संसाधनों और उनकी पूंजी को अधिक उत्पादनकारी उपयोग में लाया जा सके—खासकर इस अवस्था में जबकि रक्षा बजट पर बहुत

वित्तीय दबाव पड़ रहा है। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि छावनियों के कोई भी भूमि आज तक फालतू नहीं पाई गई है। (व्यवधान) इस बारे में प्रचार माध्यमों में कुछ भ्रम व्याप्त है। जिस भू-भाग को बार-बार अतिरिक्त ही आंका गया है, उसमें मुख्यतः पुराने चांदमारी के स्थान पुराने कैम्पिंग मैदान और त्याग दिए गये वायु-क्षेत्र आदि शामिल हैं। हमारा एक अनुमान है और मैं यह कहना चाहूंगा कि इन भू-भागों को, इनकी सही पहचान करने के बाद, सर्वप्रथम केन्द्रीय सरकार को, उसके बाद राज्य सरकारों को, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, नगरपालिकाओं तथा अन्य संगठित संस्थाओं को सौंप दिया जायेगा और केवल अन्तिम उपाय के तौर पर ही इन्हें नीलाम किया जायेगा ताकि आम लोग बोली लगाकर इन्हें खरीद सकें और इन्हें विकसित कर सकें।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : छावनियों में जो सिविलियन लोग रहते हैं, खासतौर से मैं कामठी की बात कर रहा हूं, वह कामठी एरिया और छावनी एरिया जो महाराष्ट्र के नागपुर डिवीजन में आता है, पिछले वक्त वह एरिया इतना सिविल लाइन में हो गया है कि पिछले वक्त मिलेट्री के लोगों ने आकर छावनी एरिया के बाहर मार्च पास्ट करके लोगों को पीटा, उनके साथ मार-पीट की। ऐसी जो बातें होती हैं, तो उसके ऊपर जो मिलिट्री का जो कानून होता है उसमें सिविलियंस को तकलीफ होती है। कोई पर्सनल झगड़ा होने के बावजूद यह बातें वहां नागपुर में हुई, उसके बारे में जो सिविल एरिया और मिलिट्री एरिया एक ही हो गया है, यह एरिया अलग करके जो सिविलियन लोगों से झगड़े होते हैं, खासतौर से मिलिट्री की बटालियन ने आकर जो नागपुर में कामठी के वहां के लोगों को मारा पीटा, हालांकि वह बराबर नहीं था, उसके पुलिस केसेज हुए। ऐसे जो झगड़े होते हैं, सिविलियन और मिलिट्री के लोगों के बीच में, इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे और सिविलियन लोगों को अलग करने की आपकी कोई योजना है क्या ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सिविलियन लोग और छावनियों के लोग साथ-साथ रह रहे हैं और यहां तक कि छावनियों के भीतर भी सिविलियन लोग रह रहे हैं। छावनियों तथा उसके चतुर्दिक क्षेत्रों में, जैसाकि उल्लेख किया गया है, हाल ही में जो घटनायें हुई है, सरकार को उनकी जानकारी है। कुछेक घटनायें हुई हैं और सैन्य विभाग ने उनकी जांच के आदेश दे दिये हैं, और जांच के आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने एक अप्रयुक्त रक्षा भू-क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने और औद्योगिक विकास के लिए उस पर आधारभूत संरचना तैयार करने के उद्देश्य से 4 वर्ष पूर्व एक प्रस्ताव भेजा था। पश्चिमी बंगाल राज्य के मरे पुरुलिया जिले में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक हवाई पट्टी बनाई गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् से सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस हवाई पट्टी को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है तथा यह तमाम भू-क्षेत्र इस समय अप्रयुक्त अवस्था में हैं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने की दृष्टि से भेजे गये पश्चिमी बंगाल के उक्त प्रस्ताव पर जोकि पश्चिमी बंगाल राज्य के जिला पुरुलिया मे चादरा हवाई पट्टी को पश्चिमी बंगाल राज्य को सौंपने के बारे में है, विचार करेगी ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : सशस्त्र सेनाएं एक सुनिर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपने किसी भू-भाग

को अतिरिक्त घोषित करती हैं। ऐसा वे अपनी वर्तमान प्रचालन आवश्यकताओं, भावी परियोजनाओं तथा भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखकर करती हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही कोई रक्षा भू-भाग अतिरिक्त घोषित किया जाता है और फिर यह भू-भाग सबसे पहले केन्द्र सरकार को फिर राज्य सरकार और उसके बाद अन्य किसी को सौंपा जाता है।

सैद्धान्तिक तौर पर तो हमें पश्चिमी बंगाल के अनुरोध को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बारे में हमें बारीकी में जाना होगा। माननीय सदस्य द्वारा रखे गये सुझाव पर निश्चय ही विचार किया जाएगा।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 का खारेपाटन से सावंतवाडी तक का भाग

[अनुवाद]

*637. श्री सुधीर सावंत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 की खारेपाटन से सावंतवाडी तक के भाग की हालत वर्षों से खराब चली आ रही है;

(ख) इस सड़क की मरम्मत करने तथा इसे चौड़ा करके इसे चार लेनों वाली बनाने और सड़क के इस भाग में आने वाले मोड़ों को सीधा करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना धन आवंटित किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 को निधियों की उपलब्धता के अनुसार यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ख) इस समय इस खंड में मोड़ों को चार लेन का बनाने अथवा उन्हें सीधा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सड़क की हालत को सुधारने के लिए, 17 कि० मी० की लम्बाई में औजूदा सीमेंट कंकरीट के पैदल-पथ की पुनर्स्थापना के लिए 1990-91 में 220.87 लाख रुपए की संस्वीकृति दी गई थी।

(ग) उपर्युक्त कार्यों के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान 20.00 लाख रुपए आवंटित किए गए थे।

रूस को निर्यात किया जाने वाला सामान

*640. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बैंकिंग नियमों तथा मुद्रा व्यवस्था में किये गये परिवर्तनों के कारण रूस को निर्यात किए जाने वाले 400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का माल इकट्ठा होता जा रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में निर्माताओं ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त सामान के निर्यात की मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) सोवियत संघ के भंग हो जाने के बाद भारत सभी नए स्वतन्त्र गणराज्यों के साथ व्यापार संबंध कायम करने के लिए उपाय करता रहा है।

भारत तथा रूसी संघ के बीच वर्ष 1992 के लिए व्यापार संलेख पर दिनांक 22 फरवरी, 1992 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक और रशियन बैंक आफ फारेन ट्रेड के बीच एक बैंकिंग प्रबन्ध तय हुआ है। किन्तु, रशियन बैंक ने भारत से माल के आयात के लिए साख-पत्र जारी करना अभी आरम्भ नहीं किया है। रूस से भारत को होने वाला निर्यात भी अभी आरम्भ नहीं हुआ है। रूस से भारत को होने वाले निर्यात से रुपया आय न होने से नए संलेख के तहत भारत से रूस को होने वाले निर्यात अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुए हैं। इस बारे में भारतीय निर्यातकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यह मामला रूसी सरकार के ध्यान में लाया गया है और उनसे यह आग्रह किया गया है कि वे व्यापार संलेख के अनुसार भारत को वस्तुओं तथा कच्चे माल की सप्लाई आरम्भ कर दें जिससे कि भारत से भी निर्यात किया जा सके।

कास्टिक सोडा फ्लेक्स

*641. डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कास्टिक सोडा-फ्लेक्स/सालिड्स/लाई का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान इसका कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) क्या इन मदों का निर्यात भी किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक मद का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ङ) क्या सरकार का विचार कास्टिक सोडा के निर्यात के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) निर्यात तथा आयात नीति, 1992—97 के अनुसार कास्टिक सोडा फ्लेक्स/सालिड्स/लाई के आयात तथा निर्यात की मुक्त रूप से अनुमति है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जिसमें 1986-87 से 1988-89 अवधि के दौरान, जिसके संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं, इन मदों के आयात तथा निर्यात मात्रा के रूप में तथा मूल्यवार दर्शाए गए हैं।

(ङ) और (च) निर्यातकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से निर्यात आय का 40% भाग सरकारी दर पर तथा शेष 60% बाजार दर पर भारतीय रुपयों में परिवर्तित किया जाता है।

विवरण

आयात							
						मात्रा मीट्रिक टन में	
						मूल्य लाख रु० में	
क्रमांक	मदों का विवरण	1986-87		1987-88		1988-89	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सोडियम हाइड्रोक्साइड (कास्टिक सोडा)							
1.	फ्लेक्स	10,780	131.70	12,904	201·87	2,677	178.26
2.	फ्लेक्स को छोड़कर अन्य मदें	26,316	287.45	34,372	369.11	141	12.62
3.	एक्यूअस सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड	31,875	285.22	—	—	37,948	1042.44

निर्यात							
						मात्रा मीट्रिक टन में	
						मूल्य लाख रुपये में	
सोडियम हाइड्रोक्साइड (कास्टिक सोडा)							
1.	फ्लेक्स	10	0.76	209	9.39	7,673	470.81
2.	फ्लेक्स को छोड़कर अन्य मदें	40	1.11	247	10.10	1,529	40.64
3.	एक्यूअस सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड	1	0.03	68	2.50	6,150	188.95

मोटे अनाज का निर्यात

642. श्री दिग्विजय सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान निर्यात किए गए मोटे अनाज का ब्यौरा क्या है। और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 (अप्रैल से दिसम्बर, 1991 तक) के दौरान निर्यात किए गए मोटे अनाज की मात्रा तथा उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार है :—

	अप्रैल, 90—मार्च, 91		अप्रैल, 91—दिसम्बर, 91	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	(मी० टन)	(लाख रु०)	(मी० टन)	(लाख रु०)
मोटा अनाज	7300	2[illegible]	8847	413

सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण सहायता

*643. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर दीपा :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने ऋण सहायता दी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्था ने, वर्ष-वार कितनी धनराशि की सहायता दी है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग परियोजनाओं के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त की गई थी।

(ख) इस अवधि के दौरान विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से हुई ऋण सहायता प्रतिपूर्ति इस प्रकार है :

वर्ष	एशियाई विकास बैंक (अमरीकी डालर मिलियन्स में)	विश्व बैंक
1989-90	0.181	28.204
1990-91	20.537	16.068
1991-92	56.673	27.638

(ग) संबंधित विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक के ऋणों के तहत कार्यों के पूर्ण होने की संभावित समय-अनुसूची निम्न प्रकार है :—

(i) विश्व बैंक प्रथम ऋण		दिसम्बर, 94

(ii) एशियाई विकास बैंक प्रथम ऋण दिसम्बर, 94

(iii) विश्व बैंक राज्य सड़क ऋण		जून, 96

(iv) एशियाई विकास बैंक
द्वितीय ऋण		दिसम्बर, 96

आयातित रबड़ का मूल्य-निर्धारण

[हिन्दी]

*644. श्री बलराज पासी :

श्री देवी बक्स सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित रबड़ के मूल्य-निर्धारण और इसकी गुणवत्ता के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या इस मामले में टायर उद्योग व राज्य विकास निगम के बीच कोई मतभेद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार ने आयातित रबड़ का मूल्य निर्धारण करने के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) से (ङ) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने आयातित रबड़ के स्टाक की बिक्री के लिए जो पेशकश की है उसकी शर्तों के बारे में उद्योगपतियों के साथ चर्चा हो रही है और इसमें इस माल की कीमतें भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों में कपड़े का उत्पादन

[अनुवाद]

645. श्री परसराम भारद्वाज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वस्त्र निगम को प्रत्येक मिल के लिए यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तो वे क्या हैं और उनका मिल-वार वास्तविक उत्पादन कितना-कितना रहा;

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के आधुनिकीकरण तथा सुनियोजन संबंधी योजनाओं का ब्योरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की प्रत्येक मिल में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना-कितना घाटा हुआ ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एन० टी० सी० मिलों के वर्षवार तथा मिल-वार कपड़े का उत्पादन की तुलना में उसके लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक विवरण क संलग्न है।

(ख) एन०टी०सी० के आठवीं योजना के प्रस्तावों में आधुनिकीकरण पर 532.78 करोड़ रु० तथा श्रमिक सुव्यवस्थीकरण पर 689.67 करोड़ रु० के निवेश की व्यवस्था है।

(ग) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के दौरान एन०टी०सी० मिलों के मिल-वार लाभ/घाटे को दर्शाने वाला एक विवरण-ख संलग्न है।

विवरण-क

गत 3 वर्षों के दौरान वर्षवार; मिलवार कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(कताई मिल दर्शाता है (आंकड़े लाख मीटर में)

क्र०सं०	मिल का नाम	1988-89		1989-90		1990-91	
		लक्ष्य	वा०	लक्ष्य	वा०	लक्ष्य	वा०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दयालबाग स्पि० एण्ड वी० मिल्स; अमृतसर	—	—	—	—	—	—
2.	सूरज टैक्सटाइल मिल्स, मलोत	—	—	—	—	—	—
3.	बारड़ टैक्सटाइल मिल्स, बारड़	—	—	—	—	—	—
4.	पानीपत वूलन मिल्स, खरड़	—	—	—	—	—	—
5.	श्री विजय काटन मिल्स, विजयनगर	—	—	—	—	—	—
6.	उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर	74.44	77.70	74.19	86.76	84.79	94.91
8.	एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	80.80	79.97	85.92	89.79	89.79	98.86
9.	अजूधया टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	51.90	47.41	42.57	49.18	43.94	37.51
10.	बंगाल टैक्स० मिल्स, मुर्शिदाबाद	—	—	—	—	—	—
11.	लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स, रिशरा	—	—	—	—	—	—
12.	आर्ती काटन मिल्स, दासनगर	—	—	—	—	—	—
13.	बंगाल काटन स्पि० एण्ड वी० मिल्स, (नं०2), कोटगंज	—	—	—	—	—	—
14.	ग्लोरिया इंडस्ट्रीज, कालनगर	—	—	—	—	—	—
15.	सेन्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा	53.40	29.37	37.41	33.68	42.36	30.14
16.	बंगाल फाइन स्पि० एण्ड वी० मिल्स, कोननगर	—	—	—	—	—	—
17.	बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, सेरामपुर	76.20	49.01	54.00	68.59	62.61	34.93
18.	श्री महालक्ष्मी काटन, मिल्स, माल्टा	63.28	29.37	47.59	24.22	31.54	24.41
19.	रामपुरिया काटन मिल्स, सेरामपुर	67.08	48.40	61.49	60.94	43.46	49.09
20.	बंगाश्री काटन मिल्स, सुकचर	42.76	31.78	26.29	35.31	34.60	21.18

नोट । ये कताई मिलें दर्शाती हैं जो कपड़े का उत्पादन नहीं करती ।

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	ज्योति वी० फैक्ट्री, कलकत्ता	4.66	2.83	4.50	1.60	4.44	0.70
22.	ममिन्द्रा मिल्स, कासिमपुर	35.97	16.53	32.55	19.35	29.54	13.87
23.	सोदपुर काटन मिल्स, सोदपुर	—	—	—	—	—	—
24.	गया काटन एण्ड जूट मिल्स, गया	15.65	9.63	14.68	13.94	19.12	21.57
25.	बिहार को० स्पि० मिल्स, मोकामह	—	—	—	—	—	—
26.	उड़ीसा काटन मिल्स, भगतपुर	—	—	—	—	—	—
27.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, कामरूप	—	—	—	—	—	—
28.	सोम परासक्ति मिल्स, कोयम्बटूर	—	—	—	—	—	—
29.	कम्बोडिया मिल्स, कोयम्बटूर	—	—	—	—	—	—
30.	कृष्णावाणी टैक्स० मिल्स, कोयम्बटूर	—	—	—	—	—	—
31.	श्री रंगविलास मि० एंड स्पि० एण्ड वी० मिल्स, पीलामादु	—	—	—	—	—	—
32.	पंकज मिल्स, कोयम्बटूर	—	—	—	—	—	—
33.	पायनीयर स्पिनर्स, कामुदाकुडी	—	—	—	—	—	—
34.	कालीश्वरर मिल्स 'बी' यूनिट, कृष्णापकोयल	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स, कोयम्बटूर	49.53	46.59	45.16	43.00	43.81	46.27
36.	सोमसुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	59.26	47.70	45.34	47.00	44.30	43.22
37.	कालीश्वरर मिल्स, 'ए' यूनिट; कोयम्बटूर	38.37	45.17	36.13	33.00	33.83	34.43
38.	कोयम्बटूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, कोयम्बटूर	34.81	25.82	18.38	32.00	25.08	24.55
39.	श्री शारदा मिल्स, कोयम्बटूर	29.14	30.49	34.07	29.00	32.39	32.15
40.	बलराम वर्मा टेक्स० मिल्स, शेनकोट्टा	—	—	—	—	—	—
41.	कोठाकुम मिल्स, मदुराई	—	—	—	—	—	—
42.	स्वदेशी काटन मिल्स, पाण्डिचेरी	87.09	64.38	32.27	66.00	38.10	32.69
43.	श्री भारती मिल्स, पाण्डिचेरी	54.04	47.33	34.86	33.00	36.11	33.92
44.	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	198.22	100.70	116.90	86.29	92.69	69.66
45.	मयूर मिल्स, कानपुर	183.49	121.72	145.76	94.10	115.17	74.62
46.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, कानपुर	168.18	139.60	140.84	110.88	104.08	89.30
47.	स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	—	—	—	—	—	—
48.	स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथभंजन	—	—	—	—	—	—
49.	श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	लार्ड कृष्णा टैक्स० मिल्स, सहारनपुर	76.32	61.86	68.95	49.39	81.65	41.07
51.	बिजली काटन मिल्स, हाथरस	—	—	—	—	—	—
52.	रायबरेली टैक्स० मिल्स, रायबरेली	—	—	—	—	—	—
53.	लक्ष्मीरत्न काटन मिल्स, कानपुर	95.98	71.16	91.08	52.97	66.61	41.80
54.	अथर्टन मिल्स, कानपुर	88.37	59.62	80.24	54.24	66.63	31.60
55.	आज़म जाही मिल्स, वारंगल	160.91	32.32	57.40	65.86	63.22	59.29
56.	अदोनी काटन मिल्स, अदोनी	—	—	—	—	—	—
57.	अनन्तापुर काटन मिल्स, टाडापत्री	—	—	—	—	—	—
58.	नटराज स्पि० एण्ड वी० मिल्स, निर्मल	—	—	—	—	—	—
59.	नेथा स्पि० मिल्स, सिकन्दराबाद	—	—	—	—	—	—
60.	अलगप्पा टैक्स० (कोचीन) मिल्स, अलगप्पा नगर	—	—	—	—	—	—
61.	तिरुपति काटन मिल्स, रेनीगुंठा	—	—	—	—	—	—
62.	कन्नानूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, कन्नानूर	—	—	—	—	—	—
63.	केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचुर	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	पार्वती मिल्स, क्योलोन	79.31	62.86	64.09	65.72	35.13	55.03
65.	विजय मोहिनी स्पि० एण्ड वी० मिल्स, त्रिवेन्द्रम	—	—	—	—	—	—
66.	कन्नानूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, माहे	—	—	—	—	—	—
67.	मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	103.73	20.46	96.82	95.64	97.93	95.57
68.	मैसूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, बंगलौर	111.06	96.74	100.01	76.84	90.29	78.10
69.	एम०एस०के० मिल्स, गुलबर्गा	76.02	28.60	61.46	88.69	60.61	52.52
70.	श्री यलम्मा सी० डब्ल्यू एण्ड सिल्क मिल्स, देवनगीर	—	—	—	—	—	—
71.	इंडिया यूनाईटेड मिल्स नं० 1, बम्बई	248.00	227.00	231.00	210.00	185.00	182.00
72.	इंडिया यूनाईटेड मिल्स नं० 2, बम्बई	209.00	174.00	186.00	127.00	187.00	117.00
73.	इंडिया यूनाईटेड मिल्स नं० 3, बम्बई	180.00	202.00	207.00	204.00	209.00	179.00
74.	इंडिया यूनाईटेड मिल्स नं० 4, बम्बई						
75.	इंडिया यूनाईटेड मिल्स नं० 5, बम्बई	144.00	157.00	157.00	147.00	107.00	96.00
76.	इंडिया यूनाईटेड डाई वर्क्स, बम्बई	—	—	—	—	—	—
77.	माडल मिल्स, नागपुर	180.00	191.00	191.00	182.00	159.00	129.00
78.	आर०एस०आर० वी० स्पि० एण्ड वी० मिल्स, अकोला	86.00	87.00	92.00	80.00	91.00	80.00

1	2	3	4	5	6	7	8
79.	आर०बी०बी०ए० स्पि० एण्ड वी० मिल्स, हिंगनघाट	110.00	110.00	109.00	102.00	105.00	100.00
80.	सावतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	69.00	35.00	62.00	52.00	55.00	51.00
81.	विदर्भ मिल्स, (बरार) अचलपुर	80.00	79.00	80.00	71.00	79.00	72.00
82.	वर्ली टैक्स० मिल्स, बम्बई	—	—	—	—	—	—
83.	अपोलो टैक्स० मिल्स, बम्बई	102.92	87.04	91.42	78.53	81.26	80.08
84.	भारत टैक्स० मिल्स, बम्बई	90.20	80.90	66.46	72.14	70.32	67.43
85.	दिग्विजय टैक्स० मिल्स, बम्बई	144.17	135.52	154.20	110 72	90.64	88.57
86.	जुपीटर टैक्स० मिल्स, बम्बई	120.33	108.98	106.95	104.33	105.09	99.56
87.	न्यू हिन्द टैक्स० मिल्स, बम्बई	116.66	103.36	102.95	93.84	32.97	81.79
88.	मुम्बई टैक्स० मिल्स, बम्बई	118.38	108.22	103.70	92.18	84.06	83.12
89.	औरंगाबाद टैक्स० मिल्स, औरंगाबाद	47.39	51.90	47.00	53.27	44.29	49.43
90.	चालीसगांव टैक्स० मिल्स, धुले	133.14	135.32	127.29	122.23	109.14	104.90
91.	धुले टैक्स० मिल्स, धुले	157.65	158.96	153.24	139.15	135.81	124.01
92.	नान्देड टैक्स० मिल्स, नान्देड	198.00	191.19	182.46	174.55	166.58	138.67
93.	एलिफिंस्टन स्पि० एण्ड वी० मिल्स (सी)	94.56	88.22	87.65	83.51	93.86	80.15

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	फिन्ले मिल्स, बम्बई	94.62	79.54	92.43	96.47	69.34	96.36
95.	गोल्ड मुहर मिल्स, बम्बई	92.99	87.94	87.01	93.91	91.71	95.00
96.	जाम मैन्यु० मिल्स, बम्बई	123.28	119.19	119.24	102·71	91.28	84.82
97.	कोहिनूर मिल्स नं० 1, बम्बई	90.13	86.81	95.56	87.49	97.88	83.12
98.	कोहिनूर मिल्स नं० 2, बम्बई	—	—	—	—	—	—
99.	कोहिनूर मिल्स नं० 3, बम्बई	—	—	—	—	—	—
100.	श्री मधुसूदन मिल्स, बम्बई	82.79	79.16	84.20	984.38	91.29	65.02
101.	न्यू सिटी आफ बम्बई मिल्स, बम्बई	119.60	116.48	117.40	100.64	66.17	90.64
102.	पोद्दार मिल्स, बम्बई	76.14	75.62	76.61	70.01	68.15	73.46
103.	पोद्दार प्रोसेसर्स, बम्बई	—	—	—	—	—	—
104.	श्री सीताराम मिल्स, बम्बई	76.26	65.84	67.06	50.85	55.03	39.19
105.	टाटा मिल्स, बम्बई	153.79	128·58	152.70	144.16	164.02	148.84
106.	राजकोट टैक्स० मिल्स, राजकोट	66.93	53.45	60.26	46.26	53.48	43.43
107.	महालक्ष्मी टैक्स० मिल्स, भावनगर	124.66	119.58	126.35	124.97	127.42	119.87

1	2	3	4	5	6	7	8
108.	पेटलद टैक्स० मिल्स, भावनगर	84.33	80.32	88.73	70.71	76.84	73.39
109.	अहमदाबाद न्यू टैक्स० मिल्स, अहमदाबाद	167.99	137.66	160.62	148.26	160.95	148.33
110.	अहमदाबाद जुपीटर टैक्स० मिल्स, अहमदाबाद	123.40	118.96	122.02	141.66	144.52	128.92
111.	जहांगीर टैक्स० मिल्स, अहमदाबाद	147.18	158.30	173.03	154.71	163.59	149.04
112.	राजनगर मिल्स नं० 1, अहमदाबाद	207.71	215.52	220.21	206.91	196.12	196.70
113.	राजनगर मिल्स नं० 2, अहमदाबाद						
114.	वीरमगांव टैक्स० मिल्स, वीरमगांव	76.15	83.05	95.36	87.31	91·37	81.55
115.	हिमाद्री टैक्स० मिल्स, अहमदाबाद	78.60	75.79	86.12	84.32	87.81	83.43
116.	न्यू मानकचौक टैक्स० मिल्स, अहमदाबाद	135.08	135.58	147.50	137.69	146.29	130.76
117.	फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद	—	—	—	—	—	—
118.	इंदौर मालवा मिल्स, इंदौर	188.63	191.73	204.06	184.18	190.56	185.25
119.	कल्याणपुर मिल्स, इंदौर	144.44	157.69	151.35	154.68	149.74	154.59

1	2	3	4	5	6	7	8
120.	स्वदेशी सी० एण्ड एफ० मिल्स, इन्दौर	103.38	95.71	93.61	92.32	91.62	82.05
121.	हीरा मिल्स, उज्जैन	136.57	101.84	125.14	96.93	103.80	88.48
122.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर	45.02	39.41	39.09	48.82	50.09	48.12
123.	बंगाल नागपुर ताप्ती मिल्स, राजनांदगांव	199.16	181.83	172.48	167.78	178.90	166.69
124.	न्यू भंडारा मिल्स, भोपाल	117.98	113.78	102.15	106.88	105.33	96.74

विवरण-ख

1986-87 से 1990-91 तक मिल-वार निवल लाभ/हानि दर्शानेवाला विवरण

(करोड़ रु० में)

इकाई	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4
एन०टी०सी० (डी०पी०) लि०			
खासबाग स्पि० एण्ड वी० मिल्स; अमृतसर	—0.64	—0.18	+0.06
सूरज टैक्सटाईल मिल्स, मलोत	—0.57	+0.36	+0.32
विजय नगर काटन मिल्स, विजयनगर	—0.78	+0.27	+0.30
खरड़ टैक्सटाईल मिल्स, खरड़	—0.35	+0.44	+0.74
उदयपुर काटन मिल्स, उदयपुर	—0.46	+0.49	+0.47
अजुध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली	—3.75	—2.17	—2.38
महालक्ष्मी मिल्स; ब्यावर	—1.03	—0.13	+0.56
एडवर्ड मिल्स, ब्यावर	—1.11	—0.27	+0.17
पानीपत वूलन मिल्स, खरड़	—2.51	—3.03	—1.49
एन०टी०सी० (एम०पी०) लि०			
हीरा मिल्स, उज्जैन	—5.35	—3.81	—4.19
स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इन्दौर-3	—3.05	—2.62	—3.51
न्यू भोपाल टैक्सटाइल्स मिल्स, भोपाल	—1.72	—1.32	—1.28
बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर	—4.13	—1.89	—0.81
बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव	—2.88	—2.08	—2.43
इन्दौर मालवा युनाइटेड मिल्स इंदौर	—5.08	—4.43	—4.97
कल्याणमल मिल्स; इन्दौर	—3.40	—2.27	—2.69

1	2	3	4
एन॰टी॰सी॰ (यू॰पी॰) लि॰			
श्री विक्रम काटन मिल्स; लखनऊ	—1.81	—1.61	—1.82
बिजली काटन मिल्स; हाथरस	—1.14	—1.08	—1.26
स्वदेशी काटन मिल्स; मऊनाथभंजन	—0.33	—0.05	—0.01
रायबरेली टेक्सटाइल मिल्स; रायबरेली	—0.43	—0.87	—0.75
स्वदेशी काटन मिल्स, नैनी	—1.71	+0.02	—1.58
मयूर मिल्स; कानपुर	—5.00	—5.05	—5.55
न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	—7.92	—6.94	—7.51
लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स; सहारनपुर	—3.48	—2.66	—3.59
स्वदेशी काटन मिल्स कानपुर	—8.58	—10.20	—3.94
एन॰टी॰सी॰ (एस॰एम॰) लि॰			
बर्शी टेक्सटाइल मिल्स; बरशी	+0.01	+0.30	+0.42
अपोलो टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई	—4.65	—2.70	—0.32
भारत टेक्सटाइल मिल्स; बम्बई	—3.91	—0.78	—0.08
दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स; बम्बई	—3.76	—1.50	—2.13
जुपीटर टेक्सटाइल मिल्स; बम्बई	—6.90	—2.91	—3.86
न्यू हिन्द टेक्सटाइल मिल्स; बम्बई	—5.34	—3.77	—3.23
मुम्बई टेक्सटाइल मिल्स, मुम्बई	—5.89	—3.55	—3.51
औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स; औरंगाबाद	—0.44	—0.24	—0.62
चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स, चालीसगांव	—0.95	+0.30	+0.25
धुले टेक्सटाइल मिल्स; धुले	—0.85	+0.27	—0.72
नान्देड टेक्सटाइल; नान्देड	—2.01	—1.83	—2.00

1	2	3	4
एन०टी०सी० (एम०एन०) लि०			
इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं० 1, बम्बई	—8.39	—3.94	—1.72
इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं० 2, बम्बई	—5.42	—2.42	—2.16
इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं० 3, बम्बई } इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं० 4, बम्बई }	—7.81	—4.39	—2.94
इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं० 5, बम्बई	—2.70	—1.88	—1.23
इंडिया यूनाइटिड ड्राईवर्क्स, बम्बई	—2.71	—2.02	—0.69
माडल मिल्स, नागपुर	—4.23	—4.18	—2.55
आर०एस०आर०जी० स्पि० एण्ड वी० मिल्स, अकोला	—1.40	—1.07	—0.82
आर०बी०बी०ए० स्पि० एण्ड वी० मिल्स, हिंगनघाट	—1.46	—0.31	—0.62
सवताराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला	—1.57	—1.25	—0.75
विदर्भ मिल्स (बरार) अचलपुर	—1.68	—1.19	—0.79
एन०टी०सी० (गुजरात) लि०			
राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, राजकोट	—1.53	—1.18	—0.91
महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर	—3.13	— 2.25	—2.25
पेटलाद टैक्सटाइल मिल्स, पेटलाद	—2.78	—2.86	—1.93
अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	—4.08	—3.36	—2.32
अहमदाबाद जुपीटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद	—5.19	—3.75	—4.19

1	2	3	4
महावीर टैक्स० मिल्स, अहमदाबाद	—4.43	—3.11	—2.43
राजनगर टैक्स० मिल्स 1 एण्ड 2, अहमदाबाद	—5.11	—3.92	—3.33
वीरमगांव टैक्स० मिल्स, वीरमगांव	—2.93	—2.31	—1.88
न्यू मानेकचोक टैक्स० मिल्स, अहमदाबाद	—2.29	—2.01	—1.35
हिमाद्री टैक्स० मिल्स, अहमदाबाद	—2.47	—1.93	—1.36
फाइन निटिंग मिल्स, अहमदाबाद**	—	—	—
एन०टी०सी० (ए०पी०के०के०एम०) लि०			
नेथा स्पी० मिल्स, सिकन्दराबाद	—0.58	—0.02	—0.40
नटराज स्पि० मिल्स, अदीलाबाद	—0.47	+0.32	+0.14
आनन्तपुर काटन मिल्स, टाडापत्री	—1.30	—0.34	—0.31
तिरुपति काटन मिल्स, रानीगुंटा	—	+0.70	+0.20
श्री यलम्मा काटन मिल्स, देवनगीर	—1.46	+0.08	—0.63
कन्नानूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स, कन्नानूर	+0.01	+1.00	+0.99
केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचूर	+0.08	+1.53	+1.30
विजयमोहिनी मिल, त्रिवेन्द्रम	+0.06	+0.96	+1.25
कन्नानूर एस० एण्ड डब्ल्यू० मिल, माहे	—0.10	+1.23	+0.98
अदोनी काटन मिल, अदोनी	—0.46	+0.43	—0.12
अलगप्पा टैक्स० मिल्स, अलगप्पा नगर	+0.14	+1.14	+1.33
मैसूर मिल्स प्रोसेसिंग फैक्ट्री, बंगलौर	—3.81	—4.01	—2.59
मिनर्वा मिल्स, बंगलौर	—4.45	—3.53	—2.75
महबूब शाही गुलबर्गा मिल्स, गुलबर्गा	—3.47	—2.74	—3.78
पार्वती मिल्स, क्योलोन	—1.47	—1.53	—2.03
आजम शाही मिल्स, वारंगल	—3.35	—3.45	—2.66
एन०टी०सी० (टी०एन०पी०) लि०			
ओम पराशक्ति मिल, कोयम्बटूर	—0.61	+1.00	+0.25

(**यह मिल अधिग्रहण के समय से ही कार्य नहीं कर रही है)

1	2	3	4
कम्बोडिया मिल, कोयम्बटूर	—0.16	+1.92	+1.78
कृष्णवाणी टैक्सटाइल मिल्स, कोयम्बटूर	—0.06	+1.00	+0.77
श्री रंगविलास मिल्स, पलमेडू	—0.11	+2.19	+1.27
पंकज मिल, कोयम्बटूर	+0.01	+1.64	+1.57
पायनियर स्पिनर्स, कमूडाकुट्टी	– 0.48	+0.96	+0.56
बलराम वर्मा टैक्स० मिल्स, शेनकोटा	+0.2	+1.62	+1.90
कालीश्वरर 'बी' यूनिट कलयानरकोयल	+0.10	+2.25	+1.97
कोयनड्रामा स्पि० मिल्स**	—	—	—
कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स, कोयम्बटूर	+0.32	+1.05	+1.54
सोमासुन्दरम मिल्स, कोयम्बटूर	—0.50	—0.12	+1.14
कालीश्वरर मिल्स 'ए' यूनिट	—1.98	—0.22	+0.31
कोयम्बटूर स्पि० एण्ड वी० मिल्स	—1.97	+1.88	+1.29
श्री भारती मिल्स, पाण्डिचेरी	—2.23	—1.43	+0.12
स्वदेशी काटन मिल्स, पाण्डिचेरी	—2.25	—1.48	—1.04
श्री शारदा मिल्स, पोडानर	—1.21	+0.84	+1.03
एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) लि०			
बंगाल टैक्सटाइल मिल्स, मुर्शिदाबाद	—1.17	—1.08	—1.08
लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स, रिशरा	—1.97	—1.70	—1.74
आर्ती काटन मिल्स हावड़ा	—1.32	—1.28	—1.54
बंगाल फाइन स्पि० एण्ड वी० मिल्स, नं० 2 कोटागंज	—0.80	—0 66	—0.82
कनोरिया इंडस्ट्रीज, कल्याणनगर	—0.89	—0.54	—1.09
सोदापुर काटन मिल्स, सोदापुर	—0.93	—0.92	—1.32
एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज, कामरूप	—1.29	—1.30	—1.44
बिहार कोआपरेटिव मिल्स, मोकामह	—1.06	—1.04	—1.16
उड़ीसा काटन मिल्स, भगतपुर	—1.17	—0.46	—0.67

**यह मिल अधिग्रहण के समय से ही कार्य नहीं कर रही है ।

1	2	3	4
सेन्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा	—4.82	—5.56	—4.56
बंगाल फाइन नं० 1, कन्नानगर	—1.78	—1.83	—1.60
बंगाल लक्ष्मी सी० मिल्स, सेरामपुर	—3.27	—3.39	—4.29
श्री महालक्ष्मी काटन मिल्स, पल्टा	—3.30	—3.65	—3.81
रामपुरिया काटन मिल्स, सेरामपुर	—3.15	—3.91	—3.42
बंगाश्री काटन मिल्स, सूकेहार	—1.26	—2.11	—1.10
ज्योति वी० फैक्ट्री, कलकत्ता	—0.98	—1.31	—1.33
गया काटन एण्ड जूट मिल्स, गया	—2.14	—2.02	—1.76
मनिन्द्रा मिल्स, कासिमबाजार	—1.22	—1.20	—1.24
प्रबंधित मिलें		(अनंतिम)	
एल्फिस्टोन मिल	—3.31	—2.35	—3.14
फिन्ले मिल्स	—4.36	—2.58	—1.60
गोल्ड मूहर	—3.38	—2.18	—1.39
जाम मिल्स	—4.23	—4.55	—4.56
कोहिनूर मिल्स, 1, 2 तथा 3	—6.11	—5.87	—7.62
मधुसूदन मिल्स	—5.59	—5.54	—4.89
न्यू सिटी मिल्स	—8.52	—1.42	+0.38
पोद्दार मिल्स	—0.77	+1.13	+1.56
पोद्दार (प्रोसेसर्स	+0.47	+0.44	+0.24
सीताराम मिल्स	—4.08	—3.91	—4.44
टाटा मिल्स	—6.97	—4.55	—5.69
अन्य प्रबंधित मिलें			
लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर	—14.58	—11.65	—13.41
अथर्टन मिल्स, कानपुर	—9.06	—8.84	—11.90

कपड़े की तस्करी

*646. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में सिंथेटिक कपड़ों और धागे की तस्करी को रोकने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) देश में सिंथेटिक कपड़ों की तस्करी किये जाने के बारे में विगत समय में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। यद्यपि भारत में निर्मित सिंथेटिक कपड़े गुणवत्ता, प्रिन्ट और बुनावट की दृष्टि से आयातित कपड़ों की टक्कर के ही हैं, तथापि वे अधिक उत्पादन लागत और अपेक्षाकृत उच्च ऊर्जा लागत, आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण उनसे अधिक महंगे हैं।

तथापि, सरकार ने पोलिएस्टर फाइबर और पोलिएस्टर यार्न के निर्माण के लिए नये कारखाने स्थापित करने और मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनुमति दी है ताकि निर्माता उत्पादन की लागत को घटा सकें और इस प्रकार विनिर्माण की लागत को कम करके तस्करी के आकर्षण को समाप्त किया जा सके।

इसके साथ ही तस्करी रोधी अभियान को भी तेज कर दिया गया है और तस्करी का पता लगाने और इसे रोकने में लगी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखा जा रहा है।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

[हिन्दी]

*647. श्री आनन्द अहिरवार :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(ग) प्रस्ताव-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 43 प्रस्ताव भेजे थे। इनमें से, 109.045 करोड़ रुपये की राशि के 20 प्रस्ताव अनुमोदित कर दिए गए। 1991-92 के दौरान, इन कार्यों के लिए कोई राशि जारी नहीं की गई, क्योंकि मार्च, 1992 के अन्त तक वस्तुतः निर्माण कार्य शुरू नहीं हुए थे।

म्यूचुअल फण्ड से निवेश

*648. श्री काशीराम राणा :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने गत तीन वर्षों के दौरान म्यूचुअल फण्ड योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि एकत्र की है;

(ख) उक्त फण्ड से राज्यवार, कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ग) राज्यों में वहां से एकत्र की गई धनराशि के अनुरूप ही निवेश करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) विगत तीन कलैंडर वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रायोजित "पारस्परिक निधियों" ने लगभग 4655.5 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल की। "पारस्परिक निधियों" द्वारा जुटाए गए संसाधनों का पूंजी बाजार प्रतिभूतियों यथा शेयरों और ऋणपत्रों तथा मुद्रा बाजार प्रपत्रों में निवेश किया जाता है। चूंकि अधिकांश प्रपत्र इनमें से राज्य-विशेष के नहीं हैं, इसलिए जुटाए गए संसाधनों में से राज्यवार निवेश की धनराशि को नहीं दिया जा सकता है। निवेश के मामले में "पारस्परिक निधियों" अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर अपनी नीति स्वयं निर्धारित करती हैं। "पारस्परिक निधियों" द्वारा वसूल की गई निधियों के राज्यवार-विस्तार को विनियमित करने की मंशा नहीं है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए जलपोत

*649. श्री मदन लाल खुराना :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा मुख्य भूमि के बीच परिवहन हेतु कुल कितने जलपोतों की आवश्यकता है;

(ख) वहां इस समय कितने जलपोत चलाए जा रहे हैं; और

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जलपोतों हेतु समूची मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार मुख्य भूमि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह सेक्टर पर यात्री ट्रैफिक आवागमन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित यात्री जहाजों की न्यूनतम संख्या 4 है।

(ख) और (ग) मुख्य भूमि—अण्डमान सेवा पर प्रचालन के लिए दो यात्री-सह-कार्गो जहाज उपलब्ध हैं। इनमें से एक जहाज अर्थात् एम० वी० निकोबार को इस सेवा प्रचालन के लिए

अस्थायी तौर पर हटा लिया गया है और इस जहाज द्वारा अगस्त, 1992 के अन्त तक पुन: मुख्य भूमि अण्डमान सेक्टर पर प्रचालन शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है। एम० वी० नैन्कोरी नामक एक नया यात्री-सह-कार्गो जहाज 31-3-92 को पोलैंड में डिलीवरी कर दिया गया है और इस जहाज द्वारा मई, 1992 के शुरू में मुख्य भूमि-अण्डमान सेक्टर पर प्रचालन शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है। एम० वी० निकोबार और एम० वी० नैन्कोरी के समान एक अन्य यात्री-सह-कार्गो जहाज का आर्डर पोलिश शिपयार्ड को दिया है लेकिन जहाज की डिलीवरी निश्चित नहीं है। इसके अलावा आठवीं योजना में अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन ने यात्री-सह-कार्गो जहाज एम० वी० अकबर को दस और वर्षों के लिए प्रचालन हेतु उसकी मरम्मत (रिकंडीशनिंग) कराने और 1200 यात्रियों को लाने ले जाने तथा 1500 टन कार्गो ढोने की क्षमता वाले एक नये यात्री-सह-कार्गो जहाज का आर्डर देने का प्रस्ताव किया है।

हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार

[अनुवाद]

*650. श्री प्रतापराव बी० भोंसले :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने के लिए कुछ कदम उठाने पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) हस्तशिल्प उद्योग आवश्यक रूप से रोजगार गहन और निर्यात अभिमुख उद्योग है। हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित आठवीं योजना का उद्देश्य आर्थिक कार्यकलाप के रूप में शिल्पों से आय और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजाइन और तकनीकी विकास, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन तथा नई विपणन नीतियों पर जोर देते हुए हस्तशिल्प के विकास, विस्तार और उत्पादन को जारी रखने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों को सम्मिलित करके समेकित दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया गया है। एक छत के नीचे अनेकों कारीगरों को डिजाइन मार्गदर्शन, कच्चा माल, सामान्य सुविधा सेवाओं आदि सहित एक मुश्त निवेश प्रदान करने के लिए अभिज्ञात शिल्प पाकेटों में शिल्प विकास केन्द्रों की परिकल्पना की गई है। वर्तमान कुशलता को बढ़ाने और नये कुशल कारीगरों का विकास करने के लिए प्रशिक्षण की एक योजना भी चल रही है। लुप्तप्राय शिल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया गया है।

अमरीकी सहायता

651. श्री राम नारायण बैरवा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत को मिली अमरीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान भारत को मिलने वाली अमरीकी सहायता में काफी कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके फलस्वरूप किन परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा उसके पिछले तीन वित्तीय वर्ष (अक्तूबर से सितम्बर) में प्राधिकृत अमरीकी सहायता अनुदान।

(अमरीकी डालर मिलियन)

	अमरीकी वित्तीय वर्ष 1990 (अक्तूबर 89 से सितम्बर, 90)	अमरीकी वित्तीय वर्ष 1991 (अक्तूबर, 90 से सितम्बर, 91)	अमरीकी वित्तीय वर्ष 1992 (अक्तूबर, 91 से सितम्बर, 92)
विकास सहायता	21.5	20.9	22.0
टाईटल 11	94.0	77.1	76.0
	115.5	98.0	98.0

इसके अतिरिक्त अमरीकी वित्तीय वर्ष 1992 में टाईटल 111 पी० एल० 480 कार्यक्रम के तहत 2500 मिलियन मूल्य का खाद्य तेल उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई भी नहीं।

दसवां वित्त आयोग

*652. श्री शरद दिघे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवां वित्त आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे सम्भवतः कब तक गठित कर दिया जायेगा;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई निदेश पद तैयार किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जी, हां। 17 जून, 1992 से पहले ही दसवें वित्त आयोग का गठन किया जाना है।

(ग) से (ङ) इस संबंध में आरम्भिक कार्रवाई पहले ही शुरू कर ली गई है और आयोग के विचारार्थ विषयों के संबंध में सुझाव देने के लिए एक अनौपचारिक अध्ययन दल का गठन कर लिया गया है जिसमें वित्त मंत्रालय, योजना आयोग के प्रतिनिधि और छह राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल हैं।

शहरी सहकारी बैंकों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की समिति

6824. श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति ने समूचे देश में सहकारी बैंक के नेटवर्क का विस्तार करने संबंधी मामले का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय क्या थे;

(ग) अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले और दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत दिल्ली में पंजीकृत एवं चालू शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति क्या है; और

(घ) इन बैंकों में जमाकर्ताओं विशेषकर सहकारी आवास निर्माण और समूह आवास समितियों के हितों की रक्षा करने हेतु इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का क्या नियंत्रण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने नये शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसीकरण से संबंधित नीति और अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने के लिए श्री एस० एस० मराठे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति के विचारणीय विषय निम्नानुसार हैं :—

1. नये प्राथमिक शहरी बैंकों के लाइसेंसीकरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक की वर्तमान नीति की समीक्षा करना।

2. इस बात की जांच करना कि क्या उन राज्यों के लिए जो अविकसित सुविधाओं वाले राज्यों की तुलना में शहरी सहकारी बैंकिंग के क्षेत्र में प्रगतिशील हैं, उनमें बैंकों के संगठन के लिए अलग मानदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिए अथवा नहीं।

3. इस बात पर विचार करना कि क्या जिन प्राथमिक ऋण समितियों ने अर्थक्षमता संबंधी मानदण्ड हासिल कर लिए हैं, उन्हें शहरी सहकारी बैंकों के रूप में मान्यता प्रदान की जाये या नहीं, यदि हां, तो किन शर्तों के अन्तर्गत ऐसी मान्यता को नियन्त्रित किया जाये।

4. इस बात पर विचार करना कि क्या इस समय खासकर पूंजी पर्याप्तता के संबंध में; अर्थक्षमता संबंधी जो मानदण्ड हैं उनमें आगे और संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं।

(ख) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। इस समय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 14 शहरी सहकारी बैंक काम कर रहे हैं और इसके अलावा 2 बैंक परिसमापनाधीन हैं। दिनांक 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :—

	(लाख रुपये में)
चुकता पूंजी	653.01
प्रारक्षित निधियां	640.96
जमाराशियां	8607.10
उधार	13.75
ऋण तथा अग्रिम	4960.45

(ग) शहरी सहकारी बैंकों के कार्यकरण पर संबंधित राज्य के सहकारिता विभाग तथा साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उसके नियामक, पर्यवेक्षी, परिचालनात्मक तथा संवर्धनात्मक कार्यों के जरिये नियंत्रण रखा जाता है। इस नियंत्रण का एक मुख्य उद्देश्य इन बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले शहरी सहकारी बैंकों के निरीक्षण तथा सहकारिता विभाग द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा के दौरान, उक्त मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक रिकार्डों/बहियों की जांच की जाती है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

6825. श्री आर्य फर्नान्डीज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंक अन्तर्राष्ट्रीय ब्याज दर पर "विदेशी मुद्रा में लदानोत्तर निर्यात ऋण" के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं जैसा कि दिनांक 29.1.1992 के "इकोनॉमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें यू० एस० डालर मूल्य-वर्ग लदानोत्तर निर्यात ऋण सम्बन्धी उनके अनुदेशों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

यात्रियों के सामान की जांच

6826. श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के उड़ानों द्वारा मुंबई से दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान की हवाई अड्डे पर विमान पर चढ़ते समय जांच की जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में किसी भी दुर्घटना को टालने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए इनका प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन सेटों के अवैध निर्माण के कारण उत्पाद शुल्क का घाटा

[हिन्दी]

6827. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को टेलीविजन सेटों के अवैध निर्माण के कारण प्रति वर्ष उत्पाद शुल्क का कितना घाटा होता है;

(ख) क्या उत्पाद शुल्क की अपवंचना को रोकने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सभी समाहर्तालयों के कार्यकरण को और कारगर बनाने के लिए कोई अभियान चलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :(क) सरकार को टेलीविजन सेटों के अवैध निर्माण के कारण उत्पाद शुल्क की कितनी हानि हुई, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि टेलीविजन सेटों का इस तरह से निर्माण करना एक धोखाधड़ी वाला धन्धा है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1991 में जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ताओं ने मार्गस्थ जांच-पड़तालों संदिग्ध यूनिटों का आकस्मिक दौरा, अपवंचन की आशंका वाली वस्तुओं की मूल्य सूचियों और वर्गीकरण सूचियों का गहन अध्ययन, भंडारों की जांच-पड़ताल और मॉडवेट लेखाओं की प्रभावकारी लेखा-परीक्षा करके संगठित रूप से एक अपवंचन-रोधी अभियान आरम्भ किया था। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप नवम्बर, 1991 से फरवरी, 1992 की अवधि के दौरान 40 करोड़ रुपये से अधिक राशि के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अपवंचन का पता लगाया गया है।

टी०वी० विनिर्माताओं द्वारा शुल्क अपवंचन किये जाने के बारे में क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क करने के लिए जनवरी, 1992 में एक विशेष परिपत्र भी जारी किया गया था। एक टी० वी० विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन किये जाने के एक प्रमुख मामले का फरवरी, 1992 में पता लगाया गया और उक्त मामले में लगभग एक करोड़ रुपये की राशि वसूल की गयी है।

कश्मीर घाटी में जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा किया जाना

[अनुवाद]

6828. मेजर जनरल (सेवा निवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी परिवारों के उन घरों के लिए बीमा राशि नहीं दी जा रही है जिनका निर्माण जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण की सहायता से किया गया था और जिन्हें बाद में आतंकवादियों द्वारा जला दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रकार प्रभावित सभी ऋण प्राप्तकर्ताओं को बीमे की पूरी राशि का लाभ देने या उन लोगों को वसूली से मुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋण की सहायता से निर्मित आवासों को जीवन बीमा निगम के पास बंधक रखा जाता है और इन्हें पूरी तरह बीमाकृत किया जाता है जिनमें आतंकवादी जोखिम के एवज में बीमा भी शामिल होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जीवन बीमा निगम के पास ऋण और अग्रिमों की वसूली से छूट देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसी कोई छूट देना संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी वित्तीय संस्था होने के कारण जीवन बीमा निगम को वाणिज्यिक सिद्धांतों पर कार्य करना होता है।

संयुक्त उद्यम

6829. श्री बापू हरि चौरे :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारत ने कौन-कौन से देशों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किए और वर्ष 1992-93 के दौरान स्थापित करने का विचार है;

(ख) इस प्रकार के संयुक्त उद्यम किन-किन क्षेत्रों में स्थापित किए गये हैं अथवा करने का विचार है; और

(ग) इस प्रकार के संयुक्त उद्यमों का अन्य ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) दिनांक 1-4-91 और 31-3-92 के बीच अनुमोदित संयुक्त उद्यम प्रस्तावों के बारे में एक विवरण-पत्र संलग्न है। वर्ष 1992-93 के लिए अभी तक किसी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी गई है।

विवरण

क्रम सं॰	भारतीय कंपनी का नाम	देश	क्षेत्र	भारतीय इक्विटी (विदेशी मुद्रा में)	प्रतिशतता	अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	टाटा अल्यूमीनियम लि॰, मार्फत टाटा केमिकल्स लि॰, बम्बई	वेनेजुला	अल्यूमीनियम स्मेल्टर प्लांट	अमरीकी डालर 140,000,000	40	26-4-91
2.	दीपक फर्टीलाइजर एण्ड पेट्रो-केमिकल्स कारपो॰ लि॰, बम्बई	यू एस॰ ए॰	फासफोरिक एसिड संयंत्र	अमरीकी डालर 9,000,000	61	26-4-91
3.	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बम्बई	यू॰ एस॰ ए॰	कम्प्यूटर प्रणाली तथा यूटीलिटी आदि	—वही— 3,250,000	51	10-10-91
4.	आयन एक्सचेंज (इंडिया) लि॰, बम्बई	यू॰ एस॰ ए॰	जलशोधन संयंत्र तथा तकनीकी सेवाएं	अमरीकी डालर 2000,000	50	6-12-91
5.	उषा सर्विस एण्ड कंसल्टेंसी (प्रा॰) लि॰, नई दिल्ली	यू॰ एस॰ ए॰	कम्प्यूटर सापटवेयर	अमरीकी डालर 112,500	75	25-2-92

1	2	3	4	5		6	7
6.	गुजरात साथी प्रकाशन (प्रा०) लि०, गुजरात	यू० एस० ए०	गुजराती भाषा समाचार-पत्र का प्रकाशन	अमरीकी डालर	10,000	40	11-3-92
7.	बिसलेरी बिवरेजेस लि०, बम्बई	उजबेकिस्तान यू० एस० एस० आर०	शीतल पेय	डालर	646,370	49	29-4-91
8.	वरुणा मैनेजमेंट एंड सर्विसेज (प्रा०) लि०, बम्बई	ओडेसा यूक्रेन	चार सितारा होटल	डालर	200,000	20	2-5-91
9.	मिडास्ट इंडिया लि०, नई दिल्ली	मेरी-अस्सर यू० एस० एस० आर०	खालों का संसाधन; चमड़ा उत्पाद से··· का विनिर्माण तथा वितरण	डालर	513,000	45	15-5-91
10.	दिल्ली डेयरी स्पेशलटीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	तुर्कमानिया, एस० एस० आर०, यू० एस० एस० आर०	मिनिरल वाटर परियोजना	डालर	92,000	20	7-6-91
11.	दिल्ली डेयरी स्पेशलटीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	—वही—	विभागीय स्टोर	डालर	92,000	20	7-6-91

1	2	3	4	5		6	7
12.	के० ई० सिस्टम्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	मास्को रूस	हार्डवेयर और साफ्ट वेयर का एकीकरण तथा भू-भौतिकी क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में 3 डी ग्राफिक साफ्टवेयर की विकास	अमरीकी डालर	70,000	10	3-12-91
13.	मैकेनिन फैब्रिक पोलीप्राक (इंडिया) लि०, बम्बई	—वही—	व्यापारिक क्रियाकलाप	रूबल	100,000	32.40	24-12-91
14.	यूनिवर्सल फूड्स प्रा० लि०, बंबई	ए० ईस० एम० इ० इ० टी० टी० ए० यू० एस० एस० आर०	रेस्तरां	रूबल	147,000	49	24-12-91
15.	सीबाट फार्मेसि कं० लि०, बम्बई	हंग	माइक्रोवेव ओवन का विनिर्माण	रूबल	1726,000	33.83	27-12-91
16.	कम्प्यूटर ऐडड बर्लिन सिस्टम्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	बी० और० वाई० बी० एस० यू० एस० एस० आर०	कम्प्यूटर हार्डवेयर की विनिर्माण तथा विपणन	रूबल	120,000	60	24-12-91

1	2	3	4		5	6	7
17.	यू० बी० लि०; बंगलौर	लातविया यू० एस० एस० आर०	बीयर का विनिर्माण	नकद	8084,760	40	23-12-91
18.	ग्रीव्स काटन एंड कं० लि०, बंबई	एन० ओ० बी० जी० ओ० आर० ओ० डी०	भारतीय सामान का व्यापार	नकद	100,000	25	8-1-92
19.	सीलोल हिंदुस्तान टैक्नोलोजीज प्रा० लि०; पुणे	के० आर० ए० एस० एन० ओ० के० ए० एस० एस० के० यू० एस० एस० आर०	मैकेनिकल सीलों का विनिर्माण तथा भारतीय उत्पादों का व्यापार	नकद	979,000	32	21-1-92
20.	लिबर्टी शूज लि०; नई दिल्ली	एशिया यू० एस० एस० आर०	जूतों तथा चमड़ों का संचालन	नकद	2,635,000	31	13-2-92
21.	लिबर्टी शूज लि०; नई दिल्ली	मास्को रूस	चमड़े के परिधान	नकद	186,000	31	26-2-92
22.	एसोसिएटेड बेवरेजस (प्रा०) लि०; बंबई	जार्जिया यू० एस० एस० आर०	चाय का विपणन तथा चाय संचालन	नकद	500,000	60	26-2-92
23.	रतन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लि०; नई दिल्ली	मास्को रूस	आवेष्ट माल का विनिर्माण	नकद	348,000	49	27-2-92

1	2	3	4	5		6	7
24.	मेटल्स'स एंटीक आर्टस (प्रा०) लि०, बंगलौर	यू० के०	हस्तशिल्प के सामान की बिक्री	पौंड	34,000	34	5-9-91
25.	त्रिवेणी फूड प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता	यू० के०	समुद्री उत्पादों की बिक्री तथा विपणन	अमरीकी डालर	200,000	50	24-2-92
26.	बेस्ट एंड क्रॉम्पटन इंजी० लि०, मद्रास	सऊदी अरब	इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल लाइनें और टंकी परियोजनाओं तथा सेवाओं में संविदा विषयक व्यापार	एस० आर०	980,000	49	3-5-91
27.	गुजरात इंजेक्टस लि०, बड़ोदा	संयुक्त अरब अमीरात	आई० वी० फ्लूइड का विनिर्माण	अमरीकी डालर	100,000	16.67	10-10-91
28.	इंडियन प्रोडक्टस ट्रेडिंग कं० (प्रा०) लि०, बम्बई	—वही—	रिरोलिंग उत्पादों का विनिर्माण	डी० एच०	900,000	36	16-12-91

1	2	3	4	5	6	7
29.	इस्पात अलाय लि०, नई दिल्ली	इंडोनेशिया	फेरो अलाय परिसर	अमरीकी डालर 3,200,000	24.6	3-6-91
30.	सोमदत्त बिल्डर्स लि०, नई दिल्ली	थाईलैंड	वाणिज्यिक परिसरों का विकास तथा विनिर्माण	बी० ए० एच० टी० 30,000,000	30	3-7-91
31.	—वही—	—वही—	बहुमंजिलें वाणिज्यिक परि-सरों का विकास तथा निर्माण	—वही— 30,000,000	30	3-7-91
32.	सेलम टैक्सटाइल्स लि०, सेलम	मलेशिया	रंगे हुए यार्न का विनिर्माण	एम० डालर 1430,000	60	3-9-91
33.	एन० एम० दस्तूर एंड कं० लि०; कलकत्ता	—वही—	परामर्शी सेवाएं	एम० डालर 100,000	25	11-12-91
34.	सीवट इन्वेस्टमेंट लि०, बंबई	मलेशिया	टायर कार्ड विपथ फैब्रिकों का विनिर्माण	—वही— 141,60000	40	18-12-91

1	2	3	4	5		6	7
35.	अडवाणी ओयरलिकोन लि०, बम्बई	मलेशिया	वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का विनिर्माण	—वही—	500,000	25	17-2-92
36.	टिटानियम इक्विपमेंट एंड एलोय मैन्यु० लि०, मद्रास	—वही—	औद्योगिक इकाई	—वही—	673,000	70	6-3-92
37.	डाबर इंडिया लि०, नई दिल्ली	नेपाल	हर्बल उत्पाद	एन० आर० एस०	8,000,000	80	9-10-91
38.	एम० आई० एल० इंडस्ट्रीज, मद्रास	सिंगापुर	रबड़ लाइंड उपस्कर आदि का विपणन	एस० डालर	84,000	49	30-12-91
39.	यूरोविस्टा ट्रेडिंग कं० लि०, बम्बई	सिंगापुर	व्यापार	—वही—	130,000	65	18-2-92
40.	किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कं० लि०, बंगलौर	सिंगापुर	—वही—	—वही—	93,750	37.5	24-2-92
41.	यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया, बंबई	श्रीलंका	यूनिट ट्रस्ट	एस० एल० रुपये	5000,000	20	13-2-92

1	2	3	4		5	6	7
42.	अजय हिमांशु एंड कं० (प्रा०) लि०, बंबई	जापान	कटे तथा तराशे हुए हीरों और आभूषणों का व्यापार तथा विपणन	येन	13,500,000	45	24-12-91
43.	रोड मास्टर इंडस्ट्रीज आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली	यूगांडा	साइकिल, साइ-किल के साज-सामान और कल-पुर्जों का विनिर्माण	अमरीकी डालर	1200,000	60	15-10-91
44.	प्रासिम इंडस्ट्रीज लि०, बंबई	मिस्र	कार्बन ब्लैक का विनिर्माण	—वही—	2250,000	15	21-10-91
45.	फारचून इंटरनेशनल लि०, नई दिल्ली	हंगरी	रेस्तरां	एच० जे० एफ०	17,280,000	49	16-12-91

निर्यात उत्पादों के ब्राण्ड नाम

6830. श्री वी० देवराजन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहुत अधिक मात्रा में निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को अपना ब्राण्ड नाम देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) मसाला बोर्ड ने विभिन्न ब्रान्डों के भारतीय मसालों को लोकप्रिय बनाने और 'भारतीयता' तथा 'गुणवत्ता' पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से एक 'ब्राण्ड संवर्धन योजना' शुरू की है।

जहां तक अपरिष्कृत कॉफी के निर्यात का संबंध है, कॉफी बोर्ड ने अपरिष्कृत कॉफी निर्यात को 'मैसूर नगेट्स ई बी' नामक एक नये ग्रेड की शुरूआत के साथ ब्राण्ड करने का प्रयास किया है।

चाय के मामले में विभिन्न देशों में असम और दार्जिलिंग चाय का लोगो अभियान चलाया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

6831. श्री के० वोक्का राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3500/- रुपये से कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1991 से 9 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया गया था;

(ख) क्या महंगाई भत्ते में कथित वृद्धि उन कर्मचारियों को भी देने की है जिनका वेतन प्रोन्नति या वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण 3500 रुपये से अधिक हो गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ उसी दर से देने का है जो स्वीकृति के समय इसके पात्र थे; और

(घ) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1992 से देय महंगाई भत्ते की किश्तों के भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) वस्तुत: 3500/- रुपये प्रति माह तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 1-7-91 से महंगाई भत्ते में 9% की वृद्धि स्वीकार की गई थी न कि उतनी महंगाई भत्ते की रकम। इसके अलावा, 1-7-91 से 3500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को तथा 1-1-92 से सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तें मंजूर किये जाने के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन

6832. श्री पी० सी० थामस :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर यान अधिनियम, 1988 के उपबन्धों में दुर्घटना के 12 महीनों के बाद दावेदारों को दावे दायर करने की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या मोटर यान अधिनियम, 1988 में इस संबंध में संशोधन करने हेतु सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 158 (6) और 166 (4) के अनुसार दावा अधिकरणों के लिए मोटर यान अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति के दावे स्वीकार करने हेतु पर्याप्त गुंजाइश है। सरकार को प्रतिपूर्ति के ऐसे किसी दावे की भी जानकारी नहीं है जिसमें दावा दायर करने में हुई देरी के कारण प्रतिपूर्ति के किसी दावे को अस्वीकृत किया गया हो। इसलिए सरकार इस संबंध में मोटर यान अधिनियम के मौजूदा उपबंधों में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं समझती।

विदेशी मुद्रा प्रेषण

6833. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1991-92 के बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि विदेशी मुद्रा प्रेषण योजना तत्काल प्रभावी की जाएगी जबकि यह योजना बाद मे सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू की गई थी;

(ख) बजट में इस योजना की घोषणा से लेकर इसके कार्यान्वयन की अधिसूचना तक विदेशी मुद्रा प्रेषण कितना हुआ;

(ग) क्या सरकार को इस भेजी हुई विदेशी मुद्रा को विदेशी मुद्रा प्रेषण तथा विदेशी मुद्रा का बांडों में निवेश (छूट और रियायत) अधिनियम, 1991 के कार्यक्षेत्र में लाने के लिए प्रतिवेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) यद्यपि विदेशी मुद्रा प्रेषण योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 24 जुलाई, 1991 को अपने बजट भाषण में की गई थी लेकिन यह योजना 18 सितम्बर, 1991 से लागू हुई जब इसे विदेशी मुद्रा प्रेषण और विदेशी मुद्रा बांड निवेश (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया। इस

प्रकार, 18 सितम्बर, 1991 से पहले, इस योजना के अन्तर्गत कोई भी प्रेषणाएं प्राप्त नहीं की जा सकीं।

(ग) और (घ) उक्त योजना को पूर्वगामी समय से लागू करने के संबंध में सरकार/का भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे। लेकिन, उपरोक्त (क) और (ख) की दृष्टि से इन अनुरोधों को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

उत्तर प्रदेश में मकानों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की सहायता

[हिन्दी]

6834. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक, मुम्बई ने मकान बनाने और इनकी मरम्मत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कृषि ग्रामीण विकास बैंक को पुनर्वित्तीय सुविधाएं, प्रदान की हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय आवास बैंक ने कितना ऋण दिया है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय आवास बैंक ने विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में अंशदान के लिए एक योजना तैयार की है जिसके तहत राष्ट्रीय आवास बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा जारी किए गए विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में अंशदान करता है। इसमें संबंधित राज्य सरकार की गारंटी के बदले इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण आवास के लिए उनके समस्त ऋण शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उसने अब तक उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में 899.50 करोड़ रु० का अंशदान किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आवास बैंक ने तदर्थ भुगतान के रूप में विशेष रूप से उत्तर काशी के पहाड़ी क्षेत्रों में हाल को भूकम्प पीड़ितों को आवास ऋणों के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को 10 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक की योजना के अनुसार, आवास ऋण पहले कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा संवितरित किए जाते हैं और विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचर उसके बाद जारी किए जाते हैं। विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचर स्वीकृत आवास ऋणों की राशि के लिए नहीं जारी किए जाते हैं, बल्कि वास्तव में संवितरित आवास ऋणों की राशि के लिए जारी किए जाते हैं। तदनुसार, विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों में अंशदान के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की वित्तीय सहायता हिताधिकारियों द्वारा इस राशि का वास्तव में उपयोग किए जाने के बाद प्रदान की जाती है। अलबत्ता, 10 करोड़ रुपये की राशि के संबंध में, उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को यह राशि भूकम्प के पीड़ितों को मंजूर किए जाने वाले आवास ऋणों के बदले यथोचित

करने के लिए जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने इस राशि के उपयोग से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत नहीं की है।

झांसी-की-रानी के झंडे का गुम होना

[अनुवाद]

6835. श्री पीयूष तिरकी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर; दिल्ली में झांसी-की-रानी का झंडा गुम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) झांसी की रानी के जिस ध्वज को 1857 में कब्जे में लिया गया बताया गया था वह 5 राजपूताना राइफल्स के पास था। इस ध्वज को सुरक्षित रखने के लिए 1977 में दिल्ली छावनी स्थित राजपूताना राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर को भेज दिया गया था क्योंकि उस बटालियन को फील्ड क्षेत्र में जाना था। वर्ष 1978 में यह पता लगा कि यह ध्वज राजपूताना राइफल्स रेजीमेंटल सेंटर में नहीं है। जब उक्त बटालियन ने मई, 1980 में ध्वज वापस करने का अनुरोध किया तो यह उपलब्ध नहीं हो सका।

1980 में आयोजित यूनिट जांच अदालत और 1982 में आयोजित स्टाफ जांच अदालत इस ध्वज का पता नहीं लगा पाई हालांकि इन अदालतों ने ध्वज के खो जाने में कुछ अधिकारियों की कतिपय चूकों का उल्लेख किया था। तत्कालीन सेनाध्यक्ष ने इस मामले को बन्द कर दिया। बाद में सरकार ने मामले की पुनरीक्षा की और इसे जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 1988 में मामला दर्ज किया और इस संबंध में विस्तृत छानबीन की। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में इण्टरपोल और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों, विशेष रूप से इंग्लैंड स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से भी जांच की। परन्तु ध्वज के बारे में कोई साक्ष्य या सुराग प्राप्त नहीं किया जा सका। अन्ततः केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामला बन्द कर दिया और दिल्ली के मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अन्तर्गत वर्ष 1991 में मामला बन्द करने संबंधी रिपोर्ट दायर कर दी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच से भी न तो ध्वज का पता लगाया जा सका और न ही किसी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला बनाया जा सका इसलिए सरकार के पास इस मामले को वर्ष 1991 में बन्द करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था।

बीमा कम्पनियों में अदावाकृत धनराशि

6836. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों में विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में भारी धनराशि अदावाकृत पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कम्पनी में कितनी-कितनी राशि अदावाकृत है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अदावाकृत राशि का उपयोग किन-किन नये क्षेत्रों में किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 1990-91 में अदावाकृत मृत्यु तथा परिपक्वता दावों के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम के पास पड़ा कुल अदावाकृत धन 8.87 करोड़ रुपये था। इसमें से 3.83 करोड़ रुपये की राशि महाराष्ट्र में थी। साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कम्पनियों के पास कोई अदावाकृत धन नहीं है। निजी क्षेत्र में कोई बीमा कम्पनी नहीं है।

(ग) अदावाकृत राशियों को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुन: जीवन निधि में मिला दिया गया है। मौजूदा निवेश पैटर्न के अधीन निधि में संचित 75 प्रतिशत राशि को प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार की बिक्री योग्य और गारंटी प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों आदि जैसे समाजोन्मुखी क्षेत्रों में निवेश किया जाता है और बाकी के 25 प्रतिशत को शेयरों की खरीद करने, पालिसीधारक आदि को ऋण देने जैसे अन्य निवेशों में खर्च किया जाता है।

विदेशी मुद्रा भण्डार

6837. श्री साम्बे गोवर्धन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1992 की पहली तारीख को विदेशी मुद्रा भण्डार कितना-कितना था;

(ख) उक्त तारीखों की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि में किन-किन कारकों का योगदान रहा है; और

(ग) इस भंडार को कब से मुख्यतया निर्यात आय से बढ़ाए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 1992 की पहली तारीख को आरम्भिक स्टाक के रूप में उपलब्ध विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) क्रमश: 9287 करोड़ रुपये, 9766 करोड़ रुपये, 10791 करोड़ रुपये और 14578 करोड़ रुपये के थे।

(ख) किसी विशेष तारीख को प्रारक्षित भंडार में वृद्धि विदेशी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लेन-देनों का

निवल परिणाम होता है। जनवरी से मार्च,1992 के दौरान कुल विदेशी मुद्रा संग्रहण में अंशदायी मुख्य कारक सहायता प्राप्तियां, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से क्रय, भारत विकास बांड के माध्यम से अन्तःप्रवाह और मुख्यतः आयातों ऋण परिशोधन के लिए भुगतान और अन्य अदृश्य भुगतानों को घटाकर निर्यात आय से प्राप्तियों और अन्य चालू प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकृत डीलरों से क्रय थे।

(ग) प्रारक्षित भंडारों में वृद्धि को विदेशी क्षेत्र में सभी लेन-देनों का निवल परिणाम होने के कारण केवल निर्यात अर्जन से संयोजित नहीं किया जा सकता।

बासले समिति की रिपोर्ट

6838. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से पूंजी पर्याप्तता के मानदंडों के सम्बन्ध में बासले समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक का विचार विदेशी बैंकों सहित बैंकों के लिए "रिस्क वेटेड कैपिटल रेशिओज" का निर्धारण करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारत में बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के लिए पूंजीगत पर्याप्तता के उपाय के रूप में जोखिम भारित पूंजी परिसम्पत्तियों के निर्धारण का प्रश्न बासले समिति के मानदण्डों के आधार पर विचाराधीन है।

रबड़ के वृक्षों की बीमा योजना

6839. श्री ए० चार्ल्स :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीमा कंपनी ने केरल में रबड़ के वृक्ष लगाने वालों के लिए उनके वृक्षों के लिए कोई बीमा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत रबड़ के वृक्ष लगाने हेतु जिलावार कितना क्षेत्र शामिल किया गया है;

(ग) क्या योजना के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक है; और

(घ) यदि नहीं, तो छोटे तथा मध्यम दर्जे के कृषकों में इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत में रबड़ पौध-रोपण को शामिल करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि० और रबड़ बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित एक बीमा स्कीम दिसम्बर, 1988 में शुरू की गई थी।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1992 तक केरल राज्य में इस स्कीम के अधीन लगभग 6,500 हैक्टेयर कुल क्षेत्र शामिल कर लिया गया है। तथापि, कंपनी के पास जिलावार सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि बीमा के प्रमाण-पत्र रबड़ बोर्ड द्वारा पूरे भारत में फैले इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं।

(ग) और (घ) स्कीम के निष्पादन का इतना शीघ्र पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसे दिसम्बर, 1988 में ही शुरू किया गया था और वह भी वैकल्पिक आधार पर। तथापि, कृषकों के बीच स्कीम को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विद्युतकरघों के लिए कार्यदल

[हिन्दी]

6840. श्री एन० जे० राठवा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युतकरघों के आधुनिकीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के तरीकों एवम् ऋण की सीमा निर्धारित करने हेतु किसी कार्यदल का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो विद्युतकरघों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) मई, 1987 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक कार्य दल का गठन किया गया था। इस विकेन्द्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र में ऋण की समस्याओं का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने को कहा गया था।

कार्य दल की प्रमुख सिफारिशें थीं कि विद्युतकरघा के लिए आधुनिकीकरण और कार्यशील पूंजी के लिए निधि की एक बार की आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाएं जिन्हें कि आने वाले वर्षों में बढ़ाया जा सकता है। ये ऋण एस० एस० आई० एककों का लागू होने वाली शर्तों के अनुसार होने चाहिए। राज्य सरकारों को विद्युत करघा क्षेत्र में सहकारिताकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विपणन संबंधी क्रियाकलापों के लिए राज्य स्तर के शीर्ष विपणन संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम का बैंक आफ न्यूयार्क के साथ समझौता

[अनुवाद]

6841. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने फरवरी, 1992 में न्यूयार्क के आयात और निर्यात बैंक तथा लेजार्ड फ्रेरेस एण्ड कम्पनी से 100 मिलियन डालर तक की गारंटी देने

के संबंध में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को इस सौदे में यदि कोई घाटा हुआ हो तो वह कितना था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल को चाय का निर्यात

[हिन्दी]

6842. श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व सोवियत संघ को भारतीय चाय के निर्यात में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रूस सहित स्वतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल से वर्ष 1992-93 के दौरान चाय के निर्यात के लिए प्राप्त हुए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) भारत से भूतपूर्व यू०एस० एस०आर० को वर्ष 1990 के दौरान 670.72 करोड़ रु० मूल्य की 128.6 मि० कि०ग्रा० चाय के निर्यात की तुलना में वर्ष 1991 के दौरान 546.85 करोड़ रु० मूल्य की 104.5 मि०कि०ग्रा० चाय के निर्यात का अनुमान लगाया गया था जो मात्रा के रूप में 24.1 मि० कि० ग्रा० तथा निर्यात आय के रूप में 123.87 करोड़ रु० की कमी को दर्शाता है।

(ग) वर्ष 1992 के दौरान रूसी संघ को भारत से चाय के निर्यात के लिए व्यापार व्यवस्था अथवा भुगतान आधार पर 60 मि० कि० ग्रा० निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उजबेकिस्तान के साथ, जो 6.10 मि० अमरीकी डालर के मूल्य की 3 मि० कि० ग्रा० चाय के निर्यात के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जहां तक कजाकिस्तान का संबंध है, भारत से 15,000 मी० टन चाय का निर्यात करने पर सहमति हुई है।

वोहरा समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

6843. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस० बी० वोहरा समिति की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ख) मोहरा समिति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए अपेक्षित कितनी धनराशि की सिफारिश की गई है; और

(ग) इस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) समिति ने निम्नलिखित मुख्य पहलुओं के संबंध में अपनी सिफारिशें दी :—

(i) एजेंसी प्रणाली में सुधार;

(ii) वित्तीय नियंत्रण;

(iii) राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली का रख-रखाव सुधार और विस्तार; और

(iv) रा० रा० प्रणाली का परिरक्षण और सुविधाओं का प्रावधान।

(ख) हालांकि मोहरा समिति ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए किसी विशिष्ट राशि की सिफारिश नहीं की लेकिन समित ने 20 वर्षों की अवधि अर्थात 1985 से 2005 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार के लिए 1983-84 के मूल्य स्तरों पर 12,000 करोड़ रु० की अनुमानित राशि की आवश्यकता की सिफारिश की है।

(ग) मोटे तौर पर, समिति की सभी सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है जो, प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयों के, जहां कहीं लागू होंगे, अधीन है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बाढ़ अग्रिम ऋण

6844. श्री रोशन लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने जुलाई, 1990 में सिरोही और जोधपुर डिवीजन के आस-पास के क्षेत्रों में आई बाढ के कारण अपने कर्मचारियों को बाढ़ अग्रिम ऋण दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को अग्रिम ऋण दिया गया था तथा कितने कर्मचारियों को, परिवीक्षाधीन कर्मचारियों सहित, अग्रिम ऋण अभी दिया जाना है; और

(ग) शेष कर्मचारियों को अग्रिम ऋण दिए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी हां। उन सभी 517 कर्मचारियों को बाढ़ अग्रिम ऋण दिया गया है जो इसके पात्र थे। उन सात कर्मचारियों को जिनकी तैनाती बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं थी और उन छः परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को जो नियमानुसार इसके पात्र नहीं थे, बाढ़ अग्रिम ऋण नहीं दिया गया।

चीन द्वारा रेलवे मशीनरी तथा प्रौद्योगिकी की मांग

[हिन्दी]

6845. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने रेलवे तकनीक और मशीनरी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पोर्ट ट्रस्ट द्वारा फालतू भूमि का उपयोग

[अनुवाद]

6846. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक प्रमुख पत्तन के पास कुछ फालतू भूमि है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है;

(ग) क्या कुछ पोर्ट ट्रस्टों ने इस भूमि का वाणिज्यिक उद्देश्यों के प्रयोग के लिए प्रस्ताव भेजे हैं; और

(घ) यदि हां; तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई नीति संबंधी मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसार पत्तन न्यास की भूमि का उपयोग किया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय सड़क निर्माण निगम के सहयोग से कलकत्ता पत्तन न्यास की भूमि का वाणिज्यिक विकास किए जाने को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी है।

साधारण बीमा निगम की ब्रिटेन स्थित सहायक कंपनी

6847. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण बीमा निगम का विचार अन्य कंपनी के सहयोग से ब्रिटेन में एक सहायक कंपनी स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) यूनाइटेड किंगडम में एक सहायक कंपनी खोलने के संबंध में भारतीय साधारण बीमा निगम आदि से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इस मामले को वाणिज्य मंत्रालय में विदेशों में संयुक्त उद्यम संबंधी अन्तर-मंत्रालयीय समिति को उपयुक्त छानबीन तथा उचित स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है।

स्मारक सिक्के नोट

[हिन्दी]

6848. श्री रामदेव राम :

श्री ललित उरांव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन तारीखों को किन-किन विभूतियों की स्मृति में नोट और सिक्के जारी किए गए तथा उनके मूल्य तथा संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म शताब्दी के दौरान उनकी याद में एक रुपये मूल्य के कितने सिक्कों का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या सरकार का ऐसे और सिक्के जारी करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी विभूति की स्मृति में कोई करेंसी नोट जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन, डा० बी० आर० अम्बेडकर के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर 14 अप्रैल, 1991 को एक रुपये के सिक्के जारी किए गए थे।

(ख) डा० बी० आर० अम्बेडकर के जन्म शताब्दी समारोह की स्मृति में उत्पादित और जारी किए गए एक रुपया के सिक्कों की संख्या लगभग 483.20 लाख अदद सिक्के है।

(ग) जी, हां।

(घ) स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की स्मृति में 21 मई, 1992 को एक रुपया का सिक्का जारी करने का प्रस्ताव है।

हुगली नदी को और गहरा करना

[अनुवाद]

6849. श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के लाभार्थ हुगली (भागीरथी) नदी को और गहरा करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : हुगली नदी में नौवहन योग्य गहराई बनाए रखने के प्रयोजन से कलकत्ता पत्तन न्यास और भारतीय निकर्षण निगम के ड्रेजर लगातार निकर्षण कार्य करते हैं। 43.29 करोड़ रु० लागत की बिन्नरवाली फ्लैट के रिसाव नामक एक स्कीम को चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दे दी गई है।

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास

6850. श्री प्रबीन डेका :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सरकार को प्रेषित राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने प्रस्ताव स्वीकृति किये गये; और

(ग) उक्त प्रस्तावों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के संबंध में 1991-92 के दौरान 67 प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 19.23 करोड़ रु० की राशि के 33 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

(ग) इन कार्यों के लिए 1991-92 के दौरान 0.75 करोड़ रु० का आबंटन किया गया।

मृत्यु व विकलांगता के मामलों में दिए जाने वाले लाभ की श्रेणी में कुछ और श्रेणियों को शामिल करना

6851. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैनिक सेवा से संबंधित मृत्यु व विकलांगता के मामलों में दिए जाने वाले लाभ की श्रेणी से संबंधित वर्तमान सरकारी आदेशों के दायरे में कुछ और श्रेणियों को शामिल किये जाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) क्या प्राकृतिक कारणों से होने वाली मृत्यु व विकलांगता के मामलों में रोजगार सहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जिस सैनिक की मृत्यु या निशक्तता सैन्य सेवा के कारण न हुई हो उसके एक आश्रित को रोजगार केन्द्र/ कर्मचारी चयन आयोग के नियमों में छूट देकर, समूह "ग" या "घ" के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के संबंध में सरकारी आदेश पहले से ही हैं। परन्तु अनुकम्पा के आधार पर इस प्रकार की नियुक्तियां केवल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही की जाती हैं और वे नियुक्तियां भी खाली पद उपलब्ध होने पर ही दी जाती हैं।

कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजनों में चाय बागान लगाना

6852. श्री जगमेन्द्र शाह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड ने कुमाऊं और गढ़वाल डिविजनों में चाय बागान और चाय उद्योग

लगाने को बढ़ावा देने के लिए 1986 में लखनऊ में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 से उक्त डिवीजनों में चाय बागानों का विकास करने तथा वहां चाय उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या प्रगति की है; और

(ग) उक्त डिवीजनों में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक चाय बागान लगा दिए गए हैं और चाय उद्योग स्थापित किए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजनों सहित उत्तर प्रदेश में चाय उद्योग का विकास करने के लिए मार्च 1988 में लखनऊ में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था।

(ख) अब तक हुई प्रगति नीचे दी जा रही है;

(i) चाय उगाने वाले मौजूदा क्षेत्रों को "पहाड़ी क्षेत्रों" के रूप में घोषित किया जाना जिससे कि उन्हें चाय बागानों को, पुनर्रोपण करने तथा रोपण-विस्तार कार्यक्रम के लिए ऊंची दरों पर ऋण और उपदान उपलब्ध हो सकें और नए चाय बागानों की स्थापना के लिए चाय बोर्ड की नई चाय इकाई वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत विशेष सहायता प्रदान की जा सके।

(ii) पौध उगाने के लिए गढ़वाल डिवीजन के देहरादून जिले में तथा कुमाऊं डिवीजन के पिथौरागढ़, में एक-एक नर्सरी स्थापित की गई है। इन नर्सरियों को लगाने के लिए चाय बोर्ड ने 9.89 लाख रु० की वित्तीय सहायता दी थी।

(iii) चाय बोर्ड ने चाय अनुसंधान एसोसिएशन, जोरहाट में राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए चाय की खेती के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए छः सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

(iv) कुमाऊं तथा गढ़वाल डिवीजनों सहित उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूदा चाय बागानों का पुनरुत्थान करने के लिए निवेश पूर्व अध्ययन आरम्भ किए जाने तथा चाय की खेती के विस्तार की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए राज्य सरकार को 9.5 लाख रु० की राशि मंजूर की गई है।

(ग) गढ़वाल क्षेत्र की दून वैली में सात चाय एस्टेट है जिनका कुल क्षेत्र 867.59 हेक्टेयर है तथा दो चाय एस्टेट कुमाऊं क्षेत्र में है जिनका क्षेत्र 137.13 हेक्टेयर है। राज्य सरकार के मृदा संरक्षण विभाग ने कुमाऊं डिवीजन के नैनीताल, अलमोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में लगभग 26 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय रोपण किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के किनारे यात्री सुविधाएं

6853. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों के लिए यात्री-सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां ये सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं,

(ग) क्या स्थल संबंधी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और 1992-93 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की निजी क्षेत्र की स्कीम के तहत महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के 457 कि० मी० पर अभी तक एक सुविधा पूरी करके चालू कर दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ यात्री अभिमुख मार्गस्थ सुविधाएं स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में एक स्कीम चल रही है ताकि स्नैक बार, रेस्टोरेन्ट, पेयजल जन-सुविधाएं, पेट्रोल आउटलेट, क्योस्कस, विश्राम कक्ष और गाड़ी खड़ी करने के स्थानों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत ये सुविधाएं जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध कराई जानी हैं। निजी क्षेत्र की स्कीम के अन्तर्गत निजी उद्यमियों द्वारा ये सुविधाएं स्थापित करके चलाई जानी है।

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र को शामिल करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। प्रथम चरण में विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र की स्कीम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले स्थान और उनकी वर्तमान स्थिति विवरण-I में दी गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के वे खंड जिनका निजी क्षेत्र की स्कीम के अन्तर्गत विकास किए जाने के लिये पता लगाया गया है, विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र० सं०	राज्य	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	रा० रा० 4 पर पालामनेर	कार्य प्रगति पर है।
2.	असम	रा० रा० 37 पर 338 कि०मी०	कार्य प्रगति पर है।
3.	बिहार	रा० रा० 2 पर बरही	राज्य के लो० नि० वि० के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
4.	गोवा	रा० रा० 17 पर नागवा	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
5.	गुजरात	रा० रा० 8 पर वापी	कार्य प्रगति पर है।
6.	हिमाचल प्रदेश	रा० रा० 21 पर नोनी	अभी कार्य शुरू किया जाना है।

1	2	3	4
7.	कर्नाटक	रा० रा० 4 के 458 कि० मी० पर किट्टूर	स्थल का पता लगाने की प्रक्रिया जारी है।
8.	केरल	रा० रा० 17 के कोकोलीचेरा पर 287/600 कि० मी०	राज्य के पर्यटन विभाग को कार्य शुरू करना है।
9.	मध्य प्रदेश	रा० रा० 3 पर लालघाट	कार्य प्रगति पर है।
10.	महाराष्ट्र	रा० रा० 8 पर मन्नोर	कार्य प्रगति पर है।
11.	मणिपुर	रा० रा० 39 के 256.4 कि० मी० से 257 कि०मी० तक	प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
12.	उड़ीसा	रा० रा० 5 पर रामेश्वर	कार्य अन्तिम स्थिति में है।
13.	राजस्थान	रा० रा० 8 पर गोमती-क-चौराहा (अजमेर-उदयपुर खंड)	भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।
14.	तमिलनाडु	रा० रा० 7 पर सत्तूर	कार्य प्रगति पर है।
15.	त्रिपुरा	रा० रा० 44 पर कुमारघाट	स्थल का चयन पूरा कर लिया गया है।
16.	उत्तर प्रदेश	खागा के निकट रा० रा० 2 का 115 कि० मी० (कानपुर-इलाहाबाद खंड)	पर्यटन विभाग निर्माण कर रहा है।
17.	पश्चिम बंगाल	रा० रा० 34 पर फरक्का के निकट	स्थल अधिग्रहण किया जाना है।

विवरण-II

राज्य	रा० रा० सं०	मार्ग	स्थापना स्थानों की अनुमानित सं०
1	2	3	4
I. उत्तरी जोन	1	अम्बाला-जालन्धर	एक
	1 क	जालन्धर-पठानकोट	एक
	15	अमृतसर-भटिंडा	एक

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर	1 क	जम्मू-श्रीनगर	एक
हिमाचल प्रदेश	21	चंडीगढ़-बिलासपुर-मंडी-मनाली	एक या दो
उत्तर प्रदेश	2	आगरा-कानपुर	एक
	2	कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी	एक
	24	दिल्ली-गढ़मुक्तेश्वर-सीतापुर-लखनऊ	दो
	28	लखनऊ-गोरखपुर-पिपरा	दो
	29	गोरखपुर-वाराणसी	एक
II. दक्षिण जोन			
गोवा	17	सावंतवाड़ी-पणजी-मंगलौर	एक
आंध्र प्रदेश	7	हैदराबाद-नागपुर	एक
	7	हैदराबाद-बंगलौर	एक या दो
	9	हैदराबाद-सूर्यपेट-विजयवाड़ा	एक
	5	विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम	एक
	5	विजयवाड़ा-मद्रास	एक
कर्नाटक	4	बेलगाम-बंगलौर	दो
	13	हौसपेठ-बीजापुर	एक
	48	बंगलौर-मंगलौर	एक
	17	पणजी-मंगलौर	एक या दो
तमिलनाडु	45	मद्रास-तिरुचि	एक
	7	बंगलौर-मदुराई	एक
	7	मदुराई-कन्याकुमारी	एक
	46	कृष्णागिरी-रानीपेटी	एक
	47	सेलम-कोयम्बटूर-कोचीन	एक
केरल	47	पालघाट-कोचीन-त्रिवेन्द्रम	एक या दो
	17	मंगलौर-कालीकट-कोचीन	दो
III. पूर्वी जोन			
बिहार	2	वाराणसी-बरही-आसनसोल	दो
	31, 30	बरही-बख्तियारपुर-पटना	एक

1	2	3	4
	31	बरही-पूर्णिया-किसनगंज	एक
	33	बरही-रांची-जमशेदपुर-बहरागोरा	एक
	28, 28क	बरौनी-मुजफ्फरपुर-रक्सोल	एक या दो
उड़ीसा	5	भुवनेश्वर-बेरहामपुर	एक
	5	भुवनेश्वर-कटक-झारपोकरिया	एक
	6	झारपोकरिया-सम्बलपुर	एक
	42	कटक-सम्बलपुर	एक
	43	जगदलपुर-जेपोर-विजयनगरम	एक
पश्चिम बंगाल	2	कलकत्ता-आसनसोल	एक
	6	कलकत्ता-खड़गपुर	एक
	34, 31क	कलकत्ता-फरक्का-दालखोला-सिलीगुड़ी	एक
	31	सिलीगुड़ी-मालबाजार-दालगांव-बक्सिरहाट	एक
असम	37, 51	गुवाहाटी-पैकाम-दालू	एक
	37	गुवाहाटी-जोरहाट-डिब्रूगढ़	एक या दो
	31	गुवाहाटी-नार्थ सलमारा-बक्सिरहाट	एक
	52	गुवाहाटी-तेजपुर-नार्थ लखीमपुर	एक या दो
मेघालय	37, 51	गुवाहाटी-पैकाम-दालू	एक
	40	गुवाहाटी-शिलांग-दौकी	एक
	44	शिलांग-जोवाई-बदरपुर	एक
त्रिपुरा	44	जोवाई-बदरपुर-अगरतला	एक
मिजोरम	54	सिलचर-एजवल-चिरियाट-तुईपंग	एक
नागालैंड	39	नूमालीगढ़-कोहिमा-इम्फाल	एक या दो
मणिपुर	39	कोहिमा-इम्फाल	एक
अरुणाचल प्रदेश	52क		एक
IV. पश्चिमी जोन			
राजस्थान	8	जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद	एक
	12	जयपुर-कोटा-झालावाड़	एक

1	2	3	4
मध्य प्रदेश	12	भोपाल-जबलपुर	एक
	7	वाराणसी-जबलपुर-नागपुर	एक या दो
	26	सागर के समीप	एक
	3	आगरा-ग्वालियर-देवास-इन्दौर	दो या तीन
	6	नागपुर-रायपुर-सम्बलपुर	एक
गुजरात	8	अहमदाबाद-बम्बई	एक या दो
	8 क	अहमदाबाद-बामनबोर-कांडला	एक या दो
	8 ख	राजकोट-पोरबन्दर	एक
महाराष्ट्र	8	अहमदाबाद-बम्बई	एक
	3	बम्बई-नासिक-धुले	एक
	4	पुणे-कोल्हापुर-बेलगाम	एक या दो
	6	धुले-नागपुर	एक या दो
	7	नागपुर-हैदराबाद	एक
	17	पनवेल-पणजी	दो

कर्नाटक में महिला बैंक

6854. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में इस समय महिला बैंक किन-किन स्थानों पर कार्यरत है;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को कर्नाटक में महिला बैंक खोलने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने लाइसेंस स्वीकृत करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय, कर्नाटक में बंगलौर, बेलगांव तथा तुमकुर में 3 महिला शहरी सहकारी बैंक कार्यरत हैं।

(ख) हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को कर्नाटक में नई महिला बैंकों की स्थापना सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) योजना अवधि अथवा वार्षिक आधार पर नवीन शहरी बैंकों के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए जाते हैं। अतः, 1992-93 के दौरान कर्नाटक राज्य में स्थापित की जाने वाली नवीन महिला बैंकों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

स्विटजरलैंड के बैंकों में रेजिडेंट भारतीयों के खाते

6855. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ रेजिडेंट भारतीय लोगों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना स्विटजरलैंड के बैंकों में बहुत बड़ी राशि जमा की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राशियों को भारत वापस कर देने के लिए स्विटजरलैंड सरकार से मांग करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस बारे में उनके पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

बैंक अधिकारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल

6856. श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग और जांच आयोग में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध जांच-पड़ताल हेतु कितने मामले छः महीनों से भी अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि 31-1-92 की स्थिति के अनुसार आयोग के विभिन्न विभागीय जांच आयुक्तों के पास विभागीय जांच के लिए 6 महीने से अधिक की अवधि के 41 जांच के मामले (जिनमें 68 बैंक अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं) लम्बित थे।

मुक्त व्यापार सम्बन्धी रौनक सिंह समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

6857. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री रामकृष्ण कोंताला :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री रामबदन :

श्री पी० पी० कालियापेरुमल :

श्री शरद दिघे :

श्री श्रीराम कापसे :

श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में एक मुक्त पत्तन स्थापित करने की व्यवहारिकता के बारे में रौनक सिंह समिति की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) ये सिफारिशें कब कार्यान्वित की जाएंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) समिति की विस्तृत सिफारिशें उसकी रिपोर्ट में दी गई हैं और रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) चूंकि समिति की रिपोर्ट को सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से जांच करनी अपेक्षित है, अत: उसकी सिफारिशों को स्वीकार करने अथवा उन्हें क्रियान्वित करने संबंधी निर्णय लेना अभी सम्भव नहीं है।

सी० सी० एस० का भुगतान

[अनुवाद]

6858. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री छोटे सिंह यादव :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० सी० एस० को वापसी के चैक संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के कार्यालय में लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है और मूल्य कितना है तथा इनके लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को कितनी धनराशि जारी की गई तथा निर्यातकों को अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) सभी लम्बित दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) दिनांक 22-1-92 को 167.90 करोड़ रुपये की राशि के जो 17779 चैक लम्बित थे, उन्हें जारी कर दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान जे० सी० बम्बई को रिलीज की गई 433.5 करोड़ रुपये की कुल राशि में से, लम्बित पड़े सी० सी० एस० दावों की कुल राशि का भुगतान कर दिया गया है। आगे के दावे, अगर कोई हैं, तो उनका भुगतान वर्ष 1992-93 के बजट आवंटन में से किया जाएगा।

विशाखापत्तनम हवाई अड्डा

6859. श्री रामकृष्ण कोंताला :

डा० विश्वनाथम कैनिथी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम हवाई अड्डा के टर्मिनल और अन्य आधारभूत सुविधाओं को उन्नयन और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके उद्देश्य हेतु वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी राशि नियत की गई है;

(ग) क्या हवाई अड्डे के नाम को भी बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन सा नया नाम रखे जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट से भूमि उपलब्ध हो जाने पर विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर दूसरी हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण/विस्तार करने की योजना है। इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था तभी की जा सकती है जबकि इसके लिए भूमि उपलब्ध हो जाए तथा परियोजना के ब्यौरे तैयार कर लिए जाएं। इस बीच मौजूदा हवाई पट्टी पर रात्रि में वायुयान उतारने की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय व्यापार केन्द्र द्वारा निर्यात

6860. श्री सी० श्रीनिवासन :

श्री अंकुशराव टोपे :

श्री आर० अम्बुचकोडी आदित्यन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) भारतीय व्यापार केन्द्र किस सीमा तक निर्यात को बढ़ावा दे सका है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात की गई वस्तुओं का ब्यौरा और उनका मूल्य कितना था;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापार केन्द्र को सुदृढ़ करने हेतु देश विदेश में इसके नये एककों की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) ब्रुसेल्स स्थित भारत व्यापार केन्द्र ई० ई० सी० देशों को निर्यात के लिए भारतीय निर्यातकों को सहायता के लिए एक संवर्धनात्मक एजेंसी है। यह उन्हें बाजार आसूचना, कीमतों के रुख, क्वालिटी तथा पैकेजिंग आवश्यकता वितरण चैनलों तथा उपभोक्ता के अधिमानों और माँगों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किन्तु ठीक-ठीक रूप में यह सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं होगा कि इससे किस हद तक निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है।

(ख) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान भारत से ई० ई० सी० देशों को क्रमश: 7209.52 करोड़ रुपये तथा 9036.19 करोड़ रुपये मूल का सामान निर्यात किया गया। ई० ई० सी० देशों को भारत से किए जाने वाले निर्यातों में मुख्य रूप से शामिल हैं। (1) वस्त्र तथा परिधान, (2) गलीचे, रत्न तथा आभूषण (3) चमड़ा तथा चमड़े से बने सामान (4) कृषि तथा समुद्री उत्पाद (5) इंजीनियरी तथा इलेक्ट्रानिक्स के सामान, और (6) रसायन।

(ग) और (घ) सरकार को उपर्युक्त व्यापार केन्द्र को मजबूत बनाने के लिए देश अथवा विदेश में कोई नई इकाई स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

पटसन खरीद केन्द्रों को बन्द करना

[हिन्दी]

6861. कुमारी उमा भारती :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम के 6 पटसन खरीद केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों को फिर से रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गए ऋण

[अनुवाद]

6862. श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वर्षवार तथा राज्यवार कुल कितना ऋण दिया;

(ख) इन ऋणों के लिए ब्याज की दर कितनी निर्धारित की गई;

(ग) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं द्वारा ली जा रही ब्याज की दरों को न्यायसंगत बनाने और इसमें संशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, तीन अखिल भारतीय सावधि ऋणदायी वित्तीय संस्थानों, अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकृत राज्यवार सहायता विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि अगस्त, 1990 से पूर्व संस्वीकृत ऋणों पर 14% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वसूल किया जाता था। पहली अगस्त, 1990 से नये ऋणों के लिए एक द्विस्तरीय ब्याज दर शुरू की गई थी। 14% की पहले चरण की ब्याज दर, प्रथम दो वर्षों की अवधि अथवा परियोजना की निर्माण अवधि, जो भी कम हो, के लिए लागू की गई थी तथा दूसरे चरण की ब्याज दर जो (साधारणतया पहले चरण की ब्याज दर से एक प्रतिशत बिन्दु अधिक होती है) की सहायता प्राप्त परियोजना के लिए, प्रथम चरण के ब्याज की अवधि के तत्काल बाद लागू की जाती है।

16 अगस्त, 1991 से वित्तीय संस्थानों की ब्याज दरों को लचीला बनाकर न्यूनतम 15% प्रतिवर्ष की दर पर निर्धारित किया गया है तथा वे अपने जोखिमों की परिकल्पना और उधारकर्ता की ऋण-साख के अनुसार ब्याज वसूल करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस समय अखिल भारतीय संस्थान, सामान्यतया सावधि ऋणों पर 18 से 20 प्रतिशत के बीच ब्याज वसूल कर रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

विवरण

सरकारी क्षेत्र को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर राज्य-वार प्रत्यक्ष सहायता

(लाख रु०)

क्र० सं०	राज्य	1988-89			1989-90			1990-91		
1	2	3			4			5		
1.	आंध्र प्रदेश	170	—	983	1740	2135	60	1074	4161	743
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	225
3.	असम	165	165	83	250	—	6	1640	837	—
4.	बिहार	—	285	—	—	—	—	—	—	137
5	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	2577	250	—	814	200	—	1550	—	—
7.	हरियाणा	—	—	—	11556	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	156
9.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	23	—	22	—	—

1	2	3			4			5		
10.	कर्नाटक	2040	545	98	839	642	301	3315	6254	116
11.	केरल	872	479	35	3264	1864	—	745	177	73
12.	मध्य प्रदेश	—	10	—	—	40	—	225	395	—
13.	महाराष्ट्र	354	—	—	266	43	—	4055	825	—
14.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	66	—	—	56	30	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	1560	1365	570	3952	665	—	123	1742	2474
19.	पंजाब	135	225	17	442	318	80	974	812	—
20.	राजस्थान	—	—	—	4800	2215	—	247	464	—
21.	सिक्किम	—	*—7	—	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	1083	541	—	577	250	62	768	845	—
23.	त्रिपुरा	220	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	637	1012	—	3010	1255	—	2708	1289	—
25.	पश्चिम बंगाल	—	339	116	2383	—	—	700	235	—
26.	संघ राज्य क्षेत्र	200	3978	—	—	3078	—	—	621	—
योग		10079	9144	1902	33589	12758	509	18146	18157	4234

* आंकड़े जुलाई-मार्च 1989 से संबंधित हैं।

उड़ीसा द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग

6863. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न विभागों में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान विभाग-वार और वर्ष-वार केन्द्रीय अनुदानों की कितनी धनराशि खर्च नहीं की गयी थी; और

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में राज्य के लिए इन राशियों की कमी को पूरा करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) 1989-90 तथा 1990-91 दौरान राज्य के पास केन्द्रीय अनुदानों की कोई अनखर्ची राशि नहीं बची है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केले का निर्यात

6864. श्री एन० डेनिस :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केले का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है; और

(ग) इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) इस समय केले का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, मालदीव इत्यादि को किया जाता है।

(ग) केला सहित कृषि जन्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जैसे विभिन्न विकास संबंधी निकायों के जरिए बाजार विकास, उत्पाद संवर्धन, गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग में सुधार, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी इत्यादि कदम उठाए हैं।

नौसैनिक हवाई अड्डे

6865. श्री एस० बो० सिदनाल :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने नौसैनिक हवाई अड्डे हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु के अराकोणम में अत्यन्त आधुनिक नौसैनिक हवाई अड्डा आई० एन० एस० "राजालि" आरम्भ किया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मूल विशेषतायें क्या हैं; और

(घ) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) इस समय देश में पांच नौसेना वायु स्टेशन हैं जो गोवा, कोचीन, आरकोणम, विशाखापत्तनम तथा पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) नौसेना वायु स्टेशन, आरकोणम में सभी मौसमों में दिन तथा रात की संक्रियाओं में उड़ान भरने के लिए अत्याधुनिक नौ संचालन उपकरण, संचार व्यवस्था तथा अन्य सहायक सुविधाएं जुटाई हुई हैं। यहां की हवाईपट्टी भी भारत में सबसे लम्बी हवाई पट्टी होगी।

(घ) इस परियोजना पर अब तक 86.00 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि खर्च की जा चुकी है।

एल० आई० सी० म्युचुअल फंड

6866. डा० राजागोपालन श्रीधरण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल० आई० सी० म्युचुअल फंड योजना में राज्य-वार कितने व्यक्तियों ने निवेश किया है; और

(ख) उक्त योजना में एक लाख और इससे अधिक की पूंजी निवेश करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) निवेशकों की संख्या और विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निवेश की राशि के संबंध में जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि द्वारा कोई राज्यवार ब्यौरा नहीं रखा जाता है। जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि की 16 विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कुल 5,41,737 आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

कोचीन बन्दरगाह की छमाई

6867. प्रो० के० वी० थामस :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कोचीन बन्दरगाह की छमाई पर कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) छमाई का कार्य किन-किन एजेंसियों को सौंपा गया है; और

(ग) इस नए ड्रेजर की क्षमता कितनी है जिसे अगस्त 1992 तक चालू किये जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोचीन पत्तन पर निकर्षण कार्य पर व्यय की गई राशि इस प्रकार है।

वर्ष	व्यय की गई राशि (लाख रु०)
1988-89	873.83
1989-90	931.81
1990-91	987.08

(ख) पत्तन के निकर्षकों द्वारा किए जाने वाले अनुरक्षण निकर्षण के एक छोटे भाग को छोड़ कर सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा कैपीटल निकर्षण भारतीय निकर्षण निगम द्वारा किया जाता है।

(ग) नए निकर्षक की होपर क्षमता 1500 घन मीटर है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए भर्ती नियम

6868. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बकों में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए कोई नियम बनाए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के बारे में भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को भारत सरकार की दिनांक 29-9-1988 की अधिसूचना सं० 8 (3)/88-आर० आर० बी० द्वारा प्रख्यापित किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए समीकरण समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के परिणामस्वरूप, इन संस्थानों में कुछेक श्रेणियों के पदों को समामेलित/समाप्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अन्य बातों के साथ-साथ इस समय विद्यमान श्रेणियों के पदों में भर्ती तथा पदोन्नतियों संबंधी नियमों की सिफारिश करने के लिए एक कार्य दल गठित किया था। नाबार्ड ने हाल ही में कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई है।

सेतुसमुद्रम परियोजना

[अनुवाद]

6869. श्री पी० पी० कालियापेरूमल :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेतुसमुद्रम परियोजना को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ख) आठवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

गुजरात में चांदी की तस्करी

6870. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री हरि सिंह चावड़ा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1992 के "पायनियर" में "मासिव सिल्वर हाउल्स इन गुजरात" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में सोना लाने के लिए सरकार द्वारा दी गयी सुविधा के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के गिरोह ने दुबई से सोने के स्थान पर चांदी की तस्करी शुरू कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान और विशेष रूप से 1 मार्च, 1992 से गुजरात में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की चांदी पकड़ी गयी; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। उपलब्ध रिपोर्टों तथा किये गये अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि सोना तथा चांदी, दोनों ही देश में तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तुएं बनी हुई हैं। पिछले तीन वर्षों में समग्र देश में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये सोने और चांदी की मात्रा तथा उनके मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	सोना		चांदी	
	मूल्य (लाख रुपयों में)	मात्रा (कि० ग्राम में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	मात्रा (कि० ग्रा० में)
1990	19296	5721	14956	216447
1991 (अनन्तिम)	18700	4926	13808	197905
1992 (30 मार्च, तक) (अनन्तिम)	3964	816	3992	48340

तथापि, चूंकि तस्करी एक चोरी-छिपे किया जाने वाला धन्धा है, अतः यह कहना संभव नहीं है कि क्या दुबई से तस्करी करने वाले तस्करों के अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह अब सोने के स्थान पर चांदी की तस्करी करने लग गये हैं अथवा नहीं। गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों में और 1992 में, विशेष रूप से 1 मार्च, 1992 से पकड़ी गयी चांदी का मूल्य और मात्रा का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है, जिससे पहली मार्च, 1992 के पश्चात् काफी अधिक अभिग्रहण किये जाने का पता चलता है। इसका कारण यह हो सकता है कि चांदी के घरेलू मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कम मूल्यों की तुलना में अधिक होने के कारण तस्करी में वृद्धि हो रही हो तथा साथ ही बेहतर तस्करी रोधी प्रयासों के कारण चांदी के अभिग्रहणों में भी वृद्धि हो रही हो।

वर्ष	पकड़ी गयी मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1989	6.3	4.2
1990	44.4	30.7
1991*	36.8	26.0
1992* (जनवरी और फरवरी)	7.9	6.5
1-3-1992 से*	16.10	12.9

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

सीमाशुल्क प्राधिकारी चांदी सहित सभी प्रकार की तस्करी के प्रति सतर्क रहते हैं। आसूचना तन्त्र को ऐसी तस्करी की रोक-थाम के लिए सुदृढ़ किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों को जलयानों, वाहनों तथा आग्नेयास्त्रों आदि से सुसज्जित किया गया है। रात्रि में काम में लाये जाने वाली दूरबीनों, एक्सरे असबाब मशीनों, धातु खोजी यंत्रों आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। चांदी की तस्करी सहित सभी प्रकार की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के कार्य में सभी सभी संबंधित एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल भी रखा जा रहा है

मुम्बई पत्तन के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

[हिन्दी]

6871. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उनके मंत्रालय के अन्तर्गत मुम्बई पत्तन न्यास व सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सभी पत्तन न्यासों (बम्बई पत्तन न्यास सहित), गोदी श्रमिक बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जारी कर दी गई है।

(ख) ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(i) ऐसा कर्मचारी जिसने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो या 40 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लिखित अनुरोध द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांग सकता है।

(ii) पत्तन न्यासों, गोदी श्रमिक बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को यह अधिकार होगा कि वे लिखित रूप में कारणों को दर्ज करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं दें।

(iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारी के लिए निम्नलिखित सेवान्त भुगतान उपलब्ध होंगे :—

(1) उस पर लागू सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि विनियमों के अनुसार उसके भविष्य निधि खाते में देय बकाया राशि;

(2) पत्तन न्यास/गोदी श्रमिक बोर्ड/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमों के अनुसार; जमा अर्जित अवकाश के बराबर नकद राशि;

(3) कर्मचारी पर लागू ग्रेच्युटी अधिनियम या ग्रेच्युटी स्कीम के अनुसार ग्रेच्युटी;

(4) एक महीने/तीन महीने के नोटिस का वेतन (उस पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार);

(5) पत्तन न्यास/गोदी श्रमिक बोर्ड/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमों के अनुसार पेंशन।

(iv) इसके अलावा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए जिस कर्मचारी का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है वह सेवा के पूरे किये गये प्रत्येक वर्ष के लिये 1½ महीने की परिलब्धियों (वेतन+मंहगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रह राशि या परिलब्धियों की डिस्काउंटेड वेल्यू (1. % डिस्काउंट की दर पर) जो बची हुई सेवा के, शेष महीनों के लिए देय हो जाती, इनमें से जो भी कम हो, का भी हकदार होगा।

(v) इसके अलावा, कर्मचारी और उसका परिवार उस स्थान तक का, जहां वह निवास करना चाहता है, पात्र श्रेणी में यात्रा करने का भी हकदार होगा।

(ग) संगठनों द्वारा स्कीमों का कार्यान्वयन, अपने-अपने बोर्डों से बोर्ड-संकल्प प्राप्त कर लेने और फिर सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के बाद किया जाता है।

वस्त्र मिलें

[अनुवाद]

6872. श्री राम नाईक :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में उन रुग्ण मिलों के क्या नाम हैं जिनके बारे में सरकार को उनके श्रमिकों की सहकारी समितियों द्वारा चलाने संबंधी प्रस्ताव पास हुए हैं तथा ये प्रस्ताव कब प्राप्त हुए;

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन मिलों को पुन: शीघ्र चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार रुग्ण वस्त्र मिलों को चलाने के लिए कामगार सहकारी समितियां स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव का स्वागत करेगी।

विवरण

(क) और (ख)

मिल का नाम	तारीख जिस दिन प्रस्ताव प्राप्त हुआ	वर्तमान स्थिति
(एक) खान देश कताई और बुनाई मिल	21-8-89	सेंट्रल बैंक ने इस प्रस्ताव पर छूट सहायता देने में असमर्थता व्यक्त की है।
(दो) मैसर्स मोडेला टेक्सटाईल इंडिया (प्रा०) लि०	4-6-90	प्रारब्ध रूप को बी० आई० एफ० आर० द्वारा 20-11-91 को परिचालित किया गया।
(तीन) स्वान मिल्स	मार्च, 90	प्रारब्ध प्रारूप को बी० आई० एफ० आर० ने 15-4-91 को स्वीकृति दे दी।

केरल की विकास निधि

6873. श्री कोडीकुन्नील सुरेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को केरल की प्रस्तावित विकास निधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार राज्य सड़क परिवहन को सहायता

[हिन्दी]

6874. मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम को कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सड़क परिवहन निगमों के लिए पूंजीगत ऋण सहायता प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उन राज्य सड़क परिवहन निगमों को पूंजीगत ऋण सहायता प्रदान की जाती है जिन्हें कोई निवल घाटा नहीं होता अथवा "ब्रेक-ईवन" पर प्रचालन करती हैं। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में घाटा उठाया इसलिए वह पूंजीगत सहायता के लिए पात्र नहीं थी।

सूत उद्योग

6875. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राम कृष्ण कुसमारिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बर्षवार देश में रुई उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर रुई देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रुई और सूती कपड़े के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी नहीं। फिर भी, आयात और निर्यात नीति (अप्रैल, 1992, मार्च, 1993) के अन्तर्गत कच्चे माल के निशुल्क आयात की अनुमति अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व तथा मूल्य संवर्धन को पूरा करने की शर्त पर दी जाती है।

(घ) सरकार का प्रयास मूल्य-वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना है। कपास के निर्यात की मात्रा के संबंध में निर्णय फसल की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा उपजकर्ताओं, वस्त्र उद्योग तथा बुनकरों के हितों को ध्यान में रखने के बाद किया जाता है। सरकार सूती फैब्रिक सहित वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे कि रियायती शुल्क पर वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति देकर, वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन तथा व्यापार मेलों में सहभागिता, उपयुक्त कोटा नीति उपायों के जरिए विनिर्माताओं, निर्यातकों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण :—

1989-90

1. वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत 173.72 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया।
2. 6:1 के अनुपात की तुलना में 1:1 के अनुपात में तकुओं का रोटरों से प्रतिस्थापन।
3. ऐसे विद्युत करघों के लाइसेंस समाप्त कर दिए गए जिसमें 50 से कम व्यक्ति काम करते हैं।
4. कपास की 133.60 लाख गांठों के रिकार्ड उत्पादन के कारण सूती वस्त्र उद्योग को उचित कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध था।
5. रियायती उत्पाद शुल्क पर ओ० जी० एस० के अन्तर्गत अत्याधुनिक परिधान निर्मित करने वाली मशीनों का आयात करने की अनुमति दी गई है।
6. सरकार ने संवर्धनात्मक क्रियाकलापों जैसे कि मेलों में सहभागिता, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि को प्रायोजित करने तथा निधियां प्रदान करने के लिए उदार सहायता प्रदान की।

1990-91

1. वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत 185.53 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।
2. कपास के निर्यात के लिए कोटे रिलीज करते समय यह सुनिश्चित किया गया कि घरेलू वस्त्र उद्योग की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।
3. सरकार ने वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने के लिए नई दीर्घकालिक कोटा नीति की घोषणा की।

4. गैर-कोटा देशों को परिधान तथा सूती वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नकदी मुआवजा सहायता की दरें बढ़ा दीं।

5. सूती यार्न निर्यात की उच्चतम सीमा को जो कि 1989 में 40 मिलियन किलोग्राम थी बढ़ाकर वर्ष 1990 में 90 मिलियन किलोग्राम कर दी गई।

6. वर्ष 1990—93 की नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात दायित्व के साथ पूंजीगत माल के लिए 25 प्रतिशत रियायती आयात शुल्क योजना अत्याधिक सफल रही।

1991-92

1. वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत (दिसम्बर, 1991 तक) 92.58 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

2. सरकार ने कपास और सूती निर्यात की एक आवश्यक नीति अपनाई है तथा घरेलू उद्योग के हित में इन मदों के निर्यात को प्रतिबन्धित कर दिया है।

3. लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं को उदार बनाना।

4. वस्त्रों और परिधानों के लिए कोटा नीति का सुव्यवस्थीकरण।

5. सरकार ने आयात तथा निर्यात नीति की समीक्षा करने के प्रक्रिया शुरू कर दी है।

रेशम के धागे और कच्चे रेशम का आयात

[अनुवाद]

6876. श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से आयातित 'कच्चे रेशम के धागे के आयात का वर्षवार और देशवार ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई कच्ची रेशम की मात्रा और मूल्य के देश/वर्षवार आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। रेशम यार्न के आयात से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई कच्ची रेशम की मात्रा और मूल्य के देश/वर्षवार आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

देश	1989-90		1990-91		1991-92 (दिसम्बर, 91 तक)	
	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रु०)	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रु०)	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रु०)
1	2		3		4	
चीन	10	52.01	27	169.60	62	384.91

1	2		3		4	
बल्गारिया	—	—	—	—	5	27.13
चाद	35	275.92	—	—	—	—
चाईल	20	129.96	—	—	—	—
चीन तपई	889	5848.04	924	6120.77	837	6095.70
चीन पी आर पी	64	378.13	184	1201.30	11	103.16
हांगकांग	164	1188.37	180	1091.82	97	666.23
हंगरी	—	—	—	—	1	7.37
इटली	10	44.09	16	114.70	014	1.04
जापान	31	222.28	31	210.91	9	67 15
कोरिया डी पी आर पी	27	150.06	68	352.28	56	320.70
कोरिया आर पी	41	246.43	69	363.64	106	636.88
नीदरलैंड	—	—	—	—	2	16.33
सिंगापुर	9	23.95	30	193.92	68	387.77
थाईलैंड	5	29.32	2	11.90	—	—
तुर्की	1	7.34	—	—	9	45.88
स्विटजरलैंड	—	—	7	46.17	16	109.97
ब्रिटेन	21	14.43	—	—	—	—
यू०एस०ए०	—	—	3	12.92	3	21.06
वियतनाम सो० आर ई पी	21	109.02	58	286.41	107	682.27
योग :	1348	8739.35	1599	10176.34	1838.14	9573.65

रेशम का उत्पादन

6877. श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कच्चे रेशम और रेशम उत्पादों का प्रमुख उत्पादक है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान रेशम का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) स्वदेशी बाजार में कितनी मात्रा में रेशम की खपत होती है और देशवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के रेशम का निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय रेशम बाजार में चीन हमारा प्रमुख प्रतियोगी है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे रेशम का उत्पादन निम्नोक्त अनुसार है :—

वर्ष	रेशम का उत्पादन (मी० टन में)
1989-90	12,016
1990-91	12,665
1991-92 (दिसम्बर, 91 तक)	8,523

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा कच्चे रेशम का कोई निर्यात नहीं किया गया है। देश में निर्मित कच्चा रेशम तथा निर्यात-आयात नीति की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आयातित कच्चे रेशम का घरेलू तथा निर्यात दोनों क्षेत्रों के लिए रेशमी वस्त्र उत्पादकों का निर्माण करने के लिए किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गये रेशमी वस्त्र उत्पादों की मात्रा तथा उससे अर्जित विदेशी मुद्रा आय निम्नोक्त अनुसार है :—

वर्ष	मात्रा (लाख मी० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1989-90	358	392
1990-91	325	436
1991-92 (फरवरी, 92 तक)	350	600

भारतीय जीवन बीमा निगम में सेवा निवृत्ति की आयु

6878. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम में विभिन्न वर्गों के प्रथम श्रेणी अधिकारियों कि सेवा निवृत्ति की आयु अलग-अलग निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा निवृत्ति की आयु में एकरूपता लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) 1-9-1956 जो कि जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण करने की तारीख है, को या उसके पश्चात् नियुक्त सभी श्रेणी-I अधिकारी 58 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होते हैं। तथापि पूर्व में कंपनियों के श्रेणी-I अधिकारी जिन्हें राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रतिष्ठित कर दिया गया था तथा वे, अधिकारी जो राष्ट्रीय करण के पश्चात् अधिकारी बन गए थे, को एक पृथक समूह के रूप में समझा गया है और उनके द्वारा सेवा का कार्यभार संभालने के समय उनकी नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक उनकी सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार, इन दोनों समूहों में से प्रत्येक में सेवा निवृत्ति की आयु में एकरूपता है और भारतीय जीवन बीमा निगम के श्रेणी-I अधिकारियों के लिए सेवा-निवृत्ति की आयु के पैटर्न में परिवर्तन करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सिंथेटिक धागे का आयात

6879. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिंथेटिक धागे का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में भी सिंथेटिक धागे का आयात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) निर्यात-आयात नीति, 1992-97 के अनुसार अन्य सभी मदों की तरह ही सिंथेटिक धागे के आयात को निषेधात्मक सूची में नहीं रखा गया है और इसके मुक्त रूप से आयात की अनुमति है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आयातित कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके जिससे कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हो सके तथा वे अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 की अवधि के लिए विभिन्न मदों के आयात से सम्बन्धित सांख्यिकी आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित भारतीय विदेश व्यापार के मासिक आंकड़ों खण्ड-2 आयात में दिये गये हैं, इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

स्पेन के साथ व्यापार

6880. श्री अंकुशराव टोपे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पेन के व्यापार मिशन ने केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल में शुरू की गई आर्थिक

उदारीकरण नीति को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ अपना व्यापार बढ़ाने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) एक स्पेनिश प्रतिनिधिमंडल ने नवम्बर, 1991 में भारत का दौरा किया और दिल्ली तथा बम्बई में औद्योगिक उद्योग एसोसिएशनों के साथ बैठकें की। इन विचार विमर्शों के दौरान खाद्य उत्पाद, इलैक्ट्रिकल कलपुर्जों और आटोमोबाइल संघटकों जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी अन्तरण की संभावनाओं का पता लगाने के साथ-साथ भारत से स्पेन को ग्रेनाइट, संगमरमर तथा सीमेन्ट का निर्यात करने पर भी विचार किया गया।

सरकार मेलों, प्रदर्शनियों में सहभागिता तथा बाजार सर्वेक्षणों जैसे संवर्धन उपायों के माध्यम से वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने का प्रयास करती है।

रक्षा पेंशनभोगियों को शल्य चिकित्सा संबंधी खर्चों के प्रति अदायगी

6881. श्री बसवंण्णा गोंडप्पा सायुल :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा पेंशनभोगियों और उनके पति-पत्नियों द्वारा अपनी शल्य चिकित्सा पर किए गए भारी खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने/इन खर्चों की प्रति अदायगी करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें रक्षा पेंशनरों या उनकी पत्नी/पति की शल्य चिकित्सा पर होने वाले भारी खर्च को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था हो। तथापि सेना सामूहिक बीमा निधि ने जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समिति है एक अंशदायी, स्व-पोषित चिकित्सा असुविधा योजना आरम्भ की है जो शल्य चिकित्सा/हृदय संबंधी बीमारी के कुछ मामलों के इलाज, कैंसर तथा गुर्दा प्रतिरोपण पर आने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अपने सदस्यों और उनकी पत्नी/पति के लिए एक लाख रुपये तक की राशि की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इस योजना में केवल वे कार्मिक शामिल हो सकते हैं जो सेवा पेंशन लेकर सेवानिवृत्त हुए हैं तथा जिन्होंने सेवानिवृत्त होने के पश्चात् 15 वर्षों की अवधि या 70 वर्ष की आयु, इसमें जो भी पहले हो, पूरी नहीं की है। यह इलाज मान्य अस्पतालों में ही कराना होता है। इसी तरह की एक योजना वायु सेना में भी है।

सीमा शुल्क नियमों का पालन न करना

6882. डा० आर० मल्लू :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश के प्रत्येक हवाई अड्डे और बंदरगाह पर कुल कितने मामलों में सीमा शुल्क नियमों और विनियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया और कितने मूल्य का सामान पकड़ा गया;

(ख) इस संबंध में अंतर्ग्रस्त धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इन व्यक्तियों से वर्ष-वार कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

सम निर्यातक कम्पनियां

6883. श्री छोटे सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई सम निर्यातक कम्पनियां धन की कमी के कारण मुसीबत में पड़ी हुई हैं;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसी सम निर्यातक कम्पनियों को ऋण देते समय नरमी बरतने के निदेश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। सामान्यतया ऐसे मुद्दे को निर्यातकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के विचारार्थ भेजा जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस बारे में उसे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निदेश दिए हैं कि जहां देश को मुक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है, भारत में आई०बी०आर०डी०/आई०डी०ए०/यू०एन०सी०इ०एफ०/ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों की आपूर्ति हेतु आदेशों के लिए पार्टियों को निर्यात ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। आपूर्ति पूर्व दौर में पैकिंग ऋण अधिकतम 180 दिनों तक के लिए तथा आपूर्ति के बाद ऋण अधिकतम 30 दिनों के लिए मंजूर किया जा सकता है। इस प्रकार के अग्रिमों के लिए लागू वर्तमान ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष है। परन्तु, यह सुनिश्चित करने के बाद कि देश को मुक्त विदेशी मुद्रा मिल सकती है, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित भारत में परियोजनाओं की आपूर्ति के लिए प्रत्येक मामले के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज की निम्न दर भी प्राधिकृत की गई है।

(घ) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

हथियारों का निर्यात

6884. श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हथियारों के निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है जैसा कि 20 जनवरी, 1992 के "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस संबंध में आधारभूत कार्यप्रणाली का निर्धारण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या लक्ष्य और समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान रक्षा उत्पादन इकाइयों के लिए निर्धारित 104 करोड़ रुपये के निर्यात लक्ष्य के स्थान पर वास्तविक निर्यात अनुमानतः 99.66 करोड़ रुपये के लगभग रहा।

(ख) से (घ) लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ी सी ही कमी रही है। आयुध निर्माणी बोर्ड तथा सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम विभिन्न विपणन नीतियों के माध्यम से पहले ही रक्षा सामान के लिए बाजार ढूंढने में लगे हुए हैं। इन विपणन नीतियों में विदेश में हमारे मिशनों के पास उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना, विदेशी शिष्टमंडलों के साथ इस विषय में विचार-विमर्श करना, सामान के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाना तथा प्रचार-प्रसार के उपाय करना शामिल है।

(ङ) वर्ष 1992-93 के लिए लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

उड़ीसा में परमूलिया में सेतु का निर्माण

6885. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर बालासोर जिले में परमूलिया में एक सेतु का निर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयात लाइसेंसों में कटौती

[हिन्दी]

6886. श्री राजवीर सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नयी आयात-निर्यात नीति में आयात लाइसेंसों में भारी कटौतियां की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उससे क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) वर्ष 1992-97 की निर्यात तथा आयात नीति के अनुसार, नकारात्मक सूची में शामिल मदों के अतिरिक्त सभी मदें मुक्त रूप से आयात योग्य हैं। आयातित निवेशों के लिए पहुंच को सरल बनाने के लिए लाइसेंसिंग को न्यूनतम कर दिया गया है जिससे कि उत्पादकता, भारतीय उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हो और उसकी निर्यात संभावनाएं बढ़ें।

निम्नतम निर्धारित मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात में कमी

[अनुवाद]

6888. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 के लिए सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात के लिए निम्नतम निर्धारित मूल्य में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निम्नतम निर्धारित मूल्य में वृद्धि के कारण जनवरी व फरवरी, 1992 के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय व अमरीका को किए जाने वाले सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्माताओं की ओर से निम्नतम निर्धारित मूल्य में कमी करने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में और सिले-सिलाये वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) अधिक कारोबार वाली परिधान मदों की वर्ष 1992 के लिए निम्नतम निर्धारित कीमत में मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अध्यधीन वर्ष 1990-91 की निम्नतम निर्धारित कीमतों की तुलना में 5-10 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। फिर भी, कम कारोबार वाली मदों की निम्नतम निर्धारित कीमतों में वृद्धि नहीं की गई है जोकि मात्रा संबंधी प्रतिबन्धों के अध्यधीन है।

(ग) और (घ) जनवरी-फरवरी, 1992 के दौरान ई०ई०सी० और यू०एस०ए० में मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अध्यधीन परिधान मदों के निर्यात के मूल्य में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ङ) और (च) जी हां, सरकार ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों को निर्यात के लिए श्रेणी-27 (स्कर्ट) तथा श्रेणी-29 (एनसेम्बल) की निम्नतम निर्धारित कीमतों को कम कर दिया है।

बैंकों में "क्रेडिट कार्ड" योजना

6889. श्री ओ० भाडे गोड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने "क्रेडिट कार्ड" चलाए हैं;

(ख) दिसम्बर 1991 के अन्त तक इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कितने "क्रेडिट कार्ड" प्रचलन में थे; और

(ग) 1990-91 और 1991-92 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंक-वार इन "क्रेडिट कार्डों" से हुए घाटे अथवा लाभ का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों ने क्रेडिट कार्ड योजनाएं लागू की हुई हैं :

1. आंध्रा बैंक, 2. बैंक आफ बड़ौदा, 3. बैंक आफ इंडिया, 4. विजया बैंक, 5. केनरा बैंक, 6. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया।

निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उन बैंकों के साथ, जिनकी क्रेडिट कार्ड योजना है, जुड़कर क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं :—

(1) सिंडिकेट बैंक, (2) कारपोरेशन बैंक, (3) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, (4) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, (5) यूनियन बैंक आफ इंडिया, (6) इलाहाबाद बैंक, (7) इंडियन ओवरसीज बैंक, (8) बैंक आफ महाराष्ट्र (9) देना बैंक, (10) पंजाब एण्ड सिंध बैंक।

(ख) प्रचलित क्रेडिट कार्डों की बैंकवार स्थिति निम्नलिखित है :

बैंक का नाम	कार्डों की संख्या	की स्थिति के अनुसार
1	2	3
1. बैंक आफ इंडिया	13,963	30-9-91
2. सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	70,322	30-9-91

1	2	3
3. बैंक आफ बड़ौदा	90,318	30-9-91
4. आंध्रा बैंक	56,463	30-3-91
5. विजया बैंक	33,499	31-3-91
6. यूनियन बैंक आफ इंडिया	4,119	30-12-91
7. सिंडिकेट बैंक	5,484	31-3-91
8. केनरा बैंक	1,30,658	30-9-91
9. कारपोरेशन बैंक	3,128	30-9-91
10. इलाहाबाद बैंक	11,696	30-9-90

(31-12-1991 की स्थिति की सूचना उपलब्ध नहीं है)

शेष बैंकों ने क्रेडिट कार्ड कारोबार में हाल ही में प्रवेश किया है और उनके क्रेडिट कार्ड प्रचालन का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बरहानपुर ताप्ती मिल का आधुनिकीकरण

[हिन्दी]

6890. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरहानपुर ताप्ती मिल में आग दुर्घटना के पश्चात इसके आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि देने का विचार है तथा अब तक कितनी धनराशि दी जा चुकी है; और

(ख) यदि कोई धनराशि नहीं दी गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (धारक कंपनी), नई दिल्ली के निदेशक मंडल ने 14.59 करोड़ रु० के पूंजीगत परिव्यय से बुरहानपुर ताप्ती मिल्स के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है और यह योजना वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत कर दी गई है। योजना को वित्तीय संस्थानों की मंजूरी मिल जाने पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम (धारक कंपनी) द्वारा 25% का संप्रवर्तक अंशदान रिलीज कर दिया जाएगा। इस दौरान एकक की अर्थ-क्षमता में सुधार करने के लिए नाजुक प्रवृत्ति की कुछ मशीनें स्थापित करने के लिए 28.92 लाख रुपये की राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है और उसका उपयोग किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत

6891. श्री श्याम प्रसाद कोरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जालौन जिले में ऐट में राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत हेतु कोई धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए निधियों का आबंटन संपूर्ण लम्बाई के लिए राज्य-वार किया जाता है न कि जिले-वार अथवा खंड-वार । उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए गत तीन वर्षों के दौरान किया गया कुल आबंटन इस प्रकार है:—

वर्ष	आबंटित निधियां (लाख रु०)
1989-90	1220.46
1990-91	1108-51
1991-92	1312.05

कमल के बीजों का निर्यात

6892. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा के पश्चात किसानों को अपना उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या भारत से कमल के बीजों (मखाना) का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य का तथा कितनी मात्रा में इसका निर्यात किया गया; और

(घ) किन-किन देशों को इसका निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) कमल के बीजों (मखाने) का निर्यात पाकिस्तान, यू० के०, कनाडा, यू० एस० ए० तथा दुबई को किया जा रहा है। लेकिन निर्यात का ब्योरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०) ने इसे अपने मासिक भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी में अलग से वर्गीकृत नहीं किया है।

रांची-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेतुओं का निर्माण

6893. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची-पटना राजमार्ग पर हेसोबड़ा नदी के ऊपर तथा मोंडू-चारबो के मध्य दूसरी नदी पर दस वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया सेतु निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इन सेतुओं का निर्माण कब तक पूरा करने का विचार है; और

(ग) इस विलम्ब के लिए दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जापान को ऋण का भुगतान

[अनुवाद]

6894. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 में जापान से विगत में लिए गए वास्तविक ऋण की कितनी राशि का भुगतान किया जायेगा;

(ख) क्या सरकार ने आश्वासन दिया है कि ऋण का भुगतान रुपयों में किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में जापान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) जापान के साथ भविष्य के लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा के मामले में क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वित्तीय वर्ष 1992-93 के दौरान जापान को 16896 मिलियन येन (348.06 करोड़ रुपये के समकक्ष) की राशि की वापसी अदायगी किए जाने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मौजूदा व्यवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सोने पर आयात शुल्क

6895. डा० वसन्त पवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान आयात किए जाने वाले सोने और उससे मिलने वाले आयात शुल्क की संभावना का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सोने के संभावित

आयात की मात्रा और उससे प्राप्त होने वाले शुल्क की राशि को बताना कठिन कार्य है तथापि, वर्ष 1992-93 के दौरान 30 से 35 मीट्रिक टन सोने का आयात किए जाने का अनुमान लगाया गया है जिससे 150 करोड़ रुपये की राजस्व आय प्राप्त होने की संभावना है।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयों द्वारा विदेशों में धन इकट्ठा करना

6896. श्री शरत चन्द्र पटनायक :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयों को विदेशों में धन इकट्ठा करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाईयों को अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को वित्तपोषित करने के लिए विदेशी ऋण जुटाने की अनुमति दी जाती है ये ऋण उनके द्वारा या तो फैरा 1973 के अन्तर्गत सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग के अनुमोदन के पश्चात् जुटाए जा सकते हैं अथवा ऐसी इकाईयों नवम्बर 1991 से शुरू की गई स्व-भुगतान विदेशी करेंसी ऋण प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं है और ऋणकर्ता सीधे ही भारतीय रिजर्व बैंक के पास जा सकता है, के अन्तर्गत स्वत: निकासी की विशेष सुविधा का लाभ उठा सकती हैं।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में आदिवासी युवाओं को ऋण

6897. कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में कार्यरत विभिन्न बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने बेरोजगार आदिवासी युवाओं को ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार योजना के शुरू होने के बाद से सुन्दरगढ़, जिले में कार्यरत विभिन्न बैंकों द्वारा अनुसूचित जनजाति के 299 सदस्यों को 54 लाख रुपए ऋणों के रूप में स्वीकृत किए गए। वर्ष 1991-92 (दिसम्बर, 1991 तक) के दौरान अनुसूचित जनजाति से संबंधित 13 हिताधिकारियों को 2.35 लाख रुपए ऋणों के रूप में स्वीकृत किए गए.

महाराष्ट्र सरकार को ऋण

6898. श्री अन्ना जोशी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान विकास परियोजनाओं के

लिए महाराष्ट्र सरकार को कितनी धनराशि का ऋण स्वीकार किया है;

(ख) उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिसके लिए ऋण की पूरी मात्रा का उपयोग किया गया और कार्य को पूरा किया गया तथा वे कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं जो अभी भी चल रही हैं;

(ग) इन अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(घ) क्या इन ऋणों के ठीक ढंग से उपयोग नहीं किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को 1990-1991 और 1991-92 की राज्य योजनाओं के लिए क्रमश: 1264.86 करोड़ रुपये तथा 1490.84 करोड़ रुपये के कुल ऋण स्वीकृत किए थे।

(ख) राज्य को राज्य योजनाओं के लिए सहायता सकल ऋण तथा सकल अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष परियोजनाओं अथवा स्कीम से जुड़ी हुई नहीं होती है।

(ग) योजना आयोग ने राज्यों को जोर देकर यह कहा है कि वे आठवीं योजना के दौरान आगे लाई गई तथा चालू स्कीमों के लिए पूरा प्रावधान करें। यह राज्य सरकार का काम है कि वह पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए क्योंकि केंद्रीय सरकार राज्य की अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध नहीं कराती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात

6899. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप बंदरगाह में पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, कुल कितने मीट्रिक टन माल की ढुलाई की गयी और वह कितने मूल्य का है;

(ख) क्या लौह अयस्क के निर्यात में गिरावट आने के कारण बंदरगाह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बन्दरगाह से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाई करने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पारादीप पत्तन न्यास पर गत तीन वर्षों के दौरान हैंडल किए गए यातायात की कुल मात्रा तथा यातायात मूल्य इस प्रकार हैं :—

वर्ष	लक्ष्य (लाख एम टी)	हैंडल किया गया कार्गो (लाख एम टी)	यातायात मूल्य (करोड़ रु०)
1991-92	72.90	72·97	1395.69
1990-91	63.20	68.84	769.40
1989-90	65.88	·1.84	711.95

(ख) जी नहीं। पत्तन ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिनेवा में विदेशी निवेशकों के साथ बैठक

6900. डा० सो० सिलवेरा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1992 के दौरान जिनेवा में विदेशी निवेशकों के साथ एक बैठक आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक के पश्चात् देश में विदेशी निवेश में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) विश्व आर्थिक मंच द्वारा मई, 1992 में जेनेवा में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जो केन्द्रीय बजट में घोषित उपायों तथा व्यापार एवं निवेश-नीतियों को उदार बनाये जाने के बाद भारत में व्यापार और निवेश के बढ़े हुए अवसरों पर विशेष ध्यान देगी। इसमें भारत से एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के भाग लेने से भारतीय एवं अन्य व्यापारियों के बीच गहन-संपर्क स्थापित करने का मौका मिलेगा जिसके परिणामस्वरूप इस देश में विशिष्ट संयुक्त उद्यम स्थापित हो सकेंगे।

उत्तर प्रदेश में बैंकों का ऋण जमा अनुपात

[हिन्दी]

6901. श्री मोहन सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से सड़क निर्माण और विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु धनराशि के भुगतान पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंक शाखाओं में ऋण जमा अनुपात में परिवर्तन करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है कि ऋण की मौजूदा

ब्याज दर में वृद्धि को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों, मध्यम दर्जे के उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को ऋण निम्न ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार से आधारिक परियोजनाओं, जैसे सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, सब-स्टेशनों आदि के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए राज्य में कार्यरत वाणिज्यिक बैंकों के जरिये ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध करती रही है। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक का हमेशा यही मन्तव्य रहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बांध, पुल, सड़कें, बिजली के उत्पादन और आपूर्ति आदि आधारिक सुविधाओं जैसे निर्माण कार्य करने में किए जाने वाले बड़े पैमाने के पूंजीगत व्यय, चाहे वे नई सुविधाओं के सृजन के लिए हों अथवा वर्तमान सुविधाओं को बदलने/आधुनिकीकरण करने के लिए हों, संबंधित राज्य सरकार अथवा केन्द्र, जैसा भी मामला हो, के बजटीय संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त विचारों से अवगत कराया जा चुका है।

(ख) मार्च, 1989, 1990 और 1991 के अन्त की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश की ऋण जमा अनुपात और इसी अवधि का अखिल भारत का औसत नीचे दिया है :—

	ऋण जमा अनुपात (%)	
वर्ष	उत्तर प्रदेश	अखिल भारत
मार्च, 89	47.0	65.4
मार्च, 90	47.0	65.8
मार्च, 91	45.8	66.2

किसी राज्य/क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास का एकमात्र सूचक ऋण जमा अनुपात नहीं हो सकता। किसी राज्य या क्षेत्र में स्थानीय रूप से एकत्रित जमाराशियों की तुलना में ऋण का वास्तविक स्तर राज्य/क्षेत्र के ऋण खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो बदले में निम्नलिखित घटकों पर निर्भर होता है : आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं का विकास और अपेक्षित निविष्टियों की उपलब्धता तथा कृषि औद्योगिक उत्पादन आदि के लिए विपणन सुविधा। तथापि, बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में ऋण संवितरण में व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं से बचा जाए और विभिन्न क्षेत्रों में सभी उत्पादक और पहचान किए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिए ऋण संवितरण को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों की ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न घटकों जैसे कि, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों/जनसंख्या के वर्गों के लिए निर्धारित प्राथमिकताओं, अर्थव्यवस्था और उसके उपक्षेत्रों की वृद्धि दर, मुद्रास्फीति की दर, मौद्रिक प्रसार की गति, बैंकों के संसाधनों की बढ़ती हुई लागत और बैंकों की लाभप्रदता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखकर समय-समय पर, ब्याज दर संरचना में परिवर्तन करता है। सारे देश में सभी बैंक ऋणों पर ब्याज दरें समान रूप से लागू होती हैं और किसी राज्य विशेष में उधारकर्ताओं को कोई रियायत नहीं दी जाती है।

रेशम का उत्पादन

[अनुवाद]

6902. श्री सी०पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री के०एच० मुनियप्पा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, देश में, राज्यवार, रेशम का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई; और

(ग) रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना-1 के क्रियान्वयन के लिए 102 करोड़ रु० की विश्व बैंक सहायता प्राप्त की गई थी। इस समय क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना में केन्द्र राज्य से 65.7 करोड़ रु० के निवेश तथा 166.4 करोड़ रु० के संस्थागत ऋण के अतिरिक्त विश्व बैंक से 283.2 करोड़ रु० तथा स्विस विकास सहयोग से 40 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता की व्यवस्था है।

(ग) देश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपने देश व्यापी अनुसंधान, विस्तार तथा प्रशिक्षण एककों के नेट-वर्क के जरिए आवश्यक सहायता प्रदान करके विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा कर रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड अनेक सहायता कार्यक्रम/योजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है ताकि किसानों को रेशम उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान रेशम का राज्यवार उत्पादन।

क्रम सं०	राज्य का नाम	रेशम उत्पादन मी० टन में		
		1989-90	1990-91 (अनन्तिम)	1991-92 (दिसम्बर,91 तक) (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,792	3,195	1,858
2.	असम	399	422	371

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	5	7	6
4.	बिहार	430	370	277
5.	गोवा	—	—	—
6.	हरियाणा	नगण्य	नगण्य	नगण्य
7.	हिमाचल प्रदेश	8	8	5
8.	जम्मू व काश्मीर	24	18	15
9.	कर्नाटक	6;076	6;214	4;187
10.	मध्य प्रदेश	124	124	13
11.	महाराष्ट्र	6	9	6
12.	मणिपुर	128	132	123
13.	मिजोरम	5	1	1
14.	मेघालय	98	116	89
15.	नागालैंड	19	22	36
16.	उड़ीसा	67	72	59
17.	पंजाब	0	0	0
18.	तमिलनाडु	863	1,072	823
19.	त्रिपुरा	2	2	3
20.	उत्तर प्रदेश	21	23	20
21.	गुजरात	नगण्य	नगण्य	नगण्य
22.	राजस्थान	नगण्य	1	नगण्य
23.	सिक्किम	नगण्य	नगण्य	नगण्य
24.	केरल	1	1	नगण्य
25.	पश्चिम बंगाल	948	856	623
	योग :	12;016	12;665	8;518

मध्य प्रदेश में शुष्क पत्तन की स्थापना

6903. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक शुष्क पत्तन की स्थापना का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) यद्यपि, मध्य प्रदेश में अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपों के लिए राइट्स जैसे संगठनों द्वारा संभाव्यता अध्ययन किया गया, लेकिन ऐसी सुविधा स्थापित करने का कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों द्वारा धन-प्रेषण

6904. श्री के०एच० मुनियप्पा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों ने जनवरी, 1991 से आज तक कितना धन प्रेषित किया है;

(ख) क्या उनके द्वारा प्रेषित किए जाने वाले धन में बढ़ोत्तरी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 1989-90 तक की ही प्रेषणाओं के ब्यौरे उपलब्ध हैं। जिसके दौरान कुल प्राइवेट अन्तरण प्राप्तियां 3823.9 करोड़ रु० की थी जिसमें लगभग 48 प्रतिशत खाड़ी क्षेत्र से हिसाब में लिया गया।

वर्धा, महाराष्ट्र में युवाओं को ऋण

6905. श्री रामचन्द्र घंगारे :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक बेरोजगार युवाओं को कुछ व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण देने के लिए अनिच्छुक हैं जबकि उन ऋणों को जिला सरकारी औद्योगिक केन्द्रों द्वारा स्वीकृत किया गया है;

(ख) 1 जनवरी, 1990 से महाराष्ट्र के वर्धा जिले में ऐसे कितने मामले लम्बित हैं; और

(ग) सरकार ने उन ऋणों का शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त शिक्षित बेरोजगार युवकों को ऋण सहायता के अनुरोध पर वित्तपोषक बैंक प्रत्येक मामले में गुण-दोष

के आधार पर विचार करते हैं। उधारकर्त्ताओं की उपर्युक्त श्रेणी को वित्त देने के मामले में बैंकों की अनिच्छा का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। योजना के प्रचलन में बैंक कर्मचारियों के नकारात्मक रवैये के सम्बन्ध में शिकायत की संबंधित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा उपचारी कार्रवाई के लिए जांच की जा सकती है। वर्धा जिले के लिए योजना में बैंक की उपलब्धि 250 हिताधिकारियों के लक्ष्य के मुकाबले 260 थी तथा पहली जनवरी, 1990 से कोई मामला लम्बित नहीं था।

बैंकों में गबन के मामले

6906. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान बैंकों में गबन के कितने मामले हुए;

(ख) इन मामलों में यदि कोई बैंक अधिकारी संलिप्त है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) बैंक निधि के गबन के मामलों की सूचना नहीं भेजते हैं। अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1991 के दौरान 28 सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 1559 धोखाधड़ी की घटनाओं की सूचना दी थी।

(ख) बैंक कर्मचारियों की अन्तर्ग्रस्ता से संबंधित मामला-वार ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, इस प्रकार की सूचना एकत्र करने में लगने वाला समय और प्रयास, प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा। तथापि, प्रत्येक मामले पर उचित जांच और पूछताछ के बाद बैंक के स्तर पर तब तक निगरानी रखी जाती है जब तक कि अन्तिम कार्रवाई पूरी न हो जाए। समग्र रूप से बैंक-वार स्थिति की निगरानी वित्त मंत्रालय और साथ ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग में रखी जाती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1991 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 60 कर्मचारियों को दोषी पाया गया और घटना की तारीख चाहे कोई भी रही हो 699 कर्मचारियों को धोखाधड़ी में अन्तर्ग्रस्त पाए जाने पर बड़ी-छोटी शास्तियां दी गई।

फ्रांस और मिस्र के साथ व्यापार समझौता

[हिन्दी]

6907. श्री मृत्युंजय नायक :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस और मिस्र के साथ कोई व्यापार समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ किन-किन वस्तुओं के व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) भारत-फ्रांसीसी संयुक्त समिति की एक बैठक माह नवम्बर, 1991 में पेरिस में आयोजित हुई थी। दोनों देशों के बीच व्यापार

बढ़ाने के लिए 14 प्रकार के नये उत्पादों का पता लगाया गया। इन अभिज्ञात उत्पादों में शामिल हैं—रबड़ की जुराबें, तराश तथा पालिशयुक्त ग्रेनाइट, खिलौने तथा खेलों का सामान आदि।

किन्तु, जहां तक मिस्र का सम्बन्ध है, भारत तथा मिस्र के बीच अभी हाल में कोई व्यापार करार नहीं हुआ है।

राज्य सरकारों द्वारा बांड जारी किया जाना

6908. श्री बालासाहेबराव पाटिल† :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार से अपनी योजनाओं को पूरा करने हेतु बांड जारी करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) अनुमति न दिए जाने की स्थिति में इन योजनाओं को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान बांड जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। सरकारी क्षेत्र की बांड योजना केवल ऐसे उपक्रमों तक ही सीमित है जिनकी सम्पूर्ण इक्विटी केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित की जाती है, इसलिए इस संबंध में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है और राज्य सरकारों से यह आशा की जाती है कि वे इस प्रकार की किसी भी योजना की लागतों की पूर्ति अपने स्वयं के पास उपलब्ध संसाधनों से करें।

राजस्थान में किसानों को ट्रैक्टर के लिए ऋण

6909. श्री मुमताज अंसारी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991-92 के दौरान राजस्थान में बैंकों ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को कुल कितना ऋण दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी सूचना प्रणाली से सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद के लिए कुल ऋण संवितरण के बारे में सूचना मिलती है और ट्रैक्टरों के लिए अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा राजस्थान राज्य में ट्रैक्टर तथा कृषि उपकरणों एवं मशीनरी के लिए संवितरित कुल ऋणों की राशि जून, 1990 के अन्त (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्ष के दौरान 64 करोड़ रुपये थी।

खाड़ी देशों को फलों तथा सब्जियों का निर्यात

[अनुवाद]

6910. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों को फलों तथा सब्जियों से निर्मित वस्तुओं और मांस-मछली का निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान खाड़ी के प्रत्येक देश को उक्त वस्तुओं का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और विदेशी मुद्रा में इनका मूल्य क्या था;

(ग) उक्त निर्यात में सरकार की प्रतिस्पर्धा किन-किन देशों से है; और

(घ) इस स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) खाड़ी के देशों को इन वस्तुओं का निर्यात निम्नानुसार रहा :—

मात्रा : मीट्रिक टन
मूल्य : लाख रु०

देश	1988-89		1989-90		1990-91	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सऊदी अरब	25566	2251	40808	3307	27996	3705
यू०ए०ई०	101510	9170	87280	8027	85319	8524
बेहरीन	8166	784	9822	2172	7737	910
ओमान	5978	1022	5903	551	6673	997
कतर	4253	297	3177	349	2836	299
कुवैत	35782	2768	19942	2493	11794	898
इराक	66	15	47	5	—	—
ईरान	3808	632	—	—	230	75

(ग) और (घ) मुख्य प्रतियोगी हैं—पाकिस्तान, टर्की, बंगलादेश, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन फिलिपाइन्स आदि। भारतीय निर्यातों की प्रतियोगी क्षमता बनाए रखने के लिए निर्यातकों को बेहतर प्रचार सामग्री, ब्रान्ड संवर्धन, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रभावी रूप से भाग लेने, उत्पाद में तथा पैकेजिंग में सुधार लाने आदि के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

विदेशी ठेकेदारों की सहायता से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

[हिन्दी]

6911. श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी

अपनाने का है और इस कार्य के लिए विदेशी ठेकेदारों की सेवाओं का उपयोग करने का भी विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) मूलत: राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण-कार्यों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अद्यतन पद्धतियों से; क्रियान्वित किया जा रहा है। सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया है और अन्य देशों द्वारा अपनाई जाने वाली नई तकनीकों को ध्यान में रखकर सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण कार्य, सामान्यत: भारतीय ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे हैं। तथापि, विदेशी ऋण सहायता से शुरू की जाने वाली परियोजनाएं, ऋण सहायता की शर्तों के अनुसार विदेशी ठेकेदारों या उनके द्वारा बनाए गए संयुक्त उद्यमों के लिए भी खुली हैं। निकट भविष्य में विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (ओ० ई० सी० एफ०) की सहायता से शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए विदेशी ठेकेदारो को बोली देने की अनुमति होगी बशर्ते वे पूर्व-अर्हता प्राप्त हों।

बिहार में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाएं

[अनुवाद]

6912. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का संक्षिप्त ब्योरा क्या है और वे किन-किन स्थानों पर हैं तथा उनकी अनुमानित लागत; विश्व बैंक से प्रस्तावित सहायता, उनके शुरू होने की तिथि तथा उसके पूरा होने की अनुमानित तिथि का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : बिहार में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की एक सूची उनके स्थान, अनुमानित लागत और सहायता वचनबद्धता, आरम्भ होने की तारीख और पूरा होने की अनुमानित तारीख संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बिहार में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

क्र० सं०	परियोजना	स्थान	अनुमानित लागत	सहायता वचनबद्धता (मिलियन अमरीकी डालर)	प्रारम्भ होने की तारीख	पूरा होने की अनुमानित तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिहार ट्यूबवेल	पश्चिम चंपारण, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, सीतामढ़ी, गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, नवादा, मुंगेर, सहरसा, मधेपुर, पुरिया, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले।	129.69 करोड़ रु०	68.0	13-1-87	31-5-94

1	2	3	4	5	6	7
*2.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार-II	सम्पूर्ण राज्य	110.2 मिलियन अमरीकी डालर	99.7	5-4-88	31-3-94
3.	झरिया कोयला	झरिया, पुटकी-बलियारी	835.2 करोड़ रुपये	248.0	10-5-85	31-12-92
*4.	राज्य सड़कें	भागलपुर के आस-पास, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर और सोनपुर से छपरा	143.6 करोड़ रुपये	250.0	17-11-88	30-6-95
*5.	व्यावसायिक प्रशिक्षण	सम्पूर्ण राज्य	687.79 करोड़ रुपये	280.0	16-6-89	31-12-96
*6.	तकनीकी शिक्षा शिक्षण-I	—वही—	832.72 करोड़ रुपये	260.0	13-8-90	30-6-98
7.	जनसंख्या प्रशिक्षण VII	सम्पूर्ण राज्य	320.58 करोड़ रुपये	96.7	23-10-90	30-6-98
*8.	बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व	—वही—	1068.77 करोड़ रुपये	214,53	20-2-92	30-9-95
*9.	तीसरी रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना	हावड़ा से मुगल-सराय के बिहार के मार्ग का भाग	1687.5 करोड़ रुपये	390.0	12-6-88	31-12-93

*—बिहार में संघटक सहित बहुराज्यीय परियोजना।

मिलिटरी इंजीनियरी सेवा के असैनिक संवर्गों की संवर्ग पुनरीक्षा

6913. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथे वेतन आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि एक निर्धारित अवधि के पश्चात संवर्ग पुनरीक्षा होनी चाहिए;

(ख) क्या मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा के सभी असैनिक संवर्गों की संवर्ग पुनरीक्षा कर ली गई है।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या ऐसा कोई संवर्ग है जिसकी चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद एक बार भी पुनरीक्षा नहीं की गई हो; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका औचित्य क्या है ?

पेट्रोलिय तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) वेतनमान निर्देशों के अनुसार समूह क केन्द्रीय सिविल सेवा और समूह ख, ग और घ संवर्गों की समीक्षा क्रमशः प्रत्येक तीन और पांच वर्ष पश्चात् की जाती है।

सेना अभियांत्रिकी सेवा के नागरिक संवर्गों की समीक्षा की स्थिति इस प्रकार है :

समूह क वर्ग : शुरूआत में संवर्ग समीक्षा प्रस्तावों में सभी पांच संवर्ग अभियंता, वस्तुकार पर्यवेक्षक, प्रशासक और बेरक और भंडार पर विचार किया गया था। यह देखा गया कि प्रशासक बैरक और स्टोर में कोई गतिरोध नहीं था और केवल अभियंता, पर्यवेक्षक और वास्तुकार संवर्गों की समीक्षा की गई और यह विचाराधीन है।

समूह ख, ग और घ संवर्ग : संवर्ग समीक्षा कर ली गई है और सेना अभियांत्रिकी सेवा के समूह ख, ग और घ की समीक्षा कर ली गई है इसमें लिपिकीय और भंडार संवर्ग शामिल नहीं है।

लिपिकीय संवर्ग में संवर्ग समीक्षा प्रस्ताव विचाराधीन है, जहां तक बैरक और भंडार संवर्ग का प्रश्न है रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक उप-समिति ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सुझाव दिए हैं जिन पर विचार हो रहा है।

सेना इंजीनियरी सेवा के बैरक तथा स्टोर संवर्ग के अधिकारियों का वेतनमान

6914. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुख्यालय में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को विशेष वेतन दिया जाता है।

(ख) क्या सेना इंजीनियरी सेवा के बैरक तथा स्टोर संवर्ग के सेना मुख्यालय में इंजीनियर-इन-चीफ शाखाओं में कार्यरत अधिकारियों को यह वेतन दिया जा रहा है।

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसे क्रियान्वित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) यह वेतनमान देने से सम्भावित वित्तीय प्रभाव क्या होगा ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसार, विभिन्न तकनीकी, गैर-तकनीकी, वैज्ञानिक या इंजीनियरी विभागों के मुख्यालय संगठनों में तैनात केन्द्रीय समूह "क" सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी तथा कनिष्ठ प्रशासनिक/मध्यवर्ती प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी, विशेष वेतन पाने के पात्र हैं।

(ख), और (ग) बैरक स्टोर अधिकारी, तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसार, विशेष वेतन पाने के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे संगठित समूह "क" सेवा के सदस्य नहीं है और केवल संगठित समूह "क" सेवा के अधिकारी ही मुख्यालय संगठनों में कार्य करने के दौरान विशेष वेतन के पात्र हैं।

(घ) ऊपर भाग (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस पर प्रति वर्ष लगभग 10,800 रुपये खर्च आएगा।

"स्टाक इन्वेस्ट" अधिकार पत्र

6915. श्री बापू हरि चौरे :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने एक नया "स्टाक इन्वेस्ट" अधिकार पत्र जारी करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तैयार की गई और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार सरकार ने "स्टाक इन्वेस्ट" नामक एक नई योजना लागू की है। यह योजना नकद अथवा चैक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा आवेदन पत्र के पैसों के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया के अतिरिक्त है। स्टाक इन्वेस्ट नामक योजना में प्रेषणकर्ता का नाम, मांगे गए शेयरों/ऋण पत्रों की संख्या तथा राशि, मांगे गए शेयरों तथा ऋण पत्रों के लिए पात्रता दर्शाने, कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए स्थान दर्शाने हेतु और बैंक से इस आशय का विवरण दर्शाने के लिए प्रावधान है कि सभी शाखाओं में समतुल्य भुगतान के लिए योजना की गारण्टी होती है। इस योजना के अन्तर्गत आवेदनकर्ता के पैसे उसी के खाते में लगातार रहते हैं और उन पर ब्याज अर्जित होता रहता है।

सफल निवेशक का स्टाक इन्वेस्ट केवल उसी सीमा तक नकद दिया जा ता है कि वह शेयरों का आवंटन प्राप्त करने में सफल हुआ है। असफल आवेदनकर्ता की स्टाक इन्वेस्ट योजना को उसके बैंक में वापिस भेजना होता है जिससे कि योजना में दर्शाई गई राशि पर से उसका अधिग्रहण उठ जाए। कम्पनी द्वारा सफल/आंशिक रूप से सफल आवेदनकर्ता की योजना नकद भुगतान लेने के पश्चात अलग बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी जहाँ अन्य निवेशकों से प्राप्त हुई नकद राशि तथा अन्य धनराशि जमा की जाती है। इस योजना से बहुत से आवेदकों को नये प्रेषणों के लिए लाभ पहुंचेगा जिनकी निधियां कम्पनियों में काफी समयावधि के लिए पड़ी रहती हैं। स्टाक इन्वेस्ट योजना कम्पनी अधिनियम; 1956 की धारा 69 और 73 के उपबन्धों के अनुरूप है। दिनांक 9-1-92 के परिपत्र संख्या 2/92 के अनुसार सभी वाणिज्यिक और उद्योग मण्डलों से अनुरोध किया था कि वे अपने घटक सदस्य कम्पनियों को सलाह दें कि वे भारतीय स्टेट बैंक और एस० ई० बी० आई० के परामर्श से उपरोक्त नई योजना को अपनाएं।

सर्विसिज स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड द्वारा कुछ खेलों को मान्यता प्रदान करना

6911. **श्री मोहन रावले :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खो-खो, मलखंभ और पावर लिफ्टिंग जैसे खेलों को सर्विसिज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) क्या इन खेलों को सेवा में भर्ती के लिए भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भर्ती के लिए मान्य खेलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन खेलों को सेवा में भर्ती के लिए मान्यता प्रदान करने का है और सर्विसिज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के मान्यता प्राप्त खेलों में भी शामिल करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सैन्य खेलकूद नियंत्रण बोर्ड किसी खेल को मान्यता प्रदान करने वाली संस्था नहीं है। बोर्ड सशस्त्र सेनाओं में खेल कूद संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहन देता है और परिशिष्ट-I में उल्लिखित कतिपय विशिष्ट खेलों में अन्तर सेवा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। इस समय खो-खो, मलखम्ब और पावर-लिफ्टिंग उक्त सूची में शामिल नहीं हैं क्योंकि ये खेल सामान्यत: सशस्त्र सेनाओं में नहीं खेले जाते हैं।

(ख) और (ग) सेना में भर्ती के लिए हवलदारों के 2% रिक्त पद कुछ मान्यता प्राप्त खेलों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में से भरे जाने होते हैं। खो-खो परिशिष्ट-2 पर दिए गए उन 20 खेलों में से एक है जिन्हें इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्रदान की गई है। नौसेना में केवल उन खेलों के संबंध में भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है जिनके लिए अन्तर-सेना प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

(घ) से (च) सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए इन खेलों को मान्यता प्रदान करने का फिल-

हाल कोई प्रस्ताव नहीं है। भर्ती में प्राथमिकता/आरक्षण का लाभ केवल उन खेलों के मामले में दिया जा सकता है जो सशस्त्र सेनाओं में लोकप्रिय हैं।

विवरण 'क'

अन्तर सेना चैम्पियनशिप के लिए खेल

1. जलक्रीड़ा
2. एथलेटिक्स
3. सड़क चाल और दौड़
4. बास्केटबाल
5. मुक्केबाजी
6. शरीर सौष्ठव (बेस्ट फिजीक)
7. क्रिकेट
8. फुटबाल
9. क्रास कंट्री
10. गोल्फ
11. जिमनास्टिक्स
12. हाकी
13. कबड्डी
14. लान टेनिस
15. स्क्वास राकेट
16. वालीबाल
17. भारोत्तोलन
18. कुश्ती
19. हैंडबाल

विवरण 'ख'

1. एथलेटिक्स (ट्रैक और फील्ड दौड़ सहित)
2. बैडमिंटन

3. बास्केटबाल
4. क्रिकेट
5. फुटबाल
6. हाकी
7. तैराकी
8. टेबल टेनिस
9. वालीबाल
10. टेनिस
11. भारोत्तोलन
12. कुश्ती
13. मुक्केबाजी
14. साइकलिंग
15. जिमनास्टिक (बाडी बिल्डिंग सहित)
16. जूडो
17. राइफल शूटिंग
18. कबड्डी
19. खो-खो
20. बाल बैडमिन्टन

उत्पाद कर का अपवंचन

6917. श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-9' के दौरान देश के विभिन्न भागों में उत्पाद कर अपवंचन के कितने मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) उत्पाद कर अपवंचन में शामिल औद्योगिक एककों के नाम और ऐसे प्रत्येक एकक द्वारा अपवंचित कर राशि का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में दोषी पाये गये उद्योगपतियों के विरुद्ध अब तक क्या कारवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) देश के विभिन्न भागों में पता लगाये गए उत्पाद शुल्क अपवंचन सम्बन्धी मामलों की संख्या तथा उनमें शामिल कुल राशि का ब्योरा निम्नानुसार है :

वर्ष	मामलों की संख्या	पता लगाये गये शुल्क अपवंचन की राशि (करोड़ रु० में)
1989-90	5276	993.40
1990-91	4522	446.65
1991-92 (फरवरी तक)	4402	467.09

जैसाकि देखा जा सकता है, इस अवधि में समग्र देश में उत्पाद शुल्क अपवंचन करने वाली औद्योगिक यूनिटों की संख्या हजारों में बैठती है और इसलिए इस सूचना को इकट्ठा करने तथा प्रस्तुत करने में लगने वाला समय, प्रयास तथा व्यय उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंधों और उनके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत इन मामलों में कारंवाई की जाती है। इस तरह की कारंवाई मुख्य रूप से शुल्क अपवंचन की गई राशि को वसूल करने के लिए की जाती है। गंभीर मामलों में, दोषी पाये जाने वाले उद्योगपतियों के विरुद्ध अर्थदंड लगाने तथा मुकदमें चलाने के लिए भी कारंवाई की जाती है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गये सावधि ऋण

6918. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए गए सावधि ऋणों के लिये समझौते में परिवर्तनीयता खण्ड में और छूट देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने अगस्त, 1991 में वित्तीय संस्थाओं से कहा था कि नई परियोजनाओं या परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऋण करारों में से अनिवार्य परिवर्तनीयता खण्ड को समाप्त किया जाए। तत्पश्चात, आगे और भी रियायत के उपाय के रूप में सरकार ने यह निर्णय लिया है, कि अगस्त, 1991 से पूर्व किए गए ऋण करारों के बारे में भी, जहां परिवर्तनीयता की परिकल्पना की गई है किन्तु अभी तक उसका उपभोग नहीं किया गया है, वित्तीय संस्थाएं खण्ड को हटा सकती है, बशर्ते कि उधारकर्ता प्रचलित उच्च ब्याज दर का भुगतान करने के लिए राजी हो।

भारत में व्यापार चक्र में अवमंदी की प्रवृत्ति

6919. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री वी० देवराजन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पूंजीगत माल के आयात के संबंध में अधिकांश नियंत्रण हटा लेने और सकारात्मक रवैया अपनाने के कारण जर्मनी ने भारत के व्यापार चक्र में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जर्मनी को किन मुख्य मालों को निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) नई आर्थिक नीति और लागू किए गए उदारीकरणों का जर्मनी के व्यापारिक समुदायों में स्वागत किया गया।

(ख) और (ग) जर्मन विकास बैंक (के०एफ०डब्ल्यू०) और भारत सरकार के बीच 24 जनवरी, 1992 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें जर्मनी की पूंजीगत वस्तुओं तथा सम्बद्ध सेवाओं को भारतीय कम्पनियों द्वारा अधिप्राप्ति से उत्पन्न विदेशी मुद्रा विनिमय की लागतों को पूरा करने के लिए 61 मिलियन डी०एम० की व्यवस्था की गई है। यह करार 31.12.1994 तक वैध हैं।

(घ) भारत से जर्मनी को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में वस्त्र (परिधान सहित); चमड़ा तथा चमड़ा के उत्पाद, रसायन तथा भेषजीय, कृषि और खाद्य उत्पाद, रत्न तथा आभूषण शामिल है।

अखबारी कागज का आयात

6920. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वाणिज्य मंत्री 13 मार्च 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2592 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित अखबारी कागज के लागत बीमा भाड़ा और अखबारी कागज मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित जारी किए गए इसके मूल्य में क्या संबंध है;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम उपभोक्ताओं को अखबारी कागज सीधे बेचता है या अधिकृत वितरकों या स्टाकिस्टों को बेचता है;

(ग) क्या स्टाकिस्टों/वितरकों को ढुलाई लागत और लाभ निर्धारित करने की अनुमति है;

(घ) क्या अखबारी कागज के आयात लागत में कमी के कारण खुदरा बाजार पर अब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) आयातित अखबारी कागज की निर्गम कीमत निर्धारक लागतों में सी०आई०एफ० के अलावा ये शामिल हैं—सीमा शुल्क (जहां कहीं लागू हो), क्लीयरिंग, हैण्डलिंग तथा परिवहन, ढुलाई लागतें, सी०आई०एफ० के 1% की दर से एस०टी०सी० के सेवा प्रभार। लागत प्राक्कलन तथा वास्तविक लागत के बीच होने वाले

अन्तर का समायोजन तिमाही आधार पर किया जाता है।

एस०टी०सी० वास्तविक प्रयोक्ताओं को आयातित अखबारी कागज की बिक्री भारतीय समाचार-पत्र पंजीकार द्वारा जारी आबंटन आदेश के आधार पर करता है। आयातित अखबारी कागज की रिलीज कीमतें जनवरी, 1992 से कम की गई थीं। किन्तु स्वदेशी अखबारी कागज की कीमत पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

बैंकों के अनुत्पादक ऋण

6921. श्री सैयद शाहाबुद्दीन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अनुत्पादक ऋण की कुल धन-राशि, बैंक-वार कितनी है;

(ख) इस तारीख को बैंकों द्वारा दिये गए कुल ऋण में यह कितने प्रतिशत है;

(ग) अनुत्पादक ऋण की बकाया राशि का वापस मांगे गए ऋण मुकदमा दायर किए गए ऋण, डिगरी प्राप्त ऋण तथा डूबा और संदिग्ध ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे खातों की, बैंक-वार संख्या कितनी है जिनमें एक लाख से अधिक की ऋण राशि बकाया है और ऐसे मामलों में कुल बकाया राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के अनुसार तथा बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और रीति-रिवाजों के अनुसार; निष्क्रिय अग्रिमों की मात्रा और ऐसे मामलों में अन्तर्ग्रस्त खातों की संख्या जैसी जानकारी प्रकट न करने के लिए बैंकों को सांविधिक सुरक्षा प्राप्त है। तथापि, सितम्बर 1990 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार अतिदेय अग्रिमों की राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(करोड़ रुपये)

बैंक का नाम	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में अतिदेय राशि
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक	20369	4213	15.98
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1303	135	10.37

1	2	3	4
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1524	134	8 79
स्टेट बैंक आफ इंदौर	674	122	18.14
स्टेट बैंक आफ मैसूर	894	218	24.37
स्टेट बैंक आफ पटियाला	1343	83	6.14
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	813	67	8.19
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	1363	233	17.06
इलाहाबाद बैंक	2719	299	11.00
आन्ध्रा बैंक	1779	347	19.49
बैंक आफ बड़ौदा	5593	737	13.18
बैंक आफ इंडिया	6285	935	14.88
बैंक आफ महाराष्ट्र	1802	521	28.93
केनरा बैंक	5107	1431	28.02
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	5743	1296	22.57
कार्पोरेशन बैंक	866	168	19.48
देना बैंक	1556	364	23.41
इंडियन बैंक	8959	566	18.57
इंडियन ओवरसीज बैंक	2813	522	23.47
न्यू बैंक आफ इंडिया	1148	269	14.31
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2591	250	9.66
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	1280	424	33.18
पंजाब नेशनल बैंक	6659	791	11.83
सिंडिकेट बैंक	3432	767	22.36
यूको बैंक	3151	640	20.32
यूनियन बैंक आफ इंडिया	3131	592	18.94
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	2385	361	15.14
विजया बैंक	1647	328	19.91
योग :	97930	16817	17.17

बैंकों द्वारा दिए गए ऋण और उनकी वसूली

6922. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1988 1989, 1990 और 1991 के अन्तिम शुक्रवार को सभी बैंकों की राज्य-वार वसूली कितनी थी और वह कुल मांग की कितने प्रतिशत थी;

(ख) उपर्युक्त तिथियों में देश में बैंकवार कितनी वसूली हुई थीं और वह कुल मांग की कितने प्रतिशत थी।

(ग) देश में सभी बैंकों में राज्यवार कुल खातों की तुलना में कृषि खातों की संख्या कितनी है; और

(घ) देश में बैंक-वार कृषि बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण की तुलना में कृषि ऋणों का अनुपात क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) संभवत: माननीय सदस्य का आशय बैंकों द्वारा प्रदान किए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली से है। विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना और उसका समेकन करना एक समय खपाने वाली प्रक्रिया है, अत: इस अवधि के लिए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली से संबंधित राज्य-वार और बैंक-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। जबकि प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की बैंक-वार वसूली की सूचना जून 1991 तक उपलब्ध है, इसकी राज्य-वार सूचना जून 1989 तक उपलब्ध है। जून 1988 और जून 1989 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कुल मांग की प्रतिशतता के रूप में प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की राज्य-वार वसूली की स्थिति विवरण-I में दी गई है और जून, 1988, जून 1989, जून 1990 और जून 1991 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार स्थिति विवरण-II में दी गई है।

(ग) मार्च 1990 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त तक की स्थिति के अनुसार देश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र में कुल खातों की तुलना में कृषि खातों की राज्य-वार संख्या विवरण-III में दी गई है।

(घ) दिसम्बर 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त तक की स्थिति के अनुसार देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का, उनके कुल अग्रिमों की तुलना में, बैंक-वार कृषि अग्रिम विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता जून 1988	जून 1989
1	2	3
I. उत्तरी क्षेत्र	59.8	58.5
हरियाणा	48.0	55.3

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	40.8	43.2
जम्मू व कश्मीर	24.2	40.1
पंजाब	71.8	69.4
राजस्थान	44.8	44.1
चण्डीगढ़	66.5	70.1
दिल्ली	35.3	35.7
II. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	35.3	38.7
असम	36.6	39.0
मणिपुर	15.2	22.4
मेघालय	32.5	39.1
नागालैंड	40.0	45.0
त्रिपुरा	30.7	27.2
अरुणाचल प्रदेश	56.7	58.6
मिजोरम	38.9	37.4
सिक्किम	53.8	59.4
III. पूर्वी क्षेत्र	49.9	50.8
बिहार	47.7	47.8
उड़ीसा	52.8	54.3
पश्चिम बंगाल	50.4	50.0
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	37.7	33.0
IV. केन्द्रीय क्षेत्र	55.6	57.8
मध्य प्रदेश	52.1	57.5
उत्तर प्रदेश	57.5	57.9
V. पश्चिम क्षेत्र	50.9	54.5
गुजरात	53.3	58.5
महाराष्ट्र	49.8	52.0
गोवा दमन व दीव	50.7	56.0* 23.3†

*दमन और द्वीव से संबंधित †गोवा से सम्बन्धित

1	2	3
दादरा व नागर हवेली	80 6	55.8
VI. दक्षिणी क्षेत्र	59.7	59.7
आंध्रा प्रदेश	59.0	59.5
कर्नाटक	46.2	47.3
केरल	68.1	65.9
तमिलनाडु	67.7	66.3
पाण्डिचेरी	66.5	62.0
लक्षद्वीप	56.1	59.3
अखिल भारत	56.8	57.3

विवरण-II

बैंक का नाम	मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता			
	जून 1988	जून 1989	जून 1990	जून 1991
1	2	3	4	5
स्टेट बैंक ग्रुप				
भारतीय स्टेट बैंक	57.1	59.6	47.4	69.2
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	29.3	33.0	26.9	42.0
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	55.4	56.3	27.3	49.1
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	44.3	44.3	29.4	38.5
स्टेट बैंक आफ मैसूर	55.6	56.5	28.1	60.6
स्टेट बैंक आफ पटियाला	68.0	73.5	58.7	77.4
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	74.4	69.2	61.8	58.8
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	58.0	55.5	52.1	54.3
राष्ट्रीयकृत बैंक				
इलाहाबाद बैंक	53.0	53.6	40.7	56.6

1	2	3	4	5
आंध्रा बैंक	62.0	67.9	47.5	59.6
बैंक आफ बड़ौदा	53.1	52.9	44.7	60.0
बैंक आफ इंडिया	56.1	60.6	38.0	56.9
बैंक आफ महाराष्ट्र	50.5	43.1	38.0	48.7
केनरा बैंक	61.9	59.8	55.6	64.6
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	57.0	57.8	48.4	69.0
कारपोरेशन बैंक	56.0	51.6	31.1	52.9
देना बैंक	53.8	54.2	39.9	52.6
इंडियन बैंक	71.8	75.1	63.8	73.3
इंडियन ओवरसीज बैंक	64.6	60.7	62.1	62.5
न्यू बैंक आफ इंडिया	52.3	54.0	35.8	44.5
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	66.1	64.7	54.8	59.8
पंजाब नेशनल बक	66.7	65.4	55.5	66.0
पंजाब एंड सिंध बैंक	59.1	59.1	43.5	54.8
सिंडिकेट बैंक	45.0	44.2	32.6	47.3
यूनियन बैंक आफ इंडिया	50.5	48.7	46.1	66.3
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	44.0	48.6	28.3	57.9
यूको बैंक	46.6	51.6	48.3	50.0
विजया बैंक	49.1	46.0	37.8	43.5
अखिल भारत सरकारी क्षेत्र के बैंक	57.2	58.1	46.8	59.8

विवरण-III

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिकता क्षेत्र में कुल खातों की तुलना में कृषि खातों की प्रतिशतता
1	2
हरियाणा	67.45
हिमाचल प्रदेश	59.35

1	2
जम्मू व कश्मीर	44.35
पंजाब	63.59
राजस्थान	60.42
चंडीगढ़	18.52
दिल्ली	9.12
अरुणाचल प्रदेश	62.90
असम	47.19
मणिपुर	55.07
मेघालय	60.64
मिजोरम	26.24
नागालैंड	63.00
त्रिपुरा	60.59
बिहार	65.58
उड़ीसा	58.46
सिक्किम	78.32
पश्चिम बंगाल	53.88
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	55.63
मध्य प्रदेश	49.85
उत्तर प्रदेश	60.24
गोवा	45.63
गुजरात	58.10
महाराष्ट्र	59.92
दादरा और नागर हवेली	48.99
दमन और दीव	44.59
आन्ध्र प्रदेश	71 37
कर्नाटक	59.39
केरल	95.05

1	2
तमिलनाडु	68.64
लक्षद्वीप	47.79
पांडिचेरी	69.62
अखिल भारत	60.52

विवरण-IV

बैंक का नाम	कुल अग्रिमों में कृषि अग्रिमों का प्रतिशत
1	2
स्टेट बैंक समूह	
भारतीय स्टेट बैंक	16.55
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	17.01
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	16.71
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	18.13
स्टेट बैंक आफ मैसूर	17.46
स्टेट बैंक आफ पटियाला	19.20
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	16.92
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	15.87
राष्ट्रीयकृत बैंक	
इलाहाबाद बैंक	20.83
आंध्रा बैंक	21.12
बैंक आफ बड़ौदा	16.38
बैंक आफ इण्डिया	18.12
बैंक आफ महाराष्ट्र	15.61
केनरा बैंक	16.99

1	2
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	14.98
कार्पोरेशन बैंक	16.05
देना बैंक	16.15
इण्डियन बैंक	17.31
इण्डियन ओवरसीज बैंक	17.10
न्यू बैंक आफ इण्डिया	18.46
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	18.37
पंजाब नेशनल बैंक	18.56
पंजाब एंड सिंध बैंक	17.17
सिंडिकेट बैंक	15.06
यूनियन बैंक आफ इंडिया	17.08
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	9.92
यूको बैंक	14.44
विजया बैंक	17.00
सभी राष्ट्रीयकृत बैंक	16.80

बस शेल्टर

6923. श्री मदन लाल खुराना :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने बस स्टाप जीर्ण-शीर्ण और छत विहीन हैं;

(ख) इन बस स्टापों पर छत डालने और जीर्ण-शीर्ण स्थिति वाले बस स्टापों की मरम्मत कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) डी० टी० सी० के कितने बस स्टापों पर अभी भी शेल्टर लगाये जाने हैं; और

(घ) शेल्टर उपलब्ध कराये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) लगभग 218 बस शेल्टर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में और आंशिक रूप से बिना छत वाले हैं। दिल्ली परिवहन निगम ने प्राथमिकता के आधार पर इन बस शेल्टरों की मरम्मत करने का कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) 366 बस स्टापों पर अभी स्थाई शैल्टरों की व्यवस्था की जानी है। इन शैल्टरों की व्यवस्था करने में विलम्ब के लिये निधियों की कमी होना मुख्य कारण है।

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत छूट

[हिन्दी]

6924. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी सी ए, 80 सी सी बी और 80 एल के अन्तर्गत अलग-अलग कुल दी गई छूट का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी सी ए, 80 सी सी बी तथा 80 एल के अधीन कटौती की सुविधा व्यष्टियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, व्यक्तियों की एसोसिएशन तथा व्यष्टियों के निकाय को उपलब्ध है। दिनांक 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार इस प्रकार के कर-निर्धारितियों की संख्या 55 लाख से अधिक थी। इनके बारे में सूचना प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं है क्योंकि इस सूचना को संकलित करने के लिए सभी करदाताओं के कर-निर्धारण रिकार्डों की जांच-पड़ताल करना आवश्यक होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत छूट

6925. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत राज्यवार कुल कितनी धनराशि की छूट दी गई है;

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 में वर्णित विभिन्न योजनाओं के अधीन कुल कितनी धनराशि जमा की गई है; और

(ग) इस धारा के अंतर्गत जमा की गई धनराशि में से उक्त अवधि के दौरान विकास कार्यों के लिए प्रत्येक राज्य को वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 88 को केवल दिनांक 1-4-1991 से ही समाविष्ट किया गया था। इसलिए, वर्ष 1988-89 1989-90, तथा 1990-91 के दौरान की गई छूट का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) और (ग) इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए इन दोनों भागों का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से राज्यों को सहायता

6926. डा० लाल बहादुर रावल :

श्री एन० जे० राठवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण की मांग करने के संबंध में प्रत्येक बैंक द्वारा कितने ऋण की मांग की गई थी;

(ख) क्या बैंक ने सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि माइक्रो आयोजना प्रक्रिया नीति के अंतर्गत उनके द्वारा राज्य के सरकारी विभागों के समन्वय से देश के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए संभाव्यता से सम्बद्ध जिला ऋण योजनाएं (पी एल पी) वार्षिक तौर पर तैयार की जाती हैं। नाबार्ड का प्रवर्तित कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ-साथ, नाबार्ड के संसाधनों की स्थिति, ऋण खपाने और बैंकों की पात्रता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1991-92 के लिए निवेश ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण की संभाव्यता से सम्बद्ध परियोजनाओं की तुलना में नाबार्ड का पुनर्वित्त कार्यक्रम (राज्यवार) संलग्न विवरण-I में दिया गया है। नाबार्ड कृषि और अन्य प्रयोजनों के लिए अल्पावधि ऋण सीमाएं, अनुमोदित कृषि कार्यों के लिए मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध) ऋण तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मध्यावधि (परिवर्तनीय) ऋण भी मंजूर करता है। इसी प्रकार, सहकारी समितियों की शेयर पूंजी के अंशदान के लिए राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋण भी मंजूर किए जाते हैं। नाबार्ड द्वारा, उत्पादन/गैर-योजना-बद्ध ऋण सीमाएं, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों के ऋण देने के कार्यक्रम और पात्रता, उनके पास उपलब्ध संसाधनों की मात्रा, भारत सरकार /राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ऋण संबंधी आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखते हुए मंजूर की जाती है। नाबार्ड द्वारा समस्त देश के लिए प्रमुख प्रयोजनों के लिए 1991-92 के दौरान मंजूर की गई और समुपयोजित पुनर्वित्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 1991-92 के लिए (रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य	पी० एल० पी० के अनुसार बुनियादी स्तर के ऋण का प्राक्कलन	राष्ट्रीय बैंक का पुनर्वित्त आबंटन	उपलब्धि (अनन्तिम)
1	2	3	4
चंडीगढ़	22	12	6
नई दिल्ली	193	180	156
हरियाणा	14639	8307	7850
हिमाचल प्रदेश	1669	925	1000
जम्मू व कश्मीर	1452	760	608

1	2	3	4
पंजाब	20039	12740	10745
राजस्थान	23676	10138	10362
अरुणाचल प्रदेश	298	251	238
असम	7062	3389	2565
मणिपुर	723	165	313
मेघालय	उ० न०	460	155
मिजोरम	498	59	20
त्रिपुरा	1158	781	624
नागालैंड	491	67	87
सिक्किम	211	64	66
बिहार	20963	9145	8947
उड़ीसा	9278	4296	4299
पश्चिम बंगाल	31196	3976	9433
अंडमान एवं निकोबार	198	79	20
मध्य प्रदेश	34774	14759	16866
उत्तर प्रदेश	64002	36790	38176
दादरा और नगर हवेली	38	21	29
गुजरात	13343	9989	10060
गोआ	656	277	199
महाराष्ट्र	56337	22190	24797
आन्ध्र प्रदेश	33625	21552	21552
कर्नाटक	45528	17001	15273
लक्षद्वीप	15	—	—
पाण्डिचेरी	1882	114	107
केरल	24420	8961	8457
तमिलनाडु	58620	14702	13639
	467000	207500	205649

उ० न० = उपलब्ध नहीं

विवरण-II

(रुपये करोड़ में)

क्र० सं०	प्रयोजन	अवधि	मंजूरी	समुपयोजन
1	2	3	4	5
सहकारी समितियां				
1.	मौसमी कृषि प्रचालन (तिलहन उत्पादन कार्यक्रम सहित)	जुलाई, 91 जनवरी, 92	2897.64	2025.61
2.	प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों का उत्पादन और विपणन कार्यकलाप और शीर्ष समितियों द्वारा कपड़ों की अधिप्राप्ति और विपणन	अप्रैल, 91 जन०, 92	414.85	335.00
3.	शीर्ष समितियों द्वारा धागे में व्यापार करना	अप्रैल, 91 जन०, 92	19.04	11.72
4.	मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध)	जन०, 91 दिस०, 91	10.52	4.34
5.	सहकारी समितियों की शेयर पूंजी के अंशदान के लिए राज्य सरकार को दीर्घावधि ऋण	अप्रैल, 91 जन०, 92	6.18	—
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक				
1.	मौसमी कृषि प्रचालन और मौसमी कृषि प्रचालन के अलावा अल्पावधि ऋण सीमाएं	जुलाई, 91 दिस०, 91	464.90	427.33
2.	मध्यावधि (गैर-योजनाबद्ध)	जुलाई, 91 दिस०, 91	63.29	37.19

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कैडेट कोर की यूनिटें

6927. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कैडेट कोर की विभिन्न विंगों में कितनी यूनिटें हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोर के यूनिटों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कैडेट कोर की निम्नलिखित यूनिटें हैं :—

सेना विंग	114
नौसेना विंग	4
वायुसेना विंग	4

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) संसाधनों की कमी के कारण नई यूनिटें स्थापित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

कांडला पत्तन पर श्रमिकों के अतिरिक्त दलों का सृजन

[अनुवाद]

6928. श्री आर्य कर्नान्डीज :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉक लेबर बोर्ड द्वारा अपेक्षित संख्या में श्रमिकों के दल उपलब्ध न कराये जाने के कारण कांडला पत्तन पर जहाजों को रुके रहना पड़ता है तथा लंगर डालने के लिए इंतजार करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा श्रमिकों के अतिरिक्त दलों के सृजन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कुछ अवसरों पर जहाजों के प्रतीक्षा करने के अन्य दूसरे कारणों में गैंगों का अभाव भी एक कारण रहा।

(ख) गैंगों का अभाव, गोदी श्रमिक बोर्ड में अपनाई जाने वाली कुछेक परम्पराओं जैसे कि

कोयला रेक हैंडल करते समय अतिरिक्त गैंग की तैनाती, अधिक व्यक्ति तैनात करना इत्यादि, के कारण बनावटी तौर पर सृजित होता है। कांडला गोदी श्रमिक बोर्ड के प्रबंधन से इस पहलू की जांच करने तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए कहा गया है।

न्यूनतम नकदी रिजर्व अनुपात

6930. श्री सनत कुमार मंडल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार न्यूनतम नकदी रिजर्व अनुपात निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इससे बैंकरों द्वारा बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार अपने नकदी संतुलनों को घटा-बढ़ाकर अपने कुल नकदी रिजर्व के आंकड़ों में हेरा-फेरी करने की प्रवृत्ति को किस हद तक प्रतिबंधित करेगा; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य बैंक किन मानदंडों द्वारा उक्त नकदी रिजर्व के न्यूनतम स्तर के बारे में निर्णय करेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) के अन्तर्गत सभी अनुसूचित बैंकों को पखवाड़े के दौरान प्रारक्षित नकदी निधि में निर्धारित औसत दैनिक बकाया राशि रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है। निर्धारित किए गए अनुसार प्रारक्षित नकदी के रखे जाने की आवश्यकता मनी मार्केट की दरों में उतार-चढ़ाव के कई कारणों में से एक कारण हो सकती है। काल मनी मार्केट में बैंकों और संस्थागत संगठनों के पास अधिशेष राशि में उतार-चढ़ाव तथा कुछ बैंकों की अधिक विस्तृत ऋण स्थिति भी काल मनी मार्केट में अस्थिरता के लिए जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके पास बकाया नकद राशियां रखने के लिए निम्नतम सीमा के बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। सांविधिक उपबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक दिन प्रारक्षित नकदी निधि का रखा जाना आवश्यक है लेकिन बैंकों से अपनी बकाया नकद राशियों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचने के लिए कहा गया है।

टायरों का निर्यात

6931. श्री पी० सी० चाकस :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने और कितने मूल्य के विभिन्न प्रकार के टायरों का भिन्न-भिन्न देशों को निर्यात किया गया; और

(ख) किस दर पर तथा किन एजेंसियों के माध्यम से इनका निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) टायरों और ट्यूबों का निर्यात 1989-90 में 157.0 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 में 195.0 करोड़ रुपये हो गया और अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान यह 158.0 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। भारत के टायरों और

ट्यूबों के कुल निर्यात में साइकिल टायरों और ट्यूबों का हिस्सा लगभग 14% है, जो निम्नलिखित से देखा जा सकता है :—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)		
	आटोमोबाइल टायर और ट्यूब	साइकिल टायर और ट्यूब	योग
1989-90	150.5	6.8	157.3
1990-91	182.6	12.0	194.6
1991-92	137.0	21.0	158.0

भारत मूल रूप से मानक आकार के बस एवं ट्रक टायरों का निर्यात करता है, जो टायर एवं ट्यूबों के कुल निर्यात का 85% होता है। निर्यात किए गए अन्य प्रकार के टायर मोटर साइकिल और स्कूटर टायर एवं ट्यूब (1.8%), ट्रैक्टर टायर (1.4%), ओ० टी० आर० (1.5%) आदि हैं।

भारत के टायरों एवं ट्यूबों के प्रमुख क्रेता निम्नलिखित हैं :—

(I) साइकिल टायर एवं ट्यूब : मैक्सिको (21%), ईरान (14%), नाइजीरिया (11%), मिस्र (11%), तन्जानिया (7.5%), चिली (5%), सीरिया (4%), मलावी (2%), यू० ए० ई० (1.8%), ।

(II) आटो टायर एवं ट्यूब : संयुक्त राज्य अमेरिका (38%), बंगला देश, (12%); अफगानिस्तान (9.8%), नाइजीरिया (6.5%), सिंगापुर (5.4%), मिस्र (5%), यू० ए० ई० (4%) आदि।

(ख) आटो टायर एवं ट्यूब का निर्यात करने वाली प्रमुख फर्मों तथा वर्ष 1989-90, 1990-91 और अप्रैल-जनवरी, 1991-92 के दौरान उनके निर्यातों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) आटो टायर एवं ट्यूब

फर्म का नाम	निर्यात (करोड़ रुपये में) 1989-90	1990-91	1991-92 (अप्रैल-जनवरी)
1	2	3	4
1. एम० आर० एफ० लि०	28.4	40.7	23.3
2. सिएट लि०	20 0	33.5	28.3
3. मोदी रबड़ लि०	32.6	27.5	27.6
4. डनलप इंडिया लि०	18.4	26·3	16·5

1	2	3	4
5. जे० के० इण्डस्ट्रीज	23.5	22.2	14.2
6. विक्रांत टायर्स लि०	3.7	3.3	7.8
7. अपोलो टायर्स लि०	13.5	18.1	6.8
8. बाम्बे टायर्स लि०	5.6	6.4	5.2
9. गुडइयर इंडिया लि०	2.6	3.2	6.4
10. अन्य	2.2	1.4	1.0
योग	150.5	182.6	137.0
(2) साइकिल टायर्स और ट्यूब्स			
1. गोविन्द रबड़ लि०	1.7	2.8	7.2
2. ईस्टमेन इण्डस्ट्रीज	शून्य	1.2	2.6
3. रॉलसन इंडिया लि०	1.6	2.7	2.3
4. सन्नी रबड़ इंडस्ट्रीज	0.2	0.7	0.8
5. मेट्रो टायर्स लि०	शून्य	0.9	1.4
6. मेट्रो एक्सपोर्ट्स लि०	शून्य	0.7	3.7
7. अन्य	3.3	3.0	3.0
योग	6.8	12.0	21.0

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, साइकिल टायरों और ट्यूबों की औसत एफ ओ बी निर्यात कीमतें विशिष्टताओं के अनुसार प्रति टायर 22 रुपये से 32 रुपये प्रति टायर तक होती हैं। ट्रक-टायरों की औसत निर्यात कीमतें 1740 रुपये से 2853 रुपये प्रति टायर के बीच होती है जो टायर के आकार, देश, मात्रा अथवा आर्डर आदि पर निर्भर होती हैं।

लाटरी व्यवसाय से राजस्व की प्राप्ति

[हिन्दी]

6932. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाटरी व्यवसाय के माध्यम से राज्यों को आय होती है किन्तु राज्य

लाटरी के संयोजक केन्द्रीय राजस्व में कोई योगदान नहीं देते;

(ख) क्या लाटरी का इनाम जीतने वाले की पुरस्कार राशि से आयकर काटा जाता है जबकि एजेंट की आय में से कोई आयकर नहीं काटा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-जी के तहत लाटरी टिकटों के स्टाक रखने वाले व्यक्तियों, वितरकों, विक्रेताओं आदि द्वारा कमीशन, पारिश्रमिक अथवा इनाम के रूप में प्राप्त की गई आय में से दिनांक 1-10-1991 से स्रोत पर कर की कटौती करने की व्यवस्था की गई है।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

इस्पात का निर्यात

6933. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयन्त्रों से जापान और श्रीलंका को 1991-92 के दौरान कितने मूल्य के इस्पात उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या 1992-93 के दौरान भी इन उत्पादों का निर्यात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जापान और श्रीलंका को मुख्य इस्पात संयन्त्रों यानि, सेल और टिस्को से 1991-92 के दौरान निर्यात किए गए इस्पात के उत्पादों का मूल्य करीब 154.21 करोड़ रु० था।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1992 के दौरान सेल और टिस्को का मुख्यतः एम० एस० प्लेट्स, एच० आर० क्वायल्स, वायर रौड्स और स्ट्रक्चरल्स इत्यादि के निर्यात का प्रस्ताव है।

मेरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कालेज

[अनुवाद]

6934. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "मेरीन इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कालेज" को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि इन संस्थानों का दर्जा बढ़ाकर इन्हें विश्व विद्यालय का रूप दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने डा० सी० पी० श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अक्तूबर, 1991 में मैरीटाइम शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर एक समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषयों में एक विषय संस्थानों या भावी यूनिट को एक विश्व विद्यालय किस्म के ढांचे के अंतर्गत लाने की व्यवहार्यता और वांछनीयता सहित प्रशिक्षण देने के लिए संस्थागत ढांचे में यथा आवश्यक समुचित परिवर्तनों के संबंध में सिफारिशें करना है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और उसकी सिफारिशों की जांच कर लिए जाने के बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को पेंशन

6935. प्रो सावित्री लक्ष्मणन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व जिवित सैनिकों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) द्वितीय विश्व युद्ध के समय भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक पेंशन पाने के पात्र नहीं हैं क्यों कि उन्हें 2 से 6 वर्ष तक की थोड़ी अवधि के लिए भर्ती किया गया था और उन्होंने पेंशन के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी। तथापि, कई राज्यों ने जरूरतमंद लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने की योजनाएं आरम्भ की हैं, जिनके अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के सेवा निवृत्त सैनिक भी आ जाते हैं। रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र सेना मुख्यालयों के पास उपलब्ध कल्याण निधियों में से भी ऐसे जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु कार्य योजना

[हिन्दी]

6936. कुमारी उमा भारती :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों के निर्यात बढ़ाने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन उत्पादों के नाम क्या हैं तथा किन-किन उत्पादों के निर्यात किन-किन देशों को किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार ने निर्यात के लिए नीति संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए पहले ही कई उपाय किए हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है। नई आयात और निर्यात नीति जो। अप्रैल,1992 से प्रभावी हुई है और पांच वर्ष के लिए लागू होगी। इसमें इन उपायों पर पुन: बल दिया गया है

कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए जो विशेष उपाय किए गए हैं या किये जाने का प्रस्ताव है वे निम्नलिखित हैं :—

(क) अल्पावधि उपाय : विपणन विकास, उत्पाद संवर्धन ,क्वालिटी उन्नत बनाने, पैकेजिंग में सुधार, प्रतियोगी कीमत, बाजार आसूचना, बुनियादी संरचना का विकास, बाधाओं का निराकरण और प्रक्रियाएं सरल बनाने के लिए योजनाएं।

(ख) दीर्घावधि उपाय : उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना, नए बाजारों में प्रवेश, उत्पाद विकास निर्यातोन्मुख संसाधन उद्योगों का संवर्धन, भारतीय खाद्य उत्पादों की विश्वसनीयता एवं छवि सुधारना।

इस समय जिन कृषि उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है, वे हैं; चावल, गेहूं, चीनी, मसाले; काजूगिरी, मूंगफली, फल एवं सब्जियां आदि।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान निर्यात के लिए अन्तरिम लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्रमांक	वस्तु	1992-93 (अंतरिम लक्ष्य)
1	2	3
1.	चावल	800
2.	गेहूं	शून्य

1	2	3
3.	अन्य खाद्यान	50
4.	मसाले	350
5.	काजू गिरी	650
6.	मूंगफली	50
7.	चीनी एवं शीरा	200
8.	फल एवं सब्जियां	360
9.	संसाधित फल एवं सब्जियां	125
10.	विविध संसाधित मदें	220

चावल, गेहूं, खाद्यान्न एवं चीनी का निर्यात घरेलू क्षेत्र के लिए आवश्यकता को पूरा करने के बाद निर्यात के लिए बेशी की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

लदान पूर्व प्रलेखन प्रक्रिया

[अनुवाद]

6938. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री 20 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4771 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात सरलीकरण समिति द्वारा नई मानकीकृत लदान पूर्व प्रलेखन प्रक्रिया की पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पुनरीक्षा का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) उक्त प्रणाली में यदि कोई खामियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जी, हां। निर्यात सरलीकरण समिति ने दिनांक 16-1-1992 को निर्यातक संगठनों, सीमा शुल्क विभाग, प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों से मिलकर नई मानकीकृत लदान पूर्व प्रलेखन क्रियाविधि की समीक्षा की। यह प्रणाली आमतौर पर सन्तोषजनक कार्य कर रही बताई गई। किन्तु, यह बात महसूस की गई कि भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह अपने जी॰ आर॰ फार्मों के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा इस समय प्रयोग में लाए जा रहे 10 अंकों वाले कोड को अपना लें। इस उपाय से भारतीय रिजर्व बैंक को जी॰ आर॰ फार्म छपवाने और सप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। निर्यातक स्वयं ही उनका मुद्रण करवाकर सीमा शुल्क विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर सकेंगे। किन्तु, इस सुझाव की भारतीय रिजर्व बैंक तथा राजस्व विभाग दोनों में जांच की जा रही है।

अग्रिम लाइसेंस योजना

6939. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अग्रिम लाइसेंस योजना के क्षेत्र का और विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई योजना को कब तक कार्यान्वित करने की सम्भावना है; और

(घ) इससे आयातकों और निर्यातकों को कितनी सहायता मिल पाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) अप्रैल, 1992—मार्च, 1997 के लिए नई निर्यात-आयात नीति की घोषणा 31 मार्च, 1992 को सार्वजनिक सूचना सं० 1 आई० टी० सी० (पी० एन०) 92—97 के तहत की गई। इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस पुस्तक के अध्याय VII में शुल्क छूट योजना (अग्रिम लाइसेंसिंग योजना सहित) का विवरण है। इस नई अग्रिम लाइसेंसिंग योजना को सरल, सुस्पष्ट बनाने तथा इस प्रकार के बनाने के सभी प्रयास किए गए हैं कि इसके संचालन में आसानी रहे और विभागों के साथ कम से कम सम्पर्क करना पड़े। मूल्य पर आधारित अग्रिम लाइसेंस प्रणाली भी शुरू की गई है।

ऋण ब्याज अनुपात

6941. श्री दिग्विजय सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार विदेशों से प्राप्त ऋण पर और स्वदेशी ऋण पर दिए गए ब्याज का अनुपात कितना था; और

(ख) उपर्युक्त तारीख को सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत ब्याज के रूप में दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) आन्तरिक और बाह्य ऋण का पृथक-पृथक ऋण शोधन अनुपात नीचे दिया गया है :

केन्द्र सरकार का आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां

वर्ष 1991-92 (सं० अ०) में राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतान की प्रतिशतता	37 प्रतिशत

वापसी-अदायगी दायित्वों के संबंध में, निर्धारित लेखा वर्गीकरण के अधीन लेन-देनों का हिसाब पूंजी बजट में किया जाता है और इन्हें उधारों से पूरा किया जाता है।

बाह्य ऋण

वर्ष 1990-91 (अद्यतन उपलब्ध) में निर्यातों और सकल अदृश्य अर्जनों की कुल ऋण शोधन प्रतिशतता	21.3 प्रतिशत

(ख) सूचना नीचे दी गई है :

निम्नलिखित के संबंध में वर्ष 1991-92 में कुल अनुमानित ऋण शोधन भुगतान	1991-92 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में यथा-अनुमानित प्रतिशतता
—आन्तरिक ऋण और अन्य देनदारियां (ब्याज संदाय और वापसी-अदायगियां)	11 प्रतिशत
—बाह्य ऋण	2 प्रतिशत

राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को ऋण

[हिन्दी]

6942. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षित बेरोजगार के स्वनियोजन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 के दौरान राजस्थान में शिक्षित रोजगार युवाओं को लघु उद्योग की स्थापना करने के लिए अग्रिम ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों के स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत लघु उद्योगों सहित, उद्योग स्थापित करने के लिए संमिश्र ऋण (सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी) के रूप में 35,000/- हजार रुपये तक की, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत, परियोजना लागत की 25 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत सहायता अर्थात अधिकतम 8750/- रुपये की सहायता राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है। यह योजना 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख के अधिक जनसंख्या वाले नगरों को छोड़कर, राजस्थान सहित, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की गई है। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना के तहत, हिताधिकारियों की संख्या संबंधी राज्यवार लक्ष्य प्रत्येक वर्ष के आधार पर, उद्योग मंत्रालय मे लघु उद्योग के विकास आयुक्त, जो, बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना का नियंत्रण करता है, द्वारा नियत किए जाते हैं। वर्ष 1992-93 के लिए, उन्होंने अभी तक लक्ष्यों को अन्तिम रूप प्रदान नहीं किया है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के विपणन परिसर

[अनुवाद]

6943. श्री बलराज पासी :

प्रो० रीता वर्मा :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान स्थापित किए गए विपणन परिसरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या 1992-93 के दौरान भी ऐसे परिसरों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने 1990-91 के दौरान हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) में दो विपणन परिसर स्थापित किए हैं। इन दोनों परिसरों की स्थापना 1991-92 में भी जारी रही।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का प्रस्ताव है कि 1992-93 में क्यूलोन (केरल) में विपणन परिसर (फेज-2) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में विपणन परिसर स्थापित किए जाएं।

राजस्थान उच्च न्यायालय में मामलों का निपटारा

6944. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मामले निपटाए गए; और

(ख) लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी, वर्षवार नीचे दी गई है :—

वर्ष	निपटाए गए मामले
1989	26974
1990	28686
1911	19993 (30-6-91 तक)

(ख) न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई है। बकाया मामला समिति द्वारा न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या से निपटने के लिए, प्रक्रियात्मक सुधारों और उपांतरणों सहित की गई विभिन्न सिफारिशें, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और राजस्थान उच्च न्यायालय, सहित सभी उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। न्यायालय, विधि के समान प्रश्नों वाले मामलों को एक समूह में रखने, विशेषज्ञ न्यायपीठों का गठन, शीघ्र निपटारे के लिए अपेक्षित मामलों को पूर्विकता देने, आदि जैसे विभिन्न उपाय कर रही हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान को आवासीय ऋण

6945. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विचार राजस्थान में "स्व-गृह निर्माण योजना" के अन्तर्गत मकान बनाने हेतु तीव्रता से आवासीय ऋण देने के लिए कुछ केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो जहां इन केन्द्रों की स्थापना करने की सम्भावना है उन स्थानों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जीवन बीमा निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, जीवन बीमा निगम की सहायक कम्पनी जीवन बीमा निगम आवास वित्त लिमिटेड द्वारा अजमेर और जयपुर के कार्यालयों के अतिरिक्त जोधपुर में एक तीसरा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि राजस्थान में आवास संबंधी ऋणों के वितरण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। चालू वित्त वर्ष के दौरान, जीवन बीमा आवास वित्त लिमिटेड द्वारा राजस्थान में 1500 ऋणों को स्वीकृत करने का प्रस्ताव है जिनकी कुल राशि 12.5 करोड़ रुपये बैठती है।

बैंकों द्वारा जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना

6946. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा सहयोगी बैंकों सहित भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अपने नए जोनल और रीजनल कार्यालय खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कार्यालय राज्यवार कहां-कहां खोले गए;

(ग) क्या इन बैंकों ने 1992 के दौरान कोई जोनल और रीजनल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कार्यालय राज्यवार कहां-कहां खोले जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों, अर्थात, 1989, 1990 और 1991 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गए अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों का ब्यौरा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1992 के दौरान किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक से उन्हें अंचल/क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	जिला	बैंक का नाम	केन्द्र	नियंत्रक कार्यालय	खुलने की तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	गुंटूर	आन्ध्रा बैंक	तेनाली	क्षेत्रीय कार्यालय	10-03-1989
2.	—वही—	हैदराबाद	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	हैदराबाद	आंचलिक कार्यालय (सिकंदराबाद)	01-09-1989
3.	—वही—	कृष्णा	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	विजयवाड़ा	क्षेत्रीय कार्यालय	20-09-1989
4.	—वही—	निजामाबाद	—वही—	निजामाबाद	—वही—	24-02-1989
5.	—वही—	विशाखापट्टनम	—वही—	विशाखापट्टनम	—वही—	24-02-1989
6.	असम	डिब्रूगढ़	इलाहाबाद बैंक	डिब्रूगढ़	—वही—	27-02-1991
7.	—वही—	जोरहाट	भारतीय स्टेट बैंक	जोरहाट	आंचलिक कार्यालय	19-12-1990
8.	—वही—	नौगांव	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	नौगांव	क्षेत्रीय कार्यालय	30-08-1991
9.	बिहार	भागलपुर	बैंक आफ इंडिया	भागलपुर	—वही—	16-10-1989
10.	—वही—	दरभंगा	इलाहाबाद बैंक	दरभंगा	—वही—	27-07-1989

1	2	3	4	5	6	7
11.	बिहार	गया	पंजाब नेशनल बैंक	गया	क्षेत्रीय कार्यालय	13-06-1990
12.	—वही—	गुमला	बैंक आफ इंडिया	गुमला	—वही—	07-01-1991
13.	—वही—	मुजफ्फरपुर	बैंक आफ बड़ोदा	मुजफ्फरपुर	—वही— (उत्तरी बिहार क्षेत्र)	07-05-1990
14.	—वही—	—वही—	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	—वहा—	आंचलिक कार्यालय	02-04-1990
15.	—वही—	पटना	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	पटना	क्षेत्रीय कार्यालय	22-04-1989
16.	—वही—	—वही—	बैंक आफ इंडिया	—वही—	आंचलिक कार्यालय	16-07-1990
17.					सर्किल आफीस (पटना)	19-11-1990
18.	—वही—	—वही—	न्यू बैंक आफ इंडिया	—वही—	क्षेत्रीय कार्यालय	17-08-1990
19.	—वही—	पूर्वी चम्पारण	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	मोतिहारी	—वही—	28-03-1990
20.	—वही—	रांची	बैंक आफ इंडिया	रांची	आंचलिक कार्यालय	16-07-1990
21.	—वही—	सहरसा	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	सहरसा	क्षेत्रीय कार्यालय	26-03-1990
22.	—वही—	सिवान	बैंक आफ इंडिया	सिवान	क्षेत्रीय कार्यालय	03-12-1990

1	2	3	4	6	6	7
23.	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली		स्टेट बैंक आफ इंदौर	नई दिल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय	01-02-1989
					—वही—	
24.	गोवा	उत्तरी गोवा	बैंक आफ महाराष्ट्र	पणजी	—वही—	30-08-1991
25.	गुजरात	अहमदाबाद	ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स,	अहमदाबाद	—वही—	10-06-1991
	—वही—				—वही—	
26.	—वही—	कच्छ	बैंक आफ बड़ौदा	भुज	—वही—	23-08-1989
27.	मध्य प्रदेश	बिलासपुर	भारतीय स्टेट बैंक	बिलासपुर	—वही—	22-07-1991
28.	—वही—		इलाहाबाद बैंक		—वही—	15-06-1989
29.	—वही—	ग्वालियर	बैंक आफ इंडिया	ग्वालियर	—वही—	06-10-1990
30.	—वही—	इन्दौर	बैंक आफ महाराष्ट्र	इन्दौर	—वही—	26-06-1991
31.	—वही—	जबलपुर	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	जबलपुर	—वही—	03-06-1991
32.	महाराष्ट्र	अहमदनगर	बैंक आफ महाराष्ट्र	अहमदनगर	—वही—	25-06-1891
33.	—वही—	अमरावती		अमरावती	—वही—	24-06-1991
34.	महाराष्ट्र	ग्रेटर बम्बई	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	बम्बई	क्षेत्रीय कार्यालय	17-08-1989
35.	—वही—		स्टेट बैंक आफ इन्दौर	—वही—	—वही—	25-04-1989
36.	—वही—		केनरा बैंक	—वही—	सरकिल आफिस (बम्बई उत्तरी)	01-08-1991
	—वही—			—वही—		

1	2	3	4	5	6	7
37.	महाराष्ट्र	—वही—	कारपोरेशन बैंक	—वही—	क्षेत्रीय कार्यालय	02-07-1990
38.	—वही—	कोल्हापुर	बैंक आफ इंडिया	कोल्हापुर	आंचलिक कार्यालय	20-11-1990
39.	—वही—	लातूर	बैंक आफ महाराष्ट्र	लातूर	क्षेत्रीय कार्यालय	24-06-1991
40.	—वही—	नागपुर	बैंक आफ इंडिया	कामटी	—वही—	08-12-1990
41.	—वही—	—वही—	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	नागपुर	आंचलिक कार्यालय	02-01-1989
42.	—वही—	नानदेड	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	नानदेड	क्षेत्रीय कार्यालय	01-09-1989
43.	—वही—	नासिक	बैंक आफ इंडिया	नासिक	—वही—	14-07-1989
44.	—वही—	सांगली	—वही—	सांगली	—वही—	20-11-1990
45.	—वही—	वर्धा	—वही—	वर्धा	—वही—	07-01-1991
46.	मिजोरम	ऐजवाल	भारतीय स्टेट बैंक	ऐजवाल	—वही—	23-08-1990
47.	उड़ीसा	गंजम	इंडियन ओवरसीज बैंक	बेरहामपुर	—वही—	17-11-1990
48.	—वही—	कलाहांडी	भारतीय स्टेट बैंक	भवानी पटना	—वही—	18-12-1989
49.	—वही—	कोरापुट	भारतीय स्टेट बैंक	जेयपुर	—वही—	01-02-1991
50.	पंजाब	लुधियाना	बैंक आफ इंडिया	लुधियाना	—वही—	03-10-1989
51.	—वही—	पटियाला	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	पटियाला	—वही—	22-04-1991

1	2	3	4	5	6	7
52.	राजस्थान	चित्तोड़गढ़	बैंक आफ बड़ौदा	चित्तोड़गढ़	—वही—	20-08-1990
53.	—वही—	गंगानगर	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	गंगानगर	—वही—	26-06-1989
54.	—वही—	जयपुर	इलाहाबाद बैंक	जयपुर	—वही—	01-12-1990
55.	—वही—	सवाई माधवपुर	बैंक आफ बड़ौदा	सावई माधवपुर	—वही—	10-08-1991
56.	तमिलनाडु	चेंबई अन्ना	इंडियन ओवरसीज बैंक	कांचीपुरम	—वही—	05-05-1989
57.	तमिलनाडु	चेंगई अन्ना	इंडियन बैंक	पूनामल्ली	क्षेत्रीय कार्यालय	10-01-1990
58.	—तदैव—	चिदंबरनार	इंडियन ओवरसीज बैंक	टुटिकोरिन	—तदैव—	18-10-1990
59.	—तदैव—	कन्याकुमारी	इंडियन ओवरसीज बैंक	नागरकोइल	—तदैव—	18-10-1990
60.	—तदैव—	मद्रास	इंडियन ओवरसीस बैंक	मद्रास	—तदैव—	29-09-1990
61.	—तदैव—	मदुरै	बैंक आफ इंडिया	मदुरै	—तदैव—	11-10-1989
62.	—तदैव—	टी० कोट्टाबोम्मन	इंडियन बैंक	तिरुनलवेली	—तदैव—	17-11-1990
63.	—तदैव—	टी० वी० मलयसंबूवर	इंडियन बैंक	तिरुवेम्मामलिया	—तदैव—	07-01-1991
64.	—तदैव—	तंजावूर	इंडियन बैंक	कुम्बाकोनम	—तदैव—	16-11-1990

1	2	3	4	5	6	7
65.	—तदैव—	—तदैव—	इंडियन बैंक	तंजावूर	—तदैव—	16-11-1990
66.	—तदैव—	—तदैव—	इंडियन ओवरसीज बैंक	तिरुवरूर	—तदैव—	26-10-1990
67.	—तदैव—	तिरुचिरापल्ली	भारतीय स्टेट बैंक	तिरुचिरापल्ली	अंचल कार्यालय	27-06-1990
68.	उत्तर प्रदेश	आगरा	पंजाब नेशनल बैंक	आगरा	—तदैव—	18-12-1989
69.	—तदैव—	बहराइच	इलाहाबाद बैंक	बहराइच	क्षेत्रीय कार्यालय	28-06-1991
70.	—तदैव—	फतेहपुर	बैंक आफ बड़ौदा	फतेहपुर	क्षेत्रीय कार्यालय	28-12-1989
71.	—तदैव—	हरिद्वार	पंजाब नेशनल बैंक	हरिद्वार	—तदैव—	10-08-1990
72.	—तदैव—	लखनऊ	केनरा बैंक	लखनऊ	सर्किल कार्यालय	01-07-1989
73.	—तदैव—	मेरठ	इंडियन ओवरसीज बैंक	मेरठ	क्षेत्रीय कार्यालय	22-10-1990
74.	—तदैव—	मुरादाबाद	सिंडिकेट बैंक	मुरादाबाद	डिविजनल कार्यालय	08-03-1991
75.	—तदैव—	रायबरेली	बैंक आफ बड़ौदा	रायबरेली	क्षेत्रीय कार्यालय	08-11-1990
76.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	इलाहाबाद बैंक	आसनसोल	क्षेत्रीय कार्यालय	09-02-1990
77.	—तदैव—	दार्जिलिंग	इलाहाबाद बैंक	सिलिगुड़ी	—तदैव—	26-02-1990
78.	—तदैव—	हुगली	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	हुगली-चिंसुरा	—तदैव—	26-04-1989
79.	—तदैव—	जलपाइगुड़ी	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	जलपाइगुड़ी	—तदैव—	01-12-1990
80.	—तदैव—	मेदिनीपुर	इलाहाबाद बैंक	खड़गपुर	अंचल कार्यालय	01-01-1991

गुड़ का निर्यात

6947. श्री रामकृष्ण कोंताखा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रोत्साहन व सुविधाएं दी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : अन्य वस्तुओं के निर्यात पर जो प्रोत्साहन दिया जाता है उसके अलावा, गुड़ का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।

हथकरघा से बुने कपड़े का निर्यात

6948. श्री एस० बी० थोरात : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान हथकरघे से बुने गए कपड़ों की कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे देश-वार और वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती हथकरघा फैब्रिक के क्षेत्रवार निर्यात निम्नोक्त अनुसार रहे हैं :

(मात्रा लाख वर्ग मीटर में/मूल्य लाख रु० में)

	1989-90		1990-91		1991-92 (अप्रैल, 91-फरवरी, 92)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एशिया	284	4807	291	5291	339	7762
अफ्रीका	86	1461	105	2367	88	2514
यूरोप	82	1707	70	2000	68	2678
अमरीका	210	2807	158	2301	186	3375
ओशियानिया	20	424	43	307	18	593

कपड़े पर मूल्य का अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना

6949. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा मिलों द्वारा निर्मित सभी कपड़ों पर प्रतिमीटर मूल्य अंकित करना अनिवार्य है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पर अनिवार्य रूप से मूल्य अंकित किए जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई/करने का विचार किया गया है जिससे कि धोखाधड़ी से बचा जा सके ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) वर्ष 1987 के पहले विनियमन के अनुसार विनिर्माताओं को फुटकर कीमत भी चिन्हित करना जरूरी होता था । उसके बाद विनियमन की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित की गई जिसमें उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था तथा समिति की इन सिफारिशों पर विचार करने के बाद वर्ष 1988 की मौजूदा अधिसूचना को जारी किया गया । इस अधिसूचना के अन्तर्गत कपड़े की कीमत को छापना अनिवार्य नहीं है । प्रस्ताव की पुन: जांच की जा रही है ।

चीन के साथ व्यापार समझौता

6950. श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच हाल ही में द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस करार के तहत चीन को किन-किन मदों का निर्यात एवं चीन से आयात किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां ।

(ख) आर्थिक सम्बन्धों, व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित भारत-चीन संयुक्त दल की दि० 13 दिसंबर, 1991 को हुई तीसरी बैठक के सहमत कार्यवृत्त में आर्थिक सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया था :—

(1) संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने हेतु सम्भावनाओं का पता लगाना ।

(2) लौह-अयस्क, खनन, रेल क्षेत्र, संचार विमानन, जल संरक्षण, निर्माण, लोहा और इस्पात संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाना ।

(3) किसी भी देश में विश्व बैंक एशियाई विकास बैंक अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए टेंडरों (निविदाओं) में भाग लेना ।

(4) तृतीय देश की परियोजनाओं में संयुक्त रूप से भाग लेने की सम्भावना का पता लगाना ।

(5) भारत से परामर्श सेवाओं के निर्यात की संभावना का पता लगाना ।

(6) किसी भी देश के लिए निर्यात आयात के महत्व की मदों का पता लगाया गया और उन्हें कैलेंडर वर्ष 1992 के लिए व्यापार योजना में शामिल किया गया ।

(7) चीन के साथ सीमावर्ती व्यापार को फिर से शुरू करने से संबंधित एक ज्ञापन पर भी 13-12-91 को हस्ताक्षर किए गए ।

(घ) कैलेंडर वर्ष 1992 के दौरान चीन को/से निर्यात और आयात की जाने वाली मदों की निम्नलिखित निदेशात्मक सूची को भारत-चीन संयुक्त दल की तीसरी बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया था।

भारत से निर्यात की जाने वाली मदें :

सांद्रणों सहित लौह अयस्क, क्रोम-अयस्क, तम्बाकू; चमड़ा; चाय; काफी; चीन, मध्यम तथा; लघु रेशे वाली कच्ची कपास, गेहूं और चावल, मसाले, बल्क औषधियां/औषधि मध्यवर्ती और भेषज ओबल फील्ड कैमिकल्स; रंजक तथा रंजक मध्यवर्ती, कीटनाशी सहित कृषि सम्बन्धी रसायन, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायर, वाइनियर अल्काहल बैंजीन, रसायनिक रेशे (कैमिकल्स फाइबर्स); बायलरों सहित विद्युत उत्पादन उपकरण, वायर रोप्स ट्रैक इक्विपमैंट मशीनरी, सिग्नलिंग इक्विपमेंट और रेल रोलिंग स्टाक के लिए हिस्से पुर्जे, आयल फील्ड इक्विपमैंट, इलेक्ट्रानिक संघटक, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, वस्त्र मशीनरी, परिवहन प्रणालियां जैसे वाणिज्यिक वाहन, प्रक्रिया नियंत्रण उपकरणों सहित उपकरण, दूरसंचार उपकरण, अन्य इन्जीनियरी उत्पाद जैसे भेषजीय मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण; आटोमोबाइल संघटक, फोटोकापियर, प्लाईवुड, रत्न तथा परिष्कृत हीरे, सिंथेटिक रेशे तथा धागा।

चीन से आयात की जाने वाली मदें :

कच्चा रेशम तथा रेशम का धागा, दालें, मसाले, रेसिन; हल्के औद्योगिक उत्पाद तथा स्टेशनरी, पारा तथा सुरमा, कोकिंग कोल, अन्य खनिज उत्पाद, रासायनिक सामग्री, रंजक सामग्री, पेट्रोलियम तथा पेट्रो-रसायनिक उत्पाद; टावर तथा ट्यूब्स, ताजा पानी से परिष्कृत मोती; औजार, विद्युत घर उपकरण, आयल ड्रिलिंग उपकरण, भेषजीय, पिग आयरन तथा अखबारी कागज।

पटसन समिति के सदस्यों के चयन हेतु मानदण्ड

6951. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन सम्बन्धी किसी समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के सदस्यों के चयन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस समिति के विचारार्थ विषय और कार्य क्या हैं; और

(घ) इस समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कथित प्रवर्त समिति को समाप्त करना

6952. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सम्बन्धित कम्पनियों को ऋण प्रदान करने वाली शक्ति प्रदत्त समिति को समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड योजना के अन्तर्गत रुग्ण उद्योगों की सहायता के के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

स्वापक औषधों की तस्करी में शामिल विदेशी नागरिक

6953. श्री जीवन शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वापक औषधों की तस्करी के पता लगाये गये ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें विदेशी नागरिक शामिल थे;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त अवधि के दौरान तस्करी के आरोप लगाये गये व्यक्तियों को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया;

(ग) ऐसे अन्य मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त अवधि के दौरान सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वापक औषध विभाग हार गये;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वापक औषध विभाग के अधिकारियों का तस्करों के साथ साठ-गांठ होने के किन्हीं मामलों का पता चला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सूचना विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों और क्षेत्रीय कार्यालयों से मंगवाई गई है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

विज्ञापनों के प्रदर्शन से दिल्ली परिवहन निगम को आमदनी

[हिन्दी]

6954. कुमारी उमा भारती :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों और बस स्टापों के शेडों पर विज्ञापन देने के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1991-92 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को इस योजना से कितनी आमदनी हुई

और 1992-93 के दौरान कितनी आमदनी होने की सम्भावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने दि० प० नि० की बसों और बस क्यू शेल्टरों/टाइमकीपर बूथों पर विज्ञापन लगाने के लिए एकमात्र ग्राही की नियुक्ति हेतु क्रमश: जून, 89 और जनवरी, 90 में मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की थीं। एक पार्टी को बसों में विज्ञापन लगाने के लिए 21-8-89 को तीन वर्ष के लिए ठेका दिया गया था और तीन ठेकेदारों को सभी चार क्षेत्रों में बस क्यू शेल्टरों/टाइमकीपर बूथों पर तीन वर्ष की अवधि के लिए विज्ञापन लगाने हेतु एकमात्र ग्राही नियुक्त किया गया था।

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान विज्ञापनों से 1.33 करोड़ रुपए की आय हुई थी। दिल्ली परिवहन निगम को वर्ष 1992-93 के दौरान इन विज्ञापनों से 1.70 करोड़ रुपये की आय होने की आशा है।

सूती वस्त्रों पर राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति

[अनुवाद]

6955. श्री आर्ज फर्नान्डीज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सूती वस्त्रों पर राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति" ने रुग्ण सूती मिलों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूंजीगत माल का आयात

6956. श्री आर्ज फर्नान्डीज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीधे विदेशी निवेश योजना के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) वर्ष 1992-97 की नई आयात-निर्यात नीति में सीधे विदेशी निवेश के मामले में पूंजीगत माल के आयात के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। चालू नीति के अन्तर्गत पूंजीगत माल का आयात बिना किसी प्रतिबन्ध के किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के जो आयात-निर्यातों की निषेधात्मक सूची या इस नीति के किसी अन्य प्रावधान या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित होते हैं वे इसका अपवाद हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक का विदेशी मुद्रा जमा राशि प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ लेन-देन

6957. श्री चार्ल्स फर्नान्डीस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी समझबूझ से उचित ब्याज दरों पर विदेशी मुद्रा जमा राशि प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ विनिमय लेन-देन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विनिमय लेन-देन तथा जमा राशि लेन-देन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। विनिमय लेन-देनों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है जिसके अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृत डीलरों से हाजिर अमेरिकी डालर खरीदता है और उसी समय उस अमेरिकी डालर की राशि को आगे आगामी किसी तारीख को बेचने के लिए सहमत हो जाता है। हाजिर और वायदा तारीख संबंधी लेन-देन की विनिमय दरें भिन्न-भिन्न होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृत डीलरों के साथ इस तरह का विनिमय लेन-देन अपने विवेक से करता है। विदेशी मुद्रा जमा प्रणाली के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 मार्च, 1992 से एक "डालर जमा विंडो" खोली है। इसके अन्तर्गत, प्राधिकृत डीलर, एक माह और उससे अधिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास ब्याज वाली अमेरिकी डालर जमा राशियों में अपनी धनराशियां रख सकते हैं।

नाग प्रक्षेपास्त्र को छोड़ना

[हिन्दी]

6958. श्री राजवीर सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाग प्रक्षेपास्त्र को सफलतापूर्वक छोड़ने के लिए अब तक कितने परीक्षण किए गए हैं;

(ख) इन परीक्षणों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या अभी कोई परीक्षण किया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सेना को यह प्रक्षेपास्त्र कब तक दे दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) नाग प्रक्षेपास्त्र की विभिन्न उप प्रणालियों के कार्यनिष्पादन की जांच करने के लिए इस प्रक्षेपास्त्र के अब तक नौ उड़ान परीक्षण किए जा चुके हैं।

(ख) लगभग, 100 लाख रुपये।

(ग) और (घ) आगामी तीन वर्षों के दौरान कुछ और उड़ान परीक्षण किए जाने की योजना है।

(ङ) प्रयोक्ता परीक्षणों के पश्चात आशा है नाग प्रक्षेपास्त्र का 1995 से उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।

भुगतान संतुलन

[अनुवाद]

6959. श्री मान्वे गोवर्धन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षित धनराशि कितनी है जो देश में लगातार उपलब्ध रहनी चाहिए;

(ख) इस प्रकार के भंडारों, स्वतन्त्र विदेशी ऋण और अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा कराई गई राशियों की संरचना के लिए अपेक्षित समय सीमा क्या है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में भुगतान संतुलन के हमारे पक्ष में आने की सम्भावना और साधन क्या हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) परम्परागत रूप से, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार की सुरक्षित राशि, जिसे किसी देश द्वारा रखा जाना चाहिए, को तीन महीनों के लिए आयातों के मूल्य के समतुल्य माना जाता है।

(ख) किसी विशेष अवधि में प्रारक्षित भंडारों का स्तर विदेशी क्षेत्र में सभी लेन-देनों का निवल परिणाम होता है और इसे ऋणों अथवा अनिवासी भारतीय जमा लेन-देनों से पृथक रखकर नहीं मापा जा सकता।

(ग) आने वाले पांच वर्षों में भुगतान संतुलन के चालू खाते में देश द्वारा अधिशेष प्राप्त करने की बहुत कम सम्भावना है।

बैंकों में अनुत्पादक आस्तियां

6960. श्री मान्वे गोवर्धन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों का कुल लाभ की तुलना में शुद्ध लाभ कितना हुआ है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन्हीं बैंकों के कुल लाभ और शुद्ध लाभ के बीच अन्तर का विश्लेषण किया गया है;

(ग) इन बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों के विभाग का गठन किस प्रकार किया गया है;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में कुल और शुद्ध लाभों के बीच अन्तर को अनुत्पादक आस्तियों के खाते में दर्शाया जाता है; और

(ङ) अनुत्पादक आस्तियों के प्रचलन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्धारित फार्मों में अपने तुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे तैयार करने होते हैं। इस प्रकार बैंक "बकाया लाभ" शीर्ष के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची के फार्म "ख" के अनुसार अपने लाभ दिखाते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1990-91 के लिए अपने लाभ और हानि लेखों में दर्शाए गए लाभ के अनुसार एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) निष्क्रिय परिसम्पत्तियां वे अग्रिम हैं, जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक ब्याज वसूल नहीं करते हैं। बैंक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान करने सहित सामान्य और आवश्यक प्रावधान करने के पश्चात ही लाभ और हानि लेखों में लाभ दिखाते हैं।

(ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ऋण मूल्यांकन करने और दिए गए अग्रिमों पर कारगर पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने के लिए अपने तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता के लिए बैंकों पर बल देते रहे हैं। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे सख्त समय अनुशासन तैयार करें ताकि अनियमित और रुग्ण खातों का शुरू में ही पता लगाया जा सके तथा निष्क्रिय परिसम्पत्तियों के पोर्टफोलियो और अशोध्य ऋणों की घटनाओं को कम करने के लिए कारगर उपाय किए जा सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे कारगर ढंग से मानीटरिंग करने और अनुवर्ती कार्रवाई के अपने प्रयोजन के लिए किसी निश्चित समय पर दिए गए अग्रिमों के स्वास्थ्य के अनुसार अग्रिमों को कई श्रेणियों में बांटने के लिए वर्गीकरण प्रणाली स्थापित करें।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	बैंक का नाम	प्रकाशित लाभ
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	107.01
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	5.50
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8.51
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	2.94
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	2.87

1	2	3
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	14.59
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4.60
8.	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	4.00
9.	इलाहाबाद बैंक	21.04
10.	आंध्रा बैंक	8.21
11.	बैंक आफ बड़ौदा	36.05
12.	बैंक आफ इंडिया	22.46
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	4.10
14.	केनरा बैंक	76.04
15.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	12.53
16.	कारपोरेशन बैंक	4.66
17.	देना बैंक	8.51
18.	इंडियन बैंक	21.00
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	10.41
20.	न्यू बैंक आफ इंडिया	—45.00 (हानि)
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	28.68
22.	पंजाब नेशनल बैंक	43.69
23.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	— 5.45 (हानि)
24.	सिंडीकेट बैंक	6.26
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	11.56
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	6.78
27.	यूको बैंक	—42.96 (हानि)
28.	विजया बैंक	0.25

लागत प्रतिपूर्ति सहयोग दावों का निपटारा

6961. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातकों के कई दावे नकद प्रतिपूर्ति सहयोग (सी० एस० एस०) के कारण अभी भी निपटारे के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दावों की संख्या कितनी है और वे कितने मूल्य के हैं;

(ग) अब तक निपटाए गए दावों की संख्या कितनी है और वे कितने मूल्य के हैं;

(घ) लम्बित दावों के निपटारे के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) लम्बित नकद प्रतिपूर्ति सहयोग दावों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान वास्तविक तथा माने गए निर्यातों के लिए नकद मुआवजा सहायता दावों के भुगतान हेतु विभिन्न लाइसेंसिंग कार्यालयों को कुल 1520/- करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी। ऐसी उम्मीद है कि इन निधियों के रिलीज होने पर अधिकांश लम्बित दावे निपटा लिए जाएंगे। बाकी लम्बित दावे, यदि कोई होंगे, उन्हें वर्ष 1992-93 के बजट प्रावधान से निपटा लिया जाएगा।

दिल्ली और नोएडा के बीच चलाई जा रही चार्टर्ड बसें

6962. श्री पीयूष तीरकी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और नोएडा के बीच नियमित रूप से 4000 चार्टर्ड बसें चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी बसों को दिल्ली से दूसरे राज्य उत्तर प्रदेश में चलाने के परमिट मिले हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए इन लाइसेंसों और परमिटों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने बसों के अवैध संचालन पर निगरानी रखने के लिए किसी सतर्कता सेल का गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) दिल्ली प्रशासन का प्रवर्तन स्टाफ सड़कों पर बसों के गैर-कानूनी प्रचालन और परमिट संबंधी शर्तों के उल्लंघन की नियमित रूप से जांच करता है और दोषी व्यक्तियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है।

जबलपुर आयुध भंडार में अग्निकांड की जांच

[हिन्दी]

6963. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर आयुध भंडार में 23 मार्च, 1988 को हुए भयंकर अग्निकांड की जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) भविष्य में ऐसे अग्निकांडों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आयुध भंडारों में क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) जांच अदालत आग लगने के सही कारणों के बारे में किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा गया था। जांच करने पर उन्होंने तोड़-फोड़ की किसी घटना की संभावना से इन्कार किया है, लेकिन वे डिपो प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं दे सके हैं।

(ग) आग बुझाने तथा सुरक्षा की व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं।

ई०एम०ई० वर्कशाप के कर्मचारियों की संवर्ग समीक्षा समिति की रिपोर्ट

6964. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई०एम०ई० वर्कशाप के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिए गठित संवर्ग समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां; तो इस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां; तो इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) संवर्ग-पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच सरकार के विभिन्न विभागों/ विंगों द्वारा की जानी होती है, और यह कार्य चल रहा है। समिति की सिफारिशों के ब्यौरे अभी प्रकट नहीं किए जा सकते। फिलहाल यह बताना सम्भव नहीं है कि इस मामले में कब तक निर्णय लिया जा सकेगा।

निर्यात-आयात बिक्री

6965. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात-आयात बिक्री योजना आरंभ होने से लेकर 19 फरवरी, 1992 तक देश में चुराए गए या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए निर्यात-आयात बिक्री के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इन मामलों में कितनी धनराशि का घपला हुआ है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) जो एग्जिमस्क्रिप लाइसेंस बाद में जाली कागजात के आधार पर जारी किये गये पाये जाते हैं अथवा उनकी चोरी होने पर जब भी लाइसेंस धारक द्वारा सूचना मिलती तो है उन्हें सभी सम्बन्धितों को सूचित करते हुए तत्काल निरस्त कर दिया जाता है। सरकार मुक्त रूप से हस्तांतरणीय एग्जिमस्क्रिप लाइसेंसों की बिक्री के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखती है।

परिकल्पित कर प्रणाली

[अनुवाद]

6966. डा० वसन्त पवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिकल्पित कर प्रणाली के अन्तर्गत कितने दुकानदारों और अन्य खुदरा व्यापारियों को लाये जाने की संभावना है; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना अतिरिक्त राजस्व पाने की उम्मीद है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वित्त विधेयक, 1992 में पुनःस्थापित परिकल्पित कर-प्रणाली वैकल्पिक है तथा यह उन व्यक्तियों पर लागू होती है, जिनका इससे पहले कर-निर्धारण नहीं हुआ है। अनुमान है कि इस योजना के अधीन करदाताओं की संख्या 10 लाख से अधिक हो सकती है।

(ख) इस सरलीकृत प्रक्रिया से लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व एकत्रित होने का अनुमान है।

आयकर की सीमा बढ़ाने के कारण राजस्व की हानि

6967. डा० बसन्त पवार :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर की सीमा 22000 रुपये से बढ़ाकर 28000 रुपये करने के कारण आयकर से कितने आयकर दाताओं के मुक्त होने का संभावना है; और

(ख) इसके कारण सरकार को अनुमानतः कितने राजस्व का घाटा होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) छूट की सीमा को 22000/- रु० से बढ़ाकर 2800/- रु० किए जाने के परिणामस्वरूप मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 8 लाख करदाताओं की कर के दायरे से बाहर हो जाने की संभावना है तथा लगभग 480 करोड़ रु० के राजस्व की हानि होने की संभावना है।

अपंग हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान

6968. श्री अन्ना जोशी :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपंग हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिए चलाये जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूलों/संस्थानों की वर्तमान संख्या क्या है और प्रत्येक स्कूल में कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का देश में ऐसे और संस्थानों को खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन संस्थानों के कार्य-निष्पादन तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण पाने के उपरांत उपयुक्त नौकरियां मिलने के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण कराया है अथवा कराने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (च) रक्षा मन्त्रालय, निशक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीधे ही कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल/संस्थान नहीं चला रहा है। तथापि, पुणे में क्वीन मैरी टेक्नीकल इंस्टीट्यूट नामक एक स्वायत्तशासी संस्थान है जिसे भूतपूर्व सैनिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के मामले में सरकार ने मान्यता प्रदान की हुई है। इसके अतिरिक्त नेत्रहीन भूतपूर्व सैनिकों को देहरादून स्थित "नेशनल इन्स्टीट्यूट फार विजुयली हैंडीकैप्ड नामक एक अन्य संस्थान में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। पुनर्वास महानिदेशालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दोनों संस्थानों में क्रमश 45(1991-92 तक) और 7(1991-92 तक) निशक्त भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों को प्रशिक्षित किया गया।

2. ऐसे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

3. सरकार ने इन संस्थानों के कार्यों अथवा इन संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उपर्युक्त रोजगार प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। यद्यपि इस प्रकार का कोई भी सर्वेक्षण करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है तथापि निशक्त भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों के रोजगार की सामान्य स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

सिंगापुर के शिष्टमंडल की भारत यात्रा

[हिन्दी]

6969. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के किसी व्यापारिक शिष्टमंडल के भारत की यात्रा पर आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस शिष्टमंडल के साथ किन-किन मामलों पर चर्चा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार का सिंगापुर के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, 22 से 27 मार्च, 1992 तक सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान एक व्यापारिक शिष्टमंडल उनके साथ भारत आया था। इस शिष्टमंडल ने व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ विचार-विमर्श किया था।

(ग) सिंगापुर के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल है; सरकारी स्तर पर द्विपक्षीय विचार विमर्श, यात्राओं तथा शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान और प्रदर्शनो। व्यापार मेलों में भाग लेना। हाल ही में भारत व्यापार मंडल के एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने 2 से 5 अप्रैल, 1992 तक सिंगापुर का दौरा किया था और उन्होंने चीन सिंगापुर के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने सिंगापुर भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (एस०आई०सी०सी०आई०) के साथ एक सहयोग करार पर भी हस्ताक्षर किए। इन करारों से दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

राजस्थान के हथकरघा उत्पाद तथा हस्तशिल्प का निर्यात

[अनुवाद]

6970. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के हथकरघा उत्पादों तथा हस्तशिल्प की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के उत्पादन तथा निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन वस्तुओं का निर्यात कौन-कौन सी एजेंसियां कर रही हैं; और

(घ) इन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु राजस्थान में ग्रामीण दस्तकारों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) राजस्थान के हाथ की दस्तकारी से बने लोक वस्त्र उत्पादों तथा अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के विशेष रूप से यूरोप, सं०रा० अमरीका और कनाडा में अच्छे बाजार हैं।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सरकार भारतीय हस्तशिल्पों का विकास करने के लिए प्रशिक्षण, विपणन, प्रदर्शनी, डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी विकास, कच्चे माल की सप्लाई आदि के क्षेत्रों में अनेक योजनाएं चला रही हैं। जयपुर और जोधपुर में विपणन तथा सेवा विस्तार केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के विभिन्न भागों में 13 कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र तथा 3 हैंड प्रिंटिंग वस्त्र केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

2. सरकार हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है तथा सहकारी तथा सहकारी क्षेत्र से बाहर दोनों क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान कर रही है। इस समय चल रहे कुछ प्रमुख कार्य-क्रम निम्नोक्त अनुसार हैं :

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा यार्न की सप्लाई।

(2) जनता कपड़ा योजना।

(3) बाजार विकास सहायता योजना।

(4) वर्क-शेड-सह-आवास योजना।

(5) बचत निधि योजना।

(6) राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता।

(7) प्रचार तथा प्रदर्शनी/बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन।

(8) अनुसंधान तथा विकास/बाजार सर्वेक्षण तथा अध्ययन।

(9) पहाड़ी क्षेत्र/रेगिस्तान ऊनी हथकरघा विकास निर्यात उत्पादन परियोजनाएं।

(10) करघा-पूर्व/करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाएं।

(11) हथकरघा बुनकरों को ऋण सहायता ताकि वे मुख्य बुनकर सहकारी समितियों के सदस्य बन सकें।

जयपुर में स्थित बुनकर सेवा केन्द्र, डिजाइन इनपुट तथा तकनीक सर्वेक्षण प्रदान करके राज्य की परम्परागत हथकरघा कलाओं का प्रलेखन बना रहा है, संरक्षण तथा विकास कर रहा है।

3. सरकार राजस्थान सहित समूचे देश से हथकरघा तथा हस्तशिल्प मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जैसे—बिक्री-सह-अध्ययन दल भेजना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित कराना, प्रमुख बाजारों में मेलों में भाग लेना, निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करना आदि। इसके अतिरिक्त हथकरघा फैब्रिक तथा हस्तशिल्प मदें कोटा प्रतिबन्धों के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग

6971. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान सदी के अन्त तक देश के लिए आवश्यक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई का कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तद्नुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय भारतीय सड़क कांग्रेस के तत्वाधान में चीफ इंजीनियरों के एक दल द्वारा तैयार की गई 20 वर्षीय (1981-2001) सड़क विकास योजना से है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस शताब्दी के अन्त तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 66,000 कि० मी० करने की परिकल्पना की गई है। तथापि, सरकार ने इस संबंध में स्वतंत्र रूप से कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमर्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निर्धारित मापदंडों और धन की उपलब्धता इत्यादि को देखते हुए 1980 से अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में 4,660 कि० मी० लम्बाई को शामिल करना सम्भव हो पाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में और वृद्धि आठवीं योजना अथवा बाद की योजनाओं इत्यादि में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राज्यों की निर्यात संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण

6972. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने विभिन्न राज्यों की निर्यात संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा विशेष रूप से राजस्थान के संबंध में क्या हैं; और

(ग) राजस्थान से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन परियोजना की स्थापना हेतु विदेशी मुद्रा

6973. श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हल्दिया, पश्चिम बंगाल में पेट्रो-रसायन परियोजना की स्थापना करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा देने हेतु कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स को वित्तपोषित करने के लिए एशियाई विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से अनुरोध किया गया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक सरकारी गारंटी के बिना वाणिज्यिक शर्तों और निर्णय के आधार पर कंपनियों को सीधे ही उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित विदेशी मुद्रा व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अभिकरण वाणिज्यिक उधारों और/ अथवा इक्विटी से बचे विदेशी मुद्रा के शेष भाग को बाजार की प्रचलित विनिमय दर पर बाजार से विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने में स्वतंत्र हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के बस पास

6974. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के आल रूट/जनरल पासों के शुल्क में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या आल रूट/जनरल पास ग्रीन लाइन बसों में मान्य हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार आल रूट/जनरल पासों को "ग्रीन लाइन" और "सीमित स्टाप" बसों में भी मान्य बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो कब से ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां। सामान्य आल रूट पास के प्रभार 28-12-91 से संशोधित कर दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे निम्नलिखित हैं। :—

	संशोधन पूर्व किराया रु०	संशोधन किराया रु०
सामान्य आलरूट पास	100.00	150.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) ग्रीन लाइन सेवाएं ऐसे यात्रियों के लिए तीव्र और आरामदायक यात्रा सुविधा सुलभ कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है जो साधारण किराए से थोड़ा अधिक किराया दे सकते हैं। इन सेवाओं में प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप 4.00 रु० फ्लैट किराया लिया जाता है और इसलिए ग्रीन लाइन बसों में कोई रियायती पास अनुमत्य नहीं है।

(ङ) और (च) ग्रीन लाइन बसों में सामान्य आल रूट पास की अनुमति दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है। तथापि, सामान्य आलरूट पास सीमित स्टाप सेवाओं में अनुमत्य हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बीमे की धनराशि

6975. श्री मदन लाल खुराना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 के दौरान रुपये का दो बार किये गये अवमूल्यन को देखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि को बढ़ाने का कोई, प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) समूह बीमा योजना के अंतर्गत देय राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना के अंतर्गत देय राशि का रुपये के अवमूल्यन से कोई संबंध नहीं है।

असम में नशीली औषधों की तस्करी

6976. श्री प्रबीन डेका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नशीली औषधों की तस्करी के कितने मामलों का पता चला है और जब्त किए गए स्वापक औषधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कितने मुकदमे चलाये गये और प्रत्येक मामले का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) जब्त की गयी नशीली औषधों के निपटान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय राजमार्ग के गुवाहाटी-तेजपुर खण्ड को चौड़ा करना

6977. श्री प्रबीन डेका :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी यातायात की समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के गुवाहाटी-तेजपुर खण्ड को चौड़ा करने और इसका विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान इसके लिए कितनी राशि मंजूर करने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) गुवाहाटी और तेजपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के दो वैकल्पिक मार्ग हैं—पहला मार्ग नौगांव से होकर गुजरता है और दूसरा बेहटा चैराली से होकर गुजरता है । ये दोनों ही मार्ग दो लेन के हैं । इस समय इन मार्गों को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इन मार्गों पर अन्य विकास कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों के अनुसार 1992-93 के दौरान किया जाएगा, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, विशाखापत्तनम

6978. श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र प्रोसेसिंग जोन एक्सपोर्ट की परियोजना लागत कितनी है;

(ख) उक्त क्षेत्र की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) इस जोन की भूमि तथा पहले चरण के विकास के संबंध में लगभग 17.00 करोड़ रु० की पूंजीगत लागत का अनुमान है ।

(ख) भूमि तथा अपेक्षित आधारभूत संरचना के विकास के लिए 3.34 करोड़ रु० की राशि दी जा चुकी है । चार दीवारी, आन्तरिक सड़कों, जल-निकासी आदि का कार्य चल रहा है ।

(ग) जोन के आन्तरिक बुनियादी ढांचे का कार्य संभवतः चालू वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा; बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध होती रहे ।

नौसेना से अधिकारियों का पलायन

6979. श्री जीवन शर्मा :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना से अधिकारियों ने सामूहिक पलायन किया है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान तकनीकी और गैर-तकनीकी नौसैनिक सेवाओं से कितने व्यक्तियों ने नौकरी छोड़ी;

(ग) क्या सरकार ने इस पलायन के कारणों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और सरकार द्वारा उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) नौसेना अधिकारियों को निम्नलिखित आधार पर समय-पूर्व सेवानिवृत्ति लेने की अनुमति है :—

(1) पदोन्नति में अतिक्रमण होने पर।

(2) अनुकम्पा के आधार पर।

(3) स्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में आने पर।

(4) सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र/सिविल नौकरी में खपा लिए जाने पर।

समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के सभी मामलों को नौसेनाध्यक्ष की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लेकिन यह अनुमोदन तभी दिया जाता है जबकि वे कार्मिक निर्धारित दिशा-निर्देशों/मानदंडों को पूरा करते हों। साथ ही इसके लिए नौसेना के कार्मिकों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है।

वर्ष 1991-92 के दौरान समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले कैप्टन/कमांडर रैंक तक के तकनीकी और गैर-तकनीकी अफसरों की संख्या इस प्रकार है :—

तकनीकी शाखाएं	—	83
गैर-तकनीकी शाखाएं	—	64

ये आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष (1990-91) के आंकड़ों की तुलना में कम है।

दिल्ली में सड़क कर में वृद्धि

6980. श्री गुरुदास कामत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़क कर में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने 1-4-1992 से दिल्ली में सड़क कर को संशोधित कर दिया है। सड़कों के अनुरक्षण की लागत तथा एकत्रीकरण प्रभारों में वृद्धि के कारण यह संशोधन करना आवश्यक हो गया।

रेशम तथा रेशमी परिधानों का निर्यात

6981. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने रेशम तथा रेशमी परिधानों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रेशमी परिधानों की मांग काफी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेशम तथा रेशमी परिधानों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेशमी परिधानों की मात्रा तथा निर्यातित रेशमी वस्त्र उत्पादों की कुल मात्रा निम्नोक्त अनुसार है :

वर्ष	मात्रा (लाख वर्ग मीटर में)	
	रेशमी परिधान	कुल रेशमी वस्त्र उत्पाद
1989-90	62.67	358
1990-91	60.74	325
1991-92 (फरवरी, 92 तक)	66.47	350

(ख) और (ग) जी हां। वर्ष 1991-92 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान रेशमी परिधानों के निर्यात की मात्रा वर्ष 1990-91 के दौरान रेशमी परिधानों के समस्त निर्यात से 9 प्रतिशत अधिक थी।

(घ) रेशमी परिधानों सहित रेशमी वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यक्रम चलाती है जिनमें शामिल हैं व्यापार मेलों में सहभागिता, विभिन्न देशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, प्रचार अभियान आदि।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का व्यय

6982. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासनिक व्यय के रूप में कितनी धन-राशि खर्च की गई;

(ख) क्या यह व्यय धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसे कम से कम करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासनिक व्यय की राशि निम्नोक्त प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपये लाख में)
1989-90	379.31
1990-91	429.72
1991-92 (फरवरी 1992 तक)	474.09

(ख) और (ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशासनिक व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से विश्व बैंक/स्विस सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के कार्यान्वयन के कारण हुई है। तथापि, बोर्ड अपने सामान्य योजना कार्यक्रमों आदि के अंतर्गत यात्रा व्यय, समयोपरि भत्ता, कार्यालय खर्च तथा पदों के सृजन पर होने वाले व्यय को कम करने के उपाय कर रहा है।

इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने का जब्त किया जाना

6983. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फरवरी और मार्च, 1992 के दौरान कितनी और कितने मूल्य का सोना जब्त किया गया; और

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फरवरी और मार्च, 1992 के दौरान पकड़े गये सोने की मात्रा और उसके मूल्य का

ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अवधि	मात्रा (कि० ग्रा० में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
फरवरी, 1992	6.5	26.2
मार्च, 1992	40.9	163.8

(ख) इस संबंध में फरवरी, 1992 में नौ व्यक्तियों को और मार्च, 1992 में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाहीयों में अर्थदंड लगाया जायेगा तथा अदालत में मुकदमा चलाया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के शेयरों की विदेशी पूंजी निवेशकों को बिक्री

6984. श्री मदन लाल खुराना :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कम्पनियों के शेयरों की बिक्री विदेशी निवेशकों को करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों की बिक्री तथा इससे संबंधित अनेक मसलों की वैकल्पिक प्रक्रियाओं की जांच-पड़ताल करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् ही बिक्री प्रक्रियाओं के बारे में कोई निर्णय लेने का सरकार का प्रस्ताव है।

बीमा कम्पनियों द्वारा लोक दायित्व पालिसी जारी किया जाना

6985. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा कम्पनियों का विचार लोक दायित्व पालिसी जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) बीमा कम्पनियां पिछले कई वर्षों से लोक दायित्व पालिसियां जारी करती रही हैं और हाल ही में उन्होंने लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अनुसार लोक दायित्व पालिसियां भी आरम्भ की हैं। यद्यपि, परम्परागत लोक दायित्व बीमा पालिसी सामान्य कानून के अधीन उत्पन्न होने वाले क्षति दायित्व के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है, किन्तु, हाल ही में लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के अधीन आरम्भ की गई पालिसी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार "कोई त्रुटी नहीं" के आधार पर कवरेज प्रदान करती है।

नक्काशी की गई पीतल की वस्तुओं के लिए निर्यात आदेश

6986. श्री गुरुदास कामत :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्काशी की गई पीतल की वस्तुओं हेतु मिले करोड़ों रुपये का निर्यात आदेश संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) निम्नोक्त निर्यात आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि कलात्मक धातुपात्र के निर्यातों का मूल्य (पीतल के पात्र सहित) में यथेष्ट वृद्धि हुई है :

वर्ष	मूल्य करोड़ रु० में (अनंतिम)
1989-90	124.73 रुपये
1990-91	235.78 रुपये
1991-92 (अप्रैल-फरवरी, 92)	324.64 रुपये

अत: पहले से ही यह अनुमान लगाना कठिन है कि करोड़ों रुपये मूल्य के पीतल की हस्तशिल्प मदों के लिए निर्यात आदेश को जोखिम उठाना पड़ सकता है।

यद्यपि तांबा और जस्ता पर आयात शुल्क में वृद्धि से पीतल की हस्तशिल्प की मदों के उत्पादन की लागत पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, यह उल्लेखनीय है कि उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क की ऐसी वृद्धि को सामान्यत: शुल्क वापसी योजना के अन्तर्गत मुआवजा दिया जाता है। कलात्मक धातुपात्र के निर्यातक इस समय 24-10-91 से 37 रु० प्रति किग्रा० अधिकतम के अध्यधीन एफ०ओ०बी० मूल्य के 24 प्रतिशत की दर से शुल्क वापसी प्राप्त करने के हकदार हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को चौड़ा करना

6987. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के कटक-भुवनेश्वर खण्ड को चौड़ा करने के कार्य में बहुत विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) किस वर्ष तक इस कार्य के पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के कटक-भुवनेश्वर खंड को चार लेन का बनाने संबंधी कार्य को प्रस्तावित द्वितीय विश्व बैंक राष्ट्रीय राजमार्ग ऋण में शामिल कर लिया गया है। इस ऋण के लिए विचार-विमर्श पूरा हो चुका है, लेकिन विश्व बैंक ने अभी ऋण पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, इस बीच विश्व बैंक के परामर्श से ठेकेदारों की पूर्व-अर्हता, निविदा दस्तावेजों को अन्तिम रूप देने इत्यादि सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य किए जा रहे हैं।

(घ) चूंकि परियोजना हेतु बोली सम्बन्धी कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, इसलिए अभी से यह बताना सम्भव नहीं है कि चार लेन सम्बन्धी कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

6988. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो निर्यात के लिए समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किस प्रकार की उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने का विचार है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्री उत्पादों के बचाव के लिए अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) एम्पीडा निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिए विविधीकृत मछली पकड़ने और मत्स्यपालन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चला रहा है।

(ग) एमपीडा भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग का आधुनिकीकरण करने और मूल्यवर्धित मदों का निर्यात करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। ये योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भी जारी रहेंगी।

(घ) शीत भण्डारों की स्थापना गैर-सरकारी उद्यमियों द्वारा की जाती है। आज की स्थिति के अनुसार, देश में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। शीत भण्डारों की स्थापना के लिए किसी प्रस्ताव की जांच गुणावगुण आधार पर की जाएगी।

विदेशी ऋण

6989. श्री मोहन शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की ऋण राशि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और विदेशी ऋण का विदेशी मुद्रा के रूप में ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1991 तक भुगतान किए जाने वाले विदेशी ऋण की राशि कितनी थी और कितनी राशि का भुगतान किया गया है; और

भुगतान समयावधि का ठीक से पालन करने तथा व्यर्थ सरकारी व्यय में भारी कटौती करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकारी उधारों के खाते के बकाया विदेशी ऋणों में 1989-90 की तुलना में 1990-91 के दौरान 26.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि विदेशी वाणिज्यिक उधारों के खाते के बकाया ऋणों में 1989-90 की तुलना में 1990-91 में 21.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार देय तारीखों को की जाती है। 31-3-91 तक की स्थिति के अनुसार बकाया विदेशी ऋणों और 1991-92 में दिसम्बर, 1991 तक वापस अदा किए गए विदेशी ऋणों की राशि का मुद्रा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भुगतान-संतुलन कार्यक्रम को समयानुसार पूरा करने के लिए जो उपाय किए गए हैं; उनमें ये शामिल हैं—उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली, व्यापार नीति में सुधार, आयात विशेष-कर निर्यातों को बढ़ावा देने वाले आयातों के प्रति सुलभता, विदेशी सहायता का अधिकतम उपयोग और चालू खाते के घाटे से उत्पन्न होने वाली वित्तीय जरूरतों को पूंजीगत प्राप्तियों के जरिए पूरा करने की व्यवस्था, सरकार ने राजस्व प्राप्तियों और घरेलू बचतों को बढ़ाने, अनावश्यक और कम प्राथमिकता वाले व्यय को समाप्त करने, प्रशासनिक खर्चों का बारीकी से परिवीक्षण करने और सभी चालू कार्यक्रमों की ध्यानपूर्वक छान-बीन करने के लिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बजटीय लक्ष्यों से आगे न बढ़ें, बहुत से उपाय किए हैं। इस बारे में अन्य महत्वपूर्ण उपायों का विस्तृत ब्यौरा वित्त मंत्री के बजट-भाषण में दिया गया है।

विवरण

(लाखा की मुद्राकार मिलियन में)

क्र० सं०	मुद्रा (सरकारी खाता)	31-3-91 को बकाया ऋण	वापस अदा किए गए विदेशी ऋण
1	2	3	4
1.	अमेरिकी डालर	17902.33	533.94
2.	यू०ए०ई० दिरहाम	22.67	2.27
3.	आस्ट्रिया शिलिंग	632.34	34.60
4.	बेल्जियम फ्रांक	3574.76	177.80

1	2	3	4
5.	कनाडी डालर	670.20	7.56
6.	डेनिस क्रोनर	977.69	12.79
7.	फ्रेंच फ्रांक	6476.80	283.29
8.	ड्यूश मार्क	5158.27	98.63
9.	जापानी येन	460057.34	10740.67
10.	कुवैती दीनार	55.32	5.80
11.	डच गिल्डर	1902.62	53.53
12.	साउदी रियाल	300.51	36.87
13.	स्विस फ्रांक	184.43	3.26
14.	स्वीडिश क्रोनर	360.23	—
15.	पौंड स्टर्लिंग	138.20	13.85
16.	रूबल	941.95	13.18
17.	भारतीय रुपया	523.67	4.98
18.	एस०डी०आर०	3582.54	11.26
(गैर-सरकारी खाता)			
1.	अमेरिकी डालर	931.94	27.01
2.	फ्रेंच फ्रांक	92.64	0.68
3.	ड्यूश मार्क	438.07	14.32
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उधार			
1.	विशेष आहरण अधिकार	1947.97	241.67
विदेशी वाणिज्यिक उधार			
1.	अमेरिकी डालर	6287.57	337.73
2.	ड्यूश मार्क	2276.29	125.33
3.	स्विस फ्रांक	765.41	55.42
4.	फ्रेंच फ्रांक	239.07	63.10

1	2	3	4
6.	येन	527952.86	22694-46
6.	पौंड स्टर्लिंग	353.79	42.75
7.	अन्य मुद्राएं (अमेरिकी डालर के समकक्ष)	510.90	33.29

निर्यात हेतु मध्य प्रदेश लोह अयस्क की खरीद

6990. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश से निर्यात के लिए लौह अयस्क की खरीद में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1991-92 तथा 1992-93 में मध्य प्रदेश से लोह अयस्क की खरीद में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) निर्यात के लिए मध्य प्रदेश से लोह अयस्क राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन०एम०डी०सी०) की बैलेडिला खानों से खरीद जाता है। विजाग इस्पात संयंत्र शुरू होने तथा देश में कई पिंड लोहा/स्पंज लोहा एककों की स्थापना के कारण बैलेडिला अयस्क की घरेलू मांग बढ़ाने से कई वर्षों से इसके निर्यात में गिरावट आई है।

(ग) घरेलू और निर्यात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग, नई खान खोलने, मौजूदा खानों का आधुनिकीकरण एवं बुनियादी संरचना सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

वियतनाम को वाहनों का निर्यात

6991. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम को तिपहिया, दुपहिया वाहनों, बसों, ट्रकों और रेलवे उपकरणों का निर्यात बढ़ाने की अच्छी संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वियतनाम को इन मदों के निर्यात के लिए क्या नीति तैयार की गई है;

(ग) इस दिशा में पहले क्या प्रयास किए गए थे; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) : सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निवेश उपलब्ध कराने, समर्थनकारी विनिमय दर नीति का अनुपालन करने, बाजार की निर्धारित विनिमय दरों पर निर्यात आय के आंशिक परिवर्तन की अनुमति देने, नियंत्रणों को कम करने तथा क्रियाविधियों के सरलीकरण की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त वियतनाम को होने वाले निर्यात को बढ़ाने के लिए ये प्रयास भी किए गए हैं—वियतनाम में हो ची मिन्ह सिटी में क्वाग ट्रंग इंटर नेशनल फेयर में भाग लेना, भारतीय इंजीनियरी मदों की खरीद के लिए वियतनाम को दिए जाने वाली सरकारी ऋण में वृद्धि करना तथा दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित व्यापार संलेख में इन मदों को शामिल करना वियतनाम को किए जाने वाले निर्यात में वृद्धि करने के लिए भावी कार्य नीति में व्यापार मेलों प्रदर्शनियों और उत्पाद प्रचार अभियानों आदि के जरिए भारतीय निर्यातकों की क्षमता तथा योग्यता को बढ़ाना शामिल है। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त आयोग के माध्यम से वाहनों के निर्यात को बढ़ाये जाने की भी व्यवस्था की गई है।

भारतीय निर्माण कम्पनियों की बकाया पड़ी राशियों के बदले
इराक द्वारा तेल की सप्लाई

[हिन्दी]

6992. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्माण कम्पनियों की कुछ धनराशि इराक सरकार के पास बकाया पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इराक के पास बकाया पड़ी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इराक ने इस बकाया पड़ी धनराशि के बदले तेल सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) आस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं के तहत शामिल की गई ऐसी कम्पनियों के नाम विवरण में दिए गए विवरण-पत्र में दर्शाए गए है। कुल बकाया राशि 161.46 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) तथा (घ) इराक सरकार ने भारतीय कम्पनियों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए समय-समय पर तेल की सप्लाई करने की इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्वीकृति समिति इस उद्देश्य के लिए इराक द्वारा तेल के निर्यात की अनुमति दे दें। यह मामला संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के जरिए स्वीकृति समिति को प्रस्तुत किया गया, परन्तु समिति ने प्रस्तावित व्यवस्था के लिए अपना अनुमोदन नहीं दिया है।

विवरण

उन कम्पनियों के नाम जिनकी आस्थगित भुगतान व्यवस्थाओं के तहत शामिल की गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में इराक में धनराशि बकाया पड़ी है।

1. एफकोन्स लि०।
2. अन्सल्स प्रोपर्टीज एंड इण्डस्ट्रीज लि०।
3. भंडारी बिल्डर्स लि०।
4. कन्टीनेन्टल कंस्ट्रक्शन लि०।
5. दलाल कंस्ट्रक्शन एंड इन्जीनियरिंग प्रा० लि०।
6. डोडसाल प्रा० लि०।
7. डुप्लेक्स प्रा० लि०।
8. इन्जीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन।
9. इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि०।
10. गैम्मन इण्डिया लि०।
11. हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि०।
12. इण्डियन रोड कंस्ट्रक्शन कं० लि०।
13. इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कं० लि०।
14. जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि०।
15. मेकर्स डेवलपमेंट सर्विसेज लि०।
16. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लि०।
17. ए०पी०सी०सी० लि०।
18. पंजाब-केमी प्लान्ट्स लि०।
19. रेकोन्डो लि०।
20. शाह कंस्ट्रक्शन कं० लि०।
21. सोम दत्त बिल्डर्स प्रा० लि०।
22. यू० पी० स्टेट ब्रिज कार्पोरेशन लि०।
23. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०।
24. विजय टैक्स एंड वेसल्स प्रा० लि०।

न्यायाधीशों की नियुक्ति-प्रक्रिया

[अनुवाद]

6993 श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संशोधन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : (क) से (ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया, समाधानप्रद रूप से कार्य कर रही है और इस समय; विद्यमान प्रणाली में कोई परिवर्तन अनुध्यात नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से रक्षा खरीद

699॰. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन विक्रेताओं का ब्यौरा क्या है जिनसे सशस्त्र बलों के संगठनों के लिए विभिन्न सामग्री खरीदी जाती है;

(ख) क्या सशस्त्र बलों ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से की जा रही खरीद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या इस संबंध में सेना को तीनों सेवाओं की कोई समान नीति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सशस्त्र सेनाओं द्वारा तथा उनके लिए खरीददारी का कार्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से किया जाता है। ऐसे प्रत्येक केन्द्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की एक मानक सूची विवरण "क" और "ख" में दी गई है।

(ग) से (ङ) वर्तमान नीति के अनुसार खरीद करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते वे गुणता और वितरण की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। रक्षा मंत्रालय/सशस्त्र सेनाओं के सभी सम्बन्धित संगठन इस नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

विवरण "क"

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची

क०सं०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम
1	2
1.	बालमेर लारी एण्ड कं० लिमिटेड
2.	भारत एल्युमीनियम कं० लिमिटेड
3.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
4.	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड
5.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड
6.	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वेसल लिमिटेड
7.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन
8.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
9.	भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड
10.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
11.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
12.	कम्प्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
13.	इलेक्ट्रानिक्स कापोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
14.	इलैक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टैक्नीकल डिवेलपमैंट कारपोरेशन लि०
15.	फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
16.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लि०
17.	गोवा शिपयार्ड लि०
18.	हैवी इन्जीनियरिंग कारपारेशन लि०
19.	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०
20.	हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन लि०
21.	हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लि०
22.	हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लि०

1	2
23.	हिन्दुस्तान कापर लि०
24.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०
25.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०
26.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०
27.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०
28.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लि०
29.	हिन्दुस्तान जिंक लि०
30.	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फर्मासियुटीकल्स लि०
31.	इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०
32.	इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०
33.	इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज
34.	इन्स्ट्रूमेंटेशन इण्डिया लि०
35.	मारुति उद्योग लि०
36.	माझगांव डाक लिमिटेड
37.	मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०
38.	मिनरल्स एण्ड मैटलट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
39.	मिश्र धातु निगम लि०
40.	नेशनल स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०
41.	नेशनल एल्युमीनियम कं० लि०
42.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन
43.	प्राग टूल्स लि०
44.	स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड
45.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०
46.	टायर कारपोरेशन आफ इण्डिया।

विवरण "ख"

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची

क्र०सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम
1	2
1.	गुजरात कम्युनिकेशन एण्ड इलैक्ट्रानिक्स लि०, बड़ोदरा

1	2
2.	गुजरात इलेक्ट्रो मेडीकल सिस्टम, बड़ोदरा
3.	हरट्रोन लि० अम्बाला
4.	हैदराबाद एल्विन, हैदराबाद
5.	कर्नाटक एण्टीबायटिक्स एण्ड फर्मासियुटीकल्स लि० बंगलूर
6.	केलट्रोन लि० त्रिवेन्द्रम
7.	केरल स्टेट स्माल इन्डस्ट्री डिवेलपमेंट एण्ड इम्पलायमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम
8.	मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डिववेलपमेंट कं० लि०, भोपाल
9.	महाराष्ट्र एन्टी-बायटिक्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स लि०, नागपुर
10.	मैरीन एण्ड कम्युनिकेशन इलैक्ट्रानिक्स (इण्डिया) लि०, विशाखापत्तनम
11.	मैलट्रोन लि०, पुणे
12.	एन०जी०ई०एफ० बंगलूर
13.	पंजाब पावर पैक्स लि०, रोपड़
14.	पंजाब रिकार्डस लि०, चण्डीगढ़
15.	पंजाब वायरलेस सिस्टम लिमिटेड, चण्डीगढ़
16.	शालीमार वर्क्स, कलकत्ता ।
17.	यू०पी० स्टेट लैदर डिवेलपमेंट एण्ड मार्किट कारपोरेशन, आगरा
18.	अपट्रोन लि०, लखनऊ
19.	वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रानिक्स लि० कलकत्ता।

नई पुनर्पूर्ति योजना

6995. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े राज्यों में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता आबंटित करने के स्थान पर एक नई पुनर्पूर्ति योजना कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार विदेशी सहायता से पिछड़े राज्यों को और अधिक निधि उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :(क) (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निवेशक संरक्षण आयोग

6996. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ता शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र से निवेशक संरक्षण आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार को, निवेशक संरक्षण को बढ़ाने तथा संरक्षण की जिम्मेदारी वाले "निवेशक संरक्षण निगम" की स्थापना, के लिए उपभोक्ता शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) सरकार ने प्रस्ताव को जांच-पड़ताल की है और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में उल्लिखित निवेशक संरक्षण के सांविधिक उपबंधों को देखते हुए निगम की स्थापना करना आवश्यक नहीं समझा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों का उत्थान

6997. श्री प्रबंमिखम :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आन्ध्र प्रदेश की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मुख्यतया आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के इरादे से संभव विश्व बैंक सहायता के लिए "आन्ध्र प्रदेश गरीबी उन्मूलन परियोजना" नाम से एक परियोजना की रूप-रेखा तैयार की है। परियोजना में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों, सिंचाई; वानिकी; बागवानी, रेशम उत्पादन, मत्स्यपालन, शिक्षा, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में निवेश करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त परियोजना के आकार और क्षेत्र उपयुक्तता; समय तथा विश्व बैंक सहायता की मात्रा सहित परियोजना की प्रगति संबंधित तकनीकी संभाव्यता दृष्टिकोण से प्रशासकीय संभावनाओं

से तथा संसाधन दृष्टिकोण से योजना आयोग से आदेशात्मक निकासी, विस्तृत परियोजना तैयारी तथा दाता तरजीह और दाता एजेंसी के साथ वचनबद्ध करने योग्य राशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): अध्यक्ष जी, आज हिन्दुस्तान टाइम्स में एक बहुत भयानक समाचार छपा है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में बहुत भारी जल का संकट होने वाला है।······(व्यवधान)···पेयजल का। उसमें बताया गया है कि आने वाले समय में संकट इतना भयानक होगा कि दिल्ली में पानी की सप्लाई देने के लिए राशनिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते अगर, दिल्ली में संकट इतने भयानक रूप से आ रहा है, तो गर्मियों के समय में सारे देश जल का संकट कितना भारी हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार दिल्ली में पानी के मसले को हल करने के लिए इस सदन में एक वक्तव्य दे कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। यह समस्या जहां सांसद रहते हैं या मंत्री वर्ग रहते हैं, उस जगह के लिए ही नहीं, बल्कि आम गरीब लोगों को पानी के लिए तकलीफ उठानी पड़ेगी। उनको पानी देने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाकर सदन के सामने अपना वक्तव्य देना चाहिए। ···(व्यवधान)···

श्री कालका दास (करोलबाग): अध्यक्ष महोदय, कई बार हमने प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। वस्तु स्थिति यही है, जो माननीय सदस्य ने बताई है, दिल्ली में पानी का भयंकर अकाल पड़ने वाला है। इससे लोगों के दिमागों में बहुत परेशानी है। प्रशासन का ध्यान कई वर्षों से इस ओर दिला रहे हैं, लेकिन इस दिशा में सरकार ने कुछ नहीं किया है। यहां सदन के माध्यम से दिल्ली प्रशासन को दिशा दी जाए कि दिल्ली में जो पानी का संकट, पानी का अकाल पड़ने वाला है, जिससे लोगों को प्यासे मरने की आशंका है, इस ओर जल्दी ध्यान देकर इस समस्या को सुलझाइए।

श्री वृशिण पटेल (सीवान): अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सांसद, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के छोटे भाई, श्री सुरेन्द्र यादव, की हत्या दिनांक 9-4-92 को सुबह पांच बजे फुलपरास बाजार मधुबनी में गोली मार कर दी गई है। कर्मठ एवं साहसी आरक्षी निरीक्षक, फुलपरास, ने घटना के समय ही दौड़कर, तीन जो अपराधी थे, उनको घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। उन अपराधियों में एक हत्यारे का नाम है,* जो बिहार विधान सभा में···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

···(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री वृशिण पटेल : वह अरेस्ट हो गया। गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए हैं। ये बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं, डा० जगन्नाथ मिश्र, उनके रिलेटिव हैं। चूंकि यह राजनीतिक विद्वेष का मामला है, इसलिए जान-बूझकर श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के छोटे भाई की हत्या कर दी गई है। मात्र इसलिए

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि फुलपरास अनुमंडल का उद्घाटन श्री लालू प्रसाद यादव करने वाले थे। वे लोग यह नहीं चाहते थे और उनको यह खल रहा था कि इन लोगों के इनिशिएटिव से यह फुलपरास अनुमंडल बनने जा रहा है तथा लेटर-आन यह लाभ जनता दल के कार्यकर्ताओं के सिर जाएगा। इसलिए जान-बूझकर साजिश कर के माननीय सदस्य, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के छोटे भाई की हत्या कराई गई है। इसमें सुनियोजित चाल है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच कराइए और जो हत्यारे हैं उनको सजा दिलवाने का काम किया जाए, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो हत्या हुई है उसमें एक आदमी की गिरफ्तारी हुई है।*... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नामों का उल्लेख मत कीजिए। वे अपना पक्ष यहां प्रस्तुत नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस (आई) के उम्मीदवार से,... (व्यवधान) ...वह एक पोलिटिकल मर्डर है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके खिलाफ भी ऐसा कोई आरोप लगाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : आप नाम हटा दीजिएगा। मैं आपको कह देना चाहता हूं कि यह एक पोलिटिकल मर्डर है और यह पोलिटिकल मर्डर जान-बूझकर उस इलाके में कांग्रेस (आई) के लोगों के द्वारा कराया जा रहा है और उसके दो परपज हैं—एक तो राजनीतिक विद्वेष साध रहे हैं और दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और किसी प्रकार से भी कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। एक तरफ वे मार भी रहे हैं और दूसरी तरफ यह दिखलाना भी चाहते हैं और दिल्ली में आ करके इस बात का प्रचार करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक्सपोज हो गया, एक नहीं अनेक घटनाओं से एक्सपोज हो गया, दो तारीख को इसी ग्रुप के द्वारा कांग्रेस (आई) के लोगों के द्वारा वहां पर दो यादव की और कमजोर वर्ग के लोगों की हत्या कराई गई। दो अप्रैल को, इसी प्रकार से यह घटनाएं लगातार उस इलाके में होती जा रही हैं। पोलिटिकल मर्डर हो रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो पिछले दिनों यहां पर सवाल उठाया गया, एक विधायक की हत्या का, नरसंहार का सवाल उठाया गया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, बिहार में जान-बूझ करके और कांग्रेस (आई) के द्वारा करवाया जा रहा है। उस राज्य में जो स्थिर सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, इसलिए हम आपसे चाहेंगे कि होम मिनिस्टर यहां से इस बात की जांच करवाएं और हम आपसे आग्रह करेंगे कि संसद का एक प्रतिनिधि मंडल भेज करके इन तमाम हत्याओं की और कानून-व्यवस्था की स्थिति, जो खराब होती जा रही है, जान-बूझ करके खराब की जा रही है, जान-बूझ करके यह सब कराया जा रहा है, कानून और व्यवस्था का रूप दिखलाने के लिए कि कानून-व्यवस्था

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की स्थिति खराब है तो इन सारी घटनाओं की जांच आप संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेज करके करवा दीजिए ताकि सच्चाई सामने आ जाए। यह कांग्रेस की कांसपिरेसी है जो वहां चल रही है वह दुनिया के सामने आ जाएगी, यह तथ्य सामने आ जाएगा। हम यह आपके माध्यम से इस सदन के सामने रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में दो बातें कहनी हैं पिछले कई दिनों से बिहार सरकार पर एक हमला चल रहा है, सदन के भीतर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है और आज एक ऐसी घटना हम लोगों के सामने आई है जिसमें इस सदन के एक सदस्य के भाई की हत्या हो गई। पिछले कई दिनों में, विशेषकर के पिछले पूरे सप्ताह में जब हेमन्त शाही की हत्या हो गई तो यहां पर इतना हंगामा मचाने का काम हुआ कि सदन को आपको मेरे ख्याल से एक बार स्थगित भी करना पड़ा। मुझे लगता है कि व्यक्ति की जान के बारे में जब यहां पर राय व्यक्त हो जाती है तो वह एक अजीब ढंग से व्यक्त होती है। किसी एक विधायक या किसी एक सांसद की जान चली जाए तो उसके ऊपर संसद में हंगामा होगा, उसके ऊपर ऐसा बताया जाएगा कि सारा आसमान अभी टूट पड़ा है और सारे प्रदेश में क्या हो रहा है लेकिन अगर एक साधारण आदमी की जान कोई लेता है तो फिर उसके बारे में जिस प्रकार की हम लोगों की अभी मानसिकता बनी है कि उसकी जान जा सकती है। रोज सुबह हम लोग पढ़ सकते हैं कि पच्चीस लोग आज पंजाब में मारे गए, पच्चीस कश्मीर में मारे गए और उस पर हम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, यह तो अभी सिद्ध हो चुका है मैं उस पर नहीं जाऊंगा लेकिन हमारे इस सदन के सदस्य की जान की चर्चा, हमको इसलिए यहां पर करना जरूरी हो रहा है कि बिहार की सरकार पर पिछले कई दिनों से ये हमला होता रहा है और इस प्रकार की मांग की गई कि सरकार को हटा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। यह शब्द इस सदन के अन्दर अनेक बार पिछले कई दिनों से उस तरफ बैठे हुए लोगों में किए गए। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं उनको पहले भी कह चुका हूं कि किसी दिन आप आज बिहार के बारे में बोलोगे' आपके कहने पर वे बिहार के ऊपर हमला करेंगे और फिर किसी दिन आप ही के ऊपर आ जाएंगे और बोलने वाला यहां कोई नहीं बचेगा। इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आपसी विवादों में नहीं जाऊंगा। मैं इस मुद्दे पर आपसे विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं, वह यह है कि वहां पर जो व्यक्ति पकड़े गए हैं, उसके लिए मैं उस पुलिस अधिकारी को धन्यवाद देना चहता हूं, आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं। सुबह 5 बजे की यह घटना है और पुलिस वाला उस मकान के बगल में था, तो जैसे ही उनको पता लगा, वे वहां पर आ गए और 3 लोगों को अपने हाथ से गिरफ्तार करने का काम किया, मगर जो गिरफ्तार लोग हैं, वे सियासी नेताओं के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन सियासी दलों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके रिश्तेदारों में से हैं, जो बिहार में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनके रिश्तेदारों में से हैं। एक वहां पर समारोह होना था 14 तरीख को उसके बारे में लगे हुए जो सबसे प्रमुख साथी हैं, उसकी हत्या करके भाग रहे थे। प्रधान मंत्री जी अभी यहां पर नहीं हैं। प्रधान मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि क्या वे इसके बारे में इस सदन को आश्वस्त करने के लिए तैयार हैं कि उनके दल का इसमें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं था, जबकि यह स्पष्ट है, सर्वविदित है कि सम्बन्ध था। तो फिर क्या इस मामले को लेकर इस सदन में खुलासा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुझे यह डर लग रहा कि इस प्रकार की घटनाओं को वहां पर हर रोज किसी न किसी रूप में निर्माण करने का काम होगा और फिर बताया जाएगा कि आपकी सरकार आपके ही दल के लोगों के जान-माल की रक्षा नहीं कर सकती है तो उसको वहां पर रहने का क्या अधिकार है, बात यहां तक जा सकती है, क्योंकि पहले अपने वहां की बात आप लोगों ने बनाई, अब यहां के लोगों की हत्या वाली बात वहां पर चल रही है

और इन सब चीजों का अनुभव पहले भी हम लोग कर चुके हैं और इसलिए अध्यक्ष जी मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि प्रधान मंत्री या गृह मंत्री, दोनों में से एक इस हत्या के मामले से जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में, उनके राजनीतिक रिश्तेदारों के बारे में और जिनका नेतृत्व यहां पर है; उनके बारे में कुछ यहां खुलासा करें और इस बात को यहां न रखें कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं; इनकी चर्चा यहां पर क्या करनी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, जहां तक इस हत्या का सवाल है, मैं इस मत का हूं कि यह बिहार का मामला है और इस मामले में बिहार सरकार जो भी काम करे, जिसको उन्होंने अपराधी माना है, वहां की पुलिस उसको गिरफ्तार करे। श्री जार्ज साहब ने जो चिंता प्रकट की है, और अपने को उसके साथ जोड़ना चाहता हूं और प्रधान मंत्री जी केवल प्रधान मंत्री नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अनेक प्रश्नों पर वे अलग-अलग दलों से सलाह करते रहे हैं, इन दिनों इस घटना और जो पिछले दिनों घटनाएं हुई हैं, उनको ध्यान में रखकर अगर एक ऐसा सर्वदलीय सम्मेलन बुलाएं, पार्टियों से सलाह करें कि जो राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है और अपराधियों का राजनीतिकरण होता जा रहा है और बिहार जिसका सबसे अधिक प्रखर नमूना है, केवल बिहार तक ही यह बात सीमित नहीं है, बाकी जगह भी यह फैलती जा रही है, इस चीज को रोकने के लिए सारे राजनीतिक दल मिलकर कोई कोड आफ कंडक्ट बना सकते हैं, कानूनी व्यवस्था कर सकते हैं, इसका कोई इलाज हमारे पास है या नहीं है। क्या हम असहाय होकर इस रिफ्ट को स्वीकार करते जाएंगे और मानेंगे कि इसको तो रोका नहीं जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब अपराधी पीछे बैठकर राजनीतिज्ञों को प्रभावित करते थे। धीरे-धीरे अपराधी विधान मण्डलों में पहुंच गए और मंत्रिमण्डलों में पहुंच गए, कहां-कहां नहीं पहुंच गए। इस चीज को रोकने का प्रबन्ध करने के लिए क्या प्रधान मंत्री जी इनीशिएटिव लेने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि यह एक व्यापक सवाल है और हिन्दुस्तान के राजनीतिक भविष्य पर इसका बहुत असर पड़ेगा। इसके लिए कुछ न कुछ सामूहिक चिंतन और सामूहिक निर्णय की जरूरत है।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का संबंध भी बिहार से है; इसलिए मुझे भी इस संबंध में कुछ कहने का अवसर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, अभी नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा, इसी संदर्भ में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं और एक खास बात कहना चाहता हूं। आज बिहार में जो स्थिति हो रही है, मैं भी बिहार बार्डर से संबंध रखता हूं और यह बताना चाहता हूं कि आज की वही स्थिति उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, खासकर देवरिया जिले की भी होती जा रही है। मान्यवर, यह भी सत्य है कि जब देश का कोई नेता इस तरह की बात करता है तो उसका असर होता है।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में लालू प्रसाद जी आए और उन्होंने लेक्चर दिया कि ·· *···समाप्त करना है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर यह साबित हो जाए तो हम किसी भी आरोप में सजा भुगतने के लिए तैयार हैं।···(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : जो सजा आप निश्चित करेंगे, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, अगर वह साबित हो जाए। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस बात का सार्वजनिक तौर पर खण्डन हुआ है। माननीय सदस्य इस बात को क्यों छेड़ रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह रिकार्ड में नहीं गया, आप रिकार्ड में यह क्यों ला रहे हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसी तरह से अटल जी ने यू० पी० में भाषण दिया था।··· (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री देवेन्द्र यादव, सांसद के भाई श्री सुरेन्द्र यादव की हत्या जिस तरह से हुई है वह शोक का ही विषय नहीं है, बल्कि चिन्ता का विषय है। यह केवल लॉ एण्ड आर्डर या कानून और व्यवस्था की बात नहीं है, हत्याएं होती हैं, दुःखद चीजें होती हैं, उस पर कार्यवाही भी होती है। वहां पर तत्परता से, जो पुलिस अफसर थे, उन्होंने कार्यवाही की, लोगों को पकड़ा और उसी के आधार पर एक यह चित्र सामने आया। चिन्ता का विषय होता है कि जब इसके साथ जो राजनीति में सक्रिय रूप से हैं, वे इससे जुड़े हों। केवल प्रश्न कानून और व्यवस्था का नहीं होता है, हमारे जन-जीवन का भी प्रश्न खड़ा होता है, पब्लिक लाईफ का प्रश्न खड़ा होता है और इसमें हमारी जिम्मेदारी केवल सफाई या तर्क-वितर्क की नहीं होती है। हम समझते हैं कि अगर किसी दल से सम्बन्धित कहीं भी कोई व्यक्ति हो, इस तरह की घटना से उसका सम्बन्ध हो, खास तौर से सत्ता वाला दल हो तो उसका कर्तव्य हो जाता है कि वह जिम्मेदारी समझें और उस पर कदम उठाए।

मान्यवर, आपके माध्यम से इस घटना की हम घोर निन्दा करते हैं। बिहार सरकार ने जो सक्षम कदम उठाए वह एक व्यापक परिपेक्ष्य में थे। बिहार के बारे में कई तरह की चर्चाएं होती हैं, कई तरह के आरोप भी लगाए जाते हैं और हम लोगों का नजर से उसके पीछे एक याचना भी है। कई सरकारें नार्थ-ईस्ट में चली गईं, बिहार भी लगता है एजेंडा लिस्ट पर है। इन चीजों को न उठाते हुए हम यह जरूर कहेंगे कि यह सदन इसकी घोर निन्दा करता है। तथ्यों के बारे में बिहार सरकार से जानकारी हासिल की जा सकती है। वे तथ्य यहां पर हम लोगों के सामने आवें जिससे कि इसका दूसरा पक्ष जो है, केवल लॉ एण्ड आर्डर ही नहीं, जो पब्लिक लाइफ से सम्बन्धित है और जन-जीवन से सम्बन्धित है, उस पर सदन सशक्त मत व्यक्त करे।

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम लाल राही) : माननीय अध्यक्ष जी, श्री देवेन्द्र जी सांसद के भाई की हत्या की जो सूचना राज्य सरकार से दी गई है तो गृह मंत्रालय प्रयास कर रहा है कि वहां से रिपोर्ट आ जाए और रिपोर्ट आने पर सारे तथ्यों पर कार्यवाही हो जाएगी, तभी कुछ कहा जा सकता है। माननीय जार्ज साहब ने, माननीय नेता विरोधी दल ने और भूतपूर्व प्रधान मंत्री

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय विश्वनाथ जी ने जो चिन्ता जताई है राजनीति में अपराधीकरण की तो मैं समझता हूं, इसमें न तो कोई विशेष व्यक्ति दोषी है और न ही कोई विशेष दल दोषी है। देखने में आ रहा है कि कोई भी दल ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है वर्तमान में, हिन्दुस्तान में, जो समय-समय पर ऐसे तत्वों को जिनके अन्दर अपराधी प्रवृत्ति है, वे अपने में जोड़ने का प्रयास न करते हों और अपनी राजनैतिक ताकत के अन्दर पालने का काम न करते हों।···(व्यवधान)···यह बात ठीक है कि हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा है कि हमको चिन्ता करनी चाहिए और सभी दलों को बैठकर के कोई राय बनानी चाहिए ताकि हम ऐसी शक्तियों से राजनीति को निजात दिला सकें, इसको मैं बेहतर मानूंगा। यह सही है कि वे अपराधी जो अच्छे राजनीतिज्ञों से यह अपेक्षा किया करते थे उनके पास जाकर के कि हमारी रक्षा कीजिए। थानेदार और दरोगा से कह दीजिए कि नहीं सताएं। आज इतना दुर्भाग्य हमारे साथ जुड़ गया है और आज वे सत्ता में मिनिस्टर बनाए जाते हैं और एम० पी० या/ एम० एल० ए० बन जाते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि प्रशासन ऐसी परिस्थिति में कैसे कार्यवाही करे और कैसे वह अपराधी तत्वों पर नियंत्रण कर सके। यह बड़ी दुखद परिस्थिति है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें चिन्ता करनी चाहिए। अगर हम कर लेंगे और समझ लेंगे तो एक अच्छा प्रशासन देश में दे सकेंगे और अच्छा भारत बनाने में समर्थ हो सकेंगे।

मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी भी चिन्तित हैं और वे बराबर देख रहे हैं। वे कोई न कोई प्रयास करेंगे और कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। इसमें सभी दलों के सभी नेताओं के सहयोग की आवश्यकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं। मैं, नेता साथियों के साथ बराबर सहमत हूं जैसे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, लीडर आफ अपोजीशन और श्री जार्ज फर्नान्डीज बोले हैं। हमें बहुत अफसोस है कि इस तरह की वारदातें देश में हो रही हैं, चाहे पहले हुई या अब भी हुई। मैं बराबर सहमति रखता हूं कि जो भी इसमें आदमी हो, वह चाहे किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। मैं अपने दल की बात कहूंगा, वह इस हक में कभी भी नहीं है कि हमारे दल की तरफ से कोई व्यक्ति ऐसा करे और उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि हो, लेकिन ऐसा न हो कि अभी जैसे एम० पी० साही के लड़के की हत्या हुई और देवेन्द्र साहब के भाई की हत्या हुई तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए बिहार में जो हो रहा है, इसको जोड़ा जाए दूसरे दल से, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : ···(व्यवधान) कई प्रकार का प्रचार हो रहा है। डी-स्टेबलाइजेशन का प्रचार हो रहा है और जान-बूझकर चलाया जा रहा है। आप टीम बनाकर भेज दीजिए जिससे बिहार के तमाम इंसीडेंट की सारी बात सामने आ जाएगी और श्री गुलाम नबी आजाद को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। कल इनका कैन्डीडेट रंगे हाथ पकड़ा गया है।···(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा): मान्यवर, अभी जैसी चर्चा हुई है, गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा, हमने इस बात की बार-बार मांग की है चाहे हेमन्त शाही की घटना हो या चाहे कल की घटना हुई वह हो, आप संसदीय कमेटी बनाकर बिहार में भेजें और इनकी समीक्षा करा लें।

अध्यक्ष महोदय : बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो क्या हर जगह एक-एक कमेटी भेजी जाएगी,

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं एक बहुत ही गम्भीर मुद्दे की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट

करना चाहता हूं। यह एक चिंताजनक समाचार है कि इस सदन की एक महिला सदस्या को मानसिक उत्पीड़न तथा पीड़ा सहनी पड़ी क्योंकि वे एक पिछड़े हुए वर्ग से सम्बन्धित हैं। हम महिलाओं पर अत्याचार की काफी बातें करते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों पर अत्याचार की बातें भी हम काफी बढ़-चढ़ कर करते हैं। परन्तु इस मामले में इस माननीय सदन की एक निर्वाचित महिला सदस्या को मानसिक उत्पीड़न सहना पड़ा तथा उन्हें तंग किया गया। एक समाचार के अनुसार उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। इस सभा के अध्यक्ष के रूप में इस सदन के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपका है।

वे एक काफी मेधावी महिला हैं। दलों के आपसी मतभेद होते हैं; परन्तु तीन बच्चों के पिता के रूप में मैं यह कहना चाहूंगा कि वे एक मेधावी महिला हैं। इस माननीय सदन की एक सदस्या को मानसिक पीड़ा सहनी पड़ रही है क्योंकि वह एक पिछड़े हुए वर्ग से सम्बन्ध रखती हैं। अगर उनके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने का समाचार सत्य है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष के रूप में आपको इस मामले की जांच करनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं केवल उस महिला सदस्या की सुरक्षा चाहता हूं। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इस महिला सदस्या से दूरभाष अथवा किसी अन्य माध्यम से संपर्क स्थापित करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। अगर कोई अवांछित बात हुई है तो उसका निराकरण किया जाए।

[हिन्दी]

कुमारी पुष्पा देवी सिंह (रायगढ़) : यहां पर गृह राज्य मन्त्री बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि उनका जो पुलिस विभाग है क्या वह जनता की सुरक्षा के लिए है या जनता पर आतंक फैलाने के लिए है। मेरे जिले रायगढ़, मध्य प्रदेश में जो पुलिस ने आतंक फैलाया है उसका उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। कुछ दिनों पहले ग्राम डेंगुरजोर में एक ग्रामीण आदिवासी की हत्या हुई और एक ग्रामीण आदिवासी बालिका के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ। जब बेचारी ने जब थाने में रिपोर्ट कराना चाही तो उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। वह थाने में इधर-उधर भटकती रही, उसकी कोई सहायता नहीं की गई। जब ग्रामवासियों ने मिलकर उसकी सहायता करने हेतु आवाज उठानी चाही तो एक ग्रामवासी की पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इसकी जांच सी० बी० आई० द्वारा कराई जाये, क्योंकि रायगढ़ की जनता को मध्य प्रदेश की पुलिस पर विश्वास नहीं है।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : मध्य प्रदेश में हुकम चन्द टैक्सटाइल मिल्स 6-7 महीने से बन्द है। वहां साढ़े छः हजार मजदूर काम करते हैं, लेकिन कारखाना खुलवाने के लिए जब उनके द्वारा आन्दोलन किया गया और उन्होंने इन्दौर में रास्ता जाम कर दिया तो वहां की बी० जे० पी० की सरकार ने उनको जेलों में डाल दिया। दिसम्बर के महीने में जाड़े की रातों में उनको कम्बल और खाना नहीं दिया गया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज से एक मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई और एक अभी भी अस्पताल में बेहोश है। और जो कारखाना नहीं खुला है, मजदूर मांग कर रहे हैं कि वह कारखाना तुरन्त खोला जाए। जो व्यक्ति अस्पताल में मर गया है, उसको पूरा कम्पन्सेशन मिले और जो घायल है, उसको भी कम्पन्सेशन दिया जाये। इसके अलावा जो पुलिस द्वारा मार-पीट की गई है, उसकी जांच होनी चाहिए। यही मेरा कहना है।

12.31 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

श्री ब्रह्मदत्त प्रसाद शुक्ला (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, देश में लघु उद्योगों को पूरा

करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग संस्था की आवश्यकता अधिक दिनों से महसूस हो रही थी और उसकी मांग उठ रही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व एवं सहयोगी संस्थान के रूप में इस बैंक को स्थापित करने के लिए मई, 1989 में इसी सदन में एक बिल लाया गया था जो अक्तूबर, 1989 में पास किया गया था।

मान्यवर, इस बिल में यह प्रावधान था कि इस बैंक का प्रधान कार्यालय लखनऊ में होगा लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2 अप्रैल, 1990 से इस बैंक ने अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है लेकिन दो वर्ष के अन्दर अभी तक इस बैंक का प्रधान कार्यालय लखनऊ में स्थानान्तरित नहीं हुआ। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सदन में प्रस्ताव पारित करने के बाद भी, निर्णय होने के बाद भी इस बैंक का प्रधान कार्यालय लखनऊ में अब तक क्यों नहीं ले जाया गया ? मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस भारतीय उद्योग बैंक का प्रधान कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : 1950 में राज्यों के पुनर्गठन से लेकर अब तक महाराष्ट्र और कर्नाटक का आपस में सीमा-सम्बन्धी विवाद चल रहा है। बहुत से ऐसे गांव, जो महाराष्ट्र में शामिल होने चाहिए थे, कर्नाटक में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा ने दो बार सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा श्री राजीव गांधी ने भी इस मुद्दे को सुलझाने का आश्वासन दिया था। 1956 के पश्चात सभी चुनावों में सीमावर्ती क्षेत्रों से महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्य विधायक चुने जाते रहे हैं। वे एक शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अपना आन्दोलन चला रहे हैं।

अब यह हुआ है कि बेलगांव से निर्वाचित एक सदस्य श्री बी० वाई० चवन ने यह कहते हुए धमकी दी है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने के बावजूद क्योंकि उनकी आवाज को नहीं सुना जाता है इसलिए वे आत्मदाह करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर से एक गंभीर समस्या पैदा हो जाएगी। उनकी मुख्य शिकायत यह है कि कर्नाटक सरकार द्वारा उनके सामाजिक जीवन पर सांस्कृतिक तथा शैक्षिक रूप में आघात किया जा रहा है।

इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करें। इस मामले को सदा के लिए सुलझाने के लिए महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलायें ताकि इन सभी बातों का अन्त हो सके और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग शान्ति से रह सकें। यही मेरी मांग है तथा सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : सभापति महोदय, आज के समाचारपत्रों में यह कहा गया है कि उद्योग मंत्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा वाशिंगटन में विश्व बैंक के साथ "नैशनल रिन्यूवल फंड" की राशि बढ़ाने सम्बन्धी बातचीत चल रही है। यह इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि 'हिट लिस्ट' में केवल रुग्ण तथा स्थायी रूप से इकाईयों को ही सम्मिलित नहीं किया जा रहा है बल्कि 'मेल' एम० एम० टी० सी०, एस० टी० सी० इत्यादि संस्थानों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में कामगार बेकार हो जाएंगे। जितना पहले अनुमान लगाया जा रहा था; उससे यह संख्या कहीं अधिक होगी। इसीलिए 'नैशनल रिन्यूवल फंड' में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पड़ रही है। यह तथाकथित फंड केवल इस निंदनीय छंटनी नीति का अटूट हिस्सा है। 'इन्टक' समेत सभी मजदूर संघों तथा एक विशाल जनमत इस 'नैशनल रिन्यूवल फंड' के विरुद्ध

है। फिर भी सरकार इस सम्बन्ध में बातचीत को आगे बढ़ा रही है। वे एक के बाद एक अपील जारी कर रहे हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सरकार से ऐसी गतिविधियों से बचने के लिए कहें।

श्री चित्त बसु (बारसात) : महोदय, आज कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि उद्योग मंत्रालय के कुछ अधिकारी वाशिंगटन में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। मुद्दा 'नेशनल रिन्युवल फंड' में बढ़ोत्तरी का है। यह हमारे देश की प्रस्तावित छंटनी नीति से सम्बन्धित है। छंटनी नीति को अभी तक सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है। इस संसद को इस छंटनी नीति के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से जानने का अवसर नहीं मिला है, जो कि सारे मजदूर वर्ग पर तलवार की तरह लटकी हुई है।

यह भी सुनने में आया है कि उद्योग मंत्रालय ने 'रिन्युवल फंड' में एक व्यापक नोट तैयार किया है। इस नोट में कानूनी पहलू को भी सम्मिलित किया गया है। इसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं तथा निजी उद्योगों इत्यादि से प्राप्त होने वाले सम्भावित योगदान का भी उल्लेख किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में कार्यरत फालतू कर्मचारियों का इकाईवार आकलन भी इस नोट में शमिल है। ऐसा भी संकेत है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग द्वारा तैयार की गई 58 रुग्ण इकाइयों के अलावा और भी इकाइयों में कामगारों को फालतू घोषित किया जाएगा। श्रम मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में एक नोट सांसदों के बीच परिचालित किया गया था।

मैं इस मामले को एक बार फिर आपके ध्यान में ला रहा हूं क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है और इस संसद को किसी भी नीति को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या उसमें सुधार करने के सम्बन्ध में बहस करने का अधिकार है। हमारे देश के बहुत बड़े कामकाजी वर्ग को प्रभावित करने वाली 'छंटनी नीति' जैसे विषय को सरकार सदन के समक्ष उसकी अन्तिम स्वीकृति हेतु रखने के बजाय इसके सम्बन्ध में वार्ताओं की दौर जारी रखे हुए है।

यह मर्यादा का हनन है। यह मान दण्डों का उल्लंघन है। (व्यवधान) इसलिए, मैं चाहता हूं इस वार्ता को तुरन्त ही बन्द किया जाए और छंटनी नीति को स्पष्ट किया जाय।

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त करें।

श्री चित्त बसु : उसके बाद, संसद से मंजूरी मिल जाने के बाद, इस मामले पर चर्चा हो सकती है। विदेशी एजेंसियों से बातचीत करने से पहले संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। यह संसद की संप्रभुता का प्रश्न है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, पिछले एक साल से भारत और बंगलादेश की सीमाओं पर आराकान क्षेत्र में बर्मा के सैनिक शासन द्वारा सैनिक कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं। वहां से जनसंहार और ग्रामीण की पलायन के सम्बन्ध में भयावह रिपोर्ट मिल रही हैं। परिणामत: भारत और बंगलादेश दोनों में ही शरणार्थियों की बाढ़-सी आ गई है। जिसके कारण इस महाद्वीप में तनाव का एक नया बिन्दु बन गया है जिससे क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में पहले ही सक्रिय हो चुका है कि वहां अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं।

सभापति महोदय, भारत सरकार ने, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों और क्षेत्रीय शांति की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, इस पर चिन्ता तो प्रकट की है लेकिन इस सम्बन्ध में इसने कोई खास कार्यवाही नहीं की है। महोदय आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस उप-महाद्वीप का सबसे बड़े देश होने के नाते हमारी कुछ निश्चित जिम्मेदारियां हैं, इसलिए हमें जितना हमने अब तक किया है उससे कहीं ज्यादा करना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में सहयोग देना चाहिए जिससे भारत और बंगलादेश की धरती पर रह रहे शरणार्थी अपने देश बर्मा अर्थात म्यमनार लौट सकें। हमें आशा है कि हमारे पड़ोस में हो रही अशान्ति को दूर करने के लिए द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर कूटनीतिक पहल करने में भारत सरकार अपने सारे प्रभावों का प्रयोग करेगी। (व्यवधान)

श्री सफुद्दीन चौधरी : महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा उठाये गये मुद्दे का सम्बन्ध सिर्फ शरणार्थियों को म्यमार वापस भेजने के प्रश्न तक ही सीमित नहीं है बल्कि वहां हो रही घटनाओं से हमारे देश के सभी लोकतांत्रिक लोगों को दुःख पहुंच रहा है। यह लोकतांत्रिक अधिकारों और लोकतंत्र के सभी दूसरे रूपों का उल्लंघन है। महोदय, अब हमने इस सदन के समक्ष म्यमार में चल रहे लोकतांत्रिक आन्दोलन के प्रति अपना नैतिक समर्थन व्यक्त किया है। हमें इसके लिए कई पत्र और अपीलें प्राप्त हुई हैं। मुझे समाचार मिला है कि बर्मा के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, 85 वर्षीय श्री उन्नों को उनके घर में नजरबन्द किया गया है। एक अपील के मार्फत बर्मावासियों के इस नेता और एक साहसी महिला, सू क्यई को जिन्हें नजरबन्द कर दिया गया है, को छोड़ देने की मांग में हमसे शामिल होने को कहा गया है। पड़ोस के सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते बर्मा में चल रहे इस लोकतान्त्रिक आन्दोलन को हमें अपना नैतिक समर्थन देना चाहिए और वहां हो रहे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की स्पष्ट शब्दों में भर्त्सना करनी चाहिए। इस प्रकार हमें बर्मा के लोगों के लोकतांत्रिक आन्दोलन को अपना नैतिक समर्थन देना चाहिए।

श्री जी० एम० सी० बालयोगी (अमालापुरम) : सभापति महोदय, मैं आपको मुझे शून्य-काल के दौरान लोक-महत्व के निम्नलिखित विषयों को उठाने के लिये दिये गये अवसर के लिये धन्यवाद देता हूं।

यानम, जो कि मुख्य क्षेत्र से काफी दूर है, पांडिचेरी राज्य का सबसे उपेक्षित भाग है। उस क्षेत्र में न तो कोई संचार की सुविधा है और न ही विकास की कोई भी गतिविधियां। वहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक या आर्थिक उत्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। खासकर रोजगार देने में, 'लैंक लैंड' पट्टे पर देने में, अवास स्थल आबंटित करने में और आवास योजनाओं को लागू करने में उन वर्गों के लोगों के साथ भेद-भाव बरता जाता है। इसके अलावा, स्व० डा० बी० आर० अम्बेडकर की जन्म-शती के उपलक्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा यानम में उनकी आदम-कद प्रतिमा स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है किन्तु पांडिचेरी सरकार ने इस पर भी कोई विचार नहीं किया है। यानम को इसकी स्थिति के कारण पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की भी अच्छी सम्भावनाएं हैं। उस इलाके में अधिकतर पिछड़े वर्ग के मछुआरे हैं लेकिन उस स्थान को मत्स्यपालन केन्द्र के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। गोदावरी में हर साल बाढ़ आती है लेकिन बाढ़ के पानी का यानम में प्रवेश रोकने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है, जिससे वहां के लोगों का जान-माल प्रभावित होता है। इस मामले में भी, पांडिचेरी सरकार यानम में बाढ़ के पानी की रोक-थाम के उपायों के लिए कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं करा रही है। यानम और येदूरलंका को जोड़ने के लिये पांडिचेरी सरकार और आन्ध्र प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना

के रूप में गौतमी नदी पर एक पुल का निर्माण भी जरूरी है जिससे दोनों ही राज्यों में यातायात में सुधार होगा और कृषि-आधारित व्यवसाय का विकास होगा जिससे ज्यादा खुशहाली आयेगी तथा यानम एक बहुत ही अच्छा बाजार, केन्द्र बन जाएगा अत: महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यानम की उपर्युक्त समस्याओं पर विचार करने और उस क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए वहां की स्थिति में सुधार करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, आज जम्मू और कश्मीर के सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं के नेतृत्व में बाहर धरना दिये बैठे हैं और उन्हें यह शिकायत है कि जम्मू तथा लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, केन्द्र और प्रदेश सरकारों के द्वारा उनकी लगातार अवहेलना की जाती रही है। पिछले वर्षों में केन्द्र की ओर से 75 हजार करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर राज्य को दिये गये वे अधिकतर घाटी में ही खर्च हुए हैं जिससे जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में इतना असंतोष फैल गया है कि आज लद्दाख के लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तथा जम्मू क्षेत्र के लोगों में भारी उत्तेजना है। उनकी मांग है कि जम्मू के लिये और लद्दाख के लिये अलग-अलग रीजनल डेवलपमेंट कौंसिल कांसटीट्यूट की जायें तथा सेन्टर की तरफ से जो ग्रान्ट मिलती है, उसमें उनका भी हिस्सा है, वह हिस्सा उनके क्षेत्र में खर्च किया जाये। लद्दाख को भी पूरा हिस्सा मिले और कश्मीर घाटी से जो शरणार्थी, विस्थापित लोग उजड़कर आ गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकार तुरन्त समुचित कदम उठाए और उन्हें उचित आर्थिक सहायता दे।

श्री मोहन रावले (मुम्बई-दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए आपका धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि धूमल जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर प्रश्न है। जम्मू से एक हजार लोग आए हैं और बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। वहां के मायग्रेन्ट्स की इतने सालों से समस्या चली आ रही है। वहां पर प्रधान मंत्री जी को जाना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : मैं एक ही सदस्य को बार-बार बोलने की अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने वर्ष 1984 में इंडियन वैटरिनरी कौंसिल एक्ट नामक एक कानून बनाया था जिसके अन्तर्गत केवल ग्रेजुएट डाक्टर ही सरकारी नौकरी पा सकते हैं और डाक्टर कहला सकते हैं। देश भर के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यह कानून लागू है। केवल महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां यह कानून लागू नहीं है। इसके पीछे निहित स्वार्थों का हाथ है। सरकार के मंत्रियों और विधायकों के महाराष्ट्र में अपने निजी कालेज हैं और वे लोगों को डिप्लोमा और सर्टिफिकेट देते हैं। वहां पर यह व्यवस्था है कि डिप्लोमा और सर्टिफिकेट धारक दस वर्ष के बाद अपने नाम के आगे डाक्टर लिख सकते हैं और इस प्रकार उनको डाक्टर का स्टेटस प्राप्त हो जाता है। वे सरकारी नौकरी में डाक्टर के पद पर नियुक्त हो सकते हैं जब कि ये केवल

कम्पाउंडर ही होते हैं। जब कम्पाउंडर ही डाक्टर बन जायेंगे, तो बेचारे जानवरों की जान खतरे में होगी ही।

सरकारी कालेजों के विद्यार्थी इसी बात को लेकर आन्दोलन करते आ रहे हैं। 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शंकरराव चव्हाण ने उनकी मांगों को न्यायोचित बताते हुए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है, लेकिन वह रिपोर्ट क्रियान्वित नहीं हुई। 1989 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री शरद पवार जी ने उनकी मांगों को न्यायोचित बताया था, लेकिन इस बारे में अब तक कुछ नहीं हुआ और इंडियन वेटरिनरी कौंसिल एक्ट, 1984 के प्रावधान 8 वर्ष के बाद भी महाराष्ट्र में लागू नहीं हैं। आन्दोलन जारी है।

एक विद्यार्थी की भूख हड़ताल से जब हालत बिगड़ गई, तो उसको अस्पताल ले जाया गया। जब उसकी मां को इस बात का पता चला, तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके प्राण पखेरू उड़ गए। अभी ये छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं।

पशु धन देश की बड़ी पूंजी होता है। यदि उनका इलाज अकुशल और अनुभवहीन, अशिक्षित और अयोग्य लोगों के हाथों में निहित स्वार्थ के कारण सौंप दिया जाए तो ईश्वर ही मालिक है।

केन्द्र सरकार को इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए और यदि महाराष्ट्र सरकार नहीं मानती है, तो केन्द्र अपने आदेश पर यह इंडियन वेटरीनरी कौंसिल एक्ट महाराष्ट्र में लागू कराए और अधिकृत, शिक्षित और योग्य डाक्टरों के हितों की रक्षा करे। उनके आन्दोलन को भी तुरन्त समाप्त कराने के लिए माननीय कृषि मन्त्री को उनसे बातचीत करनी चाहिए।

महाराष्ट्र की इसी नीति को ध्यान में रखते हुए जब विदेश में होने वाले वेटरीनरी डाक्टरों के सम्मेलन में भारतीय डाक्टरों का दल भाग लेने गया तो उसे उसमें भाग नहीं लेने दिया गया कि आपका स्टेटस उपयुक्त स्तर का नहीं है। इस प्रकार महाराष्ट्र की इस नीति के कारण सारे भारत को नीचा देखना पड़ा।

वेटरीनरी डाक्टर्स को अपने डेयरी फार्म, पाल्ट्री फार्म, शीप, गोट फार्म्स आदि के लिए कम से कम पांच लाख रुपया चार प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर दिया जाए। प्राइवेट कालेज के नाम पर जो दुकानें चल रही हैं और जिन्हें राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त है, वे तुरन्त बन्द की जानी चाहिए। केवल तभी आप कुशल डाक्टर पैदा कर सकेंगे और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हमारा स्टेटस बन सकेगा इस बारे में प्रधान मंत्री और कृषि मन्त्री को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि इस प्रकार से जो हड़ताल वहां चल रही है, वह समाप्त हो सके और उनको न्याय मिल सके।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मांग है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

सभापति महोदय : शून्यकाल में आपको समर्थन करने की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

श्री छेदी पासवान : (सासाराम) सभापति महोदय, कल इस सदन के सदस्य नीतीश कुमार ने यह मामला उठाया था कि सोन नहर के पानी के वितरण को लेकर बिहार के सोन अंचल के किसान आज बोट क्लब पर दूसरे रोज भी धरने पर बैठे हुए हैं। यह सोन नहर प्रणाली शताब्दी पुरानी नहर

है। यह 118 वर्ष पुरानी हो गई है। इससे बिहार के 3 जिलों, पटना, गया, जहांनाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ, बक्सर और भोजपुर की 23 लाख एकड़ उपजाऊ भूमि की सिंचाई होती है। यह सोन नहरप्रणाली अति पुरानी है जिससे उसकी सिंचाई की क्षमता काफी कम हो गई है और इससे करीब-करीबएक लाख लोगों के पालन का जरिया बना हुआ है। 1973 में बाण सागर समझौता; मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था।

लेकिन उत्तर प्रदेश गैरकानूनी ढंग से उल्लंघन करके सीवान जिले का पानी अपने ताप बिजली घर में ले जा रहा है जिससे बिहार की करीब एक तिहाई भूमि आज भी सिंचाई से वंचित रह जाती है। हर साल सूखे की चपेट में आ जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले को या तो न्यायाधिकरण को भेज दें या उच्चतम न्यायालय को दे दें, नहीं तो देश में दूसरा कावेरी नदी जल विवाद खड़ा हो सकता है। मैं केन्द्र सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करें ताकि बिहार की सुखाड़ भूमि को सिंचाई हो सके।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है जहां सिंचाई का मात्र 19 प्रतिशत साधन है। हमारे क्षेत्र जहानाबाद में एक योजना है जो पांच प्रखंड को पूरा करती है। उस योजना का नाम पुनपुन बर्षा सिंचाई परियोजना है। वह परियोजना 1980 से केन्द्र सरकार के यहां आई हुई है। सी०डब्ल्यू०सी० (केन्द्रीय जल आयोग) जो जल की जांच करने वाला विभाग है, ने उसकी जांच कर ली है और इस योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। बिहार सरकार ने इस योजना पर करीब 50 लाख रुपये का आबंटन भी किया है। मैं बार-बार इसलिए सरकार से मांग कर रहा हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस पुनपुन बर्षा परियोजना को जोड़ा जाए जिससे वहां के चार ब्लाक जहानाबाद, मसौढ़ी, फुर्बा, फतुआ और करणी, को जल मिल सके और उसे सुखाड़ और बाढ़ से बचाया जा सके। हमारी मांग है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे जोड़ दिया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप शून्य काल में सिर्फ एक मुद्दा ही उठा सकते हैं।

श्री आर्थर फर्नान्डीज : मैंने तो बिहार की स्थिति पर चर्चा की है जिसे किसी दूसरे माननीय सदस्य ने उठाया था।

[हिन्दी]

इसका तो मैंने आपको नोटिस दिया है।

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। दूरदर्शन पर राष्ट्रीय चैनल में कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व जो लोगो आता है, उसमें सत्यम शिवम सुन्दरम हमेशा से दिखाया जाता रहा है। अब उसको बदल कर सत्यम प्रियम सुन्दरम कर दिया गया है। मैं आज देखकर आया हूं, मैंने कल भी देखा है। क्या भारत सरकार ने यह नीति बदल दी है? शिव शब्द क्योंकि हिन्दुओं का आराध्य देवता होता है इसलिए शिव शब्द से इतनी एलर्जी हो गई है जिसके कारण शिव शब्द को बदल दिया जाए। संस्कृत में शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। इस सूक्ति के माध्यम से यह कामना की जाती है कि लोग सुखी हों, लोगों के कल्याण की कामना की जाती है। क्या सरकार ने लोगों के कल्याण की कामना करना छोड़ दिया है?

इसी नीति के तहत वंदे मातरम्, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसमें केवल दुर्गा अष्टभुजा धारिणी शब्द आता था। उसको काटकर अधूरा कर दिया गया। यह किन अधिकारियों ने किया है? अखबार में छपा है कि मंत्री महोदय से जब यह पूछा गया तो श्री अजीत पांजा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम किन अधिकारियों ने कर दिया। यदि यह सरकार की नीति नहीं है और यदि इसको अधिकारियों ने बदल कर अपने आप किया है तो क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कदम उठाएगी? क्या सरकार उसमें फिर से सुधार कर सत्यम शिवम सुन्दरम दिखाना शुरू करेगी? सरकार इस पर जवाब दे कि सरकार द्वारा घोषित नहीं करने के बावजूद भी कैसे अधिकारियों ने अपने आप कर दिया। सरकार को स्टेटमेंट देना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति महोदय, मैं आपका समय नहीं लूंगा। मैं बहुत परेशान हूं इसलिए इस मुद्दे को यहां पर छेड़ना चाहता हूं। आज ऐसी खबर है कि प्रधानमंत्री की सदारत में एक मीटिंग होने जा रही है जिसमें महात्मा गांधी की समाधि को लेकर कुछ चर्चा होनी है। यह बताया जाता है कि महात्मा गांधी की समाधि, राजीव गांधी की समाधि और इसके साथ इन्दिरा गांधी की समाधि, इनको एक काम्प्लेक्स में, यहां तक कि एक वक्तव्य आया है कि तीनों चूंकि शहीद हो गए इसलिए तीनों की समाधियों को एक काम्प्लेक्स में हमें बनाना चाहिए।

मैं बहुत ही दु:ख और दर्द के साथ यह बात यहां पर छेड़ रहा हूं।

इस देश में कुछ ऐसी संस्थायें हैं, कुछ ऐसी यादें हैं, कम से कम उनके साथ हम लोग मजाक न करें। महात्मा गांधी की समाधि के साथ और किसी का नाम जोड़ना, महात्मा गांधी जी की समाधि के साथ और किसी का नाम जोड़ना, महात्मा गांधी जी की समाधि के साथ और किसी का भी जमीनी नाता ही क्यों न हो, लेकिन जमीनी नाता जोड़ने की बात करना, यह बात मैं नहीं मानता हूं कि हिन्दुस्तान के लोग उसे स्वीकार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री जी यहां नहीं है, लेकिन उनसे मेरी प्रार्थना है कि वह और चाहे राजनीति चलाये, राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से चाहे कोई और कार्यक्रम चलाएं लेकिन महात्मा गांधी जी की समाधि को छूने वाली बात जो आज सामने आई है, इस बात को प्रधान मंत्री होने न दें। इसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह सदन उनको बताने का काम करे।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री जार्ज फर्नान्डीज के द्वारा कही गई बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। मैं चाहूंगा कि यह सरकार प्रधानमंत्रियों के निवास-स्थान और तथाकथित इन समाधियों के दोनों ही मामलों में नई पहल करें। इस सम्बन्ध में सभी उत्तरोत्तर सरकारों द्वारा जो भी किया गया है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सम्बन्ध में तो उचित यही होगा कि प्रधानमंत्री निवास को चलता-फिरता सर्कस नहीं बनाया जाये और इसे यहां वहां नहीं बदला जाए। हमें एक ही बार में यह निर्णय कर लेना चाहिए कि अमुक स्थान प्रधानमंत्री निवास के लिए है, अगर जरूरी हो तो इस सम्बन्ध में एक कानून भी बनाया जा सकता है।

जहां तक समाधियों का प्रश्न है, मेरी यह स्पष्ट राय है और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे सदन की भी यही राय होगी कि गांधी जी की समाधि के साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं भी माननीय जार्ज फर्नान्डीज के द्वारा उठाये गए मुद्दे का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रकाशित खबरें पूर्णतया आधारहीन साबित

हो। अगर यह समाचार सत्य है तो यह एक बहुत बड़ी भूल होगी। यहां उपस्थित किसी मंत्री या सरकार के तरफ से किसी भी व्यक्ति को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। यह इस देश के लोगों और हमारे महान शहीदों की स्मृति के लिए बहुत ही अपमान की बात है।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : सभापति जी, गुलाम नबी आजाद जी बैठे हैं जो कि हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यह जो वाजपेयी साहब और आडवाणी साहब ने सवाल उठाया है, यह बहुत गम्भीर सवाल है। दुनिया के लोग यहां आते हैं, भिन्न-भिन्न देशों से राज्याध्यक्ष आते हैं, प्राइम मिनिस्टर व प्रेजिडेंट आते हैं। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देने के लिए विशेष तौर पर राजघाट जाते हैं। इसको किसी और के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री या किसी अधिकारी के दिमाग में यह बात कैसे आई, मैं नहीं समझ पाया। असल में राजीव गांधी जी के प्रति सब का सम्मान है। उनके लिए आप जो चाहें करें, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। इसको जोड़ने की चीज दिमाग में कैसे आई।

[अनुवाद]

मैं यह जानकर किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया हूं।

[हिन्दी]

हमें अखबार के जरिये से यह बात मालूम हुई है। मैं आपके जरिए खास तौर पर गुलाम नबी आजाद जी से यह कहना चाहता हूं कि संसद की जो राय या विचार होते हैं, वही देशवासियों के विचार होते हैं। इससे देशवासियों को बहुत झटका पहुंचेगा। इससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हम लोगों का सम्मान खिन्न होगा। इस सदन की भावना को देखकर मैं आजाद साहब को यह कहना चाहूंगा कि वह प्रधानमंत्री तक हमारी यह खबर पहुंचा दें कि सदन की यह सर्वसम्मत राय है कि राजघाट में किसी तरह का इन्टरफियरेंस न किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सभापति जी, आज यह चीज मैंने सुबह पेपर में पढ़ी है। मीटिंग थी, उसमें यह शामिल था या नहीं और मीटिंग है या नहीं व उस मीटिंग में यह एजेंडा है या नहीं, ये सब अभी मुझे मालूम नहीं है। इस पर पेपर में से पढ़ कर चर्चा हो रही है, लेकिन आपकी जो भावना है, वह मैं प्रधानमंत्री जी को पहुंचा दूंगा।

श्री रवि राय : इसके लिए आपको धन्यवाद।

1.00 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री पी० चिदम्बरम की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित

[श्री रंगराजन कुमारमंगलम]

पत्रों को रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1782/92]

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं श्री जगदीश टाइटलर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1783/92]

(2) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1784/92]

सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के अन्तर्गत इलाकाई देहाती बैंक, हजारी बाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नवाबगंज का वर्ष 1990-91 के लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिक्का—निर्माण ("भारत पर्यटन वर्ष 1991" के अवसर पर निर्मित 75 प्रतिशत तांबा तथा 25 प्रतिशत निकल वाले पांच रुपये, दो रुपये और एक रुपये के स्मारक सिक्के का मानक भार और उपचार) नियम, 1991, जो 28 अक्तूबर, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 716(अ) में प्रकाशित हुए थे; की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1785/92]

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) इलाकाई देहाती बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1786/92]

(दो) हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नवाबगंज का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन; लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1787/92]

(तीन) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशियारपुर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन; लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1788/92]

(चार) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड़ का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1789/92]

(पांच) मिजोरम ग्रामीण बैंक, ऐजल का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1790/92]

(छह) पंड्या ग्राम बैंक, सलुर का वर्ष 1990-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1791/92]

श्रम मन्त्रालय के वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

श्रम मंत्रालय के वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1792/92]

1.01 म० प०

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 सभा पटल पर रखता हूं। क्योंकि 3 अप्रैल, 1992 को एक प्रतिवेदन सभा को दी गई थी।

1.01½ म०प०

प्राक्कलन समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय—भारतीय चलचित्र और दूरदर्शन संस्थान—सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (नौवीं लोकसभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.02 म०प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

पांचवां और छठा प्रतिवेदन तथा कार्यवाही—सारांश

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग)—पारादीप

फोस्फेट्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन और (दो) वित्त मन्त्रालय (बैंक प्रभाग) पंजाब नेशनल बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का पांचवां और छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

———

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी। श्री के०वी० थामस।

1.02½ म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दक्षिणी राज्यों में मधुमक्खियों की महामारी पर नियंत्रण करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस (इर्नाकुलम) : केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में किसानों के लिए मधुमक्खी पालन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन दक्षिणी राज्यों में मधुमक्खियों की महामारी के कारण उस गृह-आधारित लघु उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि भारत में बाहर से लाये गये अच्छे नस्ल वाले किस्म की मधुमक्खियां इस महामारी के कारण हैं। अब तक इस महामारी को रोकने के लिए कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि दक्षिण भारत के मधुमक्खी पालक किसानों को सहायता देने के लिए अविलम्ब कदम उठाए जो कि इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं।

(दो) आन्ध्र प्रदेश के राजमपेट में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदले जाने की आवश्यकता

श्री ए० प्रताप साय (राजमपेट) : आन्ध्र प्रदेश के राजमपेट में दूरसंचार के क्षेत्र में विकास के अभाव की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अब तक राजमपेट आन्ध्र प्रदेश में जो कि देश का अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है, वहां किसी भी मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में नहीं बदला गया है। दूरसंचार के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तनों के बावजूद इस क्षेत्र के लोग किसी भी ऐसे विकास से वंचित हैं।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से आन्ध्र प्रदेश के राजमपेट में मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का सरकार से निवेदन करता हूं।

[हिन्दी]

(तीन) राजस्थान के गंगानगर जंक्शन पर और अधिक रेल सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : सभापति महोदय, कृषि उत्पादनों की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण

[श्री बीरबल]

जिले श्रीगंगानगर एवं राजस्थान की राजधानी जयपुर के मध्य वर्तमान में केवल एक रेलगाड़ी गंगानगर एक्सप्रेस ही आवागमन का मुख्य साधन है। यह रेलगाड़ी 582 कि० मी० की यात्रा करीब 16 घंटे में पूरी करती है। यात्रा का दूसरा साधन नहीं होने के कारण इस रेलगाड़ी में अत्यधिक भीड़ रहती है। इसलिए इस मार्ग पर टूरिस्ट बसों का वर्चस्व हो गया है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है तथा यात्रियों से किराया भी अधिक वसूल होता है।

स्वयं गंगानगर की आबादी वर्तमान में तीन लाख से अधिक है एवं इस जिले में सेना की दो छावनियां व सूरतगढ़ में वायुसेना की छावनी है। राज्य का सिंचाई की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण जिला है। यहां नहरों का जाल बिछा हुआ है एवं पांच वृत्त हैं। कृषि उत्पादनों में अग्रणी होने से व्यावसायिक एवं व्यापारिक आवागमन बहुत ज्यादा होता है। सुरक्षा, कृषि एवं व्यवसाय की दृष्टि से गंगानगर राज्य का ही नहीं, देश का एक महत्वपूर्ण नगर है।

जिला मुख्यालय गंगानगर से केवल मात्र एक रेलगाड़ी की सुविधा राज्य की राजधानी के लिए होने से बहुत सी परेशानियां यात्रियों को वहन करनी पड़ती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि जयपुर एवं गंगानगर के बीच एक और रेलगाड़ी चलाई जाय।

वर्तमान मे चल रही गंगानगर एक्सप्रेस गाड़ी में स्टीम इंजन के बजाय डीजल इंजन लगवा-कर यात्रा के समय को कम करके 10 घंटे किया जाय एवं इस रेलगाड़ी के स्टापेज को कम किया जाय ताकि यात्रा अधिक सुविधाजनक होने के साथ-साथ कम समय में पूरी हो सके।

जयपुर व सीकर के बीच एक पैसेंजर शटल रेलगाड़ी सुबह व शाम चलाई जाय ताकि रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो सके।

(चार) राजस्थान में अजमेर जिले के ब्यावर नगर में स्थित कृष्णा मिल को राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिगृहीत किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, अजमेर जिले के ब्यावर नगर में स्थित कृष्णा मिल बन्द हो जाने से हजारों मजदूरों का जीवन संकटमय हो गया है। उन मजदूरों पर आश्रित हजारों परिजनों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। करोड़ों रुपयों का मिल मजदूरों का पूर्व बकाया पैसा, प्रोविडेंट फंड, बीमा आदि का जमा पैसा भी मजदूरों को नहीं चुकाया गया। विभिन्न कपड़ा मिल मजदूर संगठनों, राजनैतिक दलों ने बार-बार सरकार से इस मिल को चालू कराने का अनुरोध किया है।

अतः बेकार मजदूरों को पुनः रोजी देने, परिजनों को भूख से बचाने, करोड़ों रुपये की मिल की मशीनों को बचाने हेतु भारत सरकार अविलम्ब कृष्णा मिल को अधिगृहीत कर एन० टी० सी० के अन्तर्गत चालू करवाए और कपड़े का उत्पादन प्रारम्भ करें।

(पांच) बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक पार्श्व सड़क का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदय, बिहार राज्य के पिछड़ा जिला सीतामढ़ी विकास की दृष्टि से कोसों दूर है। सीतामढ़ी नेपाल से जुड़ा है, यहां लम्बे अर्से से पार्श्विक सड़क के निर्माण के लिए मांग होती रही है। रक्षा की दृष्टिकोण से सीतामढ़ी जिला में पार्श्विक सड़क बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस जिला के कोई भी सड़क इस स्थिति में नहीं है कि जरूरत पड़ने

पर रखा सामग्री समय पर लाई जा सके। नेपाल का 13वां एवं 14वां गेट इस जिले में खुलता है। भारत सरकार के ही द्वारा नेपाल में राजमार्ग का निर्माण किया गया है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस जिला के सैदपुर, पुपरी, सुरसण्ड, परिहार एवं बेला की सड़क पहले से ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जहां किसी भी गाड़ी को तेजी से नहीं चलाया जा सकता है।

इसलिए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा इस सड़क का शीघ्र ही सर्वेक्षण कराकर बिहार के सीतामढ़ी जिले में सक्रियात्मक दृष्टि से पार्श्विक सड़क का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए।

[अनुवाद]

(छह) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में झाड़ग्राम टेलीफोन केन्द्र पर "उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग" सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री रूप चन्द मुरमु (झाड़ग्राम) : झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले का एक प्रभंडलीय शहर है जो कई मायनों में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र मूलतः जनजातीय बहुल क्षेत्र है। इलैक्ट्रानिक विकास और संचार व्यवस्थाओं के आधुनिक युग में भी यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा है। पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों को मद्देनजर रखते हुए यह महसूस किया गया कि संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और इस सुविधा को सुदूर गांवों तक पहुंचाया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना एक कार्यालय जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग है झाड़ग्राम विकास परिषद को मंत्री सहित स्थापित किया है। उस क्षेत्र में एस० टी० डी० सुविधा नहीं है। प्रतिदिन इस क्षेत्र से संचार सम्पर्क बनाए रखने में उक्त आधुनिक सुविधा के अभाव में कठिनाई हो रही है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि झाड़ग्राम टेलीफोन एक्सचेंज में तुरन्त एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराए।

1.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.18 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.18 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अनुदानों की मांगें (सामान्य)–1992-93

ग्रामीण विकास मंत्रालय

खाद्य मंत्रालय

कृषि मंत्रालय

नागरिकपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी मामलों के मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजनकुमार मंगलम) : यदि सभा सहमत हो तो 2.35 बजे म० प० इन पर

[श्री रंगराजन कुमारमंगलम]

उत्तर दिया जा सकता है ताकि हम मांगों पर चर्चा पूरी कर सकें। यह ठीक है कि इसके लिए निर्धारित समय बहुत पहले समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री जी को 2.30 म० प०-2.40 म० प० के लगभग उत्तर देने की अनुमति दी जाए। गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य शुरू होने से पहले हम इस पर मतदान किया जा सकेगा और पारित कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तीन-चार माननीय सदस्य हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : आप उन्हें बुलाएं। अब भी समय है।

सभापति महोदय : यदि उनमें से प्रत्येक पांच-पांच मिनट लें तो सम्भव है। अन्यथा यह संभव नहीं है।

श्री बीरबल, कृपया पांच मिनट के अन्दर ही पूरा करें।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : सभापति महोदय, ग्रामीण, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसान के पास पांच चीजें जरूरी हैं—पहला, तो उसके पास जमीन होनी चाहिए, दूसरा, उसको अच्छा बीज मिलना चाहिए, तीसरा, उसको अच्छी किस्म की खाद मिलनी चाहिए, चौथा, सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और पांचवां उसकी फसलों की सुरक्षा ठीक ढंग से की जाए। बहुत सारे लोग आज बड़े जमींदारों के पास काम करते हैं, लेकिन उनके पास अपनी जमीन नहीं है। सरकार की कोशिश हो कि ज्यादा-से-ज्यादा लोग जो खेती करते हैं, खेती द्वारा अपना जीवन निर्वाह करते हैं उनमें जमीन का आबंटन ठीक ढंग से कर दिया जाए। इस तरह से जो सरप्लस जमीन है, जो खेतीहर मजदूर हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, खेती में काम करतेहैं, उनको मिलनी चाहिए।

देश आजाद होने के बाद प्रथम प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने किसान पर ध्यान दिया। बड़े-बड़े बांध बनवाए जैसे भाखड़ा व पोंग बांध। अनेकों बांध देश में बनवाए और फिर नहरें निकाली। नेहरू जी का अधूरा काम इन्दिरा जी ने पूरा किया। इन्दिरा जी ने तो किसान के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इससे पूरे भारत के किसानों में जान आयी है। हर प्रकार का लोन आज उनको मिलता है। भेड़-बकरी के लिए, गाय-भैंस के लिए, ऊंट तथा बैल आदि के लिए, गाड़े व ट्रैक्टर के लिए लोन मिलता है। इससे किसान की माली हालत सुधरी है, लेकिन उसको समय पर अपनी पैदावार की सही कीमत नहीं मिल पाती है। इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ-साथ देश के हर एक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोला जाना चाहिए ताकि इससे किसानों को हर प्रकार का बीज व पौध मिलता रहे।

मेरा क्षेत्र श्री गंगानगर हरियाणा व पंजाब के बार्डर पर स्थित है तथा आम तौर पर किसानों की शिकायत रहती है कि हरियाणा व पंजाब के किसानों की अपेक्षा हमें खाद महंगी मिलती है। इसका कारण यह है कि हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों में खाद पर टैक्स व चुंगी नहीं ली जाती है, जबकि राजस्थान में 6 प्रतिशत टैक्स तथा 1 प्रतिशत चुंगी लगाए जाने की वजह से खाद प्रति बैगन महंगी मिलती है। अतः टैक्स व चुंगी हटाए जाने का राजस्थान सरकार से आदेश करवाएं।

आज सरसों का भाव और जौ को देखते हुए काफी नीचा है। यह कम-से-कम एक हजार

रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए। आशा है, मंत्री जी आप इस ओर ध्यान देंगे

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में भाखड़ा की नहरें भी बनी हुई हैं, हैं लेकिन किसान को पूरा पानी नहीं मिल पाता है। क्योंकि पंजाब के सिंचाई अधिकारी बरसात के समय पर हमारा शेयर निकाल देते हैं और बरसात बन्द होने के बाद पानी काश्तकारों को नहीं देते हैं। इसलिए इनकी आए साल बगैर पानी फसल तबाह हो जाती है। अध्यक्ष जी, भाखड़ा की नहरों का पूरा पानी करने के लिए राजस्थान सरकार ने बनमैन कमीशन, मोती राम कमेटी बनायी थी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि भाखड़ा की नहरें जो इन्द्रा कैनाल के नीचे से क्रास करती हैं उनको इन्द्रा कैनाल से परमानेंट जोड़ दिया जाए तो भाखड़ा के काश्तकारों को पूरा पानी मिल सकता है।

मेरे क्षेत्र श्रीगंगानगर में जो लोगों की आवश्यक मांग है उनमें भूमिहीनों को जमीन देने की मांग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां के भूमिहीनों ने अनेकों बार इस विषय में दरख्वास्तें दी हैं, परन्तु कुछ ही परिवारों को भूमि मिल सकी है। शेष समस्त परिवार जमीन की आशा लगाए बैठे हैं।

श्री नरसिंह राव सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद उनकी आशाएं और भी सजग हो गई हैं। राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटित करने के कुछ नियम बना रखे हैं जिनमें एक नियम यह है कि सर्वप्रथम भूमि जिले के भूमिहीनों को देकर जो बाकी भूमि बचती है वह दूसरे जिले के लोगों को राजस्थान में समान भूमिहीन मानकर उसी हिसाब से भूमि अलाट की जाती हैं। चूंकि गंगानगर जिले की जो इंदिरा गांधी नहर पर पड़ती है उस भूमि में से सर्वप्रथम पौंग बांध के विस्थापितों को भूमि दी गई जो संख्या में बहुत अधिक है, जबकि यह भूमि समानुपात से हर जिले में जहां से यह नहर गुजरती है, दी जानी चाहिए थी।

गंगानगर जिले की भूमि पर जैतसर फार्म की स्थापना हुई है जो न केवल गंगानगर जिले के हित के वास्ते है बल्कि तमाम राजस्थान के हित के लिए है।

इस जिले में ही सूरतगढ़ फार्म की भी स्थापना हुई जो कई हजार एकड़ जमीन पर स्थापित है जो राजस्थान सरकार या भारत सरकार के हित का विषय है।

इस जिले की भूमि जो हनुमानगढ़ के पास पड़ती है, गांव किशनपुरा की भूमि में वन विभाग की स्थापना की गई जो कई हजार एकड़ भूमि में है।

यह जिला सीमान्त जिला है जहां पर कई छावनियां व हवाई अड्डे फौज की सुरक्षा हेतु बने हैं जिससे काफी भूमि इस अकेले जिले की ली गई है, जबकि यह सारे देश का मसला है।

इस जिले की भूमि पर घग्घर नदी का पानी आता है जिससे घग्घर फ्लड कंट्रोल करके काफी को बंजर बना दिया गया है, सरकारी भूमि भूमिहीनों को मिलती है।

इस जिले की भूमि पर ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए जमीन दी गई है। इस जिले की भूमि में से ही कृषि स्नातकों को जमीन दी गई है।

इस प्रकार बहुत से कारणों से इस जिले के भूमिहीनों को अपने जिले में भूमि नहीं मिल सकी है। दूसरे जिले में वे राजस्थान के तमाम जिले में समान रूप से उसी अनुपात से भूमि ले सकते हैं।

अतः मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर जो सरकारी भूमि बीकानेर व जैसलमेर जिले की पड़ती है, वह सर्वप्रथम गंगानगर जिले के भूमिहीनों को दी जाए

[श्री बीरबल]

ताकि यह समस्या हल हो सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

[अनुवाद]

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) : महोदय, मैं अपने दल आल इण्डिया ए० डी० एम० के० की ओर से कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा क्योंकि समय कम है।

ग्रामीण विकास योजना के संबंध में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का दृष्टिकोण बहुत दुखद है और यह स्वयं इस योजना के ही प्रतिकूल हैं। यदि हम गांवों में जाएं तो हम देखेंगे कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के शाखा प्रबन्धक से लेकर अध्यक्ष तक एक जैसा व्यवहार करते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करूंगा कि यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता से कार्यान्वित की जाए जो कि उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि आवास एक महत्वपूर्ण जरूरत है। भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं और कई लोगों के पास तो घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है। हम प्रत्येक घर के निर्माण के लिए 17000 से 18000 रुपये निर्धारित कर रहे हैं। हम कौन-सा मानदंड अपना रहे हैं! ऐसा इसलिए है कि कुछ स्थानों की मिट्टी तो बहुत मजबूत है लेकिन अन्य कुछ जगहें कच्ची हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि घर बनाते समय वह व्यक्तिगत रूप से यह देखें कि घर उचित ढंग से बनाए जाएं। देश के मछुआरों का जीवन भी अच्छा नहीं है। हमें उनका जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।

यद्यपि कृषि मन्त्री ने कल उत्तर दे दिया है फिर भी मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहूंगा। जे० बी० वी० टी० योजना के तहत झरनों पर्कोलेशन तालाबों का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत अच्छी योजना है लेकिन मुझे डर है कि कर्मचारी इस योजना को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं। गांवों में हम गरीब लोगों को काम पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यद्यपि राज्य सरकार इन सभी योजनाओं को केन्द्र की सहायता से कार्यान्वित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर कार्यरत कर्मचारी जन-शक्ति को उपयोग में न लाकर इस उद्देश्य के लिए बुलडोजरों का प्रयोग कर रहे हैं। सामान्य नियम ये हैं कि कार्य के 60 प्रतिशत भाग के लिए जन-शक्ति को उपयोग में लाया जाना चाहिए। अतः मैं माननीय कृषि मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह व्यक्तिगत रूप से देखें कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं और इन कार्यों की निगरानी के लिए कुछ किया जाए क्योंकि जन-शक्ति को उपयोग में नहीं लाया जा रहा है जिसके लिए कि यह योजना बनाई गई है। इसीलिए तमिलनाडु की माननीया मुख्यमंत्री, हमारी प्रिय और आदरणीय नेता कुमारी पुराची थलाइवी, सेलवी जयललिता यह कह रही हैं कि नौकरशाहों को भी इसके लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। यदि कोई गलती हो जाती है तो संसद में या विधान सभाओं में इसका उत्तर केवल मन्त्री ही देते हैं जबकि कर्मचारीगण आसानी से बच जाते हैं। अतः कर्मचारियों अर्थात नौकरशाहों को भी जिम्मेदारी के घेरे में लाया जाना चाहिए।

तमिलनाडु को प्रतिमाह केवल 60,000 टन चावल दिया जा रहा है तथा हमें प्रतिवर्ष 9 लाख

टन चावल आबंटित किया जा रहा है। ये काफी नहीं है और इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। इसी प्रकार तमिलनाडु में गेहूं का भंडार नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह तमिलनाडु को और अधिक गेहूं आबंटित करे।

यदि आप समाचार पत्र देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारी राज्य सरकार ने जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं और लगभग 5 लाख कार्ड समाप्त कर दिए गए हैं। अब वह इस योजना को अच्छी तरह से कार्यान्वित कर रही है। फिर, श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व वाली पिछली सरकार द्वारा कृषि ऋण माफ करने की घोषणा किया जाना तो बस दिखावा था। मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। तमिलनाडु में कुल 241 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गए। केन्द्र सरकार ने ऋण-घटक के रूप में राज्य सरकार को 71 करोड़ रुपये देने थे। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह ऋण यथाशीघ्र दिया जाए। जिन प्राथमिक सहकारी समितियों ने 1990 में ग्रामीण कृषि ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऋण माफ कर दिए थे, उन्हें ब्याज पर ऋण देने के अपने कार्यक्रम को आगे चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है। क्योंकि नाबार्ड ने 71.136 करोड़ रुपये की किस्त जारी नहीं की है। यदि सहकारी समितियों को देय शेष राशि जारी नहीं की जाती है तो ऋण देने का यह कार्यक्रम ठप्प पड़ जाएगा। अतः मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह राशि यथाशीघ्र जारी की जाए।

झरनों (पर्कोलेशन) तालाबों का निर्माण करने की योजना बहुत अच्छी है लेकिन हमें इसे ठीक ढंग से कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए तथा जन-शक्ति का उपयोग समुचित ढंग से होना चाहिए।

मैं 1977 से केवल देखता आ रहा हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है और उन्हें अच्छा पानी भी नहीं मिलता है। आदि द्रविण लोग अर्थात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पास कब्रिस्तान की भी जगह नहीं है और यदि उनके पास है भी तो वहां तक जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्ष के बाद भी हमने इस संबन्ध में कुछ नहीं किया है। अतः हमें कम से कम अब तो लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए।

श्री पी० पी० कालियापेरुमल (कुड्डालोर) : सभापति महोदय, मुझे इस परिचर्चा में भाग लेने और ग्रामीण विकास मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

पहले तो मैं अपने प्रधानमन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे देश को एक नई दिशा दी है, एक ऐसी नई दिशा जिसका निश्चित उद्देश्य उदारीकरण तथा विश्व व्यापकता के जरिए हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे राष्ट्र को नई छवि प्रदान करना है। यह नई दिशा लाखों दुखी लोगों को राहत दिलाए यही मेरी शुभ कामना है।

दूसरी बात यह है कि गरीबी उन्मूलन, निरक्षरता उन्मूलन, बेरोजगारी दूर करने और असमानता को कम से कम करने के लिए विकास की एक नई परिभाषा दी गई है। भारत में ग्रामीण निर्धनों की संख्या 283.7 मिलियन है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 33.3 प्रतिशत है। उनके पास कोई सुख-साधन नहीं है। जैसा कि मेरे विद्वान मित्र श्री अशोक राज ने कहा है, उन लोगों के पास भोजन, आश्रय स्थल और कपड़े नहीं हैं। यह सचमुच गम्भीर स्थिति है।

ग्रामीण निर्धन हमारी समाजवादी गणतंत्र में सिण्डरेला की भांति सर्वथा उपेक्षित वर्ग है। इस

[श्री पी० पी० कालियापेरुमल]

दयनीय वातावरण में, ग्रामीण विकास के लिए किया गया यह आवंटन दयनीय रूप में कम है। मैं विनती करता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए उस आवंटन में वृद्धि की जाए। मेरा अनुरोध दयालुता पर आधारित न होकर समानता के औचित्य पर आधारित है। यदि गरीबी दूर करनी है तो भूमि और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। भूमि सुधारों के जरिए भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसा विचार है कि भूमिसुधारों को कम किया जाए। कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो भूमि सुधारों का विरोध करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग भूमि सुधारों के खिलाफ हैं अथवा जो भूमि सुधारों को कम करना चाहते हैं वे संकुचित विचार धारा के लोग हैं।

भूमि सुधारों का कार्यान्वयन धीमी गति से चल रहा है और इसका प्रभाव बहुत कम है। इन्हें कारगर रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसमें विफलता के क्या कारण हैं? यहां तक कि सरकारी विवरण भी दर्शाते हैं कि भारत में कृषि योग्य भू-क्षेत्र के कुल दो प्रतिशत क्षेत्र को फालतू घोषित किया गया है। ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा यह भी कहा गया है कि यह अनुमान लगाई गई फालतू जमीन से बहुत ही कम है। इसके क्या कारण हैं? इस संबंध में प्रशासन में वचनबद्धता की कमी है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। जिन ग्रामीण गरीब लोगों के लाभ के लिए भूमि सुधार कानून बनाया गया है, वे इस कानून से अनभिज्ञ हैं। इन कमियों को दूर करना होगा।

इन भूमि सुधारों को सच्चाई से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है और न ही सतर्कता से इनकी निगरानी की जा रही है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि अधिकतम सीमा को कम किया जाए।

दूसरे बेनामी लेन-देनों को समाप्त किया जाए। जिनके पास बेनामी जमीन है उन पर मुकद्‌मा चलाया जाए जो लोग झूठी रिपोर्ट भरते हैं उनके विरुद्ध भी अदालती कार्यवाही की जाए।

निर्माण कार्य संबंधी कार्यक्रमों जैसी समेकित ग्रामीण विकास योजना (आई० आर० डी० पी०) और जवाहर रोजगार योजना भ्रष्टाचार, राजनीतिक पक्षपात और अकुशलता से ग्रस्त हैं। इन खामियों को दूर करना होगा। जवाहर रोजगार योजना में अनेक निर्माण कार्य संबंधी कार्यक्रम हैं। हमें उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो नितान्त आवश्यक हैं। हमें आवास को अधिक महत्व देना चाहिए।

अन्त में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि शिक्षा के बिना विकास का कोई अर्थ नहीं है। भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के पांच करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। इन 5 करोड़ बच्चों में से 50 प्रतिशत बच्चे गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं इस लिए मैं सुझाव देता हूं कि 10 से 15 गांवों के प्रत्येक समूह में आवासीय स्कूल खोले जाएं तथा निर्धनों के बच्चों की अनुवर्ती व्यवस्था कराई जाए। ऐसे बच्चों को बालपन से ही आवासीय स्कूलों में 10+2 स्तर तक अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें सभी सुख-सुविधायें और शिक्षा सामग्री चिकित्सा सहायता आदि उपलब्ध कराई जाए। एक समाजवादी देश में प्राथमिक शिक्षा से लेकर पीएच०डी०स्तर तक शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। उन्हें उनके मानसिक स्तर के अनुरूप तकनीकी या सामान्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा के बाद उन्हें प्राथमिकता या निर्धनों के लिए आरक्षण के आधार पर नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएं इस प्रकार हम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के संवैधानिक जनादेश को प्राप्त कर सकते हैं।

अन्त में मैं अल्जीरिया में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शब्दों को उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा था :—

"हमें उन लोगों के हित में बोलना चाहिए जो संख्या में अधिक हैं परन्तु वाणी से मौन हैं। सांसारिक पदार्थों में उनका हिस्सा, सम्मान जनक जीवन जीने का उनका अधिकार निर्विवाद है और उसका विरोध नहीं किया जा सकता है"

कुछ भी हो, निर्धनों के प्रति न्याय किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, देश आज आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस हालत में सरकार कभी पब्लिक सैक्टर में से प्राईवेट सैक्टर में और कभी प्राईवेट सैक्टर से पब्लिक सैक्टर में ले आ रही है। इस प्रकार वह इधर-उधर पेंडुलम की तरह चल रहा है लेकिन सरकार ने आज तक उसको को-आपरेटिव सैक्टर में लेने का नहीं सोचा है। एक छोटा सा हिस्सा एन० सी० सी० एफ० सिविल सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है, नेफेड भी उसके साथ जुड़ा है और नाबार्ड उनके साथ है। यद्यपि ये तीनों चैनल उनके साथ हैं परन्तु काम कुछ हो नहीं रहा है। मेरा सजेशन है कि इन तीनों —नेफेड, एन० सी० सी० एफ०, नाबार्ड—को इकट्ठा कीजिये तो इससे खर्च कम होगा। इसके साथ ही नाबार्ड से जो पैसा किसानों को लेकर दिया जाता है, उसपर इतना इंट्रेस्ट चढ़ रहा है, वह कम हो सकता है।

सभापति महोदय, इसी सदन में पिछले साल एक सवाल उठाया था और उस समय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे केन्द्रीय सरकार की को-आपरेटिव पालिसी बहुत जल्दी एनाउंस करने वाले हैं। अब एक साल हो गया, इस तरफ, कोई एनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मेरा कहना यह है कि आप को-आपरेटिव सेक्टर में काम लाने की कोशिश करें। साथ ही अलग मिनिस्टर हो जिनके पास सिर्फ चार्ज को-आपरेटिव का हो···

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : श्री रामाचन्द्रन जी हैं···

श्री सैयद मसूदल हुसैन : वो तो हैं परन्तु एन० सी० सी० एफ० आपके साथ है जो पी० डी० एस० से जुड़ा हुआ है। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप तीनों को एक जगह लाइये और इस तरह से काम कीजिये कि जल्द से जल्द को-आपरेटिव पालिसी एनाउंस करें और सिर्फ इस बात को इस तरह से मत टालते रहें कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट तो है, जो हमारी लिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से, लेकिन जिस तरह से ऊपर से आप इसको कन्ट्रोल करते हैं—एन० सी० सी० एफ०, नेफेड और नाबार्ड की गतिविधियों को ऊपर से आप, मिनिस्ट्री के जरिए कन्ट्रोल करते हैं, ऐसी एजेंसी एन० सी० डी० सी० को आप स्टेट गवर्नमेंट से बगैर पूछे पैसा देते हैं, इनके ऊपर स्टेट्स का कोई कन्ट्रोल नहीं है। इसलिए एक स्पेसिफिक पोलिसी की आज जरूरत है। इस पालिसी को आप बनाइए, यही मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये बोलेंगे। आपको अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करना है और तत्पश्चात् माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये (पणजी) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं कृषि पर केवल दो लाइनें बोलूंगा।

[श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये]

कल, हमारे ओजस्वी कृषि मंत्री द्वारा एक अच्छा भाषण सुनने के बाद, मेरे पास उन्हें कहने के लिए अधिक कुछ नहीं है। मैं यह महसूस करता हूं कि वाणिज्य मंत्री तथा कृषि मंत्री के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।

महोदय, मुझे याद है कि मैंने एक प्रश्न पूछा था और मुझे मेरे तारांकित प्रश्न का जवाब मिला था। वह प्रश्न वर्ष 1991-92 में ताजे केले खाड़ी देशों को निर्यात करने के बारे में था। हमने केवल 3 लाख रुपयों के बराबर केलों का निर्यात किया था जबकि फिलीपीन जैसा छोटा देश 146 मिलियन डालर ताजे और सूखे केले का निर्यात कर रहा है। यह दर्शाता है कि हम कितने पीछे हैं। इसलिए; मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और देखें कि इस सम्बन्ध में हम अपने निर्यात को कैसे बढ़ा सकते हैं।

दूसरा, मैं जवाहर रोजगार योजना पर आता हूं। यह हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का सपना है कि जनता के हाथ में अधिकार दिए जायें। यह सपना, यदि ठीक तरीके से पूरा किया जाए तो हम अपना लक्ष्य, निर्वाचित लोगों को अधिकार देने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यदि इसे ठीक तरीके से अमल में लाया जाये तो इस जैसा कोई कार्य नहीं है। वे चाहते थे कि निर्वाचित सदस्यों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आगे आना चाहिए तथा उन परियोजनाओं को केवल अधिकारी तंत्र पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये। अत: जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम को ठीक तरीके से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

आज, जवाहर रोजगार योजना से सम्बन्धित अनेक समस्याएं हैं। मैं कुछ सुझाव दूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। वास्तव में मैंने कई चीजें नोट की हुई हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी प्रक्रिया में ग्रामवासियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए। यदि जवाहर रोजगार योजना को सफल बनाना है तो उस इलाके के लोगों को उसमें शामिल करना चाहिए; श्रमिक वर्ग उस स्थान का होना चाहिए; कुशल तथा अर्द्ध-कुशल श्रमिक उस इलाके विशेष से होने चाहिये। लोगों के बीच जागरूकता होनी चाहिये कि जो कार्य पंचायत में होने जा रहा है, वह उनका होगा, उनको उसका फल मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि उस इलाके में बढ़ई उपलब्ध नहीं है, यदि उस इलाके में राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं हैं तो कार्य आरम्भ करने से पहले उन्हें आर० डी० ए० द्वारा उस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए। हमें यह देखना है कि वहां पर बढ़ई हों, राजमिस्त्री हों। अत: मैं चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना को सही तरीके से केवल स्थानीय लोगों के द्वारा ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए। हालांकि मेरे पास समय नहीं है, फिर भी मुझे 12 सुझाव देने हैं। वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। खैर, मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी को लिखूंगा।

इसके बाद मैं नागरिक आपूर्ति पर आता हूं। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। उचित दर दुकानें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक लाभदायक व्यवसाय बन गया है। पूरी प्रणाली को उपयुक्त तरीके से विनियमित किया जाना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में गोआ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक बड़ा घोटाला हुआ। यह आश्चर्यजनक बात है कि यह देखने में आया है कि इस विभाग के ऊपर से लेकर नीचे तक के सरकारी अधिकारी, अनेक उचित दर दुकानों के मालिक तथा नागरिक आपूर्ति निरीक्षक इस घोटाले में शामिल थे। अनेक लोगों ने न्यायालय से अग्रिम जमानत ले ली है। जांच जारी है।

मैं चिचोली क्षेत्र से हूं जहां मुझे पता चला कि खाद्यान्नों से भरे हुए 10 ट्रक प्रतिदिन गोवा से बाहर जा रहे हैं। मैं नागरिक आपूर्ति मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मामले की जांच करें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि यह कैसे हुआ तथा इस प्रणाली को विनियमित करें। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आप मंत्री जी को लिख सकते हैं।

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : मैं मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि वे इसकी जांच करें ताकि निर्धन लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने का उद्देश्य विफल न हो जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : माननीय चेयरमैन परसन, मुझे बहुत कम समय मिला है। इसलिए मैं बहुत शार्ट में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर, फूड, रूरल डवलपमेंट वगैरह को लेकर ये डिमांड प्लेस की गई हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कोई काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है।

मैं समझता हूं कि कोई काम सही तरीके से तब होता है जब कोई ठीक पालिसी बनाई जाती है। आजादी के बाद से हमारे देश में जितने भी बजट पेश हुए हैं, उनमें एग्रीकल्चर और रूरल डवलपमेंट पर सही तरीके से जांच करके कोई पालिसी निर्धारित नहीं की गई है। जो मैं अब तक जानता हूं उसके अनुसार कह रहा हूं कि कोई ठीक पालिसी नहीं बनाई गई है। बिना सही पालिसी के डवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर सही तरीके से पालिसी निर्धारित की जाए और इसको काम में लाया जाए, तो हमारे सामने जो परेशानियां आज खड़ी हो रही हैं, इनसे हम पार पा सकते थे।

हमारे देश के जो 70 प्रतिशत किसान हैं जो जमीन पर निर्भर करते हैं और हमारे देश में जो ऐसे लोग हैं जिनको जमीन नहीं मिली है, उनमें से 40 परसेंट लोगों को हम उस पर बसा सकते हैं, लेकिन जमीन कुछ लोगों के बीच में ही कंसन्ट्रेट हो गई है। सरकार के हिसाब से जमीन 8 परसेंट सरप्लस होती है, लेकिन सरकार को 1.78 परसेंट जमीन ही सरप्लस के रूप में मिली है। दुख की बात यह है कि सरकार इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इसका भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई है और इस बजट में इस बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है, कोई रिफ्लेक्शन इसमें नहीं आया है। इस बारे में मैं सिर्फ एक स्टेट का एग्जाम्पल देकर बताना चाहता हूं जहां इन कम्पैरीजन बिटवीन सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान एण्ड सेवन्थ फाइव ईयर प्लान में 34 परसेंट फूड ग्रेन में इन्क्रीज किया है। वहां पर रूरल इकनोमिकल पालिसी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यह परिवर्तन वहां पर इसीलिए आया है कि वहां पर सही तौर पर सीलिंग का इस्तेमाल किया गया है। लैंड रिफार्म एक्ट के मातहत जो एक्स्ट्रा जमीन थी, गवर्नमेंट ने उसको सही तरीके से निकाला है। इसमें 60 प्रतिशत से ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग पाए गए। एट्रोसिटीज के बारे में जो चर्चा होती है, पश्चिम बंगाल में इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, वहां पर ऊंचे दर्जे और नीचे दर्जे के लोगों में कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि वहां इकनोमिक पालिसी में चेंज लाया गया है। बटाईदार अपना नाम रिकार्ड नहीं करवा पाते हैं क्योंकि वहां जोतदार, जमींदारों का जुल्म बहुत ज्यादा है। जोतदार, जमींदार ने वहां भूमि सेना तैयार की है जिनको लाईसेंसशिएटेड वेपन्स दिए जाते हैं। वे इसे बटाएदार और गरीब किसान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।

हर साल कुछ रुपया चाहे एग्रीकल्चर में हो या रूरल डेवलपमेंट में हो, केवल मांग के हिसाब

[श्री सुव्रत मुखर्जी]

में रखने से ही सही पालिसी नहीं होती है। रूरल डेवलपमेंट में परिवर्तन लाने के लिए सही तरीके से लैंड की सीलिंग होनी जरूरी है। सरप्लस लैंड गरीब किसान और भूमिहीन किसान के बीच सही तरह से बांटनी जरूरी है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब्स के लोगों की जमीन की रक्षा का बंदोबस्त करना जरूरी है। बटाएदारों के साथ रक्षा का बंदोबस्त करना और इसके लिए आपरेशन वर्गा जरूरी है।

एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए दैनिक मजदूरी का निर्धारण होना चाहिए और साल भर काम की गारंटी होना जरूरी है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्रीजी बोलेंगे। माननीय सदस्य मंत्रीजी के भाषण के बाद उनसे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : महोदय धन्यवाद।

धनराशि की दृष्टि से यह मांग एक बहुत छोटी है। लेकिन सेवा के सम्बन्ध में जो यह मंत्रालय इस देश को प्रदान कर रहा है, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि यह मंत्रालय निर्धन लोगों को उचित मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है तथा इसके साथ ही इस देश के समस्त उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रहा है। जब मैं कहता हूं कि इस देश के उपभोक्ता, तो इसका अर्थ समस्त जनसंख्या से है।

महोदय, मैं उन सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मूल्यवान सुझाव दिए। वास्तव में जिन मुद्दों का उल्लेख यहां किया गया है वह बहुत प्रासंगिक है जिनको कि मैं हमेशा सभा में प्रस्तुत करता रहा हूं। इससे पहले कि मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा उपभोक्ता मामलों के बारे में बोलूं, मैं माननीय सभा को कुछ क्रियाकलापों से अवगत कराना चाहूंगा जो कि इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। वह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिनका कि यह मंत्रालय निर्वहन कर रहा है।

सबसे पहले मैं भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि पूरी सभा मेरे से सहमत होगी कि देश में नए औद्योगिक वातावरण में गुणवत्ता तथा मानकीकरण बहुत आवश्यक हो गया है।

3.00 म०प०

औद्योगिक नीति को उदार बनाए जाने के साथ खुले बाजार के सभी रास्ते खुल गए हैं। यदि उत्पाद अच्छी किस्म के होंगे केवल तभी बाजार में उनका स्थान बन सकेगा और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्द्धा कर सकेंगे। इस क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो अच्छी सेवा प्रदान कर रहा है। सामान्य लोगों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों के अनिवार्य प्रमाणीकरण के अतिरिक्त यह अन्य औद्योगिक उत्पादों का प्रमाणीकरण तथा मानकीकरण भी कर रहा है।

एक अन्य बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह है सुपर बाजार के कार्यकरण के बारे में।

इस सुपर बाजार ने अपने जीवन के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इन वर्षों में इसका आकार बढ़ा है। मुझे गर्व है कि यह सुपर बाजार प्रतिवर्ष 100 करोड़ का व्यापार कर रहा है। चूंकि यह संगठन मूलतः लाभ कमाने वाला संगठन नहीं है, यह लोगों को सेवा प्रदान कर रहा है और साथ ही मैं कहूंगा कि हानि नहीं उठा रहा है। बिना किसी हानि के सुपर बाजार समस्त शहर में अपनी 137 शाखाओं के साथ दिल्ली की सामान्य जनता को वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा है।

विशेषतया अभाव के समय यह संगठन निर्धन लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। मैं केवल दो वस्तुओं का उदाहरण देना चाहूंगा। जब सामान्य बाजार में प्याज 4 रु० से 5 रु० प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा जा रहा था तब सुपर बाजार इसे 3 रु० प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर बेच रहा था। दूसरी चीज है गेहूं का आटा। खुले बाजार में गेहूं के आटे की कीमत 60 रु० से ऊपर थी और उस समय सुपर बाजार ने 10 किलोग्राम अच्छी किस्म के गेहूं के आटे की थैली 48.50 रु० प्रति थैली के हिसाब से बेची। यह कीमत और भी कम कर दी गई है। अब यह 43 रु० के हिसाब से बेची जा रही है। सुपर बाजार इस तरह की सेवा प्रदान कर रहा है। मैं यह भी निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि सुपर बाजार के मूल्य अन्य बाजारों में प्रवृत्त मूल्यों से काफी कम हैं। उदाहरण के लिए खान मार्किट, और बाग अथवा कनाट प्लेस की दुकानों को ही लीजिए। निश्चित रूप से सुपर बाजार की कीमतें बहुत कम हैं और सामान्य जनता के सामर्थ्य के अनुरूप हैं। यहां बहुत ही उपयुक्त मूल्यों पर प्रमाणीकृत तथा अच्छी किस्म की दवाएं भी बेची जा रही हैं।

अन्य बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि हमारा मंत्रालय वायदा व्यापार आयोग से संबंधित है। जैसाकि माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि वायदा व्यापार की अनुमति गुड़, काली मिर्च, मिर्च, बिनौला, आलू तथा जूट और जूट उत्पादों पर भी दे दी गई है। यह मन्त्रालय इस जिम्मेवारी को बहुत संतोषजनक तरीके से निबाह रहा है।

सहकारिताओं के सम्बन्ध में जिसका कि माननीय सदस्य श्री सैयद मसूदल हुसैन उल्लेख कर रहे थे, हमारी कोशिश है कि सहकारिताओं को अधिक से अधिक कार्य सौंपे जायें।

परन्तु हम जो सहकारी समितियों की समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। सहकारी समितियां राज्य सरकारों के सीधे नियन्त्रण में रहती हैं। कुछ राज्यों में वे काफी अधिक कामयाब हो रही हैं। सहकारी समितियों की भूमिका अत्यन्त अनुकरणीय है। कुछेक राज्यों में सहकारी समितियां बिल्कुल असफल सिद्ध हुई हैं। परन्तु स्वयं एक सहकारी होने के नाते मेरा प्रयास यह है कि सहकारी समितियों को उचित स्थान मिले और वे इस क्षेत्र में भी कुछ काम कर सकें।

इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेवारियों का उल्लेख करते हुए मैं सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में कुछ कहूंगा। माननीय सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1987 में लागू हुआ था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इसी सदन में पिछले दो सप्ताहों के दौरान उपभोक्ता संरक्षण का पर्याप्त जिक्र किया गया है। उसी सम्बन्ध में मैंने इस सम्माननीय सदन में यह भी उल्लेख किया था कि इस समय हम उस कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं जिसका गठन राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा किया गया था और जिसके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। उन्होंने सिफारिशें प्रस्तुत की हैं और उन सिफारिशों पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा विचार किया गया है। उन सिफारिशों को मंत्रालय के पास भेज दिया गया है और मंत्रालय उनकी जांच कर रहा है। हम उन सिफारिशों से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों से

[श्री कमालुद्दीन अहमद]

परामर्श कर रहे हैं। मेरा यह प्रयास है कि यह संशोधनकारी विधेयक इसी सत्र में लाया जाये। परन्तु मैं नहीं जानता कि मैं ऐसा कर सकूंगा अथवा नहीं। मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि निश्चित रूप से हम अगले सत्र में इस विधेयक को लाने में सफल होंगे।

यह एक अत्यन्त विशाल क्षेत्र है। उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक हो गया है विशेषकर कि जिस प्रकार से बेईमान व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा भोले-भाले उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाया जाता है। कार्यकारी दल ने काफी सूक्ष्म रूप से इसकी जांच की है और उसने मंचों की कार्यप्रणाली, उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने वाले तंत्र की कार्य-प्रणाली और समस्त सेवाओं और वस्तुओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट सुझाव भी दिये हैं। किसी को भी इससे मुक्त नहीं किया गया है और "सेवाओं" शब्द से अभिप्राय यह है कि "स्वास्थ्य सेवाओं" को भी इस अधिनियम के क्षेत्र के अन्तर्गत लाने की सिफारिश की गई है। हमें यह देखना होगा कि क्या शहरी स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत लाना सम्भव होगा। हमें इस पर गौर करना होगा। इस स्थिति में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं। अत: मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने का परिणाम-पूर्ण रूप से संतोषजनक रहा है। असंख्य मुकदमों का निर्णय जिला मंचों, राज्य आयोगों और राष्ट्रीय आयोग द्वारा किया गया है और वह अत्यधिक उत्साहवर्धक है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिकांश मामलों में निर्णय दिया जा चुका है और सभी का निर्णय उपभोक्ताओं के पक्ष में गया है। यही एक अच्छा पहलू है जो मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष रखना चाहता था।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चार दशक से भी अधिक समय से विद्यमान है। यह प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के समय से आरम्भ की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकना और जनता को वस्तुएं उपलब्ध कराना था। उस मुख्य उद्देश्य के साथ इसका आरम्भ किया गया था और यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजर चुकी है। अब इसकी जड़ें जम चुकी हैं। यह सम्पूर्ण देश के लिए उपलब्ध है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उल्लिखित वस्तुएं सभी राज्यों को दी जाती हैं और कुछ राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूरा लाभ उठा रहे हैं। यह व्यवस्था काफी संतोषजनक है और आम जनता विशेषरूप से निर्धन व्यक्ति इस प्रणाली से पूरी तरह लाभान्वित हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य इस प्रणाली का पूरा लाभ उठा रहे हैं। उनको जो भी वस्तुएं आबंटित की जाती हैं, वे उनकी पूरी मात्रा लेते हैं। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा प्रयास दूसरे राज्यों के दोष निकालना नहीं है। मेरा आपसे केवल यही निवेदन है कि उन राज्यों से अनुरोध करने में आप कृपया मुझे सहयोग दें···

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्णनगर) : आबंटन और आपूर्ति में सर्वदा अन्तर रहता है।

सभापति महोदय : उनके उत्तर के पश्चात् आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री कमालुद्दीन अहमद : मैंने कहा था कि सब मिलाकर। मैंने "समग्र" शब्द का प्रयोग किया था।

अत: इस समय यह आवश्यक है कि इस प्रणाली को सभी राज्यों में पूरी तरह से लागू किया

जाए और इस व्यवस्था के फलस्वरूप होने वाले लाभ जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

श्री नीतीश कुमार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित किसी रिपोर्ट का जिक्र किया था। यह किसी प्रशंसात्मक विवरण-पत्र का भ्रामक और गलत अर्थ निरुपित करने का विशेष उदाहरण है।

3.12 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

महोदय, हमारे अखबारों में जो लिखा जाता है, खासतौर से उस पर जो सुर्खियां लगाई जाती हैं, उससे कितना डैमेज होता है और लोग कितना भटकते हैं, उसकी मिसाल इस रिपोर्ट से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगरचे, वह रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है, तो उसके ताल्लुक से मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। नीतीश जी ने उस ताल्लुक से रैफ्रेंस दिया है और उसके ताल्लुक से कहा है, तो मैं समझता हूं कि उस बात को अच्छी तरह से कहूं। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इस किस्म की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रैस में छपी है, जो बिलकुल सही नहीं है। यह रिपोर्ट यू० एन० आई० की न्यूज एजेंसी द्वारा आई है और उसको इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। उसके साथ हैड लाइन्स लगाई है—

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया—उसमें मिलावट की सरकारी मंजूरी।

इसको पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि उसमें मिलावट करने की आमतौर पर अनुमति दे दी गई है।

[हिन्दी]

इस रिपोर्ट में एक अजीब बात है, पोसीबिलिटीज को किस तरह से स्टोरी का रूप दिया जा सकता है। इसमें कुछ इम्पयोरिटीज़ की बात कही गई है, 49 परसेंट इम्पयोरिटीज़ पी० डी० एस० के लिए प्रोक्योर होती है। अनाज, उसमें इसको एलाउ किया गया है। मेरा सब्मिशन यह है कि इसमें किसी स्पैसिफिक इन्सटैंस का जिक्र नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि मेरी तरह बहुत से माननीय सदस्य हैं। इतना वक्त हमको नहीं मिलता है कि पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़ें। सारा हैडिंग पढ़कर मैं समझता हूं, 'सही बात', जो लिखी गई है, शायद वह सही नहीं है। इसमें कहा गया है कि ये-ये इतनी इम्पयोरिटीज़ इसमें एलाउ की गई है।

[अनुवाद]

यह तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह गलत है। मैं इससे इंकार कर रहा हूं। कभी-कभी किसान तीन-चार प्रकार का गेहूं उगाते हैं। तीन-चार किस्म का धान उगाया जाता है। कुछ बहुत अच्छी किस्म का होता है, कुछ अच्छी किस्म का और कुछ साधारण किस्म का होता है। अतएव किसान बस केवल यह कहेंगे, "यदि हम अच्छी किस्म के अनाज में थोड़ी मात्रा घटिया किस्म के अनाज को मिला दें, तो यह चलता है।"

ऐसा करने की अनुमति है। यदि अच्छे किस्म के गेहूं में घटिया किस्म का गेहूं मिला दिया

[श्री कमालुद्दीन अहमद]

जाता है तब इसकी भी कोई सीमा होती है। यह मिलावट नहीं कहलाएगी। इसके लिए एक अधिनियम है। इसके लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम है। इसके लिए नियम निर्धारित किये गये हैं। उन नियमों के अन्तर्गत सीमाएं निर्धारित की गई हैं। मैं केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनाज की बात कर रहा हूं। मैं खरीद के बारे में कुछ कहूंगा और वास्तविक स्थिति को बताऊंगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत एक सीमा निर्धारित की गई है अर्थात् गेहूं में अधिकतम 12 प्रतिशत और चावल में 6 प्रतिशत मिलावट की जा सकती है। गेहूं में मिलावट के बारे में उन्होंने पूर्ण रूप से स्पष्ट किया है। उसमें उल्लेख किया गया है कि "बशर्ते खाद्य अनाज और खराब अनाज के अतिरिक्त बाहरी पदार्थ कुल भार के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।" यह गेहूं के लिए बताया गया है। चावल के लिए उन्होंने कहा है, "बशर्ते कि खाद्य अनाज और खराब अनाज के अतिरिक्त कुल बाहरी पदार्थ कुल भार के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं मिलाया जाये।"

[हिन्दी]

इससे ज्यादा उसमें इम्प्योरटी लाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं नीतीश जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप दोबारा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को पढ़ें, इसमें कोई इंस्टांस की बात नहीं कही गई है कि कहीं पर ऐसा एक्चुअली गुजरा है। एक और बात होती है जब ये जहां प्रक्योरमेंट होता है उसमें एक बात होती है।

[अनुवाद]

ऐसे कई राज्य हैं जो बहुधा बाढ़ और चक्रवात प्रभावित ही रहते हैं।

[हिन्दी]

जब यह फ्लड्स और साइक्लोंस आते हैं तो खड़ी फसलें गिर जाती हैं उनका रंग बदल जाता है, फसलें काली पड़ जाती हैं, ग्रेस खराब हो जाता है, मोइस्चर बढ़ जाता है तो वही स्टेट के चीफ मिनिस्टर और आप हम सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास; फूड मिनिस्टर साहब के पास रिप्रेजेंट करते हैं कि बाजार में यह अनाज नहीं बिक रहा है, मेहरबानी करके आप फूड कारपोरेशन को कहिए वह खरीद लें।

[अनुवाद]

जब इसे इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है तब खाद्य निगम को कुछ सीमा तक खरीद करने की अनुमति दे दी जाती है।

[हिन्दी]

अगर कहीं कोई ग्रेन डिसकलर भी हुआ हो तो वह डिसकलर के होने की हद तक उसको परमिशन दिया जाता है कि यह प्रक्योर कर सकता है तो वह एक स्टेज हुई। उसके बाद जैसे कि वह प्रक्योर किया गया है उसी तरह से लेकर के उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाल देते हैं ऐसी भी कोई बात नहीं है। पेड़ी तो पेड़ी के तौर पर धान प्रक्योर होता है उसको मिल करवा कर पी० डी० एस० में चावल दिया जाता है और यह जो सारी इम्प्योरटीस की बात आपने अखबार में पढ़ी है वह सारी की सारी धरी की धरी रह जाती हैं। वीट के बारे में भी जैसा कि अभी मैंने कहा कि तीन-चार किस्म का वीट है, कोई वीट डब्ल्यू 47 है, धारा है तो इस किस्म के वीट जो हैं वे अगर आपस में मिला दिये जाते हैं तो उसकी एक लिमिट मुकर्रर है। उसको देखने के बाद वे पी० डी० एस० में इश्यू किया जाता है।

महोदय, एक और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि न तो फूड कारपोरेशन बिना पैसे दिये हुए खरीदता है और न हम पी०डी०एस० में बिना पैसे दिये फूड कारपोरेशन से लेते हैं। फूड कारपोरेशन को पैसा दिया जाता है और इस पैसे को देने के बाद मोल का माल लिया जाता है उसके लिए एक सिस्टम भी लगा हुआ है रिजेक्शन, जितनी स्टेट की एजेंसिस हैं ये एजेंसिस उसको रिजेक्ट कर सकती है अगर वह सब-स्टैंडर्ड है कोई डायरेक्ट किसी फेयर प्राइस शाप्स को फूड करपोरेशन फूड ग्रेन्स नहीं देता है। स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के नोमिनेटेड एजेंसिस को देता है और यह एजेंसिस को अख्तियार है कि वह रिजेक्ट करें अगर वह सब-स्टैंडर्ड है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ यह है इनफेक्ट जिन पार्लियामेंट मेम्बर्स का उसमें जिक्र किया गया है वे अनफोरचुनेटली हमारे हाउस के मेम्बर नहीं हैं अदरवाइज मैं सारी चीजें उनको बतला पाता लेकिन इतना आपको इतमिनान दिलाना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट सिर्फ पोसिबिलटीस पर प्रोजेक्शंस पर एक स्टोरी बना दी गई है और वह अपनी जर्नलिस्टिक स्कीम से, एक स्टोरी के तौर पर आपके सामने आ गई है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा।

मैंने जैसा कि अर्ज किया है पी० डी० एस० का जो सिस्टम है और खासतौर से नये पी०डी०एस० का, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इस स्कीम को, जो एक जनवरी को लांच किया गया है इसमें काफी हद तक स्टेट्स ने इसको अपनी सहायता दी है, अपना कोआपरेशन दिया है। जहां 11,194 नये शाप्स खुलने थे, चार महीने के अन्दर ये 6907 एडिशनल फेयर प्राइस शाप्स खुले हैं और यह बड़े गर्व की बात है कि तमाम स्टेट ने इसको अपनाया है। उसी तरीके से एडिशनल राशन कार्ड भी, कोई एक मिलियन एडिशनल राशन कार्ड इस अर्से में 31 मार्च तक इश्यू किये गये हैं। मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी है कि यह जो पी० डी० एस० है, इसके जरिए खासतौर से गरीबों तक कमोडिटीज पहुंचाने का काम किया जाता है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको शुरू किया है। जिस तरह से साइंटिफिक तरीके से आइडिएंटीफिकेशन आफ दी डिजर्विंग क्लासेस का काम किया गया है और 1700 ब्लाकों को आइडिएंटीफाई करने का काम प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, इससे ज्यादा साइंटिफिक तरीका कोई और दूसरा नहीं हो सकता था, गरीबों को आइडिएंटीफाई करने का और उन तक सामान पहुंचाने का अच्छा प्रयत्न किया गया है। मेरी गुजारिश है कि इस स्कीम को और मजबूत बनाने के लिए हमारा हाथ बटाइए। जिन स्टेट्स में यह स्कीम कुछ ठीक तरह से नहीं चल रही है, उन स्टेट्स का मैं नाम लेना नहीं चाहता। इस सिलसिले में मैंने मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार पत्र लिखे हैं, आप भी इस बारे में हमारा सहयोग दें और इस स्कीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

दूसरी एक चीज श्री नीतीश कुमार जी ने कही थी कि लोगों को तेल कम खाने के लिए कहा जाए। ठीक है, जो अफोर्डिंग क्लासेस है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उनको हम यह मशविरा दे सकते हैं कि तेल कम खाइये, लेकिन दुबले-पतले गरीब लोग, जिनके लिए प्रोटीन और न्यूट्रिशन के दो ही जरिए हैं, तेल और दाल, उनको हम कैसे यह कह सकते हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि उनके लिए अधिक से अधिक तेल उपलब्ध कराया जाए। जो तेल लोकली उपलब्ध हो सकता है, उसको लोकली उपलब्ध कराया जाए, जहां बाहर से तेल मंगाने की आवश्यकता है, वहां बाहर से मंगाया जाए। हमने तेल इम्पोर्ट भी किया है और स्टेट्स को अलाट भी किया है, इस बारे में सारी स्टेट्स को सूचित किया गया है और पत्र लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी कई स्टेट्स ने अभी तक वह तेल नहीं उठाया है। मैं उन स्टेट्स का नाम लेना नहीं चाहता, मैं फिर से चिट्ठियां लिख रहा हूं।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने पी०डी० एस० के बारे में मशविरा दिया है, मैं उनके मशविरे को कुबूल करता हूं और मेरी गुजारिश यह है

[श्री कमालुद्दीन अहमद]

कि जो कटमोशंस दिए गए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पी० डी० एस० इस मुल्क में बहुत मजबूत है और हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्याद कमॉडिटीज लोगों को उपलब्ध कराई जाएं, ज्यादा से ज्यादा गरीबों को सहायता दी जाए, इसलिए मेरी उन माननीय सदस्यों से गुजारिश है खासतौर पर राजस्थान के माननीय सदस्यों से गुजारिश है कि वे अपने कटमोशंस वापिस ले लें और कोआपरेट करें, हम और आप मिलकर स्टेट्स में और अच्छा काम कर सकते हैं, हम काम करना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं!

अध्यक्ष महोदय : अब मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा बशर्ते कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहता हो कि कोई भी कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखा जाये।

अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 4 में ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तक पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	26 मार्च, 1992 को सदन द्वारा स्वीकृति लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृति अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	ग्रामीण विकास मंत्रालय				
69.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	121687,00,000	8,00,000	189122,00,000	540,00,000

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खाद्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा बशर्ते कि कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहता हो कि कोई भी कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखा जाये।

अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में खाद्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 38 के सामने दिखाये गए माग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई। राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियाँ भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिए खाद्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	26 मार्च 1992 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	खाद्य मंत्रालय				
38.	खाद्य मंत्रालय	44[illegible]58,00,000	2310,00,000	2[illegible]07[illegible]1,00,000	11551,00,000

अध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा बशर्ते कि कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहता हो कि कोई भी कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखा जाये।

अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 4 में कृषि मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 से 4 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिए कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	26 मार्च 1992 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	कृषि मंत्रालय				
1.	कृषि	35841,00,000	141,00,000	17936700,000	70,60,0000
2.	कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवायें	2527,00,000	9393,00,000	10873,00,000	9984,00,000
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	6260,00,000	—	31305,00,000	—
4.	पशु पालन और डेयरी विभाग	4169,00,000	1076,00,000	20932,00,000	5380,00,000

अध्यक्ष महोदय : अब मैं नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों के सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा बशर्ते कि कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहता हो कि कोई भी कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखा जाये।

अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची स्तम्भ 4 में नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 6 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिए नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें

मांग सं०	मांग का नाम	26 मार्च 1992 को सदन द्वारा स्वीकृति लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
	नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
9.	नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	175,00,000	26,00,000	875,00,000	131,00,000

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुझा) : यदि मुझे अनुमति दें तो मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। खाद्य निगम अधिनियम में एक उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत 6 निदेशक रखे जा सकते हैं जो कि जन-प्रतिनिधि नहीं होते हैं। कुल मिलाकर 12 निदेशकों के लिए प्रावधान है। पिछले कई वर्षों से इन 6 पदों को नहीं भरा गया है।

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं उन्हें शीघ्र नियुक्त करने वाला हूं।

श्री पी०सी० थामस : महोदय, खाद्य निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। जिनकी इसमें 95 प्रतिशत सदस्यता है। अब यदि वे आन्दोलन करते हैं तो इससे कठिन स्थिति पैदा हो जायेगी। क्या माननीय मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बातचीत के लिए बुलाए जायें ताकि यह

[श्री पी० सी० थामस]

मामला हल हो सके ? यदि उन्हें बातचीत के लिए बुलाया जाय तो कोई समस्या नहीं रहेगी।

श्री तरुण गगोई : सरकार हमेशा खुला रवैया रखती है।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : श्री कमालुद्दीन अहमद से एक स्पष्टीकरण चाहिए। हममें से कुछ काफी समय से इस बात की वकालत कर रहे हैं कि गृहणियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जाये। यदि प्रत्येक सार्वजनिक वितरण वाली दुकानों के साथ आधा दर्जन गृहणियों को संबद्ध कर दिया जाए तो इससे गुणवत्ता, कीमत और समुचित वितरण सुनिश्चित होंगे।

एक माननीय सदस्य : पति क्यों नहीं ?

श्री इन्द्रजीत : यदि आप पतियों को ले आयेंगे तो समस्यायें आयेंगी। जैसा मैंने सुझाव दिया है यदि आप वैसे करें तो इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में काफी हद तक सुधार आयेगा।

श्री कमालुद्दीन अहमद : महोदय, वस्तुतः नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभग्राहियों की सतर्कता समितियां भी रखी गई है और प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महिलाओं का होना अनिवार्य है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष जी, चीनी मिलों के लाइसेंस जारी हुए काफी समय हो गया है। माननीय मंत्री जी जल्दी फैसला लेंगे। यू०पी० की 50 एप्लीकेशन्स पेन्डींग हैं। मुझे कहा गया है कि जनवरी से दिए जा रहे हैं और लाईसेंस जल्दी जारी होने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि कोई सी समय सीमा बांध दें कि इतने समय में घोषणा कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या आपको उन पर विश्वास है ?

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष जी, उज्जैन में सिंहस्थ पर्व हो रहा है। उसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने शक्कर और खाद्यान्न के कोटे की मांग की है, जिससे आने वाले सारे के सारे अतिथियों की सेवा हो सके। मैं यह कहना चाहूंगा कि अतिरिक्त कोटा स्वीकृत हो जाता तो बहुत अच्छी बात होती।

3.32½ म० प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी० पी० कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 8 अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 8 अप्रैल, 1992 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.33 म० प०

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटिल (अमरावती) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और तत्संबंधी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों और तत्संबंधी मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रतिमा देवी सिंह पाटिल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

3.33½ म०प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक* 1992

(धारा 7 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*दिनांक 10-4-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

[श्रीमती दिल कुमारी भंडारी]

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

3.34 म०प०

न्यायधीश (जांच) संशोधन विधेयक*

(धारा 3 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यायधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यायधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34½ म०प०

मोटरयान (संशोधन) विधेयक*

(धारा 166 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटरयान अधिनियम, 1988 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

*दिनांक 10-4-1992 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० सी० थामस : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

———

3.35 म०प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये भाग 11 क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री चित्त बसु द्वारा 13 मार्च, 1992 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक के लिए तीन घंटे का समय दिया गया था। दो घंटे तीस मिनट का समय पहले ही लिया जा चुका है और 30 मिनट का समय शेष है।

पिछली बार श्री नीतीश कुमार बोल रहे थे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय श्री चित्त बसु को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जनहित में संविधान संशोधन का यह विधेयक सदन में रखा है। इसका उद्देश्य है देश के नियोजित विकास के लिए नेशनल डवलपमेंट कौंसिल को और प्लानिंग कमीशन को, दोनों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाये। इन्होंने दोनों स्थिति में प्रधान मंत्री को अध्यक्ष बनाये जाने का और सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इनका सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा है।

3.37 म० प०

(श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए)

यह देखने में आता है कि जब-जब देश में केन्द्र सरकार बदलती है प्लानिंग कमीशन का स्वरूप बदल जाता है। पिछले दो वर्षों में तीन बार प्लानिंग कमीशन का पुनर्गठन किया गया और आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बार बार एक्सरसाइज हुई। राजीव गांधी की सरकार के समय में, उसके बाद श्री वी० पी० सिंह की सरकार के समय में, उसके बाद चन्द्र शेखर जी की सरकार के समय में और अब पुन: पी० वी० नरसिंह राव जी की सरकार के समय में। हर बार सरकार बदलती है और योजना आयोग भी बदल जाता है। सरकार के एक साधारण गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था। अगर इसका कोई संवैधानिक दर्जा होता तो योजना आयोग की भी कोई न कोई कालावधि होती और उस कालावधि को पूरा किये बगैर उसको नहीं हटाया जा सकता था। आज

[श्री नीतीश कुमार]

राजनैतिक कारणों से योजना आयोग के सदस्य हटाये जाते हैं, बनाये जाते हैं और पूरे योजना आयोग को बदला जाता है। यह ठीक है कि सरकारें अपने घोषणा-पत्रों के आधार पर जीतकर आती हैं, कहा यही जाता है। उनकी अपनी नीतियां होती हैं, नीतियों के आधार पर सरकारें बनती हैं और यह सरकार अपनी दृष्टि से योजना बनानी चाहती है, यह सुनने में ठीक लगता है, लेकिन इस देश में योजना के बारे में कि हम नियोजित विकास करेंगे, इसके बारे में राष्ट्रीय सहमति हो चुकी है। इस देश का कोई राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जो यह कहता हो कि इस देश का नियोजित विकास नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मामलों पर इस देश में राष्ट्रीय सहमति है। चूंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। इसलिए कोई भी विचार केन्द्र में बैठी हुकूमत अगर मुल्क पर थोपना चाहेगी तो उसके गम्भीर परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि योजना के मामले में भी हर प्रकार की व्यापक सहमति होनी चाहिए। यह ठीक है कि योजना आयोग जब कोई डिसकशन करता है राज्य सरकारों को बुलाता है, उनके प्रतिनिधियों को बुलाता है। मुख्य मंत्री के स्तर पर बैठक होती है। लेकिन अब यही देखा जाता है कि योजना आयोग का रोल प्लान डवलपमेंट के लिए उसकी दिशा देने का काम कम वित्त मंत्रालय के इशारे पर या केन्द्र सरकार के इशारे पर राज्यों की सरकारों के सामने थानेदार की भूमिका में योजना आयोग आता है। मुख्य मंत्री बुलाये जाते हैं, योजना आयोग का दरबार लगता है और उसमें हर राज्य की सरकार अपना केस प्लीड करती है। जिस प्रकार से राज्यों की सरकारों की स्थिति को जिस बेरुखी से देखा जाता है, राजनैतिक आधार पर फैसले होते हैं।

जिस राज्य में विपक्ष की सरकार सत्तारूढ़ होती है, वहां पर केन्द्र सरकार की ओर से कसने का काम किया जाता है। इस प्रकार से कई कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। जब दिल्ली में सरकार बदलती है तो प्लानिंग कमीशन का स्वरूप बदल जाता है। तो इस प्रकार प्लानिंग कमीशन का जो काम, स्वरूप स्वतंत्र रहना चाहिये, इस देश के लिए नियोजित विकास की दिशा में योजना बनाना होना चाहिये, वह अब नहीं रह गया। उसका मानीटरिंग करने का नहीं रह गया है बल्कि केन्द्रीय सरकार के इशारे पर राज्यों को किस प्रकार से धन दिया जाए, उसका फैसला करने का रह गया है। एक तो प्लानिंग कमीशन को सही मायने में जो अधिकार मिलना चाहिये,वह नहीं मिला है। दूसरी तरफ प्लानिंग कमीशन की भूमिका नियोजित विकास की कम, राज्यों को तंग करने की ज्यादा हो गयी है। इसलिए जो संविधान संशोधन लाया गया है, मैं इस आधार पर इसका समर्थन करना चाहता हूं कि अगर इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जायेगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकारें इसमें प्रतिनिधि रहेंगी, उनके साथ विचार-विमर्श होगा नेशनल डेवलेपमेंट कौंसिल में उसको भी संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई है, वह प्लान की एप्रोच तय कर देगा कि आगे की योजना के लिए उसके क्या लक्ष्य हैं; वह भी तय हो जायेगा। तब उसके हिसाब से प्लानिंग कमीशन काम करता रहेगा।

सभापति महोदय, आज देश की स्थिति बदल गयी है। वह जमाना चला गया जब लम्बे काल तक केवल एक दल की सरकार होती थी। बराबर यह सरकार पलटती रहेगी और यह हमारे जनतंत्र के लिए एक अच्छी चीज है, एक शुभ लक्षण है। जनतंत्र का परिचायक है, एक मेजोरिटी का परिचायक है। इससे मतदाताओं की मैजोरिटी भी परिलक्षित होती है।

हम बहुत कम समय जनता को उपलब्धि के लिए देना चाहते हैं। हर किसी को विकास की कसौटी पर कसना चाहते हैं। उस स्थिति में प्लानिंग कमीशन को एक स्थाई रूप मिलना चाहिये जिसमें राजनैतिक दृष्टि से नहीं बल्कि देश हित में विचार हो। देश के सामने जो राष्ट्रीय सहमति के

आधार पर लक्ष्य आते हैं, जो एन०डी० सी० में तय हो जाते हैं, उसके आधार पर योजना बनाने का काम एक्सपर्ट्स लोग करते रहेंगे। इससे यह होगा कि एन० डी० सी० में जो मुख्य मंत्री आयेंगे, राज्य के हित में पूरी बात कह देंगे और उसी आधार पर प्लानिंग कमीशन का निर्देश होगा और वह काम करेगा। इस प्रकार प्लानिंग कमीशन के जो मेम्बर्स होंगे, उनकी गर्दन पर कोई तलवार नहीं लटकेगी। अगर एक बार यह तय हो जायेगा कि प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ और वह पांच साल के लिए हो रहा है तो पांच साल से पहले मेम्बर्स को यह भय नहीं रहेगा कि उनको हटाया जायेगा।

सभापति महोदय, आज समाज की स्थिति यह हो गयी है कि हर आदमी देखता है अगर हम जो बनाने वाले हैं, उसके हुक्म की तामील नहीं करेंगे तो हमको हटाया जा सकता है, सचमुच में आज यही स्थिति हो गयी है। जब चाहे सरकार उनको हटा दे। प्लानिंग कमीशन के जो मेम्बर्स होते हैं, वे विद्वान लोग होते हैं परन्तु अपनी विद्वता का परिचय नहीं दे पाते हैं और केवल चाटुकारिता का परिचय देते रह जाते हैं। मैं किसी पर कोई इलजाम नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन परिस्थिति यही पैदा हो गयी है। दूसरी तरफ प्लानिंग कमीशन केन्द्रीय सरकार के सामने घुटने टेकने का काम करता है और वह उस सरकार के निर्देशों का पालन करती है परन्तु राज्यों की वाजिब मांगों पर विचार नहीं करती। इस स्थिति में जो संविधान संशोधन लाया गया है, वह बहुत माकूल है और इसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिये और संविधान में इसका प्रावधान होना चाहिये।

सभापति महोदय, एक सुझाव और देना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयर मैन के लिए इन्होंने प्रावधान किया है कि उसके उपाध्यक्ष फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जो उचित नहीं होगा। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष अगर प्रधान मंत्री होते है तो उसका उपाध्यक्ष निश्चित रूप से कोई जाना-माना अर्थशास्त्री होना चाहिये जिस पर सबों का भरोसा हो। उसके साथ काबिल लोगों की टीम होनी चाहिये। जो एन० डी० सी० में निर्णय हो जाये, उसके अनुरूप देश के नियोजित विकास की दिशा में ले जाने के लिए काम करें और उसे जनता के सामने लायें। न केवल प्लान को लायें, बल्कि उसको देखने का काम करें कि किस ढंग से यह हो रहा है? आज तो एन० डी० सी० में प्लानिंग कमीशन अपनी योजना तैयार करती है जो एक रस्म अदायगी होती है क्योंकि उसको एक दिन के लिए बुला लिया और पूरा डॉकूमेंट रख दिया जाता है और अचानक कोई चर्चा उसमे कायदे से नहीं हो पाती है। फलस्वरूप उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। प्लानिंग कमीशन जो एक्सरसाईज करता है, उसके आधार पर एक अनोपचारिक मुहर लगती है जो ठीक नहीं है। आज देश की कम्पलेक्स सिचुएशन है, उसके मुताबिक यह मुनासिब नहीं है। इसलिए इस बिल का समर्थन करते हैं और आग्रह करेंगे श्री चित्त बसु से कि यह जो प्रावधान है डिप्टी चेयरमैन का, उसको हटाकर दुरुस्त करके इसे लाया जाये।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री बार-बार राष्ट्रीय सहमति की बात करते हैं, उसके आधार पर देश को चलाना चाहते है। तो अगर सचमुच में मुल्क को राष्ट्रीय सहमति के आधार पर चलाना चाहते हैं तो कुछ खास बिन्दुओं पर राष्ट्रीय सहमति कराकर इस देश को ले जायें न कि जिस पर असहमति हो।

हमको समाजवाद के लक्ष्य पर आगे बढ़ना है, हमको निजी विकास करना है, हमारे यहां जो गरीब लोग हैं, उनको गरीबी से ऊपर उठाना है। जो खेती पर निर्भर लोग है, उनकी निर्भरता अधिक से अधिक घटानी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो आज बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मुहैया कराना है और देश का त्वरित विकास करना है और इतना विकास करना है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो

[श्री नीतीश कुमार]

सकें और आत्मसम्मान के साथ न सिर्फ अपने देश को आगे बढ़ा सकें बल्कि तीसरी दुनिया का भी नेतृत्व कर सकें। आज जो दुनिया में एक दादागिरी चल रही है कुछ खास मुल्कों की, उससे लोगों को बचाना चाहते हैं तो हिन्दुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और सार्थक नियोजित प्रगति करने के लिए, विकास के लिये हम उचित समझते हैं कि सरकार को इस विधेयक को मंजूर करना चाहिए और इसमें जो कोई खामियां रह गई हैं, उनको दूर करने के लिए सेलेक्ट कमेटी बना देनी चाहिए और उसमें तमाम चीजों पर विचार हो जाए और निश्चित रूप से इसको माना जाना चाहिए, इसकी स्पिरिट को माना जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति जी, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है और दो दिन से इसके ऊपर चर्चा चल रही है, पहले की चर्चा मैंने गौर से सुनी। चित्त बसु जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सदन को एक मौका दिया है कि जिससे इस गम्भीर मसले के ऊपर हम लोग कुछ विचार कर सकें। उनके बिल का जो मकसद है, इसके दो पहलू हैं। एक, वे चाहते हैं कि इस बिल में संविधान का संशोधन करने का प्रावधान किया जाए जिससे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और प्लानिंग कमीशन को एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो और संवैधानिक तरीके से इसके काम का निर्वाह किया जा सके। मुझे एक ही बात का खेद है कि इतना अच्छा प्रस्ताव उन्होंने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है लेकिन जब वे बता रहे थे, इसके ऊपर चर्चा में हिस्सा लेकर, उस समय वे संविधान से लेकर अमेरिका तक चले गए। फिर वर्ल्ड बैंक में गए और आई० एम० एफ० की बात भी की। संविधान को छोड़कर सारे जो मसले हैं, सभी मसले इस पर जोड़ दिये गये। इससे लगता है कि उनका जो असली मकसद है, वह इसके ऊपर संवैधानिक वैधता देने का नहीं बल्कि असली मकसद है कि एक राजनीतिक चर्चा चलाकर एक राजनैतिक तरीके से किसी पार्टी के ऊपर लांछन लगाने के लिए कोई बात कही जाये। मैं इस विचार के विरोध में हूं और मैं समझता हूं कि यह बात सही है कि प्लानिंग कमीशन और जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हैं, ये दो जो संस्थाएं हैं, इनके ऊपर एक नये तरीके से सोच-विचार का समय आ गया है क्योंकि देश की आजादी के बाद जब एक ही पार्टी के हाथ में सत्ता हुआ करती थी, केन्द्र और राज्य में उस समय में कोई भी प्लानिंग कमीशन या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में निर्णय लेना आसान था क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार केन्द्र और राज्य में हुआ करती थी। आज उस प्रकार की बात नहीं है क्योंकि आज जब देश के अन्दर हम देखते हैं विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की पार्टियों द्वारा सरकार सत्ता में आती है और केन्द्र में भी हम देखते हैं कि पिछले दो साल के अन्दर हमारी सरकार के रूप में तीसरी सरकार बनी है। ये सारी बातें देखने के बाद लगता है कि प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के गठन के बारे में और इनको संवैधानिक मर्यादा या वैधता देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी की तरफ से अगर सभी राजनीतिक दलों के साथ सलाह-मशविरा करके इसके ऊपर निर्णय हो सकता है और किस तरीके से इसको अच्छे ढंग सेबना सकते हैं। जिससे कि देश में योजनाओं को लागू करने के मामले में, योजनाओं की जो प्रियोरिटीज़ हैं, उन्हें तय करने में, सर्वसम्मत सिद्धान्त अपनाया जा सके।

उसी प्रकार से, मैं यह भी समझता हूं कि आज इसलिए भी जरूरी होता है कि एक-एक पार्टी अपनी प्रियोरिटी निश्चित करती है लेकिन राष्ट्र की जो प्रियोरिटी होगी, उसे सभी पार्टियों को मानना आवश्यक होना चाहिए, इस प्रकार के सोच-विचार की भी आज आवश्यकता है। आज की परिस्थितियों में इस तरह की चर्चा की ज्यादा आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव के मूवर, श्री चित्त बसु ने बताया है, प्लान के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, यह सही है कि देश का जो प्रधान मंत्री होता है, वही प्लानिंग कमीशन का प्रधान या चेयरमैन भी होता है और डिप्टी चेयरमैन के पद के लिए, आमतौर से किसी अर्थशास्त्री को ही चुना जाता है। अभी तक हमने जो कुछ देखा है, जिन्हें वित्तीय व्यवस्था और योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान होता है, उन्हें ही प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है। यदि पिछले रिकार्ड को आप देखें तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 2400 करोड़ रुपये मात्र से शुरू हुई थी लेकिन अब हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो प्रावधान किया गया है, उसे देखें तो वह दो लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की योजना बनी है। योजनाओं से देश के विकास का काम हुआ है और इन योजनाओं में जो व्यवस्थाएं की गईं, जिन प्रियोरिटीज़ का निर्धारण हमारा प्लानिंग कमीशन करता है, उसके अनुसार चलकर ही हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाये हैं। हमारा कोयले का उत्पादन, इस्पात का उत्पादन बढ़ा है और देश के अन्दर कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी, उद्योगों में भी वृद्धि हुई है। योजनाओं के माध्यम से हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है, इसमें दो राय नहीं हो सकती और ऐसा इसी व्यवस्था से हुआ है।

मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस वित्तीय व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था कामयाब नहीं है। एक बात आपको और माननी होगी कि जो पार्टी सत्ता में आती है, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का अपना इलेक्शन मैनिफैस्टो होता है, सत्ता में आने के बाद, हर पार्टी अपने मैनिफैस्टो में किये वायदों को पूरा करने के लिये जिम्मेदार होती है और विभिन्न योजनाओं के द्वारा जनता के सामने उसने जो वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करने के लिये कदम उठाती है, काम करती है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पार्टी यहां सत्ता में आती है, जनता की राय लेकर आती है, जनता उसे यहां भेजती है, उसके इलेक्शन मैनिफैस्टो के आधार पर, जो वायदे वह अपने मैनिफैस्टो में करती है कि अमुक कामों को हम पूरा करेंगे, यदि आप उस पार्टी को उतनी सुविधा नहीं देंगे, सरकार के हाथ में योजना को लागू करने की जिम्मेदारी, अपनी वित्तीय व्यवस्था को चलाने के लिये पूरे अधिकार नहीं देंगे तो कोई भी पार्टी अपना काम पूरा नहीं कर पायेगी, योजनाओं को इम्पलीमेंट नहीं कर पायेगी।

इसलिए आवश्यक है कि इन दोनों के अन्दर, जो देश की प्रिओरिटी है, देश की जो जरूरत है, विभिन्न पार्टियां राज्यों में भी सत्ता में आती हैं, जिस प्रकार से केन्द्र में हमने कई बार यहां परिवर्तन होते देखा है, उसे ध्यान में रखते हुए, सत्ता में आने वाली पार्टी, लोगों के सामने जो वचन देकर आती है, उसे पूरा करने के लिये, उसे जो सुविधाएं चाहिए, जो अधिकार चाहिए, इन सारी बातों को नजर में रखकर, विचार-विमर्श करके, कोई एक पद्धति निकालना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में, मैं यह बात कह देना भी आवश्यक समझता हूं कि आज की परिस्थिति में, कोई भी वित्तीय व्यवस्था या कोई भी योजना, इम्पलीमेंटेशन के लिए हम लेना चाहेंगे, उसमें आवश्यक है कि राज्यों में जो दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, उसमें उनका भी सहयोग मिले, तालमेल हो, पूरा-पूरा योगदान हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो केन्द्र के सामने कई मुश्किलें आएंगी क्योंकि किसी योजना को केन्द्र सरकार अपने तरीके से चलायेगी, राज्य सरकारें उसे अपने तरीके से इम्पलीमेंट करेंगी तो उससे पूरे देश की, भारत की जो व्यवस्था है, भारत के लोगों के हित में जो योजना होगी, वित्तीय व्यवस्था होगी, उसे सही ढंग से लागू नहीं किया जा सकता।

इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि सदन में इस समय जो बिल प्रस्तुत हुआ है, इसमें कई चीजों

[श्री मनोरंजन भक्त]

में मैरिट है, कई प्रावधान अच्छे हैं, जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट मैम्बर बिल है और इसे माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं, वे लाए हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी उसको लॉक स्टॉक एण्ड बैरल बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इसमें जो बात है, उस पर सोचकर, विचार कर, करना चाहिए जिससे देश के हित में काम हो सके और मैं समझता हूं कि चित्त बसु जी और कई सदस्यों ने आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक की बातें कही हैं। हर मसले में, हर चीज में इसको लाकर के आप इसकी गम्भीरता को कम मत कीजिए। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लाए हैं और कुछ ऐसी बातें करके विदेशी बैंकों की बातें करके आप इसकी गम्भीरता को कम मत कीजिए।

आपके द्वारा ऐसी बातें कहे जाने से सभी लोग यह समझने लग गए हैं कि सिर्फ आप सरकार की आलोचना करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने जो इसके अन्दर हम सब लोगों को इसके ऊपर बात करने का और विचार करने का और सरकार का ध्यान खींचने का जो मौका दिया है, वह आपने अच्छा काम किया है। आप इस मसले पर बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के, देश हित को ध्यान में रखकर सरकार से आग्रह कीजिए; हम सब इसमें आपका साथ देंगे।

सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय सभापति जी, योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, इस नाते सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्री चित्त बसु ने संविधान में संशोधन करने का, प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से, उप-बिल सदन के सामने विचार के लिए रखा है।

यह सही है कि देश ने एक परिकल्पना की थी कि देश एक निश्चित योजना के माध्यम से चलेगा और उसके सुपरिणाम भी देश के सामने उपस्थित होने लगे थे। दुर्भाग्य रहा, बीच-बीच में, इन सारे मामलों में, व्यवधान उपस्थित होते रहे और ऐसा लगने लगा कि हम शायद अपनी पंचवर्षीय योजना को छोड़ चुके हैं। सत्तर के दशक के बाद देश में ऐसा आभास होने लगा कि हमने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को त्याग दिया है और इसी नाते, समय-समय पर इसमें ठहराव भी उत्पन्न हो गया। अभी भी जो हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना जो समय पर प्रारम्भ होनी चाहिए थी, वह समय पर प्रारम्भ न होकर अब फिर इसी महीने से हम उस पर पुनः विचार करने जा रहे हैं।

आश्चर्य है, जिस नीति और रीति को लेकर हमने यह योजना आयोग गठित किया था, वह ऐसा आभास देता है और उस नीति को ठीक से प्रतिबिम्बित नहीं करता है। इसीलिए हमारे इसी योजना आयोग के, इनके पूर्व के उपाध्यक्ष श्री रामकृष्ण हेगड़े ने अपने विचार देते हुए कहा था कि योजना आयोग को निश्चित रूप से संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उस माध्यम से देश प्रगति करे, लेकिन बीच में सरकार बदली और एक अच्छी परम्परा जो श्री रामकृष्ण हेगड़े ने स्थापित की, सत्ता बदलने के साथ ही त्यागपत्र देकर चले गए गए और जो उनका अपना विचार था वह देश के सामने नहीं ला सके, अपने दल की सरकार के सामने नहीं ला सके। नई सरकार आई, लगता है, उसने इस विचार को छोड़ दिया है, त्याग दिया है कि योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। मेरा भी मत है कि योजना आयोग के माध्यम से जो देश की योजनाओं और क्षेत्रों के विकास का चयन होता है; वह करीब-करीब देश ने त्याग दिया है। आज बाजारोन्मुखी योजनाएं, अर्थव्यवस्था में जो पैकेज आए हैं, ऐसा लगता है कि योजना आयोग के सम्माननीय उपाध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी से इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में बैठकर विचार नहीं किया गया है।

4.00 म० प०

सीधा,साधा इस विचार को देश के सामने उपस्थित कर दिया । जब हमने योजना आयोग का पूर्णतया गठन किया है और उसके आधार पर जब निश्चित नीति तय की है तो फिर कोई कारण नहीं था कि इन सारे विचारों को योजना आयोग के सामने रखकर हम दूसरी नीति निर्धारित करते। दुर्भाग्य रहा देश ने अचानक इस प्रकार का विचार छेड़ा है, नई अर्थव्यवस्था सामने आई है । मेरा निवेदन है कि जब हम अनेक प्रकार के आयोगों को संवैधानिक दर्जा देने जा रहे हैं, देश का एक वर्ग अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक आयोग के नाम पर अपनी इच्छाशक्ति प्रकट नहीं करता, उसको भी आयोग देश के सामने संवैधानिक दर्जा देने जा रहा है ।

4.01 म० प०

(राव राम सिंह पीठासीन हुए)

हम महिला आयोग को भी संवैधानिक दर्जा देने जा रहे हैं । योजना आयोग का गठन करते समय निश्चित रीति-नीति वाले लोगों को, देश के बुद्धिजीवियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए । योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना बनाता है, वह देश के सामने जो आंकड़े प्रस्तुत करता है उनकी परिपालना समय से नहीं होती है । अनेक देशों में आयोग बने हुए हैं लेकिन कहीं पर भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई कि योजना आयोग लक्ष्य निर्धारित करे और पांच साल में वह पूरा न हो । क्या कारण है कि योजना आयोग ने पांच साल के लिए एक निश्चित परिधि के बाद बेरोजगारी समाप्त करने का निर्णय किया लेकिन उसके बावजूद भी देश में बेरोजगारी समाप्त नहीं हुई ।

आज अर्थव्यवस्था इस प्रकार की हो गई है, एक राज्य बहुत अधिक सम्पन्न बन गया है, एक राज्य कंगाली की स्थिति में खड़ा हुआ है जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश आज भी पिछड़ा हुआ प्रदेश है । योजना आयोग जब धन उपलब्ध करवाए उस समय इन बातों को जरूर देखे ।

राजस्थान का डेजर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है । राजस्थान के डेजर्ट को समाप्त करनेके लिए योजना आयोग ने कभी गम्भीरता से नहीं लिया । मेरा निवेदन है कि योजना आयोग के सामने जब सारे आंकड़े हों तो मुख्य मंत्रियों को भी डिस्कस करते समय उन बातों को गम्भीरता से लेना चाहिए ।

श्री चित्त बसु ने जो संशोधन यहां पर दिया है कि योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगी श्री चित्त बसु से सहमत हूं और विशेषरूप से उनके इस मत से भी सहमत हूं कि संविधान की प्रस्तावना, संविधान के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य योजना की प्रक्रिया से संबद्ध हैं । लेकिन सभापति महोदय, यह विडंबना है कि उन्होंने यह विधेयक इतिहास के उस क्षण में प्रस्तुत किया है जब योजनागत विकास के नेहरूवादी ढांचे का त्याग किया जा रहा है और बाजार ताकतों के समक्ष स्वयं को झुकाया जा रहा है । लेकिन कुछ भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक विकासशील समाज को आगे बढ़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके की ही आवश्यकता है ।

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

विशेषरूप से हमारे जैसे विशाल राष्ट्र में, जहां विविधताएं हैं, वर्ग प्रौद्योगिकी, शहर-गांव की असमानताएं हैं, वहां हम पूरे देश तथा उसकी जनता की चर्चा और विचार किए बिना और विकास का योजनाबद्ध तरीका अपनाए बिना एक समान विकास नहीं कर सकते।

महोदय, विकास योजना का अर्थ क्या है ? इसका पहला अर्थ है राष्ट्रीय उद्देश्यों को परिभाषित करना। इसका दूसरा अर्थ है पैसे और श्रमशक्ति के रूप में उपलब्ध संसाधनों की परिभाषा और संचयन करना है। इसका अर्थ कार्य निष्पादन और क्रियान्वयन प्रक्रिया की निगरानी करना है। इसका अर्थ प्राप्त परिणामों के लिए दायित्व का प्रश्न भी है।

महोदय, मेरे विचार से एक राष्ट्र के रूप में यह हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों, अर्थात् हमारी राष्ट्रीय योजना का सबसे पहला उद्देश्य गरीबी दूर करना और दूसरे असमानता दूर करना है, पर मतैक्य के मुद्दे के बहुत निकट हैं। इन दोनों के लिए हमें उत्पादन और वितरण, प्राथमिक मदों पर निवेश तथा अन्त में समय-समय पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर्वर्गीय असमानताओं को कम करना होगा ताकि हम यह देख सकें कि विकास की प्रक्रिया प्रभावी है और यह हमारे राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर ले जा रही है।

महोदय, यदि असमानता को ऐसे ही रहने दिया जाए, तो समानता कभी नहीं आएगी। असमानता असमानता को बढ़ावा देती है क्योंकि असमान व्यक्तियों के बीच अवसर की समानता नहीं हो सकती है। अत: मार्गनिर्देशन की आवश्यकता है और इसीलिए मैंने कहा है कि सरकार को चर्चा; उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही तथा राष्ट्रीय स्थिति की समग्रता में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ताकि यह देखा जा सके कि एक निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए किसका विकास करना है। दुर्भाग्यवश, महोदय जैसाकि मैंने अभी कहा है कि राष्ट्रीय धारणा पर मतैक्य के बावजूद हमारे देश में योजना प्रक्रिया राजनीतिक परिवर्तनों के अध्यधीन है, जैसाकि मेरे अनेक मित्रों ने भी कहा है।

महोदय, एक ओर योजना आयोग कार्यकारी रूप में संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय है। दूसरी ओर इसे केन्द्र के हाथों में एक ऐसा यंत्र बना दिया गया है जिससे वह केन्द्रीकरण कर सके तथा राज्यों पर निरंकुश शासन कर सके।

महोदय, मेरा कहना है कि इस केन्द्रीकरण से समानता कभी नहीं आएगी और इसी कारण हम वह समानता प्राप्त नहीं कर पाए हैं जो हम चाहते हैं।

महोदय, मेरे मित्रों ने योजना आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले दरबारों का उल्लेख किया है जिसमें मुख्य मंत्री अपना केन्द्रीय अंश प्राप्त करने के लिए भीख का कटोरा लेकर पंक्ति में खड़े रहते हैं। हर वर्ष हम यही दयनीय स्थिति देखते हैं। उन्हें पैसा इस प्रकार दिया जाता है जैसे वह उनके राज्य का न हो। महोदय, वास्तव में 'संघवाद' का अर्थ है कि केन्द्र सरकार पूरे देश की ओर से कार्य करे जिसमें अनेक राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं तथा वह सुनियोजित ढंग से संसाधन एकत्रित करे ताकि उन्हें पूरे देश में बांटा जा सके। लेकिन, दूसरी ओर, आयोग एक सुपर सरकार बन गया है। सभापति महोदय केवल यही नहीं बल्कि योजना आयोग जिस प्रकार से कार्य करता है वह विकास प्रक्रिया के मार्ग में बाधक होता है। केन्द्र की तथा उसके द्वारा प्रायोजित हजारों योजनाएं लागू की गई हैं; उनमें से कुछ पर चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे केवल नाममात्र की योजनाएं

प्रतीत होती हैं। उनमें से कुछ तो राजनीति से ही प्रेरित थे, सम्भवत: वे उन उद्देश्यों, जिन्हें हमने एक राष्ट्र के रूप में अंगीकार किया है, की प्राप्ति में कोई विघ्न नहीं डाल सके थे। फिर भी उनमें से प्रत्येक परियोजना का अर्थ है कि केन्द्र प्रत्येक राज्य को ऐसी प्रत्येक अवस्था में आदेश दे सकता था तथा इसीलिए, उस अर्थ में योजना आयोग स्वयमेव ही विकास की प्रक्रिया में एक रुकावट एवं एक अड़चन बन गया था।

सभापति महोदय, मेरा कहना है कि हमारे जैसे बड़े देश में एक पूर्ण योजना बनाना सम्भव नहीं हो सकता है और केवल एक ही बिन्दु पर केन्द्रित योजना बनाना सम्भव नहीं है। विकेन्द्रीकरण अनिवार्य है; विकेन्द्रीकरण, केवल वित्तीय संसाधनों के आबंटन के रूप में ही नहीं, बल्कि अधिकारों के प्रत्यायोजन के रूप में भी और शक्तियों का पंचायत-स्तर पर हस्तांतरण के रूप में होना चाहिए। यदि वास्तव में ही हम आम जनता के लिए योजना बना रहे हैं, तो उस स्थिति में, योजना बनाने की प्रक्रिया अवश्य ही निचले स्तर तक होनी चाहिए, यह केवल केन्द्र तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह राज्य की राजधानियों तक ही नहीं, बल्कि पंचायत-स्तर तक तथा उन लोगों तक यह योजना-प्रक्रिया पहुंचनी चाहिए, जिन्हें इससे लाभान्वित होना अपेक्षित है। अत: योजना-आयोग की एक भूमिका, राष्ट्रीय लक्ष्यों को परिभाषित करने की एक भूमिका, राष्ट्रीय आय के वितरण एवं उसके संसाधनों के सिद्धांत तय किये जा सकते हैं और शायद, प्राधिकार के विभिन्न स्तरों पर अंगीकार की जाने वाली कुछ मॉडल-स्कीमों को तैयार किया जा सकता है, जिसका मैं बाद में उल्लेख करूंगा। परियोजनाओं की अधिकता अवश्य ही समाप्त होनी चाहिए और यदि एक परियोजना को सबसे निचले स्तर पर यानि ग्रामीण-स्तर पर लागू किया जाना है, तो फिर इसे नियंत्रित करने की शक्ति अवश्य ही केन्द्र के पास नहीं रहनी चाहिए। केन्द्र उनसे अति दूर है और इसीलिए, भ्रष्टाचार की वर्तमान प्रणाली तथा रहस्योद्घाटन को वर्तमान व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं होगी। आप केन्द्र से यदि 100/- रुपये आबंटित करते हैं, तो निचले स्तर तक मात्र 25/- रुपये से अधिक कुछ नहीं पहुंच पायेगा। यदि आप वास्तविक, ठोस परिणाम प्राप्ति के मूल्य के रूप 25/- रुपये पा लेते हैं, तो आप भाग्यशाली होंगे।

सभापति महोदय, मैं एक और विषय पर बोलना चाहता हूं। योजना को तैयार करने का तरीका ही दोषपूर्ण है। यह पारम्परिक रूप से ही दोषपूर्ण रहा है; यहां दिल्ली में ही बैठे-बैठे निचले-स्तर की जनता द्वारा महसूस की गई वास्तविक आवश्यकताओं के बिना किसी संदर्भ के, वे मनमाने ढंग से एक सूची बना लेते हैं कि इतनी लम्बी सड़कों का निर्माण करना है, इतने स्कूलों का निर्माण करना है, इतने चूल्हे दिए जाने हैं आदि। जनता स्वयं क्या चाहती है? सभापति महोदय, मैं पिछले दस वर्षों से गांवों में घूम रहा हूं और मुझे यह महसूस हुआ है कि लोग इन परियोजनाओं को व्यर्थ मानते हैं, लोग इन परियोजनाओं के इच्छुक नहीं है। लोगों को पानी चाहिए, लोगों को बिजली चाहिए, लोगों को स्कूल चाहिए और लोगों को सड़कें चाहिए। लोगों को आवश्यक वस्तुएं चाहिए। लोग पीने के पानी की मांग कर रहे है और यहां हम उन्हें बता रहे हैं, 'नहीं', आपको पीने के पानी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके पास जन-सुविधाएं होनी चाहिए। नहीं, आपको स्कूल के भवनों की आवश्यकता नहीं है, आपको बस-स्टैण्डों की आवश्यकता है। हां, हमें बस-स्टैण्ड भी चाहिए। सबसे पहले हमें सड़कें बनानी चाहिए। अत: समूची योजना प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो गई है। सभापति महोदय; शीर्ष-स्तर से योजना प्रक्रिया आरम्भ करने की बजाय, समूची प्रक्रिया को पूर्णतया उलटा शुरू करना होगा। सूची-स्तम्भ नीचे से ऊपर की ओर बदलना होगा। मैं प्रत्येक प्राणी-वास के लिए एक ग्रामीण-योजना चाहता हूं और फिर एक मापांक के रूप में एक पंचायत-योजना तथा फिर इन आंकड़ों को

[श्री सैयद शाहाबुद्दीन]

एकत्रित कर और फिर समूचे खण्ड के लिए जिस तत्व की आवश्यकता है उसको जोड़कर मैं एक खण्ड योजना तैयार करूंगा। फिर, समूचे जिले में जिस तत्व की आवश्यकता है, मैं ब्लाक-योजनाओं को जोड़कर एक योजना तैयार करूंगा। उदाहरणार्थ एक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, उदाहरण के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र। हमें एक जिला-स्तरीय योजना तैयार करनी होगी इससे आगे फिर समूची जिला स्तरीय योजना को जोड़कर तथा समूचे राज्य-स्तर पर जिस तत्व को जरूरत है उसको जोड़कर, हम राज्य-योजना को लेंगे और फिर एक-एक करके समूचे-राज्य की योजना को जोड़कर तथा इन सभी आयामों को जोड़कर और उसमें राष्ट्रीय तत्व जोड़कर समूचे राष्ट्रीय-स्तर पर जो आवश्यक है, उसे परिभाषित करने के लिए हम एक राष्ट्रीय-योजना पर विचार करेंगे। वह देश की वास्तविक योजना होगी और वह योजना उन लोगों के लिए उन्हीं की इच्छाओं अभिलाषाओं तथा उन्हीं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक वास्तविक राष्ट्रीय-योजना होगी और इस तरीके से हम जन-शक्ति तथा जनता का निश्चय एकत्रित करने में सक्षम होंगे। इससे योजना-प्रक्रिया सफल होगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब भी चित्त बसु का सांविधिक योजना-आयोग सामने आयेगा, तो यह इसकी भूमिका का इस तरीके से परिभाषित करेगा: विभिन्न-स्तरों पर वास्तविक मांगों का संतुलित आंकलन करने के लिए।

मैं चाहता हूं कि प्रत्येक परियोजना प्रत्येक कार्यक्रम और प्रत्येक परियोजना को योजना को लागू करने अथवा शुरू करने के लिए पांच-आयामी प्रणाली द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए और प्रत्येक को जिस स्तर पर लाभ पहुंचना है, उसी पर छोड़ दिया ही जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, निर्मित किये जाने वाली प्राथमिक-पाठशालाओं का विषय ग्रामीण-स्तर, पंचायत-स्तर का है। उस मामले में प्राथमिक शिक्षा अवश्य ही पंचायत का उत्तरदायित्व होना चाहिए। यदि माध्यमिक-स्कूल कों खण्डों के साथ जोड़ना है, तो उस मामले में, माध्यमिक शिक्षा की योजना बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने का कार्य खण्डों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। उन्हें योजना-अभिकरणों के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें क्रियान्वयन एवं लागू करने वाले अभिकरणों के रूप में कार्य करना चाहिए। क्रियान्वयन अभिकरण के पास धनराशि ही नहीं बल्कि परियोजनाओं के चयन करने की भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो कुछ वे चाहे, उसका चयन कर सकते हैं। वे स्वतंत्र ग्राहक हैं। गांधी जी ने कहा है, 'ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण है।" ग्राहक स्वेच्छा से चुनने हेतु स्वतंत्र है। उसके पास प्रोजेक्ट लागू करने के संसाधन होने चाहिए। उसका नियन्त्रण केवल अगले उच्च-स्तर पर होना चाहिए और न कि दूरस्थ-दिल्ली अथवा दूरस्थ राज्य की राजधानी के पास। यदि यह प्राथमिक पाठशाला-योजना है तो इसे पंचायत द्वारा ही शुरू किया जाना चाहिए तथा ब्लाक के नियंत्रण में होनी चाहिए। ब्लाक-स्तरीय योजना ब्लाक द्वारा ही शुरू की जानी चाहिए और यह जिले के नियंत्रण में होनी चाहिए। जिला-स्तरीय योजना जिले द्वारा ही शुरू की जानी चाहिए और वह राज्य के नियंत्रण में रहनी चाहिए। अन्ततः राज्य-स्तरीय योजना की देख-रेख केन्द्र द्वारा की जानी चाहिए, दिन-प्रति-दिन पर आधारित बीच-बचाव अथवा हस्तक्षेप के मामले के रूप नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि यह राष्ट्रीय पैटर्न में ही आये और परिभाषित राष्ट्रीय उद्देश्यों की उपलब्धियों को ही योगदान देने वाली नहीं होनी चाहिए।

अतः, मैं समझता हूं कि यह विधेयक, अपने आप में सही और उपयोगी है तथा एक बहुत विचार-विमर्श से एक सांविधानिक-संशोधन, जिसे मैं 'पंच खम्बा' राज कहूंगा, द्वारा अनुपूरित किया

जाता है। एक द्वि-आयामी प्रणाली नहीं बल्कि एक 'पंच-आयामी' प्रणाली में, जो कि शक्तियों के स्तरों तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित करेगा। अत: पंचायत-स्तर, ब्लाक-स्तर, जिला-स्तर, राज्य-स्तर तथा राष्ट्रीय-स्तर पर उनकी शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों और कुल राष्ट्रीय कोष में, उनके संसाधनों के एक स्पष्ट हिस्से तथा उन विषयों की एक सूची जिन पर वे पूर्ण अधिकार का प्रयोग कर सकें; सहित परिभाषित करना है।

मैं आशा करता हूं कि श्री चित्त बसु विचार-विमर्श कर इस प्रकार का एक विधेयक तैयार करेंगे। यद्यपि, आज मैं योजना आयोग को एक सांविधिक-दर्जा दिये जाने संबंधी विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि यदि एक बार इसे सभी राज्यों से परामर्श कर सांविधिक दर्जा दे दिया जाता है, तो यह अपने बारे में ही एक बड़ी स्पष्ट परिभाष देगा और केन्द्रीय सरकार के आदेश पर केवल हस्तक्षेप के एक तंत्र के रूप में ही कार्य नहीं करेगा।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिये आबंटित समय 4·15 म०प० समाप्त हो गया है। अभी दो और सदस्यों ने बोलना है तथा मंत्री जी को उत्तर देना है।

क्या हम आधे घण्टे के लिए पौने पांच बजे तक समय बढ़ा दें। जो माननीय सदस्य अब बोलने जा रहे हैं, वह पांच मिनट ही बोल सकेंगे।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : सभापति महोदय, भारत में संघीय व्यवस्था है और केन्द्र विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद तथा योजना आयोग इसके अहम् अंग हैं जिनके माध्यम से राज्यों और केन्द्र में वित्तीय-वितरण होता है।

मेरे प्रमुद्ध मित्र श्री चित्त बसु द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद् तथा योजना आयोग को सांविधिक-दर्जा दिये जाने का प्रस्तुत विधेयक एक बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् और योजना आयोग अपने वर्तमान स्वरूप में सांवैधानिक निकाय नहीं हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर नीति-निर्माण का एक सर्वोपरि निकाय है तथा योजना-आयोग परिषद् के निर्देशों को लागू करने संबंधी का एक प्रणाली है।

यद्यपि, अनुभवों से प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक नियमित रूप से नहीं होती तथा इस बैठक में उठाये गये मुद्दे अपर्याप्त होते हैं। उठाये गये मुद्दे मात्र औपचारिकताएं कही जा सकती हैं। रा० वि० परिषद की बैठकों मे सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर हुई चर्चा भी शायद ही कोई उपयोग हो। एक तरीके से, रा०वि० परिषद केन्द्र द्वारा पहले से ही अनुमोदित योजना प्रारूप को ही अन्तत: अनुमोदित करती है।

इसी तरह योजना आयोग मे भी इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए बहुत कम गुंजाईश है। यहां योजना आयोग के हमारे विद्वान उपाध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हाल ही में की गई घोषणा का उल्लेख करना अनुचित न होगा जिसमें निजी निगमित क्षेत्र का अपने पूंजीगत संसाधन जुटाने की बात शामिल है। उन्होंने ठीक ही गौर किया है कि एक ऐसी स्थिति पैदा की जानी चाहिए जहां इक्विटी को कर से अधिक प्राथमिकता दी जाय और जहां निवेशक और बचतकर्ता दोनों लाभ के लिए जोखिम उठाने के इच्छुक हों।

इसके अलावा, जहां तक भारत की आर्थिक नीति आयोजना आदि का संबंध है, इस सम्बन्ध में

[श्री गोपीनाथ गजपति]

बहुत शोर-शराबा और गहरी चिंता व्यक्त की गई है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दबाव के आगे झुक गया है। अब यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा रखी गई शर्तें देश के लिए अच्छे हैं तो मैं तो कहूंगा कि इन्हें स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है। साथ ही हमारी नई आर्थिक नीति इन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से अनुप्रेरित नहीं है बल्कि यह तो कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र से प्रेरित है जिसे हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने मार्गदर्शन प्रदान किया था साथ ही उन्होंने पंचायत स्तर पर इस सम्बन्ध में निर्णय लेने सम्बन्धी अधिकार देने के लिए शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की वकालत की थी।

अतः राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग को संवैधानिक निकायों का रूप देकर तथा उनके उचित संगठन और कार्यों को विकसित करके उन्हें निश्चित शक्तियां प्रदान करते हुए केन्द्र और विभिन्न राज्यों के मध्य का मुख्य अभिकरण बनाने का सुझाव, एक स्वागतयोग्य उपाय है।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, हमारे सम्मानित सांसद महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, आज निश्चित रूप से यह आवश्यकता है कि इस पर चर्चा की जाए। पिछले वर्षों में योजना आयोग का जो स्वरूप रहा है, उसकी निष्पक्ष छवि पर जो प्रश्न चिह्न लगा है, यह विचार का विषय है और यह देखना है कि योजना आयोग का जो स्वरूप रहा है और प्रारम्भ में क्या स्वरूप था। प्रारम्भ में जवाहर लाल नेहरू जी ने इसके बारे में कहा था कि रिगार्डिंग इकनामिक मैटर्स, इट शुड बी इन दी इन्टरेस्ट आफ नेशन, पर उसके बाद धीरे-धीरे समय परिवर्तित हुआ और हमारे पूर्व प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी ने इसे "पैक आफ जोकर्स" कहा। पिछले वर्षों में आप देखें कि सारी नियुक्तियां इसमें राजनीतिक आधार पर की गई है और पिछले तीन वर्षों में इसके तीन उपाध्यक्ष हो गए। कैसे हमारी योजनाएं चल पाएंगी, कैसे काम हो पाएगा, यह निश्चितरूप से विचारणीय है। आप देखिए कि जब योजना आयोग का स्वरूप तय किया गया था तो देश की जनसंख्या वृद्धि दर को 1.25 प्रतिशत पर नियंत्रित करना था, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया है और हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 2.25 प्रतिशत है। जब इस बड़ी समस्या का समाधान हम नहीं कर पाए, इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस प्रकार का भविष्य बनाना चाहते हैं। आज देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और जो हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, वे भी हम जनता को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। आज भी 25 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं देश के अन्दर उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, हमारी आधी जनसंख्या अशिक्षित है। हमारे सामने इतनी जबरदस्त समस्याएं हैं। इन समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार कर पाएंगे, यह विचारणीय प्रश्न है। इस हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा कि प्लानिंग कमीशन का जो स्वरूप है, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए। आज निश्चित-रूप से प्लानिंग कमीशन का एक राजनीतिक स्वरूप बन कर रह गया है। मैं यह नहीं कहता कि इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात करें, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन उपयोगी है या नहीं, इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, 1991 के बाद 1992 का देश का जो बजट आया है, उसमें केन्द्रशासित राज्यों में प्रति व्यक्ति 1000 रुपया व्यय किया जाना है और बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में काफी कम पैसा प्रति व्यक्ति खर्च किया जाना है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ 80 रुपये प्रति व्यक्ति प्रावधान किया गया है, क्या इससे कोई समानता रह

पाएगी । इसी तरह से किसी राज्य के लिए 300 रुपये, किसी राज्य के लिए चार सौ रुपये और किसी राज्य के लिए 700 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है । कैसे ये राज्य तरक्की कर सकेंगे । जो बड़े राज्य हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार आज कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, जिनकी योजनाएं आर्थिक अभाव के कारण रुकी हुई हैं, उनके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं । आज निश्चितरूप से आजादी के 44 साल के बाद हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि योजना आयोग का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए ।

सभापति महोदय, आज जब प्रांतों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं और केन्द्र चाहता है कि अमुक राज्य में सरकार ठीक तरह से न चल पाए, जैसा अभी उत्तर प्रदेश के मामले में देखा गया; कितनी लड़ाई लड़ी गई, निश्चितरूप से यह नहीं होना चाहिए । हमको विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार से व्यवस्था बनाना चाहते हैं और किस स्वरूप की ओर देश को ले जाना चाहते हैं ।

अधिक कुछ न कहते हुए मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि सारे दलों के लोग मिल कर बैठें और तय करें कि योजना आयोग का स्वरूप कैसा बनाना चाहते हैं । सरकारिया कमीशन ने निश्चितरूप से यहां कहा था कि 1980 के बाद से निरन्तर राजनीतिक आधार पर इसमें नियुक्तियां हो रही हैं । योजना आयोग में किस तरह के व्यक्तियों को रखना चाहिए, अर्थ-शास्त्री, जिसको इस क्षेत्र की पूरी जानकारी हो, उसकी नियुक्ति होनी चाहिए; लेकिन ऐसा न होकर इसके विपरीत काम हो रहा है । नई सरकार के गठन के बाद, 8 सप्ताह के बाद योजना आयोग का फारमेशन हुआ और हमारी पंचवर्षीय योजना काफी पिछड़ गई । निश्चितरूप से इन सब बातों पर हमको विचार करना होगा और उसके हिसाब से चलना होगा ।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय चित्त बसु जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है; मैं यह तो नहीं समझता कि सरकार इसको स्वीकार कर लेगी, परन्तु योजना आयोग का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, इस विषय पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और उसके हिसाब से इसको आगे ले जाने की बात होनी चाहिए, ताकि गांव, गरीब और किसान की तरक्की की बात हो सके ।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ।

डा० एस० पी० यादव (सम्भलपुर) : माननीय सभापति जी, जो गैर सरकारी विधेयक माननीय सदस्य श्री चित्त बसु जी ने प्रस्तुत किया है, देश का योजनाबद्ध विकास, इसमें दो राय नहीं है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया है । लेकिन क्या ऐसा संभव है ? हम देखते हैं कि समय-समय पर सरकारें बदल जाती हैं और योजना आयोग के अध्यक्ष बदल जाते हैं और उनके बदलने के साथ-साथ हमारी योजनाओं के सभी प्रारूप भी परिवर्तित हो जाते हैं । योजनाएं बनती हैं केवल कागजों पर और कागजों पर बन कर रह जाती हैं तथा उसके बाद बिगड़ जाती हैं ।

उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में एक हसनपुर बांध बन रहा था, तीन-चार ठोकर बांध वहां के इंजीनियर्स ने इस प्रकार लगाए थे कि बांध का अधिकांश हिस्सा कट कर गंगा में बह गया । सरकार ने तवज्जो नहीं दी । इस हाउस में मैंने कई बार यह मामला उठाया लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई । उत्तर प्रदेश सरकार को, जितने इंजीनियर्स थे, उनके खिलाफ जितना भी हमें मिल सका; हमने लिख कर दिया । मैं साइट पर गया था और जाकर देखा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है । उसकी कम्पलेंट की गई । उत्तर प्रदेश सरकार में जो चीफ इन्जीनियर थे, उन्होंने जे० ई० का ट्रांसफर करवा दिया, खुद वहीं पर रह गए, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त थे । तो बड़े अधिकारी छोटे अधिकारियों को निगल जाते हैं और भ्रष्टाचार इस प्रकार से चरम सीमा पर पहुंच गया है । एक योजना

[डा० एस० पी० यादव]

जिस पर पीछे बजट में चर्चा हो रही थी, जवाहर रोजगार योजना, उस योजना के तहत जितना धन ग्रामीण विकास को जाता है उसका कितने प्रतिशत देहात के विकास पर, गांव के विकास पर उपयोग में लाया जाता है और कितना बड़ा उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको हम लोगों ने जिले में जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें रखा। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं होता। योजनाएं बनने से पहले भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाती हैं। कितनी योजनाएं बनती हैं, कितना पैसा जाता है, उस पैसे का उपयोग क्या हुआ, इसके बारे में सरकार कोई पता बाद में नहीं लेती है।

अनुशासनहीनता इतनी बढ़ गयी है कि इन योजनाओं को लागू करना मुश्किल हो जाता है। मुरादाबाद में जो रेलवे कर्मचारी हैं, इस सदन के अन्दर रेलवे मंत्री जी जवाब दे चुके हैं, वहां पर अधिकारियों ने, जो डी० आर० एम० हैं, उन्होंने फर्जी नियुक्तियां की, कैंडीडेट्स ने गलत तरीके से एक्सपीरिएंस सर्टीफिकेट दे दिए, उनकी नियुक्तियां कर दी गयी। एस० सी० के नाम पर हायर क्लास के लोगों ने झूठे सर्टीफिकेट देकर नियुक्तियां करवा लीं। यह प्रकरण खुल चुका है और मुरादाबाद के अन्दर इस वक्त भूख-हड़ताल, आमरण अंशन पर वहां के कर्मचारी बैठे हुए हैं। लेकिन सरकार को इसकी परवाह नहीं है। ऐसी योजनाओं को बनाने से क्या लाभ होगा।

शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं बधाई दूंगा कि उसने थोड़ा सा प्रयास किया कि एक विधेयक लाए और उन्होंने नकल को रोका। लेकिन नकल क्या अकेले उत्तर प्रदेश में हो रही है? हिन्दुस्तान में और यहीं दिल्ली में जो सैंट्रल स्कूल हैं उनमें भी नकल हो रही है। आई० ए० एस० में भी नकल हो रही है। आप कितनी योजनायें बनायेंगे और उसको किस प्रकार से कार्यान्वित करेंगे। मुझे तो इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी उत्तर प्रदेश में परिक्षायें चल चल रही हैं इंटरमीडिएट की, लेकिन वहां पर दोहरा मापदंड अपनाया जाना मुझे दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल की परिक्षाओं में वह नियम लागू होगा, लेकिन क्या विश्व-विद्यालय की 25 तारीख से होने वाली परिक्षाओं में भी वह नियम लागू होगा? अभी मुझे इसपर संदेह है, क्योंकि ऐसी कोई घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं की। मेरा कहना यह है कि देश का योजनाबद्ध विकास तब होगा जब सरकार के सामने इस प्रकार का प्रारूप बनकर तैयार हो जाएगा जिससे आने वाली सरकार और आने वाले योजना आयोग के अध्यक्ष उसे लागू करते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसको बदलेंगे नहीं। तब योजना आयोग के द्वारा क्रमबद्ध विकास हो सकेगा।

आज हम यह देखते हैं कि शिक्षा जनसंख्या से जुड़ी हुई है। हम हिन्दुस्तान के अन्दर यह मानते हैं कि जनसंख्या का विस्तार इस प्रकार से हो रहा है कि पूरे एक साल के अन्दर हिन्दुस्तान में एक आस्ट्रेलिया बस जाता है। एक देश की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या हिन्दुस्तान में बढ़ जाती है। यह स्थिति है।

हमारी क्या योजनाएं हैं। क्या जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं या शिक्षा को क्यों नहीं कंकरेंट लिस्ट में रखा जाता। यह राज्य का विषय है, जबकि देश का विषय होना चाहिए और पूरे देश में एक प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ बेरोजगारी भी जुड़ी हुई है। बेरोजगारों के लिए कौन सी योजनाएं सरकार बना रही है। आज देश के अन्दर आतंकवाद बढ़ रहा है और देश के अन्दर लोगों में भड़काने वाली भावनाएं बढ़ रही हैं। वह नौजवानों के द्वारा है जो कि बेरोजगारी से ग्रसित हैं। हम इक्कीसवीं सदी

में पहुंचते-पहुंचते 21 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को लेकर प्रवेश करेंगे। उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। देश के योजनाबद्ध विकास के लिए बहुत अच्छा विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस पर कुछ प्रभावकारी कार्य करने के लिए प्रयास करें ताकि देश का सुधार हो सके।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, संविधान संशोधन विधेयक जो चित्त बसु जी ने पेश किया है तो मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि देश की योजनाएं न बनती तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता था। जब हिन्दुस्तान से अंग्रेज गया तो यहां न तो एग्रीकल्चर में कोई बढ़ोत्तरी थी। और न इतने कारखाने, सड़कें और न पीने के पानी की व्यवस्था थी। जवाहर लाल नेहरू ने जिस तरह से राष्ट्र की योजनाबद्ध तरीके से बनाने की कोशिश की है, वह आज सफल हुआ है और इसकी वजह से दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्र तरक्की कर पाए हैं। हमारा छोटा सा प्रदेश है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के गांवों की सड़कें जोड़ी गई और बिजली का विस्तार हुआ। आज हिमाचल प्रदेश के अन्दर बीस हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। इस क्षमता का प्रयोग किया जाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के लिए नहर बननी थी और उसका लाभ राजस्थान को मिलना था। वह काम अधूरा पड़ा हुआ है। हरियाणा ने कम्पलीट किया है, लेकिन उसमें कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ है। उसका प्रयोग अवश्य होना चाहिए और समय-बद्ध तरीके से वह काम पूरा होना चाहिए।

ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत समिति उसके बाद जिला परिषद और लेजिस्लेटिव असेम्बली और उसके बाद पार्लियामेंट, सभी विकास के कामों में लगी हुई होती हैं। पर जगह पंचायत को उनके मुताबिक ग्रांट मिलती है, फिर वे योजना बनाते हैं और हर छह महीने में मीटिंग होती है। उसका ब्यौरा जो पंचायत का प्रधान है, वह पंचायत की एक्जीक्यूटिव बाड़ी में पेश करते हैं और फिर ब्लाक में, जिला परिषद और विधान सभा में विचार होता है। यहां कहा जाता है कि कुछ किया नहीं है। इसका मतलब यह है कि देश में जो इतनी तरक्की हो रही है, यह अपने आप हो गई है। यह सारा काम योजनाबद्ध तरीके से किया गया।

अभी कहा गया था कि डवलपमेंट काउन्सिल और प्लानिंग कमीशन इकट्ठे होने चाहिए और किसी राज्य के मुख्य मंत्री से कोई सलाह-मशिवरा नहीं होता है। जब बजट फाइनल होता है तो प्लानिंगक मीशन में मुख्य मंत्रियों को बुलाया जाता है। अगर वे प्लानिंग कमीशन में डिमाण्डर करते हैं तो उसके मुताबिक पैसा दिया जाता है। डवलपमेंट काउन्सिल में मुख्य मंत्री आते हैं तो इतना खर्चा क्यों हुआ। उनके साथ अफसर भी पहुंचते और वे ज्यादातर हवाई जहाज से आते हैं और तीन-चार बार यहां मीटिंग करते हैं। उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। मैं पहाड़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां बारिश काफी होती है, उससे सायल का इरोजशन हो रहा है। उसके लिए अधिक मात्रा में राज्य सरकार को पैसा देना चाहिए।

वन लगाओ खेती बढ़ाओ, इस तरह का अभियान हिमाचल में चला है, मैं समझता हूं कि इसके लिए राज्य सरकार को यहां से निर्देश जाना चाहिए कि वह ऐसा न करे कि अपनी ही पार्टी के आदमियों को इसमें इन्वाल्व करके अपनी संस्था चलाये। इसमें जो बी० जे० पी० की संस्था बनी है उस पर बैन होना चाहिए।

वहां की सरकार का कार्यक्रम है अन्त्योदय, वह क्या है कि जिसका अन्त हो गया उसको ऊपर उठाना है। एक लाख लोग आइडेंटीफाई किये गये हैं। मैं नहीं समझता कि एक लाख लोगों को इस

[श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी]

केटेगरी में लाया गया होगा। उनके चयन के लिए अधिकारियों को लगाया गया है और इनके जो विधायक हैं उनको भी उनके साथ रखा गया है, इस आधार पर इन परिवारों का चयन किया गया है। मैं समझता हूं यह राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। जो बेरोजगार हैं उनका चयन किया जाये। वहां कई बेरोजगार आदमी हाई कोर्ट में गये हैं और स्टे ले लिया है। मैं समझता हूं यह पार्टी का नहीं; राष्ट्र का प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यवाही होनी चाहिए।

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : आप किस विषय पर बोल रहे हैं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं योजना पर बोल रहा हूं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी इलाका है वहां बारिश अधिक होती है। मैं यह चाहता हूं जो गांव पहाड़ों पर स्थिति हैं जो बारिश का पानी आता है उसको इकट्ठा करने के लिए बड़े-बड़े टैंक बनाने चाहिए ताकि पूरे साल वहां ग्रीनरी रहे। जहां तक स्कूल्स की बात है। स्कूल्स की यह हालत है कि कहीं पब्लिक स्कूल हैं तो कहीं पर ऐसे स्कूल्स हैं

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए, आपका समय हो गया है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : आपको लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके लिए आप पूरी कोशिश करें।

सभापति महोदय : आप इस विषय पर बोलिए जो चित्त बसु जी ने रखा है। आप तो अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। वैसे आपने हरियाणा के बारे में कहा है उसके लिए आपका शुक्रिया।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : माननीय सदस्य जो योजना आयोग को और राष्ट्रीय विकास परिषद को इकट्ठा करना चाहते हैं मैं समझता हूं मंत्रीजी इसके बारे में अलहदा बात करेंगे और सभी से परामर्श करेंगे। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसको वे वापस ले लें।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का सिद्धांत रूप से समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि श्री चित्त बसु द्वारा उठाये गये मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से योजना आयोग का स्तर वह नहीं है जो होना चाहिए था। योजना आयोग के पीछे मूलभूत अवधारणा यह थी कि इसे विशेषज्ञों का निकाया बनाया जाय। वस्तुत: इसी वजह से प्रथम योजना आयोग की अध्यक्षता श्री वी०टी० कृष्णमाचारी ने की थी। शुरू में यह बात की गई थी कि पंडित नेहरू प्रधान मंत्री के रूप में इसके अध्यक्ष बनने के सम्बन्ध में अनिच्छुक थे। इसके पीछे विचार यह था कि योजना आयोग को विशेषज्ञों का एक निकाय होना चाहिए और इसे विशेषज्ञ के रूप में अपनी राय देनी चाहिए। एक स्वतंत्र निकाय की तरह होना चाहिए और राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अपनी सिफारिशें करनी चाहिए न कि किसी राजनैतिक पार्टी के हित में करनी चाहिए। इसके पीछे यही एक-मात्र अवधारणा थी। बाद में पंडित जी को इसका अध्यक्ष बनने पर जोर दिया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि इस संबंध में सरकार के साथ कुछ तालमेल होना आवश्यक है।

शुरू में कोई भी योजना मंत्री नहीं होता था, यद्यपि व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्री भारद्वाज हमारे योजना मंत्री हैं, योजना मंत्री केवल कुछ सीमित प्रयोजन से बनाया जाता था। वह सीमित प्रयोजन यह था कि वह संसद में योजना आयोग से संबद्ध प्रश्नों का उत्तर दे सके। यही मूल अवधारणा थी। यह अवधारणा नहीं थी कि योजना मंत्री योजना आयोग में एक अलग प्रशासनिक निकाय के रूप में होंगे जहां उनकी शायद कुछ महत्ता हो। दूसरे शब्दों में आधारभूत धारणा यह थी कि यह विशेषज्ञों का एक निकाय होगा। एक समय तो इस अवधारणा पर पुनः विचार किया गया और हमने प्रो० लकड़वाला को इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। फिर डा० मनमोहन सिंह उपाध्यक्ष बने, उस समय वह राजनीति में नहीं थे और सार्वजनिक क्षेत्र में भी उन्होंने शुरुआत नहीं की थी। अतः, मैं इस सिद्धांत का पूर्ण समर्थन करता हूं लेकिन जो कुछ मेरे मित्र श्री चित्त बसु ने कहा है मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा।

श्री चित्त बसु चाहते हैं कि केन्द्रीय योजना मंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करें। अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में वह कहते हैं :

> "इसी तरह योजना आयोग को संघ सरकार के उपांग के रूप में परिवर्तित कर दिया है।"

यदि आप प्रधान मंत्री को इसका अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, योजना मंत्री और उपाध्यक्ष भी चाहते हैं तो और क्या होगा क्या यह संघ सरकार का एक उपांग बना नहीं रह जाएगा ? अतः हमें मूल अवधारणा को पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी चाहिए। यह मूल अवधारणा एक स्वतंत्र योजना आयोग की थी जोकि देश के राष्ट्रीय हित में नियोजना करे न कि किसी विशेष विचारधारा का अनुसरण करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना आयोग का एक संवैधानिक आधार हो। मैं और भी कहना चाहता हू। लेकिन समय अनुमति नहीं देता है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं चाहूंगा कि योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय हो क्योंकि मैं चाहता हूं कि योजना आयोग देश को पर्याप्त रूप से प्रमाणिक जानकारी, प्रमाणिक तथ्य दे सके जोकि हम सभी को स्वीकार्य हों। आज, हमारे यहां एक अजीब ही स्थिति है, एक सरकार आती है और दूसरी जाती है, दूसरी सरकार जाती है और तीसरी सरकार आती है और प्रत्येक सरकार सभी प्रकार की आर्थिक खराबियों के लिए पिछली सरकार को दोष देती है। देश को इस सम्बन्ध में तथ्य जानने का अधिकार है। आज वे तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। पंडितजी ने पुनः इस राष्ट्रीय सांख्यकी-निकाय की स्थापना करने का विचार किया था। इसी तरह कुछ किया जाना चाहिए या योजना आयोग में एक ऐसा निकाय होना चाहिए ताकि हमें एक स्वतंत्र योजना आयोग मिल सके और यह लोगों को वे तथ्य उपलब्ध कर सके जिन पर वे विश्वास कर पायें।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, शुरू में ही मैं उन माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है—श्री चित्त बसु जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही श्री भगवान शंकर रावत, श्री बाड़े, श्री सुधीर गिरि, श्री आस्कर फर्नान्डीज, श्रीमती दिलकुमारी भंडारी, श्री मनोरंजन भक्त, श्री जोशी, श्री सैयद शहाबुद्दीन, श्री गोपीनाथ गजपति, श्री संतोष कुमार गंगवार, श्री यादव, श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी और अन्त में श्री इन्द्रजीत। (व्यवधान) क्षमा कीजिए नितीश कुमार जी। मैंने बहुत ध्यानपूर्वक आपके मुद्दे नोट किए हैं। (व्यवधान) मैंने सभी माननीय

[श्री एच० आर० भारद्वाज]

सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दे नोट किये हैं। मैं यह बात दर्ज करना चाहूंगा कि चर्चा पूर्णरूप से इसी इच्छा से प्रेरित थी कि हमारे देश में एक बहुत प्रभावशाली नियोजना होनी चाहिए। यहां तक कि प्रस्तावकर्ता श्री चित्त बसु ने भी यह कहा था। वह इस महान सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, एक महान संसदविद, स्वतंत्रता सेनानी हैं। वह फारवर्ड ब्लाक के सदस्य हैं। हम फारवर्ड ब्लाक के दर्शन से परिचित हैं। वे हमेशा किसी भी व्यक्ति से बहुत तेज, सक्रिय और गतिशील होते हैं। उनकी इस बात की मैं सराहना करता हूं कि योजना आयोग को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए, इसे अधिक गतिशील बनाया जाना चाहिए। मैं यह जानता हूं और कुछ समय से मैं योजना मंत्रालय में कार्य कर रहा हूं। अत: यही समय की पुकार भी है। यदि देश में योजना प्रक्रिया सक्रिय नहीं होगी तो केन्द्र-राज्य संबंधों की पूरी व्यवस्था ही प्रभावित होगी। राज्यों के कुछ क्षेत्रों पर केन्द्र द्वारा अधिग्रहण किया जाना या कुछ क्षेत्र जहां केन्द्र को राष्ट्रीय नीति बनानी है वहां राज्यों को आपति होती है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में संस्थायें समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग का निकाय के रूप में होने में कुछ भी गलत नहीं है। योजना आयोग का संविधान क्या है? प्रधान मंत्री अध्यक्ष हैं। कोई भी इससे इन्कार नहीं कर सकता कि जब हम राष्ट्रीय योजना की बात करते हैं तो इस विषय में गठित निकाय का अध्यक्ष प्रधान मंत्री को होना चाहिए क्योंकि वह देश के नेता हैं। इसी प्रकार यदि उपाध्यक्ष आर्थिक विशेषज्ञ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के योजना आयोग में होने से कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार अन्य सदस्य हैं। इसलिए इससे किसी को इन्कार नहीं है कि योजना आयोग का गठन यथा संभव कुशलतापूर्ण होना चाहिए। मुझे इस बात को मानने में कोई झिझक नहीं है।

दूसरा, मुद्दा राष्ट्रीय विकास परिषद् है। राष्ट्रीय विकास परिषद् भी प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक अति महत्वपूर्ण संस्था है और इसमें सभी केन्द्रीय मंत्री भी सदस्य हैं। सभी मुख्य मंत्री, उनके योजना मंत्री, राज्यपाल, रिजर्व बैंक तथा सरकार और वित्तीय संस्थाओं के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को जिस विचार-विमर्श की जरूरत है उसके लिये उन्हें समय नहीं मिलता। मैं यह भी मानता हूं कि इस देश की विशालता को देखते हुये केन्द्र और राज्य, दो स्तर पर योजना पर्याप्त नहीं है।

मैं श्री सैयद शहाबुद्दीन को बधाई देता हूं। उन्होंने आज की जरूरत का अधिक विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। आज की जरूरत यह है कि हमने देखा है कि इस देश के काफी क्षेत्र गरीबी से प्रभावित हैं। अनेक बार मैं इस पुनीत सभा में देश में व्याप्त गरीबी का औचित्य बताने में कठिनाई महसूस करता हूं। जब माननीय सदस्य मुझसे प्रश्न करते हैं तो मैं महसूस करता हूं कि अब समय आ गया है कि हम इस मुद्दे के बारे में सचेत हों और कुछ करें। अन्यथा गरीब लोग अधीर हो जाएंगे। पहले ही हम भारत में अनेक स्थानों पर लोगों के क्रोध में उनकी अधीरता देख रहे हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्य श्री चित्त बसु को बधाई देता हूं कि उन्होंने यह विधेयक पेश किया क्योंकि इस समय हम अनेक आर्थिक संकट तथा अन्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं इस पुनीत सभा को याद दिलाता हूं कि हमारी योजना प्रक्रिया जैसा कि विधेयक के प्रस्तुतकर्ता ने कहा है, हमारे संविधान द्वारा बनाई गई है। हमारा संविधान केन्द्र, राज्यों और अन्य संस्थाओं जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इत्यादि की शक्तियों को परिभाषित करता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि इसमें प्रशासन की दो स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान है। एक केन्द्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं। हमें यह

सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्य और केन्द्र के बीच सम्बन्ध सद्‌भावपूर्ण रहें और इसे इस प्रकार दर्शाया जाये। जब एक राज्य की योजना से संबंधित मामला हो तो उस राज्य के विचारों को प्राथमिकता दी जाए। अर्थात राज्य क्या करना चाहता है। मुख्य मंत्री जनता का प्रतिनिधि है। उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिये। केन्द्र द्वारा उनके मत को सम्मान दिया जाए अर्थात मुख्य मंत्री का क्या मत है क्योंकि उनकी पार्टी अपने वायदों के आधार पर लोगों का जनादेश प्राप्त करती है। इसलिये योजना आयोग या किसी व्यक्ति को राज्य की प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री के अनुरोध की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

लेकिन देश तथा राष्ट्रीय संकट के मुद्दे पर केन्द्र को प्राथमिकता दी जाये और ऐसे में प्रधान मंत्री, अर्थात केन्द्र सरकार का मत सर्वोपरि रहे। प्रशासनिक सुधार आयोग अथवा समितियों ने इस बारे में अध्ययन किया है। मैं सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। उन्होंने इस मुद्दे पर ही जोर दिया है।

आप देखें कि इस संबंध में आज क्या आवश्यकता है? हमने देखा है कि न्यायपालिका में तनाव है। संसद में तनाव है। हमने देखा है कि योजना आयोग में तनाव है। सौभाग्य से राष्ट्रीय विकास परिषद में कोई तनाव नहीं है। मैं इसमें मौजूद था। इसकी बैठक बड़े सद्‌भावपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। यह विशिष्ट घटना थी। क्यों? मुझे अचम्भा हुआ। लोगों को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कुछ घटित होने की सम्भावना थी। लेकिन मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री देश के सम्मुख खतरे के प्रति जागरूक थे। इसलिए हरेक ने सहयोग किया। मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का ऐतिहासिक विचार-विमर्श मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों तथा अधिकारियों के पूर्ण सहयोग से अत्यंत शांतिपूर्वक हुआ। प्रधान मंत्री को सभी पक्षों से सहयोग मिला। मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि यह समय की मांग थी। इसलिये महोदय, यदि हम वास्तव में गंभीर हैं तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये कि योजना प्रक्रिया को और सक्रिय बनाया जाये। मैंने विधि मंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे का अध्ययन किया था। मैं जानता हूं कि कठिनाई कहां है। कठिनाई यही है कि हम अत्यधिक केन्द्रित हो गये हैं। हम सब कुछ अपने लिये रखना चाहते हैं। नौकरशाही की खामियां भी हैं। मैंने नगरपालिका और पंचायत विधेयक के समय भी कहा था कि जब यह अनुसूची-II में शामिल हो जाये तो अनुसूची-II को सम्मान दिया जाये। स्थानीय प्रशासन का कार्य राज्य सरकारों का है। स्थानीय प्रशासन राज्यों में चलाया जाए और केन्द्र सरकार स्थानीय प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और पालिकाओं, पंचायतों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों का अथवा उन्हें जो भी नाम दिये गये हों, मजबूत किया जाये। महात्मा गांधी के ग्राम गणराज्य और ग्राम पंचायत के स्वप्न को मजबूत किया जाए। मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं और इस देश की गरीब ग्रामीण जनता की समस्याओं को जानता हूं। हम उनकी समस्याओं को जाने बगैर उनके लिए योजना कैसे बना सकते हैं? हम उनकी समस्याएं नहीं जानते और शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समस्यायें एकदम भिन्न हैं। जैसाकि कहा गया है, हमारे पास सैंकड़ों, हजारों योजनाएं हैं। हम पांच या दस योजनाएं जैसे पेय जल सफाई संबंधी कार्यक्रम शिक्षा और चिकित्सा सुविधायें क्यों नहीं चुन सकते? लोग शहरों में नहीं आना चाहेंगे क्योंकि गांव में उन्हें पूरा भोजन और अच्छा वातावरण मिलता है। अब शहर प्रदूषित हो गये हैं और कोई भी व्यक्ति मुकदमेबाजी या चिकित्सा उपचार हेतु शहरों में आना नहीं चाहेगा। हमारे न्यायालयों और अस्पतालों का क्या हुआ? अगर आप अपने ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित नहीं करेंगे तो शहरों में रहना पसन्द नहीं करेंगे। मैं सैयद शहाबुद्दीन को बधाई देता हूं। उन्होंने इस समस्या पर वास्तव में कार्य किया। योजना को तुरन्त विकेन्द्रित किया जाए। लेकिन इसके लिये मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय

[श्री एच० आर० भारद्वाज]

विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा देने का क्या प्रभाव होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद तो संवैधानिक से भी अधिक है। यह निदेशक सिद्धान्तों के निदेश के तहत संविधान की उत्पत्ति है। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि गरीब लोगों के इस प्रकार सामाजिक उत्थान को बढ़ावा दे। यदि आप इसे और अधिक सख्त और संवैधानिक दर्जे के तहत बना दें तो इसमें कोई लचीलापन नहीं रहेगा।

श्री इन्द्रजीत : क्या यह सच नहीं है कि आज योजना आयोग को सरकार के संकल्प के तहत गठित किया जाता है? यह एक कार्यकारी निर्णय है। हम तो संवैधानिक संकल्प चाहते हैं।

श्री एच०आर० भारद्वाज : इन्द्रजीत जी योजना आयोग के लिए एक पृथक अनुच्छेद चाहते हैं। मैं आपके कथन की प्रशंसा करता हूं। आप चाहते हैं कि जो स्थिति पिछले दो तीन वर्षों में उत्पन्न हो रही थी वह न हो। हर वर्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति होती है और फिर सरकारें हट जाती हैं और वे भी हट जाते हैं। यदि योजना आयोग का अध्यक्ष इस्तीफा देता है तो सदस्य भी इस्तीफा देते हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिये। दो महीने से मेरे अपने मंत्रालय में योजना आयोग के सदस्य नहीं थे। यह स्थिति बहुत खराब है। मुझे बहुत खुशी है कि योजना मंत्री के रूप में योजना आयोग के कार्यकरण पर मेरा कोई दखल नहीं है। मैं एक सिद्धांत पर कायम रहा हूं। मैंने किसी भी राज्य के मुख्य मंत्री के साथ किसी विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया है। केवल योजना आयोग ने ही भाग लिया। मुझे आमंत्रित किया गया था। लेकिन मैंने श्री आर०आर० मोरारका की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश का पालन किया। उन्होंने सुझाव दिया है कि योजना मंत्री इससे अलग रहे। लेकिन मैं योजना आयोग की घटनाओं को जाने बगैर मंत्री के रूप में संसद को उत्तर देने की कठिनाई को महसूस करता हूं। मैं यह जानता हूं। मेरी अपनी कठिनाइयां हैं लेकिन मुझे सभा का सहयोग मिलता है। वे समझते हैं कि यह मंत्री योजना आयोग के पूर्ण या सक्रिय सदस्य न होने के कारण असमर्थ हैं। मैं संसद में उनका प्रवक्ता हूं। यह मेरे लिये एक बड़ा सौभाग्य है। लेकिन प्रश्न संस्था को विकसित करना है। यदि आप वास्तव में योजना की संस्था का विकास चाहते हैं तो अब समय है जब कि सभी राजनतिक पार्टियां एकजुट हों और देखें कि आप किस प्रकार की योजना चाहते हैं।

5.00 म०प०

श्री गंगवार अभी बोले हैं और मैंने उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। इसका समाधान संविधान के संशोधन में नहीं है। हमने दलबदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया है। क्या इससे प्रयोजन सिद्ध हुआ है? नहीं। क्योंकि राजनैतिक पार्टियों ने इसकी भावना का अनुसरण नहीं किया है। आप अगर कानून को उचित प्रकार से लागू करना चाहते हैं तो इसकी भावना के मुताबिक चले। अगर मुझे उपयुक्त लगता है तो मैं दलबदल को प्रोत्साहन करूंगा; यदि आपको उपयुक्त लगता है तो आप दलबदल को प्रोत्साहन देंगे। इसलिए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है?

एक संस्था के गठन के लिए वास्तव में साहस और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। यह समय समय की मांग है और हम सभी इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री इस मुद्दे पर सभी राजनैतिक पार्टियों से चर्चा के लिये तैयार होंगे क्योंकि वह समझते हैं कि देश की अत्यधिक समस्याओं को देखते हुए हर व्यक्ति का यह काम है कि वह देश निर्माण में भाग ले। योजना देश निर्माण की एक प्रक्रिया है। योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम गरीब और कमजोर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। योजना गरीब के लिए हैं क्योंकि वह

कमजोर है और अपने आप खड़ा नहीं हो सकता। योजना की जरूरत बस्ती में रह रहे गरीब व्यक्ति को है। अमीरों को कोई समस्या नहीं है।

हम सबको इस समस्या का हल निकालना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप लोग इसके लिए वास्तव में उत्सुक हैं तो इसके लिए कुछ समय और दीजिए। मैं आपके इस विचार से सहमत नहीं हूं कि बातचीत में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक को शामिल करके योजना के ऐतिहासिक परिदृश्य की अनदेखी की गई है। हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के सदस्य हैं। मैंने हाल ही में श्री वाजपेयी जी का भाषण सुना। दुनिया की कोई भी ताकत इस महान देश को झुका नहीं सकती है। इस देश में संसदीय लोकतंत्र सफल है। हमारा समाजवाद सोवियत रूस या चीन के समाजवाद जैसा नहीं है। हमारे लोकतांत्रिक समाजवाद का ध्येय घोर गरीबी दूर करना है। हमारे समाजवाद का ध्येय सभी के लिए रोटी, कपड़ा और मकान सुनिश्चित करना है। इसमें राज्य का हस्तक्षेप अपेक्षित है। यदि हम सब समान हो जाते हैं तो इसमें राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। सभी के लिए मुक्त बाजार होगा। परन्तु मुक्त बाजार पिछड़ों, उन लोगों जिन्हें लाभ प्राप्त नहीं है और दलितों के अनुरूप नहीं है। एक मजदूर को न्यूनतम दिहाड़ी 30 रुपये मिलती है। यदि मुक्त बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं तो वह इस 30 रुपये में कम से कम 4 या 5 किलोग्राम आटा कैसे खरीद सकता है। यहीं पर राज्य के हस्तक्षेप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवश्यकता पड़ती है। राज्य इस तरह से योजना बनाएगा कि गरीब आदमी को दो जून रोटी नसीब हो सके और इस देश में आपके राष्ट्रीय परिदृश्य पर गर्व है और इस देश में योजना की प्रक्रिया अत्यन्त सफल है। सूखा पड़ने पर हमारा राहत तंत्र सक्रिय हो जाता है। बाढ़ आने पर हमारा राष्ट्रीय तंत्र आपदाओं का सामना करने के लिए सक्रिय हो जाता है।

मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र का तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के पिछले 40 वर्षों से इस देश की साख को बचाया है। हमने अपना धन सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया है। लेकिन हम अनुत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र से चिपके नहीं रह सकते हैं जिससे बजटीय घाटा होता हो। यदि हम इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा देश कहां जाएगा ? आखिर हमें इसकी भरपाई तो करनी ही होगी।

महोदय, आयोजन राज्यों और केन्द्र के बीच एक मैत्रीपूर्ण प्रक्रिया है। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए यह काम राज्यों और केन्द्र दोनों को ही करना है। मैं बसु जी को इस पर कुछ और शोध करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सी० पी० आई०, सी० पी० आई० (एम०), फारवर्ड ब्लाक, भारतीय जनता पार्टी सभी दलों के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर बोल चुके हैं और सभी ने सचमुच ही काफी अच्छा कहा है। मैं उनके तर्कों की भावना स्वीकार करता हूं। मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि जब कभी भी आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहें हम इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं ताकि आयोजन की प्रक्रिया और अधिक कारगर बने। अन्ततोगत्वा, यदि सदन और सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि हमारे आयोजन को एक ऐसा रूप दिया जाए या राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकें जल्दी-जल्दी हों तो हमें यह पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। चर्चा करने से हमेशा ही अच्छे नतीजे निकलते हैं।

मैं चाहता हूं कि आप यह स्वीकार करें। आप जानते हैं कि इस देश ने विगत समय में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। चाहे वे कितनी ही गम्भीर क्यों न रही हों, हमारा किसी भी शक्ति के सामने घुटने टेकने का प्रश्न ही नहीं है। यह एक विशाल और महान देश है। दुनिया में कोई भी हमें झुका नहीं सकता है। मैं यह भी चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखना हमारे अपने

[श्री एच० आर० भारद्वाज]

हित में है। हमें अपने महान मित्र राष्ट्र सोवियत रूस पर गर्व था। लेकिन अपने कठोर आयोजन और ढांचे के कारण वह विखण्डित हो गया। परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण लचीला है। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धान्त बनाए हैं। यदि हम अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल नहीं करते तो हमारी स्थिति भी चीन जैसी होती, जहां छात्र भी राष्ट्र को हिला सकते हैं। परन्तु यहां लाखों की तादाद में लोगों ने कई बार बोट क्लब पर प्रदर्शन किए। हम आराम से उनके सामने खड़े रहे और हमने उनकी मांगें सुनीं, हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। इसका कारण यह है कि जिस क्षण भी कोई व्यक्ति भारत की धरती पर कदम रखता है उसे अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत संरक्षण दिया जाता है। यह सब आयोजन के अन्तर्गत आता है। मैं इसे पक्षपात का मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं। परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व मूलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : आयोजन भी इसका एक हिस्सा था।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जी हां, इसीलिए मैंने आपको बधाई दी। शुरू से ही यह कल्पना की गई थी कि गरीबों के लिए आयोजन आवश्यक है और आज भी यही वचनबद्धता है। कोई भी राजनीतिक दल यह नहीं चाहता है कि वे गरीबों के हक में नहीं हैं। सभी राजनीतिक दल ऐसा कहते हैं। मैं इस पर सभी की सहमति चाहता हूं।

श्री गंगवार जी ने एक स्पष्ट संकेत दिया है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। यदि आप सचमुच ही लोकतांत्रिक आयोजन चाहते हैं तो आपको सभी के विचारों को ध्यान में रखना होगा। प्रधान मंत्री भी आम सहमति में विश्वास रखते हैं। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में कई मुद्दे लम्बित पड़े हुए हैं। आप लोगों को इसके लिए इस समय आमंत्रित नहीं किया जा सकता है और न ही कोई मेरे निमंत्रण को गम्भीरता से लेगा। परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से ये महसूस करता हूं कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर चर्चा की जाए तथा आयोजन पर भी चर्चा की जाए।

मैं बसु जी से इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं। मैंने इन सभी बातों पर ध्यान दिया है। जब हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे उस समय इस पर और अधिक ध्यान देंगे।

सभापति महोदय : महानुभाव हमने इसमें अधिक समय ले लिया है। मंत्री महोदय इतनी तनमयता से बोल रहे थे कि मैंने उन्हें बीच में रोकना उचित नहीं समझा। अतः मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक के लिए आधा घंटे का समय और बढ़ाया जाए। पहले समय पौने पांच बजे तक बढ़ाया गया था। अब हम इस विधेयक के लिए 5.20 तक समय बढ़ाते हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस परिचर्चा में भाग लिया, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही साधारण-सा है। जैसा कि सभी सदस्य पहले ही देख चुके हैं कि भारत जैसे विशाल और संस्कृति बहुलता, भाषा वैविध्यता और बहुजातीयता वाले देश के लिए आयोजन बहुत आवश्यक है। इसलिए हम अपने देश में आयोजन के बगैर कुछ नहीं कर सकते तथा इस मुद्दे पर पूर्ण सहमति हो गई है। मैं चाहता हूं कि आयोजन प्रक्रिया महत्वपूर्ण और आवश्यक होने के कारण यह संविधान का ही एक भाग होना चाहिए।

मैं योजना मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि पंचायतराज नगरपालिका की स्थापना करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक सदन के समक्ष लम्बित है। महोदय, इस पर अलग-अलग विचार

व्यक्त किए गए हैं। पंचायतराज, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची के विषय हैं और जब इससे पहला पंचायत विधेयक सदन के समक्ष था तो हममें से बहुतों ने इसका इस आधार पर विरोध किया था कि यह तो राज्य के विषयों में दखलंदाजी है। अब नया विधेयक संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष है; इसका उद्देश्य पंचायतीराज का संवैधानिक आधार प्राप्त करना है। यह अच्छी बात है। यह स्वागत योग्य कदम है। ये अलग बात है कि किस तरह का विधान होगा। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि पंचायतीराज का संवैधानिक आधार होना चाहिए, संविधान संशोधन के बाद एक ग्राम पंचायत की संवैधानिक निकाय है। मुझे याद नहीं है कि यह 73वां या 74वां कौन-सा संविधान संशोधन था।

महोदय, यदि सरकार की यह स्थिति है तो इसमें मेरा कोई झगड़ा नहीं है। यदि आप योजना आयोग के उच्च महत्त्व को महत्वपूर्ण समझें तो यह अच्छी बात होगी। यदि हम योजना आयोग को इतना अधिक महत्त्व देते हैं तो आप इसे संवैधानिक पवित्रता अथवा दर्जा क्यों नहीं देते?

कई माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है कि कई आयोगों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बहुत सारे आयोगों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मेरा प्रश्न है कि योजना आयोग जैसे महत्वपूर्ण निकाय को कुछ संवैधानिक आधार प्राप्त होने चाहिए। इससे कुछ कम या ज्यादा नहीं।

महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार को इस विचार पर एतराज नहीं होना चाहिए। मुझे यह कहने में खेद है। उन्होंने इसका उत्तर ठीक दिया है। परन्तु उन्हें दृढ़ भी रहना होगा तथा उस पर कायम रहना होगा कि योजना आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : क्या मैं स्थिति स्पष्ट करूं? यह दृढ़ दृष्टिकोण नहीं है। मैं कह चुका हूं कि केन्द्र-राज्यों के संबंधों पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। जब आप पंचायतीराज और जिला परिषदों के सम्बन्ध में संविधान संशोधन कर सकते हैं तो इस पर भी चर्चा की जा सकती है। कुछ भी हो, यह विधेयक संयुक्त समिति के समक्ष है। अत: मुद्दों पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार के दौरान चर्चा नहीं की जा सकती। मेरे विचार से इस पर पूरी तरह से चर्चा करने की जरूरत है।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने यह कहा था कि प्रधान मंत्री जी इस पर विपक्ष के नेताओं से चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

श्री चित्त बसु : मैंने उनके कथन का हवाला यह सुनिश्चित करने के लिए दिया था कि वह आपकी स्थिति स्पष्ट कर सकें और उनके बारे में यहां से कोई गलत बात न कही जाए। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने को इच्छुक है। मैं समझता हूं कि यह मंत्री जी की स्थिति है। इस मामले पर अलग स्थिति और अलग मंच पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है।

अत: मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे महत्वपूर्ण निकायों को संवैधानिक आधार प्रदान करने के सुझाव पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए।

महोदय, सरकारिया आयोग द्वारा इस मुद्दे को संक्षिप्त रूप में उठाया गया था। यद्यपि सरकारिया आयोग ने योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश

[श्री चित्त बसु]

नहीं की थी। लेकिन मैं रिपोर्ट के पैरा संख्या 11.743 (पृष्ठ 382) की ओर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।" निष्कर्ष: अत: हमारा यह विचार है कि सभी सामाजिक-आर्थिक विकास के सम्बन्ध में सर्वोच्च अन्तर्शासकीय निकाय होने के नाते यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्तित्व बना रहे और अनुच्छेद 263 के अधीन राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसका राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद के रूप में पुनर्गठन किया जाए ताकि इसका संविधान से सीधा संबंध हो।

वर्तमान में योजना आयोग का गठन कार्यपालिका के आदेश से होता है।

मेरे विचार से उसमें अन्तर है जिसे आप भी मानेंगे। वर्तमान में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद कार्यपालिका के आदेश के तहत गठित होते हैं।

जो मेरा सुझाव है उसे सरकारिया आयोग स्वीकार नहीं किया है लेकिन इसका भी यह मानना है कि इनका कोई संवैधानिक आधार होना चाहिए। मैंने हमेशा 'आधार' शब्द पर बल दिया है और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत आदेश जारी कर सकते हैं। यह सरकारिया आयोग की सिफारिश है। मैं उस पर बल देने के लिए ही यह उल्लेख कर रहा हूं। सरकारिया आयोग जैसे आयोग ने भी योजना आयोग को संवैधानिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की थी। इसलिए मेरे विचार में सरकार को इस पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं सारी आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करता हूं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह सबसे उपयुक्त समय है जब सरकार केन्द्र-राज्य संबंधों सहित किसी भी मुद्दे पर जिसका राष्ट्र से सम्बन्ध है, किसी भी समय किसी भी दल के साथ विचार-विमर्श कर सकती है। संसद में भी हम यह निर्णय नहीं ले सकते कि हम इस तरह के योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद गठित करने जा रहे हैं क्योंकि यह समवर्ती सूची का मामला है। मेरे विचार में एक मंत्री द्वारा इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री चित्त बसु : ठीक है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस प्रकार की चर्चाओं के लिए एक मंच प्रस्तुत कर दिया।

जहां तक अन्य उठाए गए मुद्दों का सम्बन्ध है, उनमें से एक है आयोजना में आम जनता की भागीदारी। केवल इसी इरादे से हमने संवैधानिक दर्जा की बात की है। आयोजना प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया गया है। इसके लिए ही एक संवैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है।

मैं अपने माननीय मित्र श्री सैयद शाहाबुद्दीन के इस सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि पूरी आयोजना प्रक्रिया के पुनर्गठन की आवश्यकता है और उसके लिए हर कोई सहमत है और हम सभी उस सुझाव से सहमत हैं। लेकिन एक मात्र बात यह है कि मैंने विधेयक द्वारा इस महत्वपूर्ण संस्था को संवैधानिक मान्यता दिलवाने का प्रयास किया है।

माननीय मंत्री ने चीन और रूस का प्रश्न उठाया है। मैं उसकी आलोचना नहीं करता। चीन की अपनी समस्याएं हैं और आयोजना की पद्धति उनकी अपनी है और अपनी समस्याओं के हल उन्हें ही तलाशने हैं।

जहां तक रूस का सम्बन्ध है उनकी भी अपनी आयोजना पद्धति है। उनकी जो भी उपलब्धियां हैं वह हम सभी को पता है, उसमें जो भी खामियां थीं उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी थे और उससे हम सबक ले रहे हैं। मेरे कहने का यह उद्देश्य नहीं है कि चीन अथवा रूस के रास्ते को आप स्वीकार करें। यह भारत है। हमारी अपनी समस्याएं हैं, वे समस्याएं भारतीय हैं इसलिए उनका निदान भी भारतीय होना चाहिए। अत: यह आवश्यक और अप्रासांगिक प्रश्न है कि चीन में क्या हुआ और रूस में क्या हुआ। ये बातें महत्वहीन और असंगत हैं और इनका उस मुद्दे से कोई सम्बन्ध नहीं है जिस पर यहां चर्चा हो रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम चीन से सबक ले सकते हैं।

श्री चित्त बसु : हम अपनी तरह से ही सबक ले रहे हैं। चूंकि सभा के सभी पक्षों ने इस विधेयक में निहित विचारों को समर्थन देते हुए खुलकर अपने विचारों को व्यक्त किया है इसलिए यह हमारे लिए खुशी का मौका है।

मेरे लिए यह खुशी का मौका है कि पूरी सभा ने इस पर अपना समर्थन व्यक्त किया है। निर्णय करना सरकार पर है मैं अपनी सीमाओं से पूरी तरह अवगत हूं। यह संविधान (संशोधन) विधेयक है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और सभा के वर्तमान गठन को देखते हुए उनके लिए संविधान (संशोधन) विधेयक लाना सम्भव नहीं है। थोड़ी-बहुत परिपक्वता तो मुझमें इतने वर्षों तक इस महान सभा में कार्य करने के बाद आ ही गई है। अत: सभा में मत विभाजन कराने का दुस्साहस नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि मैं इस विधेयक की नियति को जानता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यदि सभी सदस्य यहां उपस्थित होते तो यह विधेयक पारित हो सकता था।

श्री चित्त बसु : यह कोई जरूरी नहीं है। जो भी हो, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो वादा अभी उसने यहां किया उसे वह याद रखे। कम से कम ऐसे मंच की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां योजना आयोग और जहां तक आयोजना प्रक्रिया का सम्बन्ध है। केन्द्र और राज्य के बीच पूरे सहयोग और अधिक सूझबूझ के साथ चर्चा हो सके। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर उचित रवैय्या अपनाएगी और मैं आपकी अनुमति से इस विधेयक को वापस लेता हूं। मैं भारत के संविधान में और संशोधन करने के विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

5.23 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(आठवीं सूची में संशोधन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगला विषय अर्थात मद संख्या-11 लेंगे। यह भी संविधान (संशोधन) विधेयक है जिसे श्रीमती दिल कुमारी भंडारी ने प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय निर्धारित है और अनेक वक्ता हैं। अतः मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वे बहुत संक्षेप में बोलें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि जिस दिन इस विधेयक पर मतदान हो उस दिन सरकार एक व्हिप जारी करके सभी सदस्यों को यह निर्देश दे कि वे सभी उस समय उपस्थित रहें और विधेयक पर मतदान करें। हम भी ऐसा ही करेंगे।

सभापति महोदय : किस विधेयक पर ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस विधेयक पर जो नेपाली भाषा को संविधान में शामिल करने के सम्बन्ध में हैं।

सभापति महोदय : सामने यह कैसे माना कि वे अपने सदस्यों को उपस्थित नहीं कराएंगे ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : चूंकि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के मामलों में प्रायः ऐसा होता है कि यदि सरकार सहमत भी होती है तो भी वह सभा में यह कहती है कि वह इसी तरह के एक विधेयक को सरकारी तौर पर प्रस्तुत करने के लिए सहमत है। इस मामले में मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप विधेयक में उल्लिखित विषय वस्तु पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि वह अत्यन्त सीमित है। यदि सरकार अपना विचार बना लेती है तो यह संभव है कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए। एक मात्र पूर्व दृष्टांत श्री फिरोज गांधी के विधेयक का है जो गैर-सरकारी विधेयक था और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था और उसे कानून बना दिया गया था।

उसी तरह इस मामले में यदि सरकार अपना मत बना लेती है तो यह हो सकता है। यह आवश्यक है क्योंकि यह संविधान संशोधन विधेयक है और उसके लिए आवश्यक बहुमत होना चाहिए। अपेक्षित बहुमत होना चाहिए। यह हमेशा शुक्रवार को होता है जिस दिन इस विधेयक पर विचार किया जायेगा। इसलिए जब तक सरकार और हम सभी राजनीतिक दल इसको मान नहीं लेते यह नहीं हो सकता। इस बारे में पूरी तरह से सहमति है। अतः सरकार द्वारा नया विधेयक को प्रस्तुत करने की दूसरी प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

सभापति महोदय : इस प्रकार का एक पूर्वोदाहरण है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, मैं विपक्ष के नेता और मेरे माननीय मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा व्यक्त विचारों और भावनाओं की कद्र करता हूं। मैं उन्हें आश्वासन

देता हूं कि सरकार सभा की कार्यवाही जारी रखने के लिए सदस्यों की अपेक्षित उपस्थिति सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं रखेगी।

मेरे विचार से, जैसा कि आडवाणी जी ने कहा है कि इस मुद्दे पर सभी की चिन्ता और इस बारे में मतैक्य है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए पर्याप्त समय है। हम प्रक्रिया तय कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि···(व्यवधान)।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, मुझे विश्वास है कि गण पूर्ति के लिए पर्याप्त सदस्य उपस्थित रहेंगे। लेकिन विपक्ष के नेता यह जानना चाहते हैं कि क्या इस विधेयक को सरकारी विधेयक बना दिया जाएगा? आप इस मामले पर विचार विमर्श कर सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : अभी हम इस पर कोई भी बहस न करें···(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। हम इस पर अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसको हल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है···(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : सभापति महोदय, मैं आपके इस विचार का समर्थन करता हूं कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मतैक्य के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं। मैं मतैक्य के बारे में पूर्णत: विश्वस्त नहीं हूं क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस मामले पर कुछ विशिष्ट धारणा व्याप्त है। अत: मैं समझता हूं कि पहले हमें पूर्ण बहस करनी चाहिए। फिर सरकार को अपना मत बनाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमें सरकार को ऐसी स्थिति में ले आना चाहिए कि वह एक ऐसे विधेयक को लाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दे जिस पर अभी चर्चा भी नहीं हुई है।

सभापति महोदय, हम आज कितने बजे तक बैठेंगे।

सभापति महोदय : 6 बजे तक।

अब श्रीमती दिल कुमारी भंडारी बोलेंगी।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अपना औपचारिक भाषण देने से पूर्व मैं नेपाली में कुछ कहना चाहती हूं जो कि हिन्दी भाषी लोग समझ सकते हैं।

[हिन्दी]

"भाषा हो सभ्यता हाम्रो, सारा उदय उन्नति,
जीत वैभव वांच्छन्, भाषा मैं पछिसम्म यो।"

अर्थात् इसका अर्थ होता है भाषा हमारी सभ्यता है, हमारी उदय उन्नति इसी में निहित होती है और जीत, वैभव सभी भाषा में ही चिरकाल तक जीवित रहेगी।

[श्रीमती दिल कुमारी भंडारी]

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज यह प्राइवेट मेम्बर बिल प्रस्तुत करने जा रही हूं और मुझे आशा है कि सभी इसमें अपनी सहमति देंगे।

[अनुवाद]

मैं सभा के समक्ष जो विधेयक विचारार्थ रख रही हूं वह अत्यन्त साधारण, विवाद-रहित तथा अति अनिवार्य है। यह विधेयक संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को शामिल करने के बारे में है।

यह पहला अवसर नहीं है कि ऐसा विधेयक चर्चा के लिए लाया गया है। मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद अनेक बार विधेयकों को वापिस लिया गया था। अनेक बार विधेयकों पर मतदान हुआ और उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। यह बात जरूर है कि वह विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा लाए गए थे।

महोदय, मैं बड़ी आशा रखती हूं कि इसे बिना किसी विरोध के पारित कर दिया जाएगा। मैं यह बात पूरे विश्वास से कहती हूं कि इस सभा में किसी भी ओर से नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध नहीं होगा।

महोदय, पिछले शीतकालीन सत्र में सभी दलों के 104 माननीय संसद सदस्यों ने जिनमें विपक्ष के सभी नेता भी शामिल थे, माननीय प्रधान मन्त्री जो संबोधित अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर कर, संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने की मांग का समर्थन किया था। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशेखर जो ने उस अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे लेकिन उन्होंने एक अलग पत्र लिखकर इस मामले का समर्थन किया था। मैं इस न्यायोचित मांग का समर्थन करने के लिए सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं

माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री श्री अर्जुन सिंह ने गंगटोक में 2 से 4 अक्तूबर, 1991 तक राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी द्वारा आयोजित चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था और मैं वह स्वयं उद्धृत करती हूं :

[हिन्दी]

"यह एक विडंबना ही है कि इस भाषा को आज तक संवैधानिक मान्यता नहीं मिली।"

[अनुवाद]

इसी सम्मेलन में एकमत से यह संकल्प पारित किया गया था कि नेपाली भाषा को तत्काल आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

मैं सभा को यह बताना चाहती हूं कि अन्य महान नेताओं ने नेपाली भाषा के बारे में क्या कहा था। भारत के महान सपूत स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण ने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई को नेपाली भाषा के बारे में लिखा था।।

मैं उद्धृत करती हूं :

"मैं महसूस करता हूं कि आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा शामिल करने से नेपाली बोलने वाले व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी।"

भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी एक पत्र लिखा था मैं उद्धृत करती हूं :—

[हिन्दी]

"हमारी कांग्रेस चाहती है कि नेपाली भाषा को अब आपकी मांग के अनुसार संवैधानिक मान्यता मिले।"

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर जी ने भी कहा था और मैं उद्धृत करती हूं :

[हिन्दी]

"यह प्रश्न बहुत दिनों से विचाराधीन है। दुःख है कि इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। मैं नहीं जानता कि नेपाली भाषा को संविधान में स्थान क्यों न मिले।"

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री श्री शांताराम ने भी कहा था और मैं उद्धृत करती हूं :

"नेपाली एक समृद्ध भाषा है जो भारत में काफी लोगों द्वारा बोली जाती है। केन्द्र को इसे तत्काल मान्यता दे देनी चाहिए क्योंकि इससे सम्बन्धित मामला बहुत समय से लंबित पड़ा है।"

राज्य सभा सदस्य श्री समर मुखर्जी, ने श्री पी० वी० नरसिंह राव जी को लिखा था। मैं उद्धृत करती हूं :

"समय आ गया है कि सरकार इस मुद्दे पर पुनः विचार करे और प्रधान मन्त्री द्वारा दिए गए इस आश्वासन को क्रियान्वित करे कि देश की एकता के हित में नेपाली भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए।"

हाल ही में राज्य सभा सदस्य डा० रत्नाकर पाण्डेय, ने भी गृह मन्त्री श्री एस० बी० चव्हाण को एक पत्र लिखा है, मैं उद्धृत करती हूं :

[हिन्दी]

"मैं राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी का मानद अध्यक्ष होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता तथा पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में शांति बनाए रखें तथा एक करोड़ भारतीय नेपाली जनता की आकांक्षाओं का आदर करें तथा नेपाली भाषा को संसद के वर्तमान सत्र में विधेयक के माध्यम से संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की कृपा करें। यह राष्ट्रहित में आपका ऐतिहासिक कदम होगा।"

[श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी]

[अनुवाद]

इस प्रकार नेपाली भाषा को मान्यता देने की लम्बे समय से चली आ रही मांग पर राष्ट्रीय आम राय अनेक बार प्रकट हो चुकी है।

अत: मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को इस सम्माननीय सभा का पूर्ण बहुमत मिलेगा और यह पारित हो जाएगा। नेपाली और मणिपुरी भाषा को शामिल करने सम्बन्धी मांग चार दशकों से भी अधिक समय से लंबित पड़ी है। यह मांग बड़ी संवैधानिक भी है।

संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा जिससे अंतत: हिन्दी के विकास में सहायता मिलेगी। हिन्दी के और आगे विकास तथा समृद्धता के लिए नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना बहुत आवश्यक है क्योंकि न केवल इस भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है बल्कि इसकी लिपि भी देवनगरी है। वास्तव में देश के प्रसिद्ध भाषाविद् प्रो० नामवर सिंह के अनुसार मैं उद्धृत करती हूं।

> "नेपाली भाषा का यह पहले इतना अनुपम तथा अद्वितीय है कि यह भाषा हिन्दी के विकास के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है।"

कलकत्ता के प्रो० एस० चक्रधरण, प्रो० आर० एन० श्रीवास्तव और प्रो० नामवर सिंह ने पिछले महीने कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में हुई अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने से न केवल यह भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की भावात्मक एकता में सहायता मिलेगी बल्कि इससे हिन्दी को समृद्ध बनाने में भी सहायता मिलेगी। इसी संगोष्ठी में राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी के अध्यक्ष श्री स्वदेश भारतीय ने इस मुद्दे का जोरदार शब्दों में समर्थन किया। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में भाषायी अल्पसंख्यकों के संरक्षण का प्रावधान है। अत: इन अनुच्छेदों की भावनाओं को मानते हुए यह आवश्यक है कि अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी जाए। अत: जो लोग नेपाली और मणिपुरी बोलते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इन भाषाओं को मान्यता देने में किसी प्रकार की आर्थिक बाधा भी नहीं है। इससे भारत की सुरक्षा को भी खतरा नहीं है बल्कि इससे देश में नेपाली बोलने वाले व्यक्तियों की यह भावनाएं मजबूत होगी कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में वे भी समान रूप से भागीदार हैं। इसके फलस्वरूप आधुनिक भारत में उनके भारी योगदान को मान्यता मिलेगी। अत: इसका कोई कारण नहीं है कि इस भाषा को संवैधानिक मान्यता से वंचित रखा जाये।

कुछ समाचारपत्रों में यह समाचार पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई कि सरकार ने मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की लंबित मांग पर विचार करने का निर्णय लिया है।

यदि यह सत्य है तब मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी का अत्यन्त आभारी हूं और उनके विचारों में आये परिवर्तन का स्वागत करती हूं। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि इस विचार को तुरन्त ही नीति निदेश के रूप में ठोस रूप प्रदान किया जाना चाहिए। इससे पहले भी सरकार इस बारे में कदम उठाती रही है जैसा कि श्री सैयद शाहाबुद्दीन ने एक बार आठवीं अनुसूची का विस्तार करने

के सम्बन्ध में बेतुके तर्क दिये थे। यदि आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को सम्मिलित करना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आठवीं अनुसूची की भी क्या आवश्यकता है ? यदि आठवीं अनुसूची को बनाए रखना है और मेरे विचार से ऐसा होना भी चाहिए तब और अन्य भाषाओं को उसमें शामिल करने के लिए कुछ तर्कसंगत मानदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिए। वास्तव में आठवीं अनुसूची में देश में सांस्कृतिक विकास के परिवर्तनशील और विविध स्वरूप को दर्शाया गया है। यह परिवर्तनशील है न कि गतिहीन। इसीलिए आठवीं अनुसूची में भावना और उसका विषय-वस्तु दोनों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इस संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्य मंत्री माननीय श्री एम० एम० जैकब ने कहा था कि इसके लिए कोई मानदण्ड निर्धारति नहीं किये गये हैं और इस समय सरकार के पास कोई मानदण्ड निर्धारित करने का प्रस्ताव भी नहीं है। अत: सरकार किस आधार पर आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल करने से इन्कार कर रही है ?

जहां तक नेपाली और मणिपुरी भाषाओं का सवाल है, भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा दोनों को मान्यता प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा मुझे दिये गये विवरण के अनुसार साहित्य अकादमी द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान के मानदण्ड, जो कि गोकक समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1984 में अकादमी के कार्यकारी मण्डल द्वारा निर्धारित किये गये थे, निम्नलिखित है : (एक) सामाजिक भाषा विषयक पक्ष, (दो) साहित्यिक पहलू, (तीन) शैक्षणिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पहलू। नेपाली और मणिपुरी दोनों उन सभी शर्तों पर पूरी तरह खरी उतरी हैं जिसके आधार पर पन्द्रह दूसरी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था।

जहां तक नेपाली भाषा के भाषा-विषयक महत्व का सम्बन्ध है, डा० सुनीति कुमारी चटर्जी; जो कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एक सुविख्यात विद्वान् और भाषाविद् हैं, को भी यह कहना पड़ा था, जिसे मैं उद्धृत करता हूं :—

> "भाषाएं जिनका वास्तव में भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें काफी कमी आई है और हम कह सकते हैं कि समस्त भारत देश के लिए हमारे पास केवल पन्द्रह साहित्यिक भाषाएं ही हैं।"

उन्होंने उनके नाम आसामी, बंगाली, गुजराती; हिन्दी; कन्नड़; कश्मीरी; मलयालम; मराठी; नेपाली; उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, तमिल, तेलगु और उर्दू बताये हैं और इसके अलावा अंग्रेजी और संस्कृति दो अन्य भाषाएं हैं जिनका विशेष स्थान है।

मैं नेपाली भाषा की विशेषताओं का वर्णन करने में ही इस सम्माननीय सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता क्योंकि डा० चटर्जी जैसे विद्वान् व्यक्तियों के विचार ही इसके लिए पर्याप्त हैं। परन्तु यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रीय भाषा हिन्दी को छोड़कर नेपाली, एक अत्यन्त समृद्ध भाषा होने के बावजूद भी उन भाषाओं की सूची में अपना स्थान नहीं बना सकी है जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

डा० चटर्जी का यह विचार भी था कि नेपाली और सिन्धी जैसी अन्य भाषाओं के बोलने वालों की इच्छानुसार इनको भी आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि वर्ष 1967 में सिन्धी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। बहरहाल नेपाली भाषा

[श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी]

को अभी मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

नेपाली एक भारतीय भाषा है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। संक्षेप में मैं कहूंगी कि इस भाषा का भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में उस समय जन्म हुआ जबकि राजनैतिक नक्शे में आज के नेपाल का कहीं नाम तक नहीं था।

क्या सरकार नेपाली को विदेशी भाषा समझती है, इस प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्रालय ने 4 दिसम्बर, 1991 को पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में बताया था कि नेपाली को विदेशी भाषा नहीं समझा जा रहा है।

हमने विदेश मंत्रालय से पूछा था कि यदि नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए तो भारत और नेपाल के सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अथवा दोनों देशों के सम्बन्धों पर कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस सम्बन्ध में पूछा था। हमें वहां से उत्तर मिल गया है और मैं इसे उद्धृत करता हूं :—

"आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विदेश मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि यह एक आन्तरिक मुद्दा है और जिसका नेपाल के साथ हमारे सम्बन्धों से कोई लेन-देन नहीं है जिससे कि यह मंत्रालय सम्बन्धित है।"

नेपाली भाषा भारत के 100 लाख नागरिकों से भी अधिक की भाषा है जो उत्तर बंगाल के सिक्किम, दार्जिलिंग और देवरा में तथा सभी उत्तर-पूर्वी राज्य, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। इसके अलावा और भी अनेक व्यक्तियों द्वारा उनकी दूसरी भाषा के रूप में नेपाली भाषा बोली जाती है।

कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत ने जो जिक्र किया था मैं उसके बारे में यहां पर कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं यहां पर उठाये गये इस अनावश्यक और महत्वहीन विवादपूर्ण मुद्दे में स्वयं को शामिल करना नहीं चाहता।

श्री इन्द्रजीत : महोदय; परन्तु अभी तक मैंने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं। (व्यवधान)

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : आपके बोलने से पूर्व ही मैं इसी की प्रत्याशा में आपकी आशंकाओं को दूर करना चाहती हूं। (व्यवधान)

किसी व्यक्ति के जीवन में भाषा का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें बहुत अधिक भावनात्मक मुद्दे जुड़े होते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण अस्तित्व ही इसमें शामिल होता है। इस सम्बन्ध में निम्न कोटि के तरीके अपनाना ठीक बात नहीं है। यदि मैं इस प्रकार के निम्न कोटि के तरीके अपनाना शुरू कर दूंगी, तो मेरी भावी पीढ़ियां मुझे इसके लिए कभी क्षमा नहीं करेंगी। अत: मैं तथा और भी अनेक व्यक्ति जो नेपाली भाषा बोलते हैं, इतने कमजोर नहीं हैं कि हम कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा दिये गये अज्ञानतापूर्ण और मनगढ़न्त तर्कों और सुझावों को मानकर अपनी मातृभाषा का नाम बदल देंगे।

इस सम्बन्ध में श्री सुभाष घीसिंग द्वारा अभिव्यक्त 1973 में एक दस्तावेज से मैं कुछ उद्धृत

करना चाहूंगी। मैं नहीं जानती कि मैं उनका नाम ले सकती हूं अथवा नहीं।

परन्तु मैं उनके अपने दस्तावेज से ही पढ़ती हूं :

"झूठा आटी गोरखालाको प्राति मोर्चोसंघ का महासचिव सुभाष घीसिंग का घोर विरोध।"

उन्होंने फिर कहा :

"हामी गोरखाली होई नो"—हम गोरखा नहीं हैं।

"हामी नेपाली"—हम नेपाली हैं।

"हम नेपाली हैं और नेपाली रहकर ही हम अपनी भाषा और संस्कृति को बनाये रख सकते हैं।"

मैं और अधिक नहीं कहना चाहती। मैं इसे इस सम्माननीय सभा और इसके विद्वान् माननीय सदस्यों के विवेक पर छोड़ती हूं।

महोदय, नेपाली भाषा पश्चिम बंगाल के उप-मण्डल सिक्किम और दार्जिलिंग की सरकारी भाषा है। काफी समय पहले 8 जनवरी, 1927 को तत्कालीन सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 422, दिनांक 8 जनवरी, 1927 द्वारा नेपाली भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी।

1975 में सिक्किम के भारत में विलय होने तक नेपाली इसकी राष्ट्रीय भाषा थी। दुर्भाग्य से, राष्ट्रीय स्तर की इस भाषा को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है।

महोदय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की राज्य विधान सभाओं द्वारा आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने के लिए एकमत से संकल्प पारित किये गये हैं। किसी भी अन्य भाषा को यहां तक की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा को इस प्रकार का समर्थन नहीं मिला है। यद्यपि निश्चित रूप से ऐसे समय में इस प्रकार का समर्थन करना उनके लिए जरूरी नहीं था जबकि उन्हें मान्यता प्रदान की जानी थी।

महोदय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के राष्ट्रीय दल कांग्रेस (आई), भारतीय जनता पार्टी, वाम मोर्चा और अन्य क्षेत्रीय दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में नेपाली और मणिपुरी को संवैधानिक मान्यता दिए जाने सम्बन्धी कार्यक्रम शामिल किया गया है। अभी हाल ही में सारनाथ में अपने आयोजन में भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग का समर्थन किया था। मैं आशा करता हूं कि चुनाव घोषणापत्रों की पवित्रता को सभी दलों द्वारा कायम रखा जाएगा।

महोदय, इसका श्रेय भारत के उन नेपाली भाषियों को जाता है जिन्होंने देशभर में फैले होने के बावजूद भी स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से ही आधुनिक भारत को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में अपना ठोस और सतत योगदान किया है।

भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर और अन्य सभी पहलुओं के दृष्टिकोण से इसने अद्वितीय योगदान दिया है।

नेपाली भाषा का चार दशक से भी अधिक समय तक चला आंदोलन सर्वाधिक शान्तिपूर्ण

[श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी]

आंदोलन रहा है। यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अखंडता के प्रति हमारी वचनबद्धता को दर्शाता है।

महोदय, सिक्किम की जनता में भी सरकार की इस ढुलमुल नीति के प्रति असंतोष बढ़ता आ रहा है। मुझे भय है कि हम कब तक मातृभाषा के प्रति उनकी वचनबद्धता और उनकी भावनाओं पर राजनैतिक और भावनात्मक स्तर पर काबू रख सकते हैं।

महोदय, मणिपुरी मणिपुर की सरकारी भाषा भी है।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने की निरन्तर मांग के पीछे इस भाषा की व्यापकता भी एक कारण रही है। महोदय, यद्यपि कि वरिष्ठ नेतागण केन्द्रीय मंत्रियों के पास गये तथा इस आशय के ज्ञापन के साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की तथा बोट क्लब पर एक शांतिपूर्ण धरना दिया। हतोत्साहित युवा नागरिक अवज्ञा आंदोलन के एक अंग के रूप में मणिपुर के लोगों से कोई भी कर अदा न करने का अनुरोध करने लगे हैं।

महोदय, इसलिए मैं सरकार से इस विधेयक को स्वीकार करने तथा नेपाली और मणिपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने एवं विभिन्न अवसरों पर अनेकों बार दिए गये मौखिक आश्वासनों को पूरा करने का अनुरोध करती हूं। मैं इस सम्मानित सभा के सभी पक्षों से इस विधेयक को पूर्ण समर्थन देने की प्रार्थना करती हूं।

अब मुझे नेपाली में बोलने दिया जाए। अपनी बात समाप्त करते समय मैं कहना चाहती हूं :

[हिन्दी]

मैं एक लाइन नेपाली में कहूंगी :

"बड़ो दुर्लभ जानोस भारतभूमिको जन्म जनले"

अर्थात भारत भूमि में जन्म पाना बहुत दुर्लभ है। जिस भाषा के आदि कवि अर्थात प्रथम कवि ने यह उद्गार प्रकट किया था, क्या ऐसी भाषा को इस देश की भारत भूमि के संविधान से अलग रहना उचित है, न्यायोचित है? इसको भारत के संविधान में स्थान न मिलना एक विडम्बना नहीं है?

इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मैं आप सब आदरणीय सांसदों से विनती करूंगी कि आप सब पक्ष के लोग इसमें सम्मति दें और इस बिल को पास करने में मदद करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति महोदय, श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि हमने अपने घोषणा-पत्र में दोनों भाषाओं के बारे में और उत्तर-पूर्वी भारत की समस्याओं के सन्दर्भ में कहा है, उसको महत्वपूर्ण मानता हूं और उसकी पूर्ति की दिशा में एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय, संविधान की आठवीं अनुसूची है जिसमें संविधान-सभा द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता देने पर विचार किया गया, उनकी उसमें गणना की गई। उस अनुसूची में एक बार परिवर्तन हुआ है और वह 1967 में। 1950 में जब पारित हुआ था तब इसमें सिन्धी भाषा का उल्लेख नहीं था। मैं स्वयं सिन्धी भाषी हूं और इसलिए हम लोगों को बहुत अटपटा लगता था कि इसमें सिंधी भाषा का उल्लेख नहीं है। भारतीय जनसंघ के हम सदस्य बने और उस समय भारतीय जनसंघ के घोषणा-पत्र में इस बात का जिक्र किया गया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, 1957 में पहली बार लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मुझे स्मरण है कि उन्होंने एक गैर-सरकारी विधेयक को पहले-पहले प्रस्तुत किया। वह संविधान संशोधन विधेयक था जो अनुसूची-8 में सिन्धी भाषा को मान्यता प्रदान करने के लिए था। सरकार ने तब बात नहीं मानी। देशभर में उसके लिए जनान्दोलन हुआ। सिन्धी भाषी लोग उधर से यहां आए और देश मे फैले हुए थे। उन्होंने भी प्रचण्ड आन्दोलन किए, तदुपरांत 1967 मे अनुसूची-8 मे संशोधन किया गया और सिन्धी को मान्यता दी गई। मुझे स्मरण है कि उन दिनों में एक तर्क दिया जाता था कि सिन्धी को मान्यता देने में क्या कठिनाई है? कहा जाता था कि हिन्दुस्तान में भाषायें बहुत हैं, बोलियां ही नहीं भाषायें भी बहुत हैं। बात सही है क्योंकि अनुसूची-8 में 14 तक सीमित करना क्यों जरूरी है? इसके लिए तर्क दिया जाता था कि हमने केवल उन्हीं भाषाओं को लिया है जो किसी न किसी प्रदेश में बहुमत द्वारा बोली जाती थीं और इसलिए वहां के प्रदेश की कम से कम अधिकृत राजभाषा बन गई है और बाकी भाषाओं को स्वीकार करने में झिझकते है क्योंकि उनके विभिन्न कारण गिनाये जाते थे कि कौन-कौन सी भाषाएं हैं जो वास्तव में अनुसूची मे आए। आज तो ठीक रहेगा, आपत्ति नहीं रहेगी यह कह कर तर्क का उत्तर दिया करते थे। हम कहा करते थे कि संस्कृत किसी प्रदेश की भाषा नहीं है और न किसी प्रदेश की अधिकृत भाषा ही है फिर भी उसको मान्यता प्राप्त है और उन दिनों तो अंग्रेजी भी किसी प्रदेश की मान्यता प्राप्त भाषा न थी। अंग्रेजी तो बाद मे बनी जब नागालैंड और मिजोरम बन गए, तब अंग्रेजी और संस्कृत को मान्यता प्रदान न थी। हम तर्क दिया करते थे यद्यपि मैं उस तर्क को बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज स्थिति यह है कि दोनों भाषायें नेपाली···मेरे मित्र इन्द्रजीत कहेंगे आप नेपाली मत कहिए, उसकी एक युक्ति है, तर्क है। आप उसको गुरखाली कहिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। नेपाल अलग देश है इसलिए नेपाली भाषा विदेशी भाषा है और इसलिए उसका इसमें उल्लेख न होकर हम उसको गोरखाली कहें, यह मेरा आग्रह नहीं है। अगर किसी का आग्रह हो और सरकार यह समझे कि नेपाली-गोरखाली, इससे भी काम चल सकता है तो मुझे आपत्ति नहीं। मैं तो उस भाषा से सम्बन्धित हूं। मैं शब्द का झगड़ा नहीं कर रहा हूं। यद्यपि मुझे भी बात कही गई है और महत्व की बात भाषा है। आज यह चाज हम डिस्कस कर रहे हैं। 1971 में मणिपुर को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 मे सिक्किम हमारे देश का भाग बन गया और सिक्किम की मान्यता प्राप्त भाषा है—नेपाली। मणिपुर की मान्यता प्राप्त भाषा है मणिपुरी, और इसलिए जो तर्क बाकी भाषाओं के बारे में दिए जा सकते हे और एक भाषा और है जिसका जिक्र आता है-कोंकणी। गोआ भी उसके बाद राज्य बना है और अगर कोंकणी को भी जोड़ा जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार इस प्रकार के विधेयक या इस प्रकार के प्रस्ताव का उत्तर यह दिया जाता है कि सरकार किस-किस भाषा को देगी? इतनी भाषाएं हैं और फिर उन भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। मैं भी गिन सकता हूं लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी राज्य मे अधिकृत रूप से वहां की भाषाएं मान ली गई हैं; उनको तो निश्चित रूप से 8वीं अनुसूची में स्थान देना चाहिए। इसमें तो विरोध होने और विलम्ब होने का कोई कारण नहीं है। इस मामले में मैं अभी-अभी इम्फाल गया था और वहां की स्थिति जैसे

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

देखी है। वहां पर जो आन्दोलन है, उसने नेगेटिव रूपधारण नहीं किया है। वहां पर कोई हिन्दी का चलचित्र नहीं दिखाया जाएगा, हिन्दी का कोई बोर्ड नहीं लगाया जायेगा और हिन्दी ही नहीं, मणिपुरी को छोड़कर शेष जितनी भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, उनको हम स्वीकार नहीं करेंगे, उनको हटायेंगे। यह नेगेटिव रूप भी धारण करने लगा है। कोई एकाध वहां घटना भी हुई है। मेरा निवेदन है कि सरकार को बहुत सारी बातों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर कोई मांग उचित है तो क्या उसको स्वीकार केवल तब किया जाएगा जब उसके समर्थन में जब आन्दोलन हिंसात्मक रूप ले लेगा या हमको एंटिसिपेट करके समझकर, भावना को पहचान कर और जो मांग लगातार की जा रही है और इस केस में देखिए कि चार विधान सभाओं ने मांग की है। मणिपुर ही नहीं लेकिन पश्चिम बंगाल और अभी-अभी हमारे हिमाचल प्रदेश ने भी प्रस्ताव पास किया है। एक ओर विधान सभा त्रिपुरा ने भी मांग की है और ऐसी स्थिति में जब चार-चार विधान सभाओं ने मांग की है और हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि विधेयक पास होने से पहले सरकार की तरफ से साफ आश्वासन हो जाए और यह सदन उठने से पहले, इस बार के बजट सत्र समाप्त होने से पहले कि हम इस बात को ले आएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मैं समझता हूं कि सारा सदन इस बात पर एक मत होगा और बिना इस विधेयक के यह काम हो सकता है। दोनों भाषाओं के बारे में एक आम सहमति ऐसी बनी हुई है और मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ जब इन्द्रजीत जी ने खड़े होकर कहा कि यूनैनिमिटी नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री इन्द्रजीत : भाषा पर कोई झगड़ा नहीं है। भाषा की पूरी इज्जत हम करते लोग उसी को बोलते हैं लेकिन वह जो बाकी बातें मुझे कहनी हैं, बाद में कहूंगा। जैसे आपने नाम की बात कही। "नेपाली" जो शब्द है वह आइडेंटिफाइड है दूसरे देश की राष्ट्रीयता के साथ। इसीलिए मोरारजी देसाई जब प्रधान मंत्री हुए और जब लोगों ने कहा कि नेपाली लैंग्वेज को...(व्यवधान)...।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसाट) : बांग्लादेश एक संप्रभुता सम्पन्न देश है। लेकिन बांग्लादेश में बंगला राजभाषा है। बंगला पश्चिम बंगाल राज्य की भी राज्यभाषा है।

श्री इन्द्रजीत : बांग्लादेश में वे इसे बांग्लादेशी कह सकते हैं। (व्यवधान)

6.00 म० प०

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : मैं श्री इन्द्रजीत जी को यह अवगत कराना चाहूंगी कि जब मैं बोल रही थी तो मैंने माननीय गृह मंत्री जी के उत्तर का वर्णन किया था कि उन्होंने कहा है कि यह एक विदेशी भाषा नहीं है। यह भारत के लोगों की भाषा है।

श्री इन्द्रजीत : मैं बोलना चाहूंगा। विपक्ष के माननीय नेता ने मुझे यह बोलने का अवसर दिया कि भाषा के लिए यहां पूरा आदर है। भाषा के संबंध में कोई समस्या नहीं है।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। क्या ऐसा है कि हम नेपाली भाषीयों को आज सिर्फ उन लोगों के परामर्श पर अपनी भाषा की नामावली बदलनी होगी जो नेपाली नहीं हैं और उस राज्य के निवासी हैं जहां लोग नेपाली नहीं बोलते हैं?

सभापति महोदय : वे आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हैं।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : यह उनके लिए बहुत ही अनुचित है। यह उनके लिए उचित नहीं है। हम इसे ऐसे ही रहने नहीं देंगे।

सभापति महोदय : ब्रिटिश काल में मैं समझता हूं कि इसे गोरखाली कहा जाता था। लेकिन ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात इसका पुनः नामकरण नेपाली किया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सभापति जी, सेवा में रहे हैं इसलिए उनको इस बात की जानकारी है और मुझे सब पता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने 15 वर्षों तक गोरखा रेजीमेंट में कार्य किया है और मैं समझता हूं कि मैं उतनी ही अच्छी गोरखाली अथवा नेपाली बोल सकता हूं जितनी कि श्रीमती भंडारी।

[हिन्दी]

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : सभापति जी, मैं एक बात कहकर आपका भ्रम भी दूर करना चाहती हूं। आज दार्जिलिंग में, जिसका प्रतिनिधित्व हमारे साथी इन्द्रजीत जी करते हैं, थोड़े से कुछ लोग यह बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानती, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसको गोरखाली बोलना चाहिए। अब गोरखाली बोलना चाहिए या गोरखा बोलना चाहिए, इसके पीछे लौजिक क्या है। वे बता रहे हैं कि नेपाली बोलने से, सारे हमें इंडियन लोग समझते हैं कि हम लोग नेपाल के नेशनल्स हैं, जबकि गोरखाली बोलने से, हम लोग भारतीय हो जायेंगे। आप ही बताईये, आपने अभी कहा कि आप गोरखा रेजिमेंट में 15 साल तक काम करते रहे, आप ही बतायें कि गोरखा रेजिमेंट के सारे गोरखे क्या भारतीय हैं? कितने परसेंट हैं? ज्यादातर लोग नेपाल के नेशनल्स हैं, तो क्या गोरखाली बोलने से ही भारतीय माने जायेंगे और नेपाली बोलने से हम नेपाल के गिने जायेंगे?

सभापति महोदय : भण्डारी जी, इन्द्रजीत जी आपके व्यूज से सहमति ही व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उनका बात कहने का ढंग अपना है और उन्हें हक है अपनी बात कहने का।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, सभा अब स्थगित होती है। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। वे अपनी बात जारी रखेंगे। सभा सोमवार, 20 अप्रैल 1992 को 11.30 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है। माननीय सदस्यगण इस बीच आप इस अवधि का आनन्द उठाइये।

6.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 20 अप्रैल 1992/31 चैत्र, 1914 (शक) के 11.00 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053